खण्ड-391, अंक-8
मंगलवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1911
(28 मार्च, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 391 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
प्रश्नोत्तर	1–91
ठक्कर आयोग की रिपोर्ट संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग (जारी)	91
जनपद बस्ती के डुमरियागंज व रामनगर ब्लाक को बस्ती जनपद में ही बना रहने देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद वाराणसी के ग्राम राजा तालाब में प्रस्तावित ग्राम समूह पेयजल योजना को शीघ्र कार्यान्वित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में कासिमाबाद से मरदह तक के मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद गाजीपुर के जमानिया ब्लाक में नई बाजार से दैवेथा मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
लखनऊ नगर के महानगर क्षेत्र में फातिमा अस्पताल के पश्चिम स्थित इन्दिरा पार्क के पास के क्षेत्र में फैल रही गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद मुजफ्फरनगर की नगरपालिका कैराना को पूर्व घोषित अनुदान न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद इलाहाबाद के मंझनपुर क्षेत्र में ग्राम सोधिया में हुए अग्निकाण्ड के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	96
ठक्कर आयोग की रिपोर्ट संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग	96
लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 (पटल पर रखा गया)	98
मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	98
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988–89) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया)	98
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988–89) का द्वितीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया)	98
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988–89) का तृतीय प्रतिवदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया)	98
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988–89) का चतुर्थ प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया)	98
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988–89) का पंचम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया)	98
राजकीय इण्टर कालेज समथर जिला झांसी की इण्टरमीडिएट कक्षाओं में कृषि एवं वाणिज्य विषय प्रारम्भ कराये जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	99

हमीरपुर जिले की राठ तहसील के ग्राम मलेहटा के पास मगरकुंडी नामक स्थान पर घसान नदी पर लिफ्ट नहर बनवाये जाने विषयक याचिका .. 99
(उपस्थित की गयी)

बेसवा नहर प्रखण्ड जिला झांसी की पनारी माइनर को राजबहा बनाये जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी) 99

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 99

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) 100--111

श्री यदुनाथ सिंह के सदन से निष्कासन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 111

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 112

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत के अत्यन्त पिछड़े तामली क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण व उच्चीकरण किये जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी) .. 114

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत में स्थित स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय के भवनों का निर्माण कराये जाने विषयक हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 114

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 15--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या 16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) 115--144

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) अनुदान संख्या 25--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) 144--190

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 .. (पारित) 190

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने हेतु केन्द्रीय सरकार से कानून बनाये जाने का अनुरोध किये जाने के संबध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव जारी करने के उपरांत अगले दिवस के लिये स्थगन 192

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं 193

नत्थियां । 194--210

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
अमर नाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	रमाकान्त मिश्र, श्री	इलाहाबाद
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू)	शाहजहांपुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	शोभनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
धनराज यादव, श्री	बस्ती	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर	सैयद अलीअशरफी, श्री	पीलीभीत
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं	हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर	हरिशंकर तिवारी, श्री "बिलग्रामी"	हरदोई
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद देवरिया के कप्तानगंज की डिस्टीलरी द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह छोड़ने के विरुद्ध कार्यवाही

**1---श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में कप्तानगंज डिस्टीलरी द्वारा गन्दे रासायनिक जल के उत्प्रवाह के कारण विगत कई वर्षों से छोटी गण्डक नदी का जल गम्भीर रूप से प्रदूषित हो गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मिल के पास प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण का यंत्र और उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और उचित शुद्धिकरण व्यवस्था के अभाव के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति अस्वीकार की जा चुकी है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध प्रदूषित उत्प्रवाह छोड़े जाने के कारण क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

उद्योग के पास उत्प्रवाह शुद्धिकरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रदूषण की संभावना है।

जी हां।

उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (1) के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही की गयी है तथा उद्योग की सहमति (जल) अस्वीकार की जा चुकी है।

श्री सूर्यप्रताप शाही---

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकांश फैक्ट्रियां जिनमें डिस्टीलरी की 28 हैं, उनके द्वारा नदियों का प्रदूषण हो रहा है। उसके कारण पेयजल की समस्या पैदा हो गयी है। मैंने मार्च, 88 में भी नियम 301 के अन्तर्गत इस संबंध में एक सूचना दी थी, मगर इन कारखानों द्वारा प्रदूषण रोके जाने की कोई समुचित कार्यवाही सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गयी है। मेरी निश्चित जानकारी है कि पिछले 6-7 वर्षों के अन्दर छोटी गंडक नदी के किनारे बसे हुए करीब 200 गांवों में पेयजल का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों में शुद्धिकरण यन्त्र लगाये जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गयी है और मुकदमा भी दायर किया गया है, किन्तु उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है। हमारी ओर से उस स्टे को वैकेट कराने की कार्यवाही भी की जा रही है। मैं यह भी प्रयास कर रहा हूं कि मुकदमें का जल्द से जल्द निपटारा हो ताकि हम अन्य आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार कर सकें।

श्री सूर्यप्रताप शाही--

मान्यवर, इस उद्योग के मालिक जो श्री शुक्ला साहब हैं उन्होंने करोड़ों रुपये की आमदनी पिछले पांच वर्षों में की है और उनके खिलाफ जान बूझकर सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी। उनका विद्युत कनेक्शन काटा जा सकता था, तथा जल सप्लाई रोकी जा सकती थी, मगर सरकार द्वारा उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने शो-काज नोटिस दिया तो उसके बाद उस कारखाने के जल एवं विद्युत कनेक्शन को क्यों नहीं काटा गया और प्रदूषण रोकने की कार्यवाही पहले से क्यों नहीं की गयी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, इसमें हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है। हमारी ओर से यह प्रयास है कि वह स्टे जल्द से जल्द खत्म हो जायं। हाईकोर्ट के स्टे के होते हुए अन्य कार्यवाही करना कैसे संभव है ?

श्रीमन्, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने धारा 1974(33) के अन्तर्गत 28--2--85 को मुकदमा किया था और उस पर दोनों पक्षों को सुनकर 15--7--85 को निषेधाज्ञा लागू कर दी थी, उस पर यह लोग हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने भी निषेधाज्ञा का आदेश दिया। अब यह मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है और निस्तारण हेतु अलग से एक प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन के संज्ञान में यह समस्या कब आयी और शासन की तरफ से किन तिथियों में इस संबंध में कोई कार्यवाही हुई और स्टे आर्डर लाने के लिये किस तिथि को फैक्ट्री के लोग गये और क्या सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर वैकेट किया गया ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

श्रीमन्, इसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे वैकेट नहीं हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी---

श्रीमन्, मेरे तीन प्रश्न और तिथियों के बारे में थे। शासन के संज्ञान में यह समस्या कब आयी और शासन की तरफ से क्या ऐक्शन लिया गया और हाईकोर्ट में स्टे के लिये लोग कब गये ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

श्रीमन्, इसमें मुकदमा 28--2--85 को दायर हुआ था लेकिन शासन के संज्ञान में यह समस्या कब आयी, इसकी सूचना नहीं है।

श्री गोपाल दास यादव---

मान्यवर, जल प्रदूषण एक गम्भीर समस्या है और डिस्टिलरी के द्वारा जो प्रदूषित पानी बहाया जा रहा है, उसके संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी फैक्टरियों के लाइसेन्स रद्द कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

श्रीमन्, उस पर कार्यवाही कर दी गयी है और जैसा कि मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उसकी पिछले वर्ष भी उद्योग की सहमति को अस्वीकार कर दिया गया था और इस वर्ष भी उसको अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री कौशिक रमाशंकर---

मान्यवर, फैक्ट्रियों को लेकर पर्यावरण संबंधी जो समस्या है, वह पूरे उत्तर प्रदेश में छायी हुई है और शासन की एक स्पष्ट नीति न होने के कारण यह समस्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है और जितने भी इस तरह के उद्योगपति हैं, जिन्होंने इस तरह के प्लान्ट लगाये हुए हैं, वह अदालतों के जरिये स्टे वगैरह ले लेते हैं, यह एक चिरन्तन सत्य उत्तर प्रदेश के पर्यावरण के संबंध में बन गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पर्यावरण की दृष्टि से शासन इस पर विचार करेगा कि किसी भी ऐसे उद्योग को, जो पर्यावरण संबंधी ट्रीटमेंट प्लान्ट न लगाये, उसको लाइसेन्स न दिया जाये ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि जिन फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं लगे हैं और जो हाईकोर्ट से स्टे लेकर निरन्तर इस तरह का काम करते चले जा रहे हैं, इसी को लेकर एक बोर्ड पहले हाईकोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिये हैं कि वह ऐसे सेन्सेटिव मामलों में स्टे आर्डर न दिया करें।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

मान्यवर, जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उनसे प्रदूषण फैल रहा है और सरकार इसे मानने से इन्कार करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी सुनिश्चित जानकारी है और माननीय सदस्यों की सुनिश्चित जानकारी है, उसको देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी माननीय सदस्यों की कमेटी गठित करने की कृपा करें, जो यह छानबीन करे कि प्रदूषण कहां-कहां फैल रहा है और जिसकी जांच करके उस पर कार्यवाही करने का कार्य किया जा सके?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

श्रीमन्, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदूषण बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा, जो इन्डस्ट्रीज जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण करती हैं, उनको केटेंगरीवाइज करके, विभिन्न प्रकार के वर्गों की पूरी लिस्ट बनायी जा चुकी है।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहत हूं कि जो इस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार की वजह से फैल रहा है। मान्यवर, जब यह प्रदूषण फैलता है, उस समय तो कार्यवाही नहीं की जाती है। जानबूझकर इतना अवसर दिया जाता है कि वह हाईकोर्ट तक पहुंच जाये। उत्तर प्रदेश की जनता के पर्यावरण को देखते हुए क्या आप इस तरीके का कानून बनाकर खुद प्रदूषण बोर्ड को इतना सक्षम करेंगे कि वह इस बात के लिये मजबूर कर सके कि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया जाये। यदि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं लगाया जाता है तो क्या उनके सम्पूर्ण लाईसेन्स को निरस्त करने पर आप विचार करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

नियमों के अन्तर्गत इसको प्रभावी बनाने पर विचार कर लिया जायेगा।

राज्य में होमगार्डों के जेब खर्च, परेड तथा भोजन भत्तों की दरों में वृद्धि

**2---श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 88 के प्रथम सप्ताह में शासन ने राज्य में होमगार्डों के जेब खर्च, परेड तथा भोजन भत्तों की दरों में वृद्धि करने की घोषणा की है? यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गयी है और कब से लागू होगी? क्या वर्तमान मंहगाई को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन, साधारण गार्डों को 30 रु0 और राइफलधारी होमगार्डों को 35 रु0 पारिश्रमिक देने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

जेल एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह एडवोकेट)---

जी हां।

शासनादेश संख्या 5094/27--88--245 हो0गा0/81, दिनांक 1--11--88 द्वारा होम गार्डों के जेब खर्च, परेड तथा भोजन भत्ते की दरों में दिनांक 1--11--88 से निम्न प्रकार से वृद्धि की गई है:---

	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1---परेड भत्ता ..	रु0 5.00 प्रति परेड (ढाई घंटे की अवधि के लिए)	रु0 10.00 प्रति परेड (ढाई घंटे की अवधि के लिए)
2--जेब खर्च शहरी/ग्रामीण होम गार्ड्स	रु0 3.00 प्रति होम गार्ड प्रतिदिन	रु0 8.00 प्रति होम गार्ड प्रतिदिन
3---शिविर प्रशिक्षण अवधि में शहरी/ग्रामीण होमगार्ड्स के लिए भोजन भत्ता। ..	रु0 9.00 प्रति होम गार्ड प्रतिदिन	रु0 12.00 प्रति होम गार्ड प्रतिदिन

वर्तमान महंगाई को देखते हुए तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार होम गार्डों के पारिश्रमिक की दर को दिनांक 1--1--89 से रु0 15 प्रतिदिन प्रति होमगार्ड्स से बढ़ाकर रु0 22 प्रतिदिन प्रति होम गार्ड कर दिया गया है । अन्तर्जनपदीय ड्युटियों के लिए पारिश्रमिक की दर रु0 23.50 पै0 प्रतिदिन प्रति होम गार्ड से बढ़ाकर रु0 30.50 पै0 प्रतिदिन प्रति होम गार्ड कर दी गयी है । साधारण होम गार्ड और राइफलधारी होम गार्ड के पारिश्रमिक की दरों में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि सभी स्वयं सेवक समान हैं। भारत सरकार में भी साधारण होम गार्ड और राइफलधारी होम गार्ड के पारिश्रमिक की दरों में कोई अन्तर नहीं रखा गया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि होमगार्ड्स के लिए जेब खर्च, परेड, शिविर प्रशिक्षण के पारिश्रमिक में जो वृद्धि की गई है, उसका मानक क्या है ? क्या यह केवल घोषणा मात्र ही है या फिर लागू कर दी गई है ? शायद जो वृद्धि की गई है वह लागू नहीं की गई है । यदि लागू कर दी गई है तो कितना व्यय भार शासन के ऊपर पड़ा है ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट---

श्रीमन्, जो वृद्धि की गई है वह एक जनवरी से लागू कर दी गई है। अब इसमें जो विलम्ब हो जाता है, उसका कारण यह है कि पहले मस्टर रोल बनता है और फिर उनका वरिफिकेशन होता है। हो सकता है किसी जनपद में विलम्ब हुआ हो परन्तु एक जनवरी से ही देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। महंगाई को देखते हुए ही यह वृद्धि की गई है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि होमगार्डस के लिए जो वृद्धि की गई है क्या वह महंगाई को देखते हुए की गई है ? क्या उस वृद्धि का मानक बढ़ती हुई महंगाई के बराबर पहुंच गया है अथवा नहीं ? दूसरा, सरकारी रेट के हिसाब से जो 39 फीसदी महंगाई बढ़ी है, क्या उसके मुताबिक उनका महंगाई भत्ता कर दिया गया है या नहीं ? होमगार्ड्स के वेतनमान जो इस समय तय किये गये हैं और जो सिपाही का वेतनमान है, इन दोनों में फर्क होने का क्या कारण है ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

जहां तक वेतनमान की बात कही, सिपाही को वेतनमान मिलता है, होमगार्ड स्वयं सेवक होता है, उसको कोई वेतन नहीं मिलता। जिस दिन ड्यूटी पर रहते हैं ड्यूटी एलाउन्स मिलता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मैंने पूछा था कि जो 39 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई के अनुरूप भत्ता बढ़ाया या नहीं।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट---

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए महंगाई का भी ध्यान रखा जाता है और अन्य चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। माननीय सदस्य को जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में पहला राज्य है, जिसमें सबसे पहले भारत सरकार की संस्तुति पर ड्यूटी भत्ते में वृद्धि की गयी है।

श्री गोपाल दास यादव---

मैं जानना चाहता हूं कि यह होमगार्ड बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, ट्रैफिक पुलिस से लेकर सचिवालय से बाहर और सारे महत्वपूर्ण त्योहारों पर होमगार्ड्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। इनकी सिविल पुलिस से कम ड्यूटी नहीं होती है लेकिन बदकिस्मती है कि उनका जो पारिश्रमिक है, बहुत कम है। 6 महीने बाद ढाई घंटे को परेड होती है 8 रु0 मिलता है। जो आपने 20 रु0 देने की घोषणा की है, आज सदन में बता दें कि उसे कब से लागू कर देंगे ? क्या पिछला भुगतान भी आज तक का कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट---

पारिश्रमिक की दर भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है। जनवरी से 15 रु0 के स्थान पर 22 रु0 जनपद में और अन्तर्जनपदीय ड्यूटी का ड्यूटी भत्ता 23.50 के स्थान पर 30.50 रु0 किया गया है। परेड भत्ते में वृद्धि 1 नवम्बर, 1988 से की गयी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स स्वयं सेवी संस्था है। हम लोग देखते हैं कि होमगार्ड्स की पूरी ड्यूटी लगती है कहीं दंगा फसाद हो या कोई त्योहार हो, तो होमगार्ड्स की ड्यूटी लगायी जाती है, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे पी0 ए0 सी0 है उसी तरह से होमगार्ड्स को भी संगठित करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वह स्वयं सेवी संस्थान बनकर एक रेगुलर सर्विस बन जाय ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट---

स्वयं सेवी संस्था होने के कारण अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री शारदा प्रताप---

उन्होंने कहा कि स्वयं सेवी संस्था है, आप देखते होंगे कि ट्रैफिक में और हर स्तर पर होमगार्ड्स के सिपाही बढ़िया काम कर रहे हैं, विधान भवन में भी इनकी काफी उपयोगिता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस स्वयंसेवी संस्था को रेगुलर करने के लिये योजना बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

अभी रेगुलर बनाने का कोई विचार नहीं है, समाजसेवी संस्था है। यह महत्वपूर्ण कड़ी है यह मानते हैं। यह पुलिस बल के सहायक के रूप में काम करेगी, इसकी परिभाषा में भी यही है। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना भी की गयी थी।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने होम गार्ड्स की उपयोगिता को ही देखकर महंगाई भत्ता बढ़ाने की कृपा की है तो आपने यह भी देखा होगा कि होम गार्ड की ड्यूटी लगाने में भी बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। कम्पनी कमांडर मनमाने तरीके से इसे करता है। तो किस कम्पनी में कितने होम गार्ड्स हैं और उनमें से कितने होम गार्ड्स को कब-कब ड्यूटी मिली, उनको जो उपेक्षित किया जाता है, इसको दूर करने के लिये आप क्या कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट---

श्रीमन्, रोटेशन के हिसाब से होम गार्ड्स की डियूटी लगायी जाती है। माननीय सदस्य यदि कोई बात हो तो उसे संज्ञान में लायें तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री सुखलाल पाण्डे---

मान्यवर, यह जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1--11--88 से इसमें वृद्धि की गई है तो इसमें कितना भुगतान कर दिया गया है और कितना भुगतान करना अभी शेष है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के दैनिक भत्ते में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट---

जहां तक भारत सरकार और राज्य सरकार के दैनिक भत्ते की बात है, स्टेट में जो ड्यूटी लगाते हैं, उसी हिसाब से उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है और राज्य सरकार उसका व्यय-भार वहन करती है।

श्री सुखपाल पाण्डे---

माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर तो दिलवा दें कि कितना भुगतान हो गया है और अभी कितना भुगतान करना शेष है, और कब तक उसका भुगतान कर देंगे ? जो

मा0 मंत्री जी कह देते हैं आप उसी को मान लेते हैं। आप मा0 मंत्री जी से उत्तर स्पष्ट रूप से दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी।

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट---

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने पूछा है इसके बारे में सारे जिलों से अलग-अलग विभिन्न विभागों में ड्यूटी लगायी जाती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहां चाहता है, उनकी ड्यूटी लगाता है। इसकी सूचना मंगानी पड़ेगी। इसके लिये अलग से सवाल कर ले तो सारे जिलों से सूचना मंगा कर माननीय सदस्य को इससे अवगत करा दिया जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डे---

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैसे अभी कुम्भ मेला में उनकी ड्यूटी लगायी गयी थी। आपने जो वृद्धि की है उसमें से कितनी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है और अभी कितने का भुगतान करना शेष है?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट---

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आश्यकता होगी। यदि माननीय सदस्य कुम्भ मेला की बात जानना चाहते हैं तो इसके लिये प्रश्न कर लें, सूचना मंगवा कर बतला देंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि होम गार्ड्स में निर्बल और कमजोर वर्ग के लोग जाते हैं और होम गार्ड बहुत ढीला-ढाला संगठन माना जाता है। चूंकि उनका कार्य अन्य बलों की तरह ही पूरी तरह से होता है जैसे कि यातायात में तथा अपराधियों को पकड़ने में। माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन्हीं बातों को विचार करके उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गयी है। उनको वर्दी एलाउन्स एक रुपया प्रति वर्दी मिलता है, वर्तमान महंगाई को देखते हुए क्या इस एलाउन्स को बढ़ाने का कष्ट करेंगे और दूसरी बात यह कि होमगार्ड में जो अच्छे गार्ड हैं उनको नियमित करने हेतु कोई निश्चित कोटा निर्धारित करने पर भी विचार करेंगे भर्ती के लिए?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट---

जहां तक नियमित पदों पर भर्ती की बात है, इस पर विभाग द्वारा बन तथा आबकारी विभागों में भर्ती हेतु विचार पहले से चल रहा है और दूसरी बात जो वर्दी धुलाई की बात माननीय सदस्य ने कही है, वह धुलाई भत्ता वाकई कम है, इस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद बलिया के ग्राम बछईपुर मौजा हसनपुर के खेतिहर मजदूरों को पुनः बसाने की मांग

*1---श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के ग्राम बछईपुर मौजा हसनपुरा के 17 खेतिहर मजदूर परिवारों के घरों को जो कि ग्राम समाज की जमीन पर बीसों वर्ष से रह रहे थे, उच्च न्यायालय के रटे आर्डर की परवाह न करके दिनांक 22/23-12-88 की रात जिला प्रशासन ने उजड़वा दिया, उनके पेड़ कटवा डाले और उन लोगों को भगा दिया? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है? क्या शासन उन्हें उसी भूमि को आवंटित करके उन्हें बसाने पर विचार करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)---

प्रश्नगत भूमि ग्राम सभा हसनपुर उर्फ बछईपुर परगना सि0 गर्वी तहसील रसड़ा, जिला बलिया में चकबन्दी के बाद नई परती व पुरानी परती के रूप में थी। उक्त भूमि को भूमि

प्रबन्धक समिति हसनपुर उर्फ बछईपुर के प्रस्ताव दिनांक 5--5--81 ई0 के अनुसार उद्यान विभाग बलिया के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ।

जिलाधिकारी बलिया द्वारा उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेकर उसे उद्यान विभाग को जिला योजना के अन्तर्गत औद्यानिक पौधशाला स्थापना हेतु हस्तगत कर दिया गया।

भूमि के आदान-प्रदान की अवधि में ही गांव के (17 खेतिहर मजदूर न होकर) 17 दंबग व्यक्तियों द्वारा वर्ष 1981--82 में अपना कब्जा झोपड़ी डालकर कर लिया तथा एक मुकदमा अपर कलक्टर बलिया के न्यायालय में दाखिल किया। उक्त अपील के सापेक्ष अपर कलक्टर बलिया के निर्णय दिनांक 8--6--82 के विरुद्ध पुनः इसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा अपर मुन्सिफ के न्यायालय में दाखिल किया गया।

न्यायाधीश बलिया द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय दिनांक 29 अक्टूबर, 1988 को सरकार के पक्ष में किया गया तथा प्रतिवादी गण को ट्रेसपासर करार देते हुए उनका कब्जा अविलम्ब हटाने का आदेश दिया गया।

उक्त आदेश के परिपालन में प्रतिवादीगण का कब्जा दिनांक 6 नवम्बर, 1988 को हटा दिया गया।

माननीय हाईकोर्ट का स्थगन आदेश दिनांक 7 नवम्बर, 1988 दिनांक 15 नवम्बर, 1988 को प्राप्त हुआ। इस स्थगन आदेश के पूर्व यानी 6 नवम्बर, 1988 को कब्जा हटा दिया गया था।

चूंकि उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर के पूर्व ही अवैध कब्जा हटा दिया गया था, अतः दिनांक 22/23--12--88 के रात्रि में जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी उजड़वाने व पेड़ कटवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्त भूमि नियम के तहत उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है, उद्यान विभाग का उस पर कब्जा हो गया है तथा विभाग द्वारा उक्त भूमि में जोताई बोआई का कार्य हो रहा है एवं खतौनी के खाता संख्या--513 में उद्यान विभाग का खाता कायम हो गया है।

अतः उस भूमि पर पुनः उन्हें बसाना संभव नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न जो मैंने पूछा है, इसमें मैंने माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षा की थी कि वह अपने स्तर से सही जानकारी प्राप्त कर इसका उत्तर देंगे, लेकिन इसमें भी हर प्रश्न की तरह जो कि जिला प्रशासन ने बता दिया वही उत्तर माननीय मंत्री जी ने यहां पर दे दिया। मान्यवर, इस प्रश्न में यह कहा गया है कि 17 खेतीहर मजदूर परिवारों की झोपड़ियों को उखाड़कर फिकवा दिया गया है जबकि वह वहां पर बीसियों साल से रह रहे थे। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि यह 17 खेतिहर मजदूर न होकर 17 दबंग व्यक्तियों द्वारा वर्ष 1981--82 में कब्जा-कर झोपड़ियां डाल ली गयी थीं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह 17 व्यक्ति किस-किस जाति के हैं और वे कौन-कौन सी श्रेणी व स्तर के हैं ?

दूसरे माननीय मंत्री जी इस उत्तर में फंस गये हैं, वह कहते हैं कि जमीन उद्यान पौधशाला के लिये दी गयी है और अंतिम पैराग्राम में कहते हैं कि उस पर जुताई बुआई हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जुताई उद्यान पौधशाला में नहीं होती है। माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं, लेकिन वह विवश हैं, जो उत्तर आया है, उसी को पढ़ दिया है। तो माननीय मंत्री जी बता दें कि वह दबग आदमी कौन-कौन से लोग हैं।"

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, 17 व्यक्ति हैं, इनके पास पहले से मकान बने हैं और जब स्थानान्तरण की कार्य-वाही की जाने लगी तो इन लोगों ने उस जमीन पर झोपड़ी बना ली और उस पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहा और नियम के अनुसार उनको हटाने की कार्यवाही की गयी और जहां तक जोतने का सवाल है, उद्यान विभाग द्वारा पौधशाला के लिये जुताई हो रही है।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं गरीब परिवार से सम्बन्धित हैं और उन्होंने स्वयं कहा है कि नवीन और पुरानी परती से उनको उजाड़ा गया है। वह स्वयं जुर्म कबूल कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी अपने स्तर से इसकी जांच कराकर 1981 से पूर्व 20 वर्ष से काबिज जो लोग थे, भूमिहीन मजदूर जो हैं, क्या वह आश्वासन देंगे कि वह जमीन उन भूमिहीन मजदूरों को देने का प्रयास करेंगे। क्या उस पर उनको बसाने का प्रयास करेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, गांव सभा ने 5-5-81 को इन दो नम्बरों को उद्यान विभाग को देने के लिये प्रस्ताव पारित किया और 12-6-81 को परगनाधिकारी ने उसका एग्रूवल कर दिया और 25-10-1982 को जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग को वह जमीन देने की स्वीकृति दे दी और जब कब्जा परिवर्तन किया जा रहा था, तो उस समय 17 व्यक्तियों ने झोपड़ी डाल ली।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, मैं जांच की बात कह रहा हूं।

श्री माता प्रसाद---

आप सुनें तो मैं बता रहा हूं। यह लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आते हैं। अगर उनके पास दूसरा मकान नहीं है तो उसकी जांच कराकर उनको बसाने के लिये जमीन जरूर दी जायेगी, लेकिन उस जमीन को उद्यान विभाग को दिया जा चुका है, इसलिये उसको नहीं दिया जा सकता है।

श्री सुखपाल पाण्डे---

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक जानकारी करना चाहता हूं कि जब वह अनुसूचित जाति समिति के सदस्य थे, तो मैं भी उसका सदस्य था और वह हरिजनों और गरीबों के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखाते थे, लेकिन जब से वह मंत्री हो गये हैं आपके दाहिनी ओर बैठ गये हैं, तब से जिस तरह से ब्राहमण और ठाकुर हरिजनों का शोषण करते हैं, उससे ज्यादा शोषण माननीय मंत्री जी हरिजनों का कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

जरा शांति से।

श्री सुखपाल पाण्डे---

मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि पहले वह बड़े हरिजनों के हमदर्द और उनके प्रति दयालु थे, मेरा उनका साथ रहा है, लेकिन जब से वह आपके दाहिनी ओर बैठ गये हैं और आसन ग्रहण किया है, तब से उनकी उनके प्रति हमदर्दी नहीं रह गयी है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस जमीन पर गरीबों ने झोपड़ियां बना रखी हैं उस जमीन पर जिस पर हरिजनों का कब्जा है उसके लिये आप कानून बनाते हैं और उसमें फर्जी रूप से फल अनुसंधान विभाग द्वारा उद्यान बनाने के लिये 17 घरों को उजाड़ दिये हैं तो क्या इस पूरे प्रकरण की आप जांच करेंगे कि वे लोग वहां पर कब से बसे हुए थे। उनके सारे पेड़ काट लिये। तो क्या जिन अधिकारियों ने उनके ये पेड़ काट लिये हैं उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, यह सूचना मेरे पास नहीं है कि वे हरिजन हैं या नहीं। लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम इस संबंध में जांच करायेंगे। यदि अधिकारियों की तरफ से कोई गल्ती हुई है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही भी करेंगे। लेकिन इसमें अदालती प्रक्रिया आगे बढ़ी है। उन लोगों ने अपर कलेक्टर, बलिया के यहां मुकदमा दायर किया है। मान्यवर, 8-6-82 को उनके खिलाफ निर्णय हुआ और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां 1-8-83 को उन लोगों ने मुकदमा दायर किया।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि अदालती प्रक्रिया में जो हुआ वह मैंने सुन लिया लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ये जो 17 घर भूमिहीन हरिजनों के हैं जो कि 81 से पहले आबाद थे और पुरानी परती की जमीन थी, इसके लिये क्या माननीय मंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जांच करायेंगे और उन हरिजनों की जमीन पर उन्हें फिर बसाने की कार्यवाही करेंगे और अदालती कार्यवाही जब होगी तो उसको निरस्त कराने की भी कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

अगर वह नियम 123-ए के अन्तर्गत जिसमें ग्राम सभा की जमीन पर हरिजन आवास बना लेते हैं और यह उसके अन्तर्गत आता है तो उसकी हम जांच करायेंगे और जिन अधिकारियों ने गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मित्रसेन---

मैंने यह भी पूछा है कि क्या आप उन्हें वहीं बसायेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

उनको बसाने के लिये निर्णय किया जायेगा।

श्री मूल चन्द्र---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपने यह नियम बनाया है कि 30 जून, 1985 तक जो हरिजन कब्जा किये हैं वे बेदखल नहीं किये जायेंगे, तो क्या यह नियम उन पर लागू नहीं होता ? यदि लागू होता है तो उनको बेदखल क्यों नहीं कराया गया ?

श्री माता प्रसाद---

यह लागू होता है। यह जानकारी नहीं है कि वह हरिजन हैं। इसके लिये सूचना मंगानी पड़ेगी। ..... (व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा---

अभी तक आपने क्या कार्यवाही की है ? सूचना नहीं है तो कैसे उत्तर दे रहे हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष---

माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह जी, अब मेरे लिये कोई चारा नहीं रह जायेगा सिवाय इसके कि प्रश्नों के कार्य को मैं स्थगित कर दूं। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मेरे लिये क्या चारा है? माननीय तिवारी जी..... (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी---

मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं। आपने मेरा नाम भी लिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति खड़ा हो, वह सवाल कर ले लेकिन जब 8-10 लोग एक साथ खड़े हो जायेंगे तो मेरे लिये कैसे संभव है? यह भी तो आप सोचें।

श्री राम गोविन्द चौधरी---

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह तथ्य से परे है। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। लगभग 50 वर्षों से ये लोग उस जमीन पर बसे हुए थे। उनके पूर्वजों द्वारा यह पेड़ लगाये गये थे जो कि किसी साजिश की तहत वहां के प्रधान ने उद्यान विभाग को दे दिया। ऐसे लोग जिनके पास वहीं रहने के लिये जमीन नहीं थी, बीच बचाव के बाद उनको बसने के लिये कह दिया। 40-50 घर उजाड़ कर फेंक भी दिये गये और यह 17 लोग बच गये जिनको यह

दबंग कहते हैं। तो इनकी दबंग की परिभाषा में कौन आते हैं जिनके पास एक इंच जमीन नहीं है, मकान नहीं है, जो निरीह लोग हैं क्या वह दबंग में आते हैं ? इन 17 लोगों को हटाने की पुनः योजना बनाई गई है लेकिन हटा नहीं पाये हैं, वहां की जनता ने हटाने से रोक दिया लेकिन इनके उत्तर में है कि हटा दिये गये। तो मेरी बात को सत्य मानकर कि आज भी उनके घर वहां पर हैं, वहां वह रह रहे हैं, उनको वहां से न उजाड़ा जाय उनको वहां बसे रहने दिया जाय इस बात का क्या मंत्री जी स्पष्ट आदेश जिला कलेक्टर को भेजेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, जैसी मुझे सूचना दी गयी (व्यवधान) अगर वह हरिजन हैं पहले से बसे हैं (व्यवधान) उनको नहीं हटाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष---

सब एक साथ खड़े होकर बोलने लगते हैं माननीय राम गोविन्द चौधरी का उत्तर आने दें।

श्री माता प्रसाद---

अगर पहले से बसे हुए हैं, हरिजन हैं तो नहीं हटाया जायेगा और जिसने गलत रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

*2---डाक्टर दिनेश जौहरी---

(दि0 14-3-89 को ता0 प्र0सं0 1 द्वारा उत्तरित)

जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गयी किसानों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान

*3---श्री महेन्द्र भाटी---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 1984 की धारा-28 (ए) के अन्तर्गत अभी तक कोई भी भुगतान किसानों को न किये जाने का क्या कारण है ? क्या भुगतान न किये जाने में कोई वैधानिक कठिनाई है ? यदि नहीं, तो किसानों का 50 करोड़ से अधिक का रुका हुआ धन कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद---

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिए अर्जित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम की संशोधित धारा-28 (ए) के अन्तर्गत अभी तक 43 प्रभावित काश्तकारों को कुल रुपया 1,96,57,909·09 का बढ़ा हुआ प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष 1376 प्रार्थना-पत्र जो 27 विभिन्न ग्रामों से संबंधित है, और धारा-4 (1) की विज्ञप्ति से आच्छादित हैं, पर लाभ दिये जाने की कार्यवाही भू-अर्जन निकायों से धन प्राप्त होने पर प्रारम्भ की जायेगी।

अर्जन निकाय एवं सरकार की ओर से सरकार बनाम राम किशन एवं अन्य, सरकार बनाम् हेमचन्द्र एवं अन्य तथा सरकार बनाम हरि गोपाल मित्तल में, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जिला जज द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील भी प्रस्तुत की गयी है, जो अभी विचाराधीन है।

श्री महन्द्र भाटी---

मान्यवर, 22 गावों की भूमि सन 60 और 62 में 50 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से अधिग्रहीत की गयी और 67 में उसका कब्जा ले लिया गया। 23-5-87 को राम किशन एवं जी0 डी0 ए0 के नाम केस अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया जिसके अन्तर्गत 27 गांवों को बढ़ा हुआ प्रतिकर देना था। उस मामले में शासन ने भी आदेश दिया 8 अक्टूबर, 87 को न्यायालय की भावना को समझते हुए तुरंत प्रतिकर भुगतान किया जाय लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ है। इनका कहना है कि यह अर्जन निकाय से पैसा लेकर देंगे। जब कि हाईकोर्ट का उसमें कोई स्टे भी नहीं है तो क्यों आज तक 1376 जो एप्लीकेशन हैं उनको प्रतिकर भत्ता नहीं दिया गया है ?

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, 22 गांव एक और 5 गांव एक कुल 27 गांव पहले नोटिफाई हुए थे बाद में जब 28 (ए) अर्जन अधिनियम का संशोधन हुआ जिसके अन्तर्गत यह था कि अगर कोई मुकदमा एवार्ड लेने के बाद भी विचाराधीन है और उसके बाद एक भी मुकदमें में कोई निर्णय हो गया है तो उस तारीख को जितने भी मामलों का नोटीफिकेशन हुआ है अगर वह प्रभावित व्यक्ति जिनका एक साथ नोटिफिकेशन हुआ है, यदि डी0एम0 के यहां 3 महीने में आवेदन पत्र देंगे तो वह बढ़ा हुआ प्रतिकर दिया जायेगा। इस हिसाब से पहले 1437 व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र, बढ़े प्रतिकर के लिये दिया और उसमें से 1419 आवेदन पत्र सही पाये गये। इनमें से 43 प्रार्थना-पत्रों पर 19.55 करोड़ से अधिक धन दे दिया गया। अभी 1376 व्यक्ति जो प्रतिकर पाने वाले हैं बाकी हैं। इसमें से 67, 25, 13, 400 रुपये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर उस निर्णय के हिसाब से बाकी है और यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 पर 46, 68, 02, 600 रुपये अवशेष है। जो आपने कहा कि निकाय मुआवजा किसानों को अदा कर दें तो शासन की ओर से निकायों को कहा जा रहा है कि रुपया अदा करें। इसमें कुछ लोग हाईकोर्ट चले गये हैं लेकिन राजस्व विभाग बराबर प्रयास कर रहा है कि रुपया अदा कर दिया जाये।

श्री महेन्द्र भाटी---

मान्यवर, हाईकोर्ट ने कोई स्टे आपको नहीं दिया है और जी0डी0ए0 के अध्यक्ष, बी0के0 दीवान ने कहा था कि बढ़ा हुआ प्रतिकर का धन पेमेन्ट नहीं किया जायेगा। यदि इस तरह की कोई बात है तो साफ-साफ बता दें क्योंकि वह लोग 4 महीनों से भूखे कलेक्टर के दरवाजे पर बैठे हैं?

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, अदालत द्वारा 7 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से देने का निर्णय हुआ है। जी0डी0 ए0 और यू0पी0एस0आई0डी0सी0 4 रुपये में देने के लिये तैयार हैं। जो बकाये के बारे में कहा गया तो डी0एम0 को 8-10-87 को यहां से लिखा गया है लेकिन जिलाधिकारी गाजियाबाद ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। तो न्याय विभाग से 4-2-89 को परीक्षण कराने के बाद डी0 एम0 गाजियाबाद को भेज दिया गया है।

श्री महेन्द्र भाटी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे और तुरन्त जी0डी0ए0 गाजियाबाद को आदेश देंगे कि किसानों का जो 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है कब तक भुगतान करा देंगे?

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, चूंकि न्यायालय में चले गये हैं वह लोग, इसलिये मामला रुका है।

श्री महेन्द्र भाटी---

जी0डी0ए0 न्यायालय में गया है, किसान नहीं, इसलिये स्पष्ट निर्देश दें कि पैसा दे दिया जायेगा।

श्री माता प्रसाद---

जी0डी0ए0 ने उच्च न्यायालय में वाद दायर कर रखा है।

[मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद अलीगढ़ के थाना गोण्डा के ग्राम पीपली जगनेर के श्री जोगेन्द्र सिंह प्रधान के अपहरण की सी0आई0डी0 द्वारा जांच की मांग

*1---श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ के थाना गोण्डा में श्री जोगेन्द्र सिंह प्रधान, ग्राम पिपली जगनेर के अपहरण सम्बन्धी केस अपराध संख्या 92 धारा 364 का अभियोग दिनांक

26-10-87 को पंजीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस ने अभियुक्तों से मिलकर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अथवा मुद्दई द्वारा बाद में बताये गये मशकूक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जिसके फलस्वरूप आज तक इस मुकदमें की विवेचना में कोई प्रगति नहीं हुई है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी तथा क्या इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)---

जी हां।

इस अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना थाना गोण्डा के थानाध्यक्ष द्वारा की गयी। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा कराई गयी। विवेचना के दौरान संदिग्ध अभियुक्तों से गहराई से पूछ-तांछ एवं छानबीन की गयी, परन्तु अपहृत एवं अभियुक्तों का कोई पता न चलने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी विवेचना का चेकअप अपराध अनुसंधान विभाग से भी कराया गया। अपराध अनुसंधान विभाग ने अपनी चेकअप आख्या में कुछ बिन्दुओं पर विवेचना करने के लिये सुझाव दिये। स्थानीय पुलिस द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर अग्रिम विवेचना की गयी। इसके उपरांत भी अपहृत एवं किसी अभियुक्त का पता नहीं चल सका। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना में किसी प्रकार की शिथिलता एवं उदासीनता नहीं बरती गयी। फलस्वरूप किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम द्वारा वीडियो युक्त बसों से यात्रा करने पर अतिरिक्त किराया लिया जाना

*2---श्री मित्रसेन---

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि परिवहन निगम की जिन बसों में प्राइवेट वी0 डी0 ओ0 उपकरण लगे हैं उन पर अतिरिक्त किराया यात्रियों से बिना टिकट दिए लिया जाता है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)---

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित की जाने वाली वीडियो युक्त बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों से 100 कि0मी0 की यात्रा तक के लिये रुपया 2.50 प्रति यात्री एवं 100 कि0मी0 से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों से रु0 5.00 प्रति यात्री की दर से अतिरिक्त धनराशि वसूल की जाती है जिसकी अलग से कोई रसीद नहीं दी जाती है।

उपरोक्त धनराशि निर्धारित किराये का भाग नहीं होती है और केवल उसी हालत में यात्रियों से ली जाती है, जब वाहन में लगा वीडियो ठीक प्रकार से कार्य कर रहा हो। अतः इस धनराशि को निर्धारित किराये की टिकट में शामिल करने का औचित्य नहीं है। यह धनराशि वेबिल में अलग से प्रदर्शित की जाती है और इस पर यात्रीकर, अधिभार, बीमा कर तथा अन्य कर देय नहीं होते हैं।

श्री मित्रसेन---

हमारे प्रधान मंत्री शौकीन और रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं। इन्होंने हमारी जेब काटने के लिये कोशिश की है। 100-100, 2-2 सौ किलोमीटर हमारे परिवहन निगम की जो बसें चलती हैं, उन पर उन्होंने प्राइवेट वीडियो लगा दिये हैं और वह पांच रुपया फी व्यक्ति किराया उसका लेते हैं। हमारे पास बस का किराया देने के लिए ही नहीं है, यह पांच रुपया और अलग से ज्यादा लेते हैं, फिर इस वीडियो को लगाने से हमारी सरकार का क्या लाभ हो रहा है ? उससे इनके खजाने में कितना पैसा आता है ? इसको या तो वह सरकारी करें या उसे बसों से हटाने की कृपा करें ?

श्री प्रमोद कुमार—

पहली बात माननीय सदस्य ने कही कि मैंने इसे अपनी मर्जी से लगवाया है, किन्तु यह माननीय संजय सिंह के जमाने से शुरू हुआ था। इस समय ऐसी केवल 10 बसें हैं, फिर मित्रसेन जी को कैसे यह लगता है कि सारे गरीब आदमी इन बसों पर यात्रा करते हैं। यह लम्बी दूरी की बसों में यात्रियों के लिए लगाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि हम इसके द्वारा तकलीफ देह यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाने के लिए ऐसा करते हैं।

श्री हृदय नारायन दीक्षित—

तो क्या निगम ने फिल्मों की कोई सूची बनाई है कि कौन-कौन सी फिल्म दिखाई जाएंगी इनमें ?

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय सदस्य स्पष्ट कर दें कि किस तरह की फिल्में वह देखना चाहते हैं। हम वह भी दिखा देंगे।

श्री मित्रसेन—

मंत्री जी केवल 10 बसों पर इनके लगने की बात स्वीकार करते हैं, किन्तु अच्छा हो कि इसे विभाग की तरफ से लगवा दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट लोगों के लगाने से गड़बड़ी होती है— यह वे-बिल पर नहीं दिखाया जाता है, इसलिए इसमें गड़बड़ी करने की बड़ी संभावना रहती है। आप या तो इसको विभाग की तरफ से लगवा दें या इसको सभी बसों से हटा दिया जाए ?

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है किन्तु इसमें गड़बड़ी का कोई प्रश्न नहीं है। वे-बिल यें यदि 35 यात्री चढ़ें है तो उनसे इसका किराया भी आटोमेटिकली जमा हो जाएगा। गड़बड़ी तो तब होती जब किसी से लिया जाता और किसी से न लिया जाता। जहां तक इस सरकार की ओर से चलाने की बात है, निगम तो स्वयं अनुबन्धित बसें चला रहा है, अब वह अनुबन्धित टी0 वी0 या वीडियो चला रहा है तो उसमें क्या हर्ज है ?

श्री सुखपाल पाण्डे—

जैसे प्रदेश में इन बसों पर वीडियो लगाकर उसमें आप मनोरंजन के साधन इकट्ठा करते हैं और जिसकी हैसियत नहीं है उनसे भी लेते हैं। यह तो उस जिले के हैं, जिस जिले में मनोरंजन के साधन केन्द्र सरकार के हैं। हमारे प्रदेश में हर जिले में यह मनोरंजन का उपयोग करने वाले शक्तिहीन हैं। जो लोग पास पर यात्रा करते हैं, उनसे आप टैक्स नहीं लेते हैं, तो जिनकी हैसियत नहीं है, उनका भार आप इन हैसियत वालों पर डालने का कष्ट करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय सुखपाल पाण्डे जी का नाम दुखपाल पाण्डे होना चाहिए था यह दुख देने के लिए ही प्रश्न करते हैं। जो यात्री यात्रा करते हैं उनके आराम के लिए कहा जाता है, लेकिन यह कह रहे हैं कि और कौन व्यवस्था करेंगें, तो और कौन व्यवस्था से इनका क्या आशय है यह बता दें ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

यह खुशी की बात है कि मनोरंजन की तरफ आपका ध्यान है, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर आप वीडियो लगवाते हैं कि अगर ट्रेन लेट आए, या कोई समय से पहले आ जाए तो वह मनोरंजन कर ले, तो इसी तरह से जब बस लेट हो जाती है तो यात्रियों को इन्तजार करना पड़ता है, तो क्या प्रत्येक बस स्टेशन पर भी वीडियो का प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

उपाध्याय जी शायद बस में यात्रा नहीं करते हैं, जब से मैं परिवहन मंत्री हुआ हूं तब से बीफोर टाइम बस चलती है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

माननीय, यह टाल रहे हैं उत्तर नहीं दे रहे हैं मैंने प्रश्न किया था कि क्या प्रत्येक बस स्टेशन पर भी वीडियो की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ? मेरा प्रश्न यह नहीं था कि बस जल्दी आती है या लेट जाती है, मेरा प्रश्न वीडियो से संबंधित है।

श्री प्रमोद कुमार---

माननीय, अभी न ऐसी कोई योजना है न बनाने का प्रश्न है लेकिन यह कह रहे हैं तो इस पर विचार अवश्य होगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप सब लोग बैठ जाएं बहुत समय हो गया है।

जनपद फैजाबाद मुख्यालय से प्रकाशित समाचार पत्र 'जनमोर्चा' के सम्पादक शीतला सिंह पर हुए प्राणघातक हमले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की मांग

*3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में फैजाबाद मुख्यालय से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "जनमोर्चा" के सम्पादक शीतला सिंह पर अगस्त, 88 में प्राण-घातक हमला हुआ था जिसकी सी0बी0आई0 से जांच कराने की मांग लगभग सभी राजनैतिक दलों के लोगों और पत्रकार संगठनों ने की है? यदि हां, तो सही तथ्य क्या है और उक्त घटना की सी0 बी0आई0 से जांच कराने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां।

इस प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। सही तथ्य जांच पूर्ण हो जाने के बाद पता चलेंगे। सी0बी0आई0 से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि श्रमजीवी पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष .....

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

माननीय, सुनाई नहीं पड़ा माइक पर बुलवा दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

माननीय, श्रमजीवी पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शीतला सिंह जी पर प्राणघातक हमला हुआ, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। माननीय, जब ऊपर से राजनीतिक लोगों का दबाव पड़ा तो स्थानीय पुलिस ने एक आदमी को पकड़ कर कह दिया कि यह हमलावर है, लेकिन जब शीतला जी होश में आए तो उन्होंने कहा कि गलत आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है, यह आदमी वह नहीं है जिसने हमला किया था, फिर इसकी जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को दे दी गई, श्रीमन्, एक पत्रकार जिसकी राष्ट्रीय हैसियत है जिस पर प्राणघातक हमला हुआ उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। प कार संगठन लखनऊ में माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और सी0बी0आई0 की जांच की मांग की थी, तो इसमें अब सी0बी0आई0 की जांच न करने का क्या कारण है ? अपराध अनुसंधान शाखा के किस स्तर के अधिकारी से विवेचना करा रहे हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

माननीय, मैं कहना चाहूंगी कि यह बड़े दुख की बात है कि यह घटना घटी। हमारे माननीय संपादक के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। इस मामले की जांच सी0बी0आई0 से कराने

की मांग की गयी है। इसमें सी0आई0डी0 की जांच प्रचलित है और विवेचना हो रही है। हम शीघ्र से शीघ्र इस जांच को करायेंगे। यह जांच समाप्त हो जाय अगर उसके बाद कोई जांच की जरूरत होगी तो देखा जायगा। जो तथ्य आये हैं उनसे पता चलता है कि धोखे के कारण यह घटना घटी। जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसने कुबूल किया है कि उसने गलती से यह किया है और वह किसी दूसरे के लिये रास्ते में रुका हुआ था क्योंकि एक दिन पहले वह मोटर साइकिल से टकरा गया था और आपस में गाली-गलौज हो गयी थी उसमें चोटें भी आयीं थीं। दूसरे दिन बदला लेने की भावना से वह वहां उपस्थित था। जब उनसे सम्पर्क किया गया था तो वह अचेत अवस्था में थे जब उनको होश आया तो उन्होंने उसकी शिनाख्त नहीं किया। तो यह जांच चल रही है इसको पूरी हो जाने दीजिए।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसको देखने से ऐसा लगता है कि जितनी गंभीरता से इस प्रश्न को (इस समय 12 बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।) लिया जाना चाहिये था उतनी गंभीरता से उन्होंने नहीं लिया। माननीय तिवारी जी ने पूछा था कि सी0आई0डी0 की जांच में किस स्तर का अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है जिसका उत्तर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि फैजाबाद एक संवेदनशील जिला है। वहां साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ शीतला सिंह ने अपने विचार प्रकट किये, सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में वह काम कर रहे थे जिसके कारण उनके ऊपर हमला किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने तथा पत्रकार संघ ने जो सी0बी0आई0 की जांच की मांग की है तो उसको कराने में क्या कठिनाई है? दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

मान्यवर, जहां तक इस घटना की गंभीरता का प्रश्न है, हमारे जितने भी पत्रकार हैं, हमारे संपादक हैं, इनसे संबंधित कोई घटना होती है तो हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि इनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस प्रकार की घटनायें न घटें इसका प्रयास किया जाता है लेकिन अगर ऐसी घटनायें घट जाती हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो उसके लिये पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये एक समिति बनायी गई है। मैं चाहूंगी कि जो समिति बनी है उसको और सक्रिय बनाया जाय। पत्रकारों पर देश और प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है। वह बड़ी जिम्मेदारी की भूमिका निभाते हैं और निष्पक्षता के साथ गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश करते हैं और जनता के समक्ष उनको रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह गंभीर मामला है। आजकल सुबह से शाम तक माननीय सदस्य कई दफे आते हैं और बहुत से मामलों में सी0आई0डी0 की जांच की मांग करते हैं। मैं समझती हूं कि उनका विश्वास सी0आई0डी0 में है तभी बराबर ऐसी दरख्वास्तें आती हैं। मैं निवेदन करूंगी कि सी0आई0डी0 की जो क्रेडेबिलिटी और विश्वास है उसको हल्का न समझें। यह जांच कंपलीट हो जाने दीजिये उसके बाद अगर जरूरत होगी तो हम देखेंगे।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा मंत्री जी ने बताया कि एक अभियुक्त पकड़ा गया और अभियुक्त ने कुबूल किया कि अनजाने में उसने संपादक पर हमला किया था। जब जनमोर्चा के संपादक से उसकी शिनाख्त करायी गयी तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया और कहा कि मैं इसको पहचानता नहीं हूं इसने हमला नहीं किया है। पुलिस ने जबरदस्ती, मारपीट कर बयान दिला रही है कि आप कह दीजिये कि हमने हमला किया है। तो मान्यवर, जब अभियुक्त का बयान दूसरा और माननीय शीतला सिंह का बयान दूसरा, तो इससे सी0बी0आई0 की जांच आवश्यक हो गयी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह सी0बी0आई0 से इसकी जांच करायेंगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

इन सारी चीजों को देखकर सी0आई0डी0 की जांच मान्यवर, हो रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, माननीया मंत्री जी का कहना है कि सी0आई0डी0, अनुसंधान शाखा पर विश्वास करना चाहिए। अभी एक अतारांकित प्रश्न संख्या-55 का उत्तर आया है कि बलिया में बैजनाथ सिंह हत्याकांड की जांच कर रहे सी0आई0डी0 के लोगों ने वहां के दो थानाध्यक्षों को तत्काल बलिया से बाहर स्थानान्तरण करने की संस्तुति की, एक का तो स्थानांतरण हो गया, परन्तु पुलिस महानिदेशक ने दूसरे को बलिया में ही रोक दिया, इसलिए सी0आई0डी0 की संस्तुतियों को सरकार तथा पुलिस महा निदेशक नहीं मानते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए माननीया मंत्री जी को सी0आई0डी0 की जांच को वापस लेकर, सी0बी0आई0 से जांच कराने में कौन सी कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब तो वह दे चुकी हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश, जी--

मान्यवर, इसमें सी0आई0डी0 के ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, सदन के सामने समस्या यह है किसी0आई0डी0 की जांच के बाद जो आवश्यक कार्यवाही है, वह अधिकारी नहीं करते हैं और सी0बी0आई0 एक ऐसी सक्षम एजेंसी है कि उसकी जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित हो जाती है। सदन इस बात की आवश्यकता अनुभव करता है कि सारी संबंधित बात को लेकर सी0बी0आई0 से जांच करा दी जाय। सी0बी0आई0 से जांच कराने में आपसी कोई कठिनाई नहीं है, आप सी0बी0आई0 द्वारा इस मामले की अवश्य जांच करा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो जबाब दे चुकी हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, मैं जबाब दे चुकी हूं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, हर्षवर्धन जी की एक कमेटी बना दी जाय, वह जांच कर लें... (व्यवधान)

जनपद उन्नाव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कालगर्ल धन्धे का भन्डाफोड़ किया जाना

*4--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में कालगर्ल का धंधा चलता है ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि स्वाधीनता दिवस 88 के एक दिन पूर्व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्लागंज में ऐसे धंधे का भंडाफोड़ किया था और लड़कियां पकड़ी भी गई थीं ? यदि हां, तो पूरे प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या कालगर्ल का धंधा चलने वाले क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, 7 नवम्बर, 1988 को यह सवाल स्वीकृत हुआ था, तब से 4 माह 28 दिन हो गये हैं, माननीया मंत्री जी उसी थाने के सामने से सप्ताह में चार बार निकलती हैं और जहां पर ये निवास करती हैं, वहां से 8 किलोमीटर पर प्रश्नगत थाना है, किसी साधारण प्रश्न का उत्तर तैयार न कर पाना यह सरकार की लोक महत्व के प्रश्नों के प्रति उपेक्षा और निकम्मापन का प्रतीक है।

क्या इस मामले में कोई सत्ता पक्ष के बड़े नेता की साजिश है, इसलिए माननीया मंत्री जी उत्तर देने से इंकार कर रही हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, मैं जरूर उस रास्ते से गुजरती हूं, लेकिन कहां पर क्या धंधा हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। वहां की कालगर्ल के बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली है। हमें यह जानकारी मिली है कि वहां ऐसा धंधा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, 5 माह हो गये, इतनी लम्बी अवधि में एक छोटी सी घटना की जानकारी सरकार नहीं करवा पाई, तो अब यह सरकार 15 दिन में कैसे सूचना एकत्र करवा लेगी ?

मान्यवर, अपनी निजी जानकारी के आधार पर बताऊं कि माननीय मंत्री जी उसी थाने के सामने से निकलती हैं। यह मामला इतना लोक महत्व का है कि अगर कामरोको प्रस्ताव के रूप में आया होता तो संसदीय कार्यमंत्री और गृह मंत्री उसी दिन टेलीफोन करके जानकारी मंगवा देते तो मान्यवर, अब तक इसकी जानकारी न मंगवाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी प्रकार का धंधा या सत्तादल का उसमें हाथ होने की बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

निजी जानकारी के आधार पर कहें उस कालगर्ल के आधार पर क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

यह मामला ऐसा है कि दीक्षित जी ने कहा और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया। यह लड़कियों की खरीद फरोख्त और जिस्म के साथ खेलने का मामला है और इसको बजरंग दल वालों ने पकड़ा है, मंत्री जी को सब बात मालूम है। (व्यवधान) मान्यवर, अब तक जांच न कराने से स्पष्ट है कि जान बूझकर उसको टाला जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है क्योंकि उससे सरकार की छवि खराब होगी। मान्यवर, इसकी महिला मंत्री है और महिलाओं के साथ इस प्रकार का आचरण हो रहा है, इसके बारे में जांच न कराने से माननीया मंत्री जी के पद पर आंच आती है । इसलिए मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि अपनी छवि और सम्मान को बचाये रखने के लिए इसकी जांच करावेंगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी --

मान्यवर, महिलाओं का प्रश्न है, कालगर्ल का प्रश्न है तो जो महिलाएं कालगर्ल बनती हैं उसमें पुरुषों का भी हाथ होता है। मान्यवर, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इससे कुछ निकलने वाला तो है नहीं, यह तो 15 दिन बाद फिर आ जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे स्थगित कर रहा हूं।

प्रधान प्रभुदयाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो सवाल यहां उठाया गया है महिलाओं का, उसको मंत्री जी अत्याचार मानती हैं या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, इनकी उम्र तो देखिए और सवाल देखिए।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पहले उत्तर में दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है और जब अनुपूरक प्रश्न दीक्षित जी ने पूछा कि क्या इसलिए मामला दबाया जा रहा है कि किसी बड़े कांग्रेसी नेता का हाथ है तो मंत्री जी ने कहा कि किसी का हाथ नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी सूचना इनके पास है। तो यह दो तरह के उत्तर यहां क्यों दे रही हैं या तो यह कह दें कि कोई सूचना नहीं है या तो इस सवाल का उत्तर दें। मान्यवर, इन्होंने कहा कि किसी का हाथ नहीं है इसका मतलब है कि सूचना एकत्र की जा चुकी है तो आज इसका उत्तर दें। अगर आज स्थगित हो जायेगा तो उसके बाद सदन फिर बैठेगा या नहीं बैठेगा। मान्यवर, यह उन्नाव जिले का मामला है और वह लखनऊ से करीब है तिवारी जी कह रहे हैं कि मामला गम्भीर नहीं है तो इस जिस्म के मामले को शासन गम्भीरता से नहीं ले रहा है। मान्यवर, 5 माह में इस गम्भीर मामले की सूचना एकत्र करके जवाब न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष ---

माननीय गृह मंत्री जी, राम चन्द्र बख्श जी ने जो पूंछा है उसमें कुछ कहना है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

कुछ नहीं, मान्यवर।

चौधरी भगवती प्रसाद---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पूरे प्रदेश मे इस प्रकार का किसी अन्य जिले में धन्धा होने की सूचना के बारे में शासन को अवगत कराया गया है कि किन-किन जिलों में यह हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित---

मान्यवर, इसमें मैंने पूछा था कि क्या कालगर्ल का धन्धा चलने वाले क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों को इसके लिये जिम्मेदार बनाने पर सरकार विचार कर रही है। तो इसके लिये सूचना की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष ---

जांच के बाद ही कुछ होगा।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, यह प्रकरण बड़ा गम्भीर है और नीति से संबधित है। मा0 दीक्षित जी पूछ रहे हैं कि जिन पुलिस अधिकारियों के क्षेत्र में कालगर्ल का धंधा होता है, क्या उसके लिये उनको उत्तरदायी ठहराया जायगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी, तो इसके लिए सूचना की कहीं जरुरत नहीं है। मंत्री जी यहीं पर इसका जवाब दे सकती हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

मान्यवर, मा0 सदस्यों ने इस विषय पर जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनको मैं बड़ी गम्भीरता से ले रही हूं। मैं इतना अवश्य कहूंगी कि जो कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जायगा, बख्शा नहीं जायगा और जो भी कार्यवाही होगी, की जायगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

दीक्षित जी, यह सवाल फिर आएगा। जा कहां रहा है। शुक्ला जी बैठिए। मैंने अगला सवाल ले लिया है।

*5--श्री दीप चन्द्र सोनकर--

(8 वें मंगलवार के लिये स्थगित)

जनपद जालौन के कोंच के नागरिकों पर लाठी क्षौर गोली वर्षा की जांच रिपोर्ट

*6--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या गृहमंत्री 26 सितम्बर, 87 को पुलिस द्वारा कोंच (जालौन) के नागरिकों पर लाठी और गोली वर्षा किये जाने की घटना की मजिस्ट्रेट के रूप में अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) उरई द्वारा की गई जांच की प्रति सदन की मेज पर रखने और जांच निष्कर्ष के आधार पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचनानुसार 26 सितम्बर, 87 को पुलिस द्वारा कोंच (जालौन) के नागरिकों पर लाठी और गोली वर्षा किये जाने की कथित घटना की मैजिस्टीरियल जांच अपर जिलाधिकारी (परियोजना) जालौन (उरई) द्वारा की गई। जांच से कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया। प्रश्नगत मैजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना लोकहित में नहीं है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, यह घटना कोंच में 26 सितम्बर को घटी। समें पुलिस का अत्याचार पब्लिक पर हुआ और पब्लिक पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें जब क ज्ञापन देने लोग एस0डी0एम0 के पास जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस उपाधीक्षक ने उन पर लाठी और गोली वर्षा करवा दी। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए स्वयं जिलाधिकारी ने थाने में खड़े होकर क्षेत्राधिकारी और प्रभारी के खिलाफ 307 की रिपोर्ट लिखायी। इसकी जांच पुलिस ने की है। तो पुलिस अपने क्षेत्राधिकारी को दोषी नही वह सकती। इसकी रिपोर्ट स्वयं जिलाधिकारी ने थाने में खड़े होकर लिखायी है, तो इसकी जांच सी0आई0डी0 से न कराए जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, प्रश्न का दूसरा हिस्सा दोहरा दें।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में इसी से सम्बन्धित एक दूसरा अतारांकित प्रश्न था जिसमें मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है। इस प्रश्न में डी0एम0 जालौन ने स्वयं थाने में खड़े होकर क्षेत्राधिकारी और प्रभारी के खिलाफ 307 में एफ0आई0आर0 लिखाई थी, लेकिन जांच में पुलिस को तो निर्दोष सिद्ध कर दिया गया और पब्लिक को दोषी सिद्ध कर दिया गया। पुलिस वाले मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी और पब्लिक वाले मामले में चार्जशीट लगा दी गयी। तो इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए सी0आई0डी0 से जांच के आदेश देंगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, अभी तक मैजिस्टीरियल जांच में निष्कर्ष निकला है कि कोई दोषी नहीं है, लेकिन इसकी गम्भीरता को देखते हुए और मा0 सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए इसमें सी0 आई0डी0 की जांच को स्वीकार करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

जनपद जौनपुर की तहसील शाहपुर चालीस अंगुली ।म जमदहा में चकबन्दी के नष्ट रिकार्ड को पुनः नया रिकार्ड बनाने की मांग

*7---श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जमदहा 40 अंगुली त0 शाहपुर जनपद जौनपुर के चकबन्दी बस्ते के अधिकतर रिकार्ड जले हुए हैं और अनेक रिकार्ड गायब हैं यदि हां, तो कौन-कौन से रिकार्ड जले हैं, गायब हैं तथा कौन से रिकार्ड सही हालत में हैं ? जलाये या गायब किये गये रिकार्ड के लिये कौन दोषी है ? दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराने तथा नये रिकार्ड बनाये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री माता प्रसाद---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में रेणुसागर पावर कम्पनी लि0 के राखवर्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम की मांग

*8---श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में रेणुसागर पावर कम्पनी लि0 रेणु सागर जो बिरलाग्रुप से संचालित है के पावर प्रोजेक्ट की चिमनी से राख का वर्षण न हो सके इसके लिए क्या प्रबन्ध है? क्या सम्बन्धित प्रोजेक्ट के राख वर्षण तथा प्रदूषण की गम्भीर शिकायत शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

उद्योग के पास पांच व्वायलर हैं जिससे राख वर्षण होने की संभावना होती है। 3 व्वायलर में उद्योग द्वारा ई0एस0पी0 की व्यवस्था की गई है तथा शेष 2 व्यालर में राख के वर्षण की रोकथाम हेतु व्यवस्था की जा रही है।

जी हां।

उद्योग को दिनांक 1-4-87 तथा पुनः 16-3-88 को निर्देशित किया गया था कि अपने उद्योग से निकलने वाले उत्सर्जन को मानकों के अनुरूप लावें, जिसके फलस्वरूप उद्योग में 3 व्यालर में ई0ए0स0पी0 लगा लिया है तथा 2 व्यालर में ई0एस0पी0 लगाए जाने का कार्य प्रगति पर है। एक चिमनो की ऊंचाई 61 मी0 से 100 मी0 करने हेतु बोर्ड द्वारा उद्योग को निर्देशित किया गया था जिसके अनुपालन में उद्योग द्वारा अप्रैल, 1989 तक करने की संभावना है।

बरेली महानगर में ब्लू फि_म बनाने में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*9---डाक्टर दिनेश जौहरी---

क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष के जून माह में बरेली महानगर के किला क्षेत्र में ब्लू फिल्म बनाने का स्टूडियो पकड़ा गया व बहुत बड़ी मात्रा में ब्लू फिल्म व संभ्रांत घरों की लड़कियों के अश्लील व नग्न चित्र पाए गए ? यदि हां, तो इस कुकृति कार्य में लिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा इसकी पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में क्या कोई कदम उठाए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-6-88 को रात्रि आठ बजे मोहल्ला कंघी टोला, थाना किला बरेली में स्थित सलीम के मकान पर पुलिस द्वारा छापा मारा गया। छापा पड़ने पर अभियुक्तगण वी0ओ0सी0आर0 सहित भाग गये। तलाशी लेने पर दस रंगीन अश्लील तस्वीरें, एक रंगीन टी0वी0, दो बी0डी0ओ0 कैसेट्स फिल्में आदि चीजें मिली थीं। इनमें से एक कैसेट ब्लू फिल्म का पाया गया। उपर्युक्त चित्र केवल दो बदनाम औरतों के ही थे। इसके अलावा किसी संभ्रांत परिवार के किसी लड़की के चित्र नहीं थे।

उपर्युक्त घटना के संबंध में थाना किला पर मु0अ0सं0 128/88 धारा 292/293/441 भा0दं0वि0 7 सिनेमा फोटोग्राफी ऐक्ट 5 कापी राइट तथा 111/112 कस्टम एक्ट अभियुक्तगण सलीम व जाकिर के विरुद्ध पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। दोनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और इन्हें जेल भेजा गया। बाद में न्यायालय ने इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 31-8-88 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है।

उपर्युक्त कुकृति की पुनरावृत्ति की रोक-थाम के लिए सभी थाना प्रभारियों व अन्य स्टाफ को समय-समय पर चेकिंग व दबिश आदि के कड़े निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन हो रहा है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

*10--श्री हरेन्द्र सिंह--

[8 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित बारह संस्थाओं से तीन वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों का पालीटेक्निक संस्थाओं के प्रवेश में प्रतिबन्ध

*11--श्री राज किशोर सिंह--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माध्यमिक प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित 12 संस्थाओं से 3 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण छात्रों का पालीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों छात्रों को पालीटेक्निक में प्रवेश पाने से वंचित कर दिया गया है और यहां तक कि ऐसे छात्रों को इण्टर कक्षाओं में भी प्रवेश नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को न्यायालय से हत्या संबंधी पत्रावली गायब होने की जानकारी तथा उसकी जांच

*12--श्री भगौती सिंह--

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के न्यायाधीश श्री डी0 एन0 झा ने जुलाई, 1985 को एक आदेश द्वारा अतिरिक्त रजिस्ट्रार को निर्देश दिया था कि न्यायालय से हत्या सम्बन्धी पत्रावली गायब होने की जानकारी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को देकर, किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराई जाय ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों ने मामले की जांच की और उससे क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*13--श्री राम सजीवन--

[14वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

*14–श्री कौशिक रमाशंकर, श्री हर्ष वर्धन, श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री अशोक बाजपेयी–

[10वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्रवर वर्ग सहायकों के अस्थायी पदों पर विभागीय प्रोन्नति के उपरांत विनियमिति की कार्यवाही

*15–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "द उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल स्टाफ रूल्स 1942" में प्रवर वर्ग सहायक के कैडर में प्रवर वर्ग सहायक के अस्थायी पद भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो उक्त नियमावली में अस्थायी प्रवर वर्ग सहायकों के पदों को भरे जाने एवं इन पदों पर तैनात/प्रोन्नत कर्मियों को अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक के पद पर विनियमित किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित न किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस त्रुटि को सुधारने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । प्रवर वर्ग सहायक के अस्थायी पदों पर सीधी भर्ती नहीं होती है । कार्यकारी व्यवस्था में प्रवर वर्ग सहायक के अस्थाई पदों पर प्रोन्नत विभागीय कर्मचारी, उक्त पदों के कालान्तर में स्थायी हो जाने के उपरान्त, नियमित चयन के पात्र होने पर एवं उपयुक्त पाये जाने पर प्रश्नगत पद के विरुद्ध आयोग के माध्यम से विनियमित हो जाते हैं । स्पष्ट है कि संगत नियमावली में उपलब्ध व्यवस्था त्रुटिपूर्ण नहीं है ।

प्रगति शील सहकारी समिति सालारपुर जनपद गाजियाबाद की कुछ जमीनों का समिति के नाम बैनामा किया जाना

*16–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगतिशील सहकारी समिति, सालारपुर, जनपद गाजियाबाद के नाम से कोई सहकारी समिति है जिसका पंजीकरण दिनांक 23-12-81 से पहले नहीं हुआ था ? क्या यह सत्य है कि इस समिति के पक्ष में दादरी तहसील के ग्राम कछराला खवासपुर, लोरखा जाहिदाबाद सालारपुर खादर सर्फाबाद एवं भूड़ा की जमीनों के बैनामों समिति के नाम 1981 से पूर्व हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन भूखण्डों के बैनामें उक्त समिति के नाम हुए हैं और उनका आधार क्या है ?

श्री माता प्रसाद–

प्रगतिशील सहकारी कृषि समिति लिमिटेड, सालारपुर जनपद गाजियाबाद नामक सहकारी समिति का पंजीकरण दिनांक 23-12-1981 को हुआ था । उक्त समिति के पक्ष में जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी स्थित ग्राम ककरालाख्वासपुर, सोर-खाजा हिदावाद, सालारपुरखादर तथा भूडा में स्थित 344 बीघा 4 विस्वा 4 1/8 विस्वांसी भूमि के बैनामें अगस्त दिसम्बर, 1981 के बीच हुए थे । समिति के नाम हुये बैनामों से संबंधित भूखण्डों का विवरण संलग्न है । चूंकि समिति द्वारा भूमि के क्रय के

पूर्व जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 154 (2) के अंतर्गत राज्य सरकार की अनुज्ञा नहीं ली गई थी, अतएवं 12.50 एकड़ से अधिक भूमि को राज्य में निहित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 167 के अधीन कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 194 पर)

जनपद अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ चौरा किला पुरातत्वीय आरक्षित स्थान बनाने की व्यवस्था

*17–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौरा किला तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ पुरातत्वीय दृष्टि से आरक्षित स्थान है ? क्या यह सही है कि अधिकारियों ने किला भूमि के अवैध पट्टे कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उन अनियमित पट्टों को निरस्त कर किला भूमि को आरक्षित बनाये रखने की व्यवस्था करवायेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं ।

पट्टों की वैधता के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है ।

प्रदेश में परगनाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को टेलीफोन एवं टेलीकाम की सुविधा की मांग

*18–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिलों में स्थित कलेक्ट्रेट के अंतर्गत आने वाले परगना अधिकारी स्तर तक के समस्त अधिकारियों को जिलाधिकारी कक्ष से सम्पर्क रखने हेतु उन्हें टेलीफोन एवं टेलीकाम आदि की व्यवस्था प्रदान किये जाने की कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

परगनाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को टेलीफोन की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है । जहां तक टेलीकाम की व्यवस्था का प्रश्न है, ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में स्वीकृत पदों को भरने के लिए की गई नियुक्तियों की जानकारी

*19–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में करीब 6 मुख्य अभियन्ता तथा 6 चीफ कैमिस्ट मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिये गये हैं और इनको पूरा वेतन तथा अन्य सुविधायें विभिन्न इकाईयों से दी जा रही है ? क्या यह भी सच है कि इनकी जगह पर इतने ही मुख्य अभियन्ता और मुख्य रसायनिकों की नयी नियुक्ति कर दी गयी है जिससे करीब एक लाख रुपया प्रतिमाह निगम को व्यय भार वहन करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो एक दर्जन अधिकारियों को मुख्यालय से सम्बद्ध करना और इतनी ही नयी नियुक्तियों के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं । कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों को निगम की नयी परियोजनाओं की संरचना का उत्तरदायित्व दिया गया है उनमें से 3 मुख्य अभियन्ता तथा 2 मुख्य रसायनिज्ञ हैं । इन अधिकारियों के वेतन का आहरण इकाईयों से किया जा रहा है ।

जी नहीं । निगम द्वारा की गयी नियुक्तियां स्वीकृत पदों को भरने हेतु की गयी हैं ।

नई नियुक्तियों का मुख्यालय से कतिपय अधिकारियों के सम्बद्ध किये जाने से सम्बन्ध नहीं है ।

*20–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की डायरियों की छपाई पर अनुमानित व्यय

1–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989 की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की डायरियों की छपाई पर कितना खर्च आया ? कुल कितनी डायरियां छपीं ? कितने प्रकार की डायरियां छापी गयीं ? क्या छापने के पूर्व डायरियों की तादाद की आवश्यकता पर विचार किया गया था ? यदि हां, तो विचार के बिन्दु व आधार क्या थे ?

नगर विकास, सूचना एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

वर्ष 1989 की सूचना डायरियों की छपाई पर कुल रु0 7,13,000·94 का व्यय हुआ है । अब तक कुल 37,500 डायरियां छपीं । दो प्रकार की डायरियां छापी गईं । छपवाने के पूर्व मुद्रण संख्या पर विचार किया गया था । डायरियों का वितरण कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच करना सुनिश्चित करवाया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला सूचना अधिकारियों प्रेस प्रतिनिधियों को भी निश्चित संख्या में डायरियां भेजी जाती हैं । विभागीय वितरण के अतिरिक्त जन प्रतिनिधियों, प्रदेश के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभिन्न संगठनों आदि को उपलब्धता के आधार पर डायरियां दी जाती हैं । डायरी प्रकाशन का उद्देश्य जन सम्पर्क के माध्यम द्वारा शासन की नीतियों का प्रसार करना होता है । यथा सम्भव इसकी प्रतिपूर्ति हो सके इसको नजर में रखकर ही उक्त संख्या में डायरियां छपवायी गयी ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में खण्ड–9 व11 के करदाताओं के चार लाख रुपये के चेकों की धोखा धड़ी की सी0 आई0 डी0 जांच

2–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में खण्ड–9 व11 के करदाताओं के चार लाख रुपयों के चेकों की धोखा धड़ी हो गयी और इस सम्बन्ध में विधान परिषद् सदस्य खान अब्दुल वदूद खान का पत्र सं0 477 मुख्य मंत्री जी का तारीख 14-8-87 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गबन के बारे में अधिकारी को कब मालूम पड़ा और पुलिस में रपट किस तारीख को

की गयी ? क्या इस मामले की सतर्कता विभाग द्वारा भी जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच की क्या स्थिति है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । गबन के बारे में अधिकारी को दिनांक 21-3-86 को ज्ञात हुआ और दिनांक 23-12-86 को थाना वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई । जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है ।

3–श्री यदुनाथ सिंह–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

4–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 14-2-89 को अता0 प्र0 सं0 88 द्वारा उत्तरित]

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा अदी जांच चौकी पर अधिग्रहीत की गई ट्रक चेसिस को बिना जमानत छोड़ने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

5–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आयुक्त बिक्रीकर ने जुलाई, 1986 में अदी जांच चौकी पर अधिग्रहीत ट्रक चेसिस को बिना जमानत लिए छोड़ दिया और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 170 सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 23-2-87 को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय विधायक का उल्लिखित पत्र विभाग, में उपलब्ध नहीं है । पत्र उपलब्ध कराये जाने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज क्षेत्र पैसार के श्री सुखदेव सिंह लेखपाल का स्थानान्तरण

6–श्री राम शरण दास–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखदेव सिंह, लेखपाल, क्षेत्र पैसार तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी में पिछले कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि चार्ज आदि न देने के कारण इनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 एवं इनका निलम्बन भी हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशासनिक आधार पर उनके स्थानान्तरण हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

श्री सुखदेव सिंह, लेखपाल प्रश्नगत क्षेत्र पर 24-12-1981 से कार्यरत हैं ।

जी हां, निलम्बन हुआ था ।

जी हां । वार्षिक स्थानान्तरण के समय उक्त लेखपाल के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

जनपद वाराणसी में काशी हिन्दू विश्व विद्यालय द्वारा अर्जित भूमि के अमल दरामद की कार्यवाही

7–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थाओं

द्वारा धृत अथवा अर्जित भूमि पर 15 अक्टूबर, 1986 को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू कर दिया है जिसका नोटीफिकेशन नं0 90/1-1120/76 राजस्व-1 है ? यदि हां, तो वाराणसी जनपद में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी भूमि का उक्त नोटीफिकेशन के परिपेक्ष में मौके पर अमल दरामद कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अभी तक खतौनी में नान जॅड ए एरियाज अंकित किये जाने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण अथवा भवनों के प्रयोजनार्थ धृत अथवा अर्जित क्षेत्रों में समाविष्ट आस्थानों के राज्य में निहितन से संबंधित परिणामें कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम रिसौरा की ग्राम समाज की शेष भूमि का भूमिहीन हरिजनों में पट्टा की मांग

8–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील के ग्राम रिसौरा में कितने एकड़ सीलिंग व ग्राम समाज की भूमि अलग-अलग है ? उसमें कितने भूमिहीन हरिजनों को भूमि के पट्टे कर दिये गये हैं तथा कितने एकड़ भूमि शेष है ? शेष भूमि का कब तक भूमिहीन हरिजनों एवं भूमिहीनों को भूमि का पट्टा कर दिया जायेगा? क्या यह भी सही है कि तमाम भूमिहीन हरिजनों को भूमि का पट्टा करने के बावजूद भी कब्जा नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या अविलम्ब कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जनपद बांदा की नरैनी तहसील के ग्राम रिसौरा में सीलिंग की 13-80 एकड़ भूमि व ग्राम समाज की 12-75 एकड़ भूमि आवंटन के लिए थी । इसमें 13-80 एकड़ सीलिंग भूमि का आवंटन 21 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में किया जा चुका है और इन सभी आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है । गांव सभा की 12-75 एकड़ भूमि का आवंटन प्रस्ताव अभी भूमि प्रबन्धक समिति से पारित नहीं हो सका है । प्रस्ताव पारित होने के बाद आवंटन कर दिया जायेगा ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम आऊ में सीलिंग एवं ग्राम समाज की भूमि का भूमिहीन हरिजनों में वितरण

9–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम आऊ तहसील नरैनी जनपद बांदा में कितने एकड़ भूमि सीलिंग एवं ग्राम समाज की है जिसका अभी तक पट्टा नहीं किया गया है? क्या भूमिहीन हरिजनों को भूमि का पट्टा शीघ्र दिलाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम आऊ, तहसील नरैनी, जनपद बांदा में सीलिंग की 13.93 एकड़ व गांव सभा की 11.68 एकड़ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी। सीलिंग तथा गांव समाज की

आवंटन हेतु उपलब्ध उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन खेतिहर अनुसूचित जाति तथा अन्य जाति के व्यक्तियों को कर दिया गया है। अब सीलिंग एवं गांव समाज की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बांदा के थाना गिरवां के अन्तर्गत ग्राम पहाड़पुर में हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

10—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ए/89/गृह/88, दिनांक 30-10-87 बांदा के गिरवां थाना के अन्तर्गत ग्राम पहाड़पुर के श्री मथुराज हरिजन के संलग्न पत्र के साथ हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं, अपितु माननीय विधायक का पत्रांक ए/89/गृह/88, दिनांक 4-1-88 व उसके साथ श्री मथुराज निवासी ग्राम पहाड़पुर का हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

शिकायतों की जांच पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच से करायी गयी। प्राप्त सूचनानुसार श्री मथुराज ने अपमानित करने व मारने पीटने की धमकी के संबंध में थाना गिरवा पर राम सरन पाठक निवासी ग्राम तरखारी के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 158/87 अन्तर्गत धारा 7 पी0 सी0 आर0 एक्ट तथा 352/504/506 भा0 दं0 वि0 एवं अपराध संख्या 190/87 अंतर्गत धारा 7 पी0 सी0 आर0 एक्ट 352/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया। विवेचना के उपरान्त उपरोक्त दोनों अभियोगों में आरोप पत्र क्रमशः 24-1-88 व 5-1-88 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

विपक्षी के चाचा राम औतार के बन्दूक के लाइसेंस को निलम्बित कराने के लिये जांच अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया है।

जनपद बांदा में पुलिस अधीक्षक के पद को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद में परिवर्तित करने की मांग

11—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में दो-दो अति0 पुलिस अधीक्षक के पद होने तथा दस्यु प्रभावित जनपद होने के बावजूद भी पुलिस अधीक्षक पद को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पद का दर्जा नहीं मिला है? यदि हां, तो क्या अविलम्ब बांदा जनपद के पुलिस अधीक्षक पद के दर्जा को परिवर्तित कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पद का दर्जा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जनपद बांदा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दो पद नहीं वरन् एक ही पद है अतः वहां पर प्रभारी पुलिस अधीक्षक के अलावा एक ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यरत है। दस्यु समस्या से निपटने हेतु कुछ समय के लिए बांदा में एक अपर पुलिस अधीक्षक

की सेवायें उपलब्ध कर दी गयी थी। यह सही है कि बांदा जनपद दस्यु प्रभावित जनपद है किन्तु पुलिस अधीक्षक, बांदा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दर्जा नहीं मिला है।

बांदा जनपद के पुलिस अधीक्षक के पद के दर्जे को परिवर्तित करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है अतएव अवशेष का प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज के फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित मिझौड़ा–लखनऊ बस सेवा को रेगुलर करने की मांग

12–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज के फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित मिझौंड़ा-लखनऊ बस सेवा के रेगुलर न होने और अक्सर समय से भी न चलने का प्रमुख कारण क्या है ? क्या यह सही है कि राजकीय परिवहन निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारीगण उक्त सेवा को समाप्त करा रहे हैं और इसी कारण उक्त बस दिसम्बर, 88 से आज तक लगातार तीन-तीन और चार-चार दिन तक मिझौड़ा नहीं भेजी गयी? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

रोडवेज के फैजाबाद डिपो द्वारा संचालित मिझौड़ा-लखनऊ बस सेवा दिनांक 1-12-88 से नियमित रूप से संचालित है । माह दिसम्बर, 88 में यह सेवा 10, 14, 20, 22, 31 (5 दिन) विभिन्न प्रकार के उत्पन्न दोषों एवं अपरिहार्य कारणों से मिझौड़ा से लखनऊ नहीं चल सकी तथा इसी माह में दिनांक 9, 13, 19, 21 तथा 30 (5 दिन) फैजाबाद से मिझौड़ा नहीं भेजी जा सकी । इसी भांति माह जनवरी, 89 में फैजाबाद से मिझौड़ा दिनांक 8, 9, 16, 21, 26 तथा 30 को नहीं जा सकी । फलतः 9, 10, 17, 22, 27, 29, 31 (7 दिन) मिझौड़ा से लखनऊ के लिए नहीं संचालित हो सकी ।

जी नहीं ।

वर्तमान में अब यह सेवा नियमित रूप से संचालित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है ।

गन्ना सहकारी समिति, घुघली, गोरखपुर के वर्तमान चेयरमैन श्री रघुबंश उपाध्याय के अवैध ढंग से निर्वाचन के संबंध में कार्यवाही

13–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बकायेदार व्यक्ति गन्ना सहकारी समितियों के किसी पद का चुनाव नहीं लड़ सकता ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गन्ना समिति घुघली, गोरखपुर के वर्तमान चेयरमैन श्री अवधेश उपाध्याय ने जब इस पद के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया तो उन पर एडवांस टी0 ए0 इत्यादि कई मदों की धनराशि बकाया थी और इसी आधार पर पर्चा निरस्त करने हेतु आपत्ति भी की गयी थी ? यदि हां, तो बकायेदार होने पर पर्चा निरस्त न किये जाने का क्या कारण था ? इस प्रकार अवैध ढंग से चुने गये चेयरमैन को हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

गन्ना समिति, घुघली में वर्तमान में श्री रघुवंश उपाध्याय चेयरमैन हैं । श्री रघुवंश उपाध्याय ने जब इस पद के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया था तो उन पर टी0 ए0 एडवांस का रुपया 3009 बकाया था किन्तु इस आधार पर पर्चा निरस्त करने हेतु कोई आपत्ति नहीं की गयी । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माणाधीन शहीद स्मारकों के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना

[14–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कहां-कहां शहीद स्माक का कार्य निर्माणाधीन है ? क्या शहीदों के सम्मान में एवं नयी पीढ़ी की प्रेरणा के लिए उन स्मारकों को जिनके निर्माण में धनाभाव के कारण विलम्ब हो रहा है उन्हें शीघ्र पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

इस समय प्रदेश में निम्नलिखित स्मारक, उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्माणाधीन हैं :–

(1) काकोरी शहीद स्मारक, जनपद–लखनऊ ।

(2) अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में, आजाद पार्क के नवीनीकरण का कार्य, जनपद–इलाहाबाद ।

(3) अमर शहीद मंगल पाण्डेय की स्मृति में स्मारक का निर्माण, ग्राम–नगवां, जनपद–बलिया ।

(4) स्व0 पं0 गोविन्द बल्लभ पंत की प्रतिमा की स्थापना का कार्य, जनपद–पिथौरागढ़ ।

(5) सुभाष मंडी गढ़वारा में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में छतरी का निर्माण, जनपद–प्रतापगढ़ ।

(6) ग्राम शिवराजपुर में गांधी जी की स्मृति में बने चबूतरे के नवीनीकरण का कार्य, जनपद–प्रतापगढ़ ।

(7) बाबा रामलाल की प्रतिमा की स्थापना का कार्य, ग्राम-पयागीपुर, जनपद–सुल्तानपुर ।

(8) शहीद स्मारक कहला, जनपद–प्रतापगढ़ ।

(9) उधम सिंह कम्बोज शहीद स्मारक, जनपद-नैनीताल ।

स्मारकों के निर्माण हेतु बजट में प्रतिवर्ष प्राविधानित धनराशि के अन्दर स्मारकों का निर्माण कराया जाता है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाती है । स्मारक के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बधौली की ग्राम सभा भगवानपुर के प्रधान से भूमिहीनों को पट्टा देने की मांग

15–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड बधौली की ग्राम सभा भगवानपुर के प्रधान ने गरीब भूमिहीनो को पट्टा न देकर अपात्र व्यक्तियों को भूमि के पट्टे दिये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करवाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं । भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा 25-9-87 को 26 व्यक्तियों को वृक्षारोपण हेतु भूमि दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था जिसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है । आवश्यक छानबीन के पश्चात पात्र व्यक्तियों को ही अनुज्ञा पत्र जारी किये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में अहमद नगर प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव

16–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अहमद नगर प्रणाली क्या है ? क्या पिछले वर्ष उक्त प्रणाली को जिला मिर्जापुर में लागू करने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो अब तक उसे न लागू करने का क्या कारण है ? निकट भविष्य में इसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अहमद नगर प्रणाली से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कलेक्ट्रेटों में जनता को सुविधा देने तथा शासकीय कार्य में गति एवं कुशलता लाने के लिए उस प्रणाली को लागू करने से है, जिसके द्वारा अहमदनगर (महाराष्ट्र) कलेक्ट्रेट में वहां के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार लखीना सुधार लाये थे । मिर्जापुर कलेक्ट्रेट में उक्त प्रणाली को लागू करने हेतु आदेश वर्ष 1985-86 में निर्गत किये गये थे । कुछ सीमा तक वहां यह प्रणाली लागू हो गयी है तथा इसे पूर्ण रूप से लागू किये जाने का प्रयास निरन्तर जारी है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टंकक पदों तथा अन्य पदों पर प्रोन्नत टंककों की पदवार संख्या

17–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में दिनांक 25 नवम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार टंकक के पदों तथा अन्य पदों पर नियुक्त/प्रोन्नत/कार्यरत ऐसे कर्मियों की पदवार अलग-अलग संख्या क्या है जो मूलतः टंकक संवर्ग के हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

18–श्री राम आसरे वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मथुरा की वृन्दावन कोतवाली के निर्माण में बरती गयी लापरवाही के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव

19–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद की वृन्दावन कोतवाली के कार्यालय की इमारत का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नयी इमारत के छत से पानी टपकने के कारण व छतों के गिरने के भय से अभी कोतवाली कार्यालय खुले में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त इमारत के निर्माण की जांच उच्च स्तरीय टेक्निकल सेल से कराने तथा जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी नहीं । यह कार्य वर्ष 1987-88 से निर्माणाधीन है ।

जी हां । छत से पानी टपकने की शिकायत सही है । चूंकि प्रश्नगत भवन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतएव पुलिस विभाग द्वारा इसको ग्रहण नहीं किया गया है । भवन निर्माण की त्रुटियों एवं कमियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा सा0 नि0 वि0 को लिखा गया था । प्रश्नगत निर्माण कार्य का निरीक्षण तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, 41वां वृत्त, सा0 नि0 वि0 द्वारा दिनांक 17-10-87 को किया गया था। त्रुटियों के लिए उत्तरदायी तत्कालीन कार्य अधीक्षक, स्थानिक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम राम नगर को चकरोड का मार्ग ठीक कराने की मांग

20–श्री जवाहर सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–राम नगर, पो0-बन्दीराज, जनपद–सुल्तानपुर के असुरक्षित रोड को सुरक्षित कराने बाबत श्री दीनानाथ मिश्रा का पत्र शासन के राजस्व अनुभाग-8 में दिनांक 28-11-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? उक्त चकरोड कब तक सुरक्षित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

प्राप्त प्रार्थना पत्र पर जांच कराई गई । जांच में पाया गया कि अन्तिम भूचित्र बनाने में हुई त्रुटि के कारण इस चक मार्ग का सम्पर्क सेक्टर मार्ग से टूट गया था ।

अब उक्त चक मार्ग को अभिलेखों के अनुसार भूचित्रों में सेक्टर से जोड़ कर त्रुटि का निराकरण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

21–श्री विष्णु देव–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद वाराणसी के बिक्रीकर कार्यालय में कार्यरत दो अधिकारियों को बिक्री कर अधिकारी (संग्रह) बनाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

22–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी बिक्री कर कार्यालय में तैनात दो खण्ड अधिकारियों को बिक्रीकर अधिकारी (संग्रह) माह अगस्त, 1986 में बनाया गया है और इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1355 वित्त राज्य मंत्री को ता0 29-9-86 को व पत्र संख्या 413 मुख्य सचिव को ता0 4-8-87 को मिला है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्टाम्प वेन्डरों द्वारा स्टाम्प पेपर की काला बाजारी करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

23–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि स्टाम्प वेन्डरों द्वारा स्टाम्प पेपर को काला बाजारी में बेचने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 405 वित्त राज्य मंत्री जी को ता0 2-7-87 को मिला है? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां : माननीय विधायक के प्रश्नगत पत्र में वर्णित सुझावों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है ।। स्टाम्प विक्रेताओं के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

24–श्री यदुनाथ सिंह–

[दि0 28-2-89 को अता0प्र0सं0 146 द्वारा उत्तरित]

जनपद कानपुर के डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर द्वारा फर्म के वाहनों को कुर्क करने के सम्बन्ध में स0 वि0 प0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

25–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर के डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर द्वारा बकायेदार की बकाया के लिये दूसरी फर्म के वाहनों को कुर्क करने के बारे में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 526 मुख्य सचिव को ता0 27-8-87 को मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । प्रश्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपायुक्त (शा) बिक्रीकर कानपुर से जांच करायी गयी । परन्तु उक्त पत्र में किसी व्यापारी या फर्म का नाम अंकित न होने के कारण कार्यवाही करना संभव न हो सका ।

26–27–श्री अर्जुन सिंह यादव–
[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद बाराबंकी के ग्राम मोहम्मदपुर बाहू प0 दरियाबाद में चकबंदी में बर्ती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

28–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मोहम्मदपुर वाहू प0 दरियाबाद जनपद बाराबंकी में हुई चकबन्दी में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न शिकायती पत्र जिसकी प्राप्ति उनके द्वारा पत्र संख्या 793 वी0 आई0 पी0/एम0 आर0/8 दिनांक 30-11-88 द्वारा की गई है, पर क्या कार्यवाही हुई है? शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा जांच किसके द्वारा की गई है और उसमें क्या पाया गया?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

29–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर केन यूनियन पिपराइच द्वारा गन्ना किसानों से की गई कटौती से सड़क का निर्माण

30–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन यूनियन पिपराईच गोरखपुर में गन्ना किसानों से अतिरिक्त सट्टे की कटौती की धनराशि 30-6-87 तक कितनी थी? क्या इस धनराशि से पिपराईच विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण गन्ना किसानों के हित में किया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पिपराईच (गोरखपुर) में गन्ना किसानों से अतिरिक्त सट्टे की कटौती की धनराशि दिनांक 30-6-87 तक 3,57,855.38 थी। क्योंकि अतिरिक्त सट्टे की कटौती की धनराशि किसानों को वापसी योग्य होती है इसलिये उसका उपयोग सड़क निर्माण मद में नहीं किया जा सकता। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में केन यूनियन पिपराइच द्वारा गन्ना किसानों के जमा कथित लावारिस पैसे से सड़क का निर्माण

31–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन यूनियन पिपराईच गोरखपुर में 30-6-87 तक कितना रुपया लावारिस गन्ना किसानों का भुगतान न लेने के कारण पड़ा हुआ है? क्या सरकार उस लावारिस धन से जिसका कोई वारिस नहीं है, गन्ना किसानों के हित में पिपराईच विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पिपराइंच जनपद गोरखपुर में 30-6-87 तक कोई भी धन गन्ना किसानों का भुगतान न लेने के कारण लावारिस नहीं है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराईंच के ग्राम के बेला तहसील सदर के रामधनी पुत्र मुनेसर को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

32–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड पिपराइंच के ग्राम बेला तहसील सदर के श्री रामधनी पुत्र मुनेसर को आराजी नं0 483 मि0, 478 मि0 एक एकड़ 2-1/2 डिसमिल, श्री राम प्रसाद पुत्र राम सुभाग को आराजी नं0 478 मि0 4 डिसमिल, श्री राम बेलास पुत्र पुनर्वासी को आराजी नं0 478 मि0 4 डिसमिल, श्री राधे पुत्र श्री जगरनाथ को आराजी नं0 478 मि0 डिसमिल भूमि का जून, 1981 में पट्टा किया गया जो परगनाधिकारी सदर द्वारा 25-6-81 को स्वीकृत किया गया तथा अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन गोरखपुर मण्डल गोरखपुर का निर्णय दिनांक 8-12-81 आवंटित लोगों के पक्ष में हुआ? अदालत मुख्य राजस्व अधिकारी, गोरखपुर का निर्णय भी आवंटित लोगों के पक्ष में दिनांक 6-12-1986 को हुआ और अदालत मुंसिफ प्रथम गोरखपुर का निर्णय भी आवंटित लोगों के पक्ष में दिनांक 3-12-85 को हुआ? क्या यह सही है कि इन आदेशों के बावजूद भी आवंटियों को भूमि पर कब्जा नहीं मिला? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल आवंटियों को कब्जा दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं, प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत भूमि का कोई पट्टा अभिलेखों के आधार पर नहीं हुआ और न तो दिनांक 25-6-81 को परगनाधिकारी द्वारा कोई स्वीकृति दी गयी, बल्कि लेखपाल व भूतपूर्व ग्राम प्रधान द्वारा अवैध रूप से आवंटन के संबंध में ज0 वि0 आकार-पत्र 49 (च) जारी किया गया । इस भूमि के सम्बन्ध में श्री राम प्यारे सिंह आदि द्वारा धारा-229(बी) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया जो उनके पक्ष में निर्णीत हुआ परन्तु इस आदेश के विरुद्ध राम धनी आदि द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ने अपने निर्णय दिनांक 8-12-86 द्वारा सहायक कलेक्टर गोरखपुर के आदेश को निरस्त करने हेतु राजस्व परिषद् को संदर्भित कर दिया जो अभी विचाराधीन है । उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु श्री राम प्यारे सिंह आदि द्वारा धारा 198(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद मुख्य राजस्व अधिकारी, गोरखपुर द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि इस सम्बन्ध में धारा 229(बी) का नियमित वाद चल रहा था । मुंसिफ प्रथम गोरखपुर के न्यायालय में प्रस्तुत वाद दिनांक 3-12-85 को अदम पैरवी में खारिज हो गया था जो पुनर्स्थापित होकर विचाराधीन है । उक्त न्यायालय में गाँवे पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है ।

पट्टा नियमित न होने प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में उक्त वादों के विचाराधीन होने तथा मुंसिफ प्रथम गोरखपुर के स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव डिपो की बसों का संचालन समय सारिणी के अनुसार किया जाना

33–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उन्नाव डिपो से माह जून, जुलाई, 88 में कितनी बस सेवायें मौरांवा-पुरवा मार्ग पर चलायी जा रही थीं ? माह जून, जुलाई, 88 में इन बस सेवाओं को किस-किस दिन और क्यों निरस्त किया गया था? क्या मंत्री जी को यह पता है कि उन्नाव डिपो की बसों के संचालन की कोई समय विवरणिका नहीं है और बसें मनमाने तौर पर चलाई जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार–

उन्नाव डिपो से माह जून, जुलाई, 1988 में 16 बसों का संचालन मौरांवा-पुरवा मार्ग पर निर्धारित था, जिनके द्वारा 71 ट्रिपों का अप व डाउन संचालन होना था । माह जून, जुलाई, 1988 में इन बस सेवाओं के दैनिक निरस्तीकरण के संबंध में विवरण संलग्न है ।

उन्नाव डिपो की बसों के संचालन की समय विवरणिका बस स्टेशन के बोर्ड पर अंकित है । मनमाने तौर पर चलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । सारा संचालन समय सारिणी के अनुसार किया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 195-200 पर)

जनपद उन्नाव के थाना मौरावां में बढ़ते अपराधों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

34–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के थाना मौरावां में बढ़ते अपराधों, पुलिस उदासीनता और अनियमितता विषयक प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 13-7-1988 का मुख्य मंत्री जी को मिला है? यदि हां, तो जांच किसने की? जांच के निष्कर्ष क्या हैं? क्या जांच के दौरान प्रश्नकर्ता से भी जांच कर्ता ने सम्पर्क किया? यदि नहीं, तो क्यों? जांच में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार संदर्भित जांच क्षेत्राधिकारी पुरवा द्वारा की गई । जांच से पत्र में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । जी हां। प्रश्न नहीं उठता । जांच से किसी आरोप की पुष्टि न होने के कारण किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

35–श्री विजय सिंह–

[8वें मंगल के लिए स्थगित]

जनपद मऊ के श्री मुन्नी लाल यादव भू0पू0 लेखपाल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर जांच

36–श्री विष्णु देव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री मुन्नी लाल यादव भूतपूर्व लेखपाल के विरुद्ध शिकायत संबंधी जनपद मऊ में श्री मुन्नू चौहान प्रधान ग्राम चक्की मूसाडोही के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-9-88 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र की जांच कब किस अधिकारी ने की और ग्राम प्रधान सहित किसके-किसके बयान लिये गये और जांच का क्या परिणाम निकला?

श्री माता प्रसाद–

जी हां । प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच नायब तहसीलदार द्वारा की जा रही है ।

37–श्री विष्णु देव–

[दि0 14-3-89 को अता0प्र0सं0 130 द्वारा उत्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के श्री बृज किशोर गुप्त नि0 उगरापुर, थाना कमालगंज को स्थानीय पुलिस द्वारा परेशान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

38–श्री आंसान सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृज किशोर गुप्त नि0 उगरापुर, थाना कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद एवं उनके परिवारजनों को स्थानीय पुलिस द्वारा नाजायज रूप से परेशान करने संबंधी प्रार्थना पत्र की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-7-88 के सन्दर्भ में शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र की जांच करायी गयी । जांच से प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप असत्य एवं निराधार पाए गये ।

जनपद इटावा के थाना बेला ग्राम पुरवा सुजान के श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री धनी राम द्वारा आग्नेयास्त्र का दुरुपयोग करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

39–श्री आंसान सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-7-1988 जो श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री धनीराम ग्राम पुर्वा सुजान, थाना बेला, जिला इटावा द्वारा अपने आग्नेयास्त्र का दुरुपयोग करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, इटावा से जांच कराई जा रही है।

रामपुर रायघटी विकास खण्ड लक्सर तहसील हरिद्वार के उप प्रधान तथा अन्य सदस्य गणों की शिकायत पर ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

40–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या राजस्व मंत्री रामपुर रायघटी, विकास खण्ड लक्सर, तहसील हरिद्वार के उप प्रधान व सदस्यगणों की शिकायत ग्राम समाज की बंजर भूमि के संबंध में प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो इसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक जांच पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

जी हां ।

जांच से ज्ञात हुआ है कि ग्राम रामपुर रायघटी की भूमि प्रबन्धक समिति मे 102 व्यक्तियों के लिए कृषि भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें से परगनाधिकाधिकारी ने 80 व्यक्तियों का आवंटन स्वीकृत किया तथा शेष 22 अपात्र व्यक्तियों से संबंधित प्रस्ताव नियमानुसार न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया । अपात्र व्यक्तियों से संबंधित वाद धारा 198(4) के अंतर्गत कलेक्टर महारनपुर के न्यायालय मे विचाराधीन है । साथ ही दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध 95-जी की कार्यवाही की जा रही है ।

चूंकि अपात्र व्यक्तियों से संबंधित वाद न्यायालय में विचाराधीन है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

41–श्री बालेश्वर–

[7वें बुध में अता0 प्र0 सं0 69 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद व तहसील देवरिया में कार्यरत सीजनल अमीनों व चपरासियों की स्थायी नियुक्ति की सूची सदन के पटल पर रखने की मांग

42–श्री बलराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तहसील-देवरिया सदर में कार्यरत सीजनल अमीनों व चपरासियों की, जो सन् 1969 से कार्यरत हैं, स्थायी नियुक्ति कर दी गई है ? कितने चपरासियों को जो निरन्तर सेवा में हैं की स्थायी नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त अमीनों और चपरासियों की स्थायी नियुक्ति की सूची वर्षवार (1969 से 1988 तक) सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नियोजन विभाग में स्थापित राज्य नियोजन संस्था (नवीन प्रभाग) में अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संवर्ग तथा प्राविधिक (तकनीकी) संवर्ग को अलग रखने की मांग

43–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन विभाग के अंतर्गत स्थापित राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) में जनहित के लिए अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संवर्ग व प्राविधिक (तकनीकी) संवर्ग अलग-अलग स्थापित किये गये थे? यदि हां, तो अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संवर्ग को प्राविधिक (तकनीकी) संवर्ग में क्यों मिलाने का प्रयास किया जा रहा है ?

नियोजन मंत्री (श्री रघुबीर सिंह यादव)–

नियोजन विभाग के अंतर्गत स्थापित राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) में अभियंत्रण व प्राविधिक संवर्ग अलग-अलग स्थापित हैं । इन दोनों संवर्गों को एक में मिलाने का कोई निर्णय नहीं है ।

44–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

45–श्री आंसान सिंह–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा के नरैनी कोतवाली के अन्तर्गत श्री सुखलाल बनकर्मी की हत्या की सी0 आई0 डी0 जांच

46–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के नरैनी कोतवाली के अन्तर्गत श्री सुखलाल बनकर्मी की हत्या की सी0 आई0 डी0 जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-2-88 का पत्र गृह सचिव को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो सी0 आई0 डी0 की विस्तृत जांच रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार श्री सुखलाल बनकर्मी की हत्या के सम्बन्ध में मु0 लतीफ की सूचना पर दिनांक 11-1-87 को थाना नरैनी पर मु0 अ0 सं0-238/87 धारा 302/404 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ।

विवेचना से प्रकाश में आये चार अभियुक्तों में से अभियुक्त मेड़ा पुत्र लुरु लोधे निवासी नन्दवारा को 3-12-87 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त बड़े भाई उर्फ रमेश को 23-7-88 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शेष अभियुक्तगण चन्द्र कुमार उर्फ सेठ लोधे व कदौला निवासीगण मुकेरा थाना नरैनी ने दिनांक 6-8-88 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया। साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 8-8-88 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है। चूंकि जांच से अभियुक्त प्रकाश में आ चुके थे और पुलिस द्वारा जांच ठीक प्रकार से की जा रही थी। अतः घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद बांदा के अतर्रा में तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

47–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद अतर्रा के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र ए/170/गृह/88, दिनांक 22-3-88 तत्कालीन गृह राज्य मंत्री को तथा पत्र दिनांक 24-2-88 गृह सचिव उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि थानाध्यक्ष अतर्रा के विरुद्ध एन्टी करप्शन शाखा से जांच के आदेश पारित किये गये थे? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध विस्तृत जांच रिपोर्ट क्या है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रश्नकर्ता का प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 21-3-88 (22-3-88 नहीं) तथा दिनांक 24-2-88 प्राप्त हुआ है।

थाना अतर्रा के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच के आदेश दिये गये। अब तक की जांच से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

श्री बी0 सी0 चतुर्वेदी सहायक आयुक्त (न्याय) काशीपुर (पूर्व रजिस्ट्रार बिक्रीकर अधिकरण) के विरुद्ध श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

48–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 सी0 चतुर्वेदी सहायक आयुक्त (न्याय) काशीपुर (पूर्व रजिस्ट्रार बिक्रीकर अधिकरण) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या 142 मुख्य मंत्री को ता0 18-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

डिप्टी कलेक्टर बिक्रीकर के विरुद्ध राजस्व के गबन सम्बन्धी शिकायतों पर जांच

49–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 942 व पत्र संख्या 2102 में वर्णित बिन्दुओं पर जांच पूरी हो गयी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा? श्री मिश्र द्वारा सेवा निवृत्त होने तक यानी 29-12-87 तक जांच रपट प्रस्तुत न किये जाने का क्या कारण था? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां। श्री कर्नाटक को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें वर्ष 77-78 व 78-79 में प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है। श्री मिश्र का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण नियमानुसार वे यह जांच नहीं कर सकते थे, अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कानपुर में बिक्रीकर की चोरी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

50–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्री कर विभाग में अरबों रुपयों की बिक्री कर की चोरी प्रत्येक वर्ष होने तथा सबसे अधिक कर चोरी कानपुर में होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 1183 उनको ता0 3-2-84 को व पत्र संख्या 1403 मुख्य मंत्री जी को ता0 9-11-84 को व पत्र सं0 4094 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 20-12-86 को मिले हैं? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या पत्र सं0 1183 में लिखे मामलों की जांच की गयी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

पत्र संख्या 1183 में मा0 सदस्य ने वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 में समय-समय पर विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित कतिपय समाचारों का हवाला देते हुए, इस प्रकल्पना के आधार पर कि चूंकि इन समाचारों का विभाग की ओर से खण्डन नहीं किया गया है, यह समाचार सही होंगे, इन मामले में जांच कराने और जांच के परिणाम से अवगत कराने का अनुरोध किया था। अन्य दोनों पत्र उसी पत्र संख्या-1183 के अनुस्मारक मात्र थे। समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों में सामान्य रूप से बिक्रीकर की चोरी का जिक्र किया गया था और किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया गया था। विभिन्न प्रकरणों में से एक, अर्थात् दि0 2-2-81 से 3-2-81 के बीच लगभग 1.00 करोड़ रु0 का माल बिना नियमित बिक्रीकर अदा किये कानपुर रेलवे माल गोदाम से बाहर चला गया, के विषय में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की गयी थी और अपनी रिपोर्ट शासन के सतर्कता विभाग को प्रस्तुत की थी, जिस पर अभी उक्त विभाग द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अन्य कोई विशिष्ट मामला उक्त पत्र में नहीं उल्लिखित किया गया था, जिस पर जांच सम्भव हो सकती। समाचार-पत्रों में समय-समय पर अनेक विषयों पर समाचार छपते रहते हैं किन्तु ऐसे प्रत्येक समाचार का खण्डन करना अथवा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सम्भव नहीं होता, किन्तु मात्र इसी से यह प्रकल्पना करना कि समाचार सही है, उचित नहीं प्रतीत होता।

51--श्री यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अब्दुल गनी, बन्ने मियां बनाम बिक्रीकर अधिकारी के अपील के निर्णय के विरुद्ध अपील

52--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 137 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0-464 मा0 वित्त राज्य मंत्री जी को ता0 2-5-88 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी और जांच का क्या परिणाम रहा?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय विधायक श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 464/88 लोकदल (अ) दिनांक 2-5-88 प्राप्त हुआ।

उक्त पत्र पर आयुक्त बिक्रीकर से आख्या प्राप्त की गई। स्थिति यह ज्ञात हुई कि विभागीय द्वितीय अपीलों का निर्णय दिनांक 23-10-87 को हुआ और विभागीय अपीलें अस्वीकार कर दी गईं। माननीय बिक्रीकर अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध न्याय विभाग के परामर्श से उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर किये गए हैं जो अभी लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व इस मामले में राजस्व हानि हुई मानने और उसके लिए किसी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस महानिदेशक श्री आर0 एन0 गुप्ता द्वारा श्री रंगनाथ शुक्ल उपनिरीक्षक पुलिस के साथ किये गये दुर्व्यवहार से पुलिस कर्मियों में असंतोष की भावना

53–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिरीक्षक पुलिस श्री रंगनाथ शुक्ल तत्कालीन थानाध्यक्ष नौबस्ता, कानपुर महानगर ने साक्षात्कार के समय महानिदेशक श्री आर0 एन0 गुप्ता द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के संबंध में रपट नं0–69 पर शिकायत दर्ज किया है? यदि हां, तो शासन निचले स्तर के पुलिस कर्मियों में बढ़ते असन्तोष को ध्यान में रखकर संदर्भित मामले में क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रंगनाथ शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष, नौबस्ता जनपद कानपुर नगर ने दिनांक 2-11-88 को थाना-नौबस्ता को जी0 डी0 की रपट नं0–69 पर अंकित किया है कि दिनांक 1-11-88 को करीब 1.30 बजे पर पुलिस लाइन में साक्षात्कार के समय चेयरमैन बोर्ड ने उनसे पूर्वाग्रह व रागद्वेष से पूर्ण होकर प्रश्न किये व कुपित हुये।

श्री रंगनाथ शुक्ला द्वारा अपने विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के प्रति इस प्रकार की रपट अंकित करना नियम के विरुद्ध एवं अनुशासनहीनता है जिसके लिये उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया अपनायी गयी है। निचले स्तर के पुलिस कर्मियों में कोई असंतोष नहीं है और उपरोक्त जी0 डी0 नं0-69 की रपट में लिखे गये तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है।

जनपद उन्नाव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व सांसद स्व0 विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी के निर्माणाधीन स्मारक का कार्य सरकार द्वारा लेने की मांग

54–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व लगातार सांसद रह चुके स्व0 विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी के उन्नाव स्थित निर्माणाधीन स्मारक के निर्माण का काम सरकार अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

जी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद बलिया के थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण को रोकने का कारण

55–श्री मैनेजर सिंह–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1988 में बलिया जनपद के किन-किन थानाध्यक्षों के स्थानान्तरण जिले से बाहर करने का आदेश गुप्तचर शाखा की संस्तुति पर जारी हुआ और उनमें किस-किस का स्थानान्तरण आदेश रोका गया और रोकने का आधार क्या रहा?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार दो थानाध्यक्षों का स्थानान्तरण जनपद के बाहर किये जाने की संस्तुति अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई थी। इनमें से एक थानाध्यक्ष मय थाने के बलिया जनपद से नवसृजित मऊ जनपद को स्थानान्तरित हो गया है। दूसरे थानाध्यक्ष को उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में छः माह के लिए बलिया जनपद में ही रहने के आदेश दिए गये हैं।

जनपद हरदोई के स्व0 तसनीम हैदर निवासी 152 बेटगंज की हत्या की सी0 आई0 डी0 जांच की मांग

56–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वर्गीय तसनीम हैदर नि0 152 बेटगंज थाना कोतवाली हरदोई की हत्या दिनांक 28-12-85 को कानपुर हरदोई रोड थाना बांगरमऊ में कर दी गयी थी? इसके हत्यारे कौन-कौन थे? क्या इसकी गोपनीय जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार स्थानीय पुलिस की विवेचना से प्रश्नगत प्रकरण में पांच अभियुक्त क्रमशः सुधीर पुत्र राम औतार कुर्मी, वासिद पुत्र साबिर, खजान उर्फ सर्वजीत पुत्र छद्दू चमार, शमशाद पुत्र बब्बू एवं चन्द्र प्रकाश उर्फ वीरभद्र प्रकाश में आये, जिनमें से वादी व गवाहान द्वारा चन्द्र प्रकाश की शिनाख्त न हो पाने की स्थिति में उसे रिहा कर दिया गया एवं शेष चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।

अभियोग सम्प्रति न्यायालय में विचाराधीन होने एवं विचारण अंतिम चरण में होने के कारण मुकदमे की विवेचना सी0 आई0 डी0 से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद लखनऊ (राजेन्द्र नगर) थाना नाका हिन्डोला के निवासी श्री सूरज पाल को लिपिक के पद पर नियुक्ति

57–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सूरजपाल भाट पुत्र कैलाश निवासी ग्राम मदन टूसी थाना बछरावां जिला रायबरेली और श्री सूरजपाल शर्मा निवासी 156 रोजाबाग (राजेन्द्रनगर) थाना नाका हिण्डोला जनपद लखनऊ एक ही व्यक्ति है? यदि हां, तो इन्हें लखनऊ कलेक्ट्री कचेहरी में लिपिक के पद पर नौकरी कैसे दी गयी जबकि उन्हें सन् 1939 में 35 वर्ष की अवस्था में हत्या करने के जुर्म में कैद की सजा हुई थी? यदि नहीं, तो श्री सूरजपाल भाट इस समय कहां है?

श्री माता प्रसाद–

जी हां।

इनकी नियुक्ति के संबंध में कलेक्ट्रेट लखनऊ में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के सम्मुख श्री सूरज पाल द्वारा दिये गये लिखित बयान के अनुसार उन्हें कत्ल के जुर्म में 20 वर्ष की सजा हुई थी। विश्व युद्ध के दौरान जेल के कैदियों को फौज में भर्ती किये जाने के शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन्हें भी फौज में भर्ती कर लिया गया। फौज से लौटने के बाद उन्हें पुनः जेल में रखा गया तथा शासन द्वारा दी गयी माफी के आधार पर यह जेल से छूट गये । भूतपूर्व सैनिक होने के नाते इन्हें सोलजर बोर्ड के माध्यम से एरिया राशनिंग आफिस लखनऊ में लिपिक पद पर नियुक्त किया गया। उसके पश्चात् वर्ष 1943-44 में कलेक्ट्रेट लखनऊ में लिपिक पद पर इनकी नियुक्ति कर ली गयी जहां से वे वर्ष 1973 में सेवा निवृत्त हुये। श्री सूरजपाल इस समय 156, रोजाबाग राजेन्द्र नगर थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ में रह रहे हैं।

जनपद फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन पालीटेक्निक में अध्ययन-अध्यापन का कार्य कराया जाना

58–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन पालीटेक्निक में अध्ययन-अध्यापन का कार्य वर्ष 1989-90 तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने का मुख्य कारण क्या है? उसमें अब तक कितना धन व्यय किया गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, यही प्रयास है।

प्रश्न नहीं उठता।

इस संस्था की स्थापना हेतु भूमि के अधिग्रहण, भवन निर्माण, साज-सज्जा, फर्नीचर तथा पुस्तकों के क्रय एवं आवर्तक मद इत्यादि में अब तक रु0 76,13,967.28 का व्यय हुआ है।

जनपद मथुरा के नव निर्मित भवन में स्थापित थानों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या

59–श्री सरदार सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि जनपद मथुरा में दो नये थाने मांट एवं पल्ली-पार (यमुनाब्रिज) स्वीकृत हो चुके हैं ? यदि हां, तो अभी तक इमारत निर्माण कर थानों द्वारा कार्य न करने के क्या कारण हैं ? थाने कब तक कार्य करने लगेंगे तथा इनके क्षेत्राधिकार में कौन-कौन से गांव आयेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जनपद मथुरा में मांठ एवं यमुनापार दो नये थाने स्वीकृत किए गए हैं। उपर्युक्त थानों ने माह अप्रैल, 1988 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। थाना मांठ क्षेत्राधिकारी मांठ के नवनिर्मित भवन में स्थापित किया गया है। थाना भवन के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है। थाना यमुनापार इस समय किराये के भवन में चल रहा है। थाने के भवन हेतु भूमि उपलब्ध करने के प्रयास जारी है।

थाना मांठ तथा थाना यमुनापार के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 201-202 पर)

श्री हरीश चन्द्र कर्नाटक, डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही

60–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 8 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री पी0 एस0 मिश्र के बिक्री कर विभाग से जाने के पश्चात किस अधिकारी ने इस गबन की कब जांच की थी ? जांच रपट का क्या परिणाम रहा ? डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? वे कब सेवा निवृत्त होंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्री पी0 एस0 मिश्र के बिक्रीकर विभाग से जाने के पश्चात प्रश्नगत जांच तत्कालीन अपर आयुक्त, बिक्रीकर, श्री हरगोविन्द विश्नोई द्वारा शासनादेश दिनांक 30-5-88 के अंतर्गत की गई।

जांच के परिणाम स्वरूप श्री हरीश चन्द्र कर्नाटक, डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर को प्रशासनिक नियंत्रण में शिथिलता तथा नीलामी में अनियमितता का दोषी पाया गया चूंकि श्री कर्नाटक को उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जा चुकी है, अतः पुनः कोई दंड दिए जाने की आवश्यकता नहीं पाई गई।

श्री कर्नाटक दिनांक 30-6-89 को सेवा निवृत्त होंगे।

श्री आर0 जी0 जौहरी, उपायुक्त, बिक्रीकर के विरुद्ध जांच

61–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 7 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिलाधीश अलीगढ़ ने डिप्टी एस0 पी0 एल0 आई0 यू0 से इन उपायुक्त के बारे में जांच करायी थी और डिप्टी एस0 पी0 ने अपनी जांच रपट में इन उपायुक्त (शा) के आचरण को संदिग्ध पाया और जांच रपट (1) 7-10-82 को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सेवा निवृत्ति की तिथि 30-11-82 तक इन उपायुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, चूंकि श्री आर0 जी0 जौहरी उपायुक्त, बिक्रीकर के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई थी, अतएव किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

62–श्री यदुनाथ सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

जनपद सहारनपुर में कोयले की चोरी पकड़े जाने के संबंध में श्री अब्दुल वदूद खां सदस्य विधान परिषद् के पत्र पर कार्यवाही

63–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को ज्ञात है कि सहारनपुर में जनवरी, 1988 में चोरी से ला रहे कोयले को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बारे में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 120 मुख्य मंत्री जी को ता0 23-2-88 को मिला था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां।

उक्त पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के माध्यम से जांच कराई जा रही है।

64–श्री यदुनाथ सिंह–

[दि0 14-2-89 को अता0 प्र0 सं0 86 द्वारा उत्तरित]

65–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[7वें बुध में अता0 प्र0 सं0 68 पर स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के कतिपय व्यक्तियों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को मुक्त कराकर शिकायतकर्ता के पत्र के आधार पर भूमिहीन हरिजनों में भूमि का आवंटन

66–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री किशोरी लाल अग्निहोत्री भूतपूर्व सैनिक ग्राम-जरर, तहसील नरैनी, जिला बांदा ने 8-9-88 व 3-12-88 को चकबन्दी आयुक्त व राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री के पास प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायतें की है कि श्री मूर्ति बिहारी उपाध्याय एडवोकेट बांदा व राजा भैया द्विवेदी एडवोकेट बांदा व बाला प्रसाद आदि ने ग्राम-जरर व मुरवा व सरस्वाह की ग्राम समाज की सैकड़ों बीघा जमीनें सरकारी रिकार्ड में हेराफेरी व जालसाजी करके हड़प ली है ? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में जांच जिलाधिकारी, बांदा अथवा सतर्कता सेल से जांच कराई जायगी और हड़पी गई जमीनों को गांव सभाओं में वापस लाकर भूमिहीन हरिजनों व खेत मजदूरों में वितरित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद-

जी हां।

प्राप्त परिवादों पर जाच कराई गई।

जांच में पाया गया कि ग्राम मुरवां व सरस्वाह में कोई हेराफेरा व जालसाजा नहीं की गई है बल्कि यह हेराफेरी ग्राम जरर में की गई प्रतीत होती है। आवेदक श्री किशोरी लाल अग्निहोत्री द्वारा सहायक वन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के आदेश दिनांक 26-4-88 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई। निगरानी पर बहस के लिए तिथि 2-12-88 नियत हुई लेकिन वाला प्रसाद ने माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 24-11-88 प्रस्तुत किया जिसके द्वारा निगरानी की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। प्रकरण न्यायिक कार्यवाही के अधीन रहने तक किसी अन्य प्रकार की जांच या कार्यवाही कराया जाना उचित नहीं है।

आगरा डिवीजन आर0 जे0 ई0 तथा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

67-डाक्टर बंगाली सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 4 जनवरी, 1989 को जो शिकायतें आगरा डिवीजन आर0 जे0 ई0 तथा पुलिस अधिकारियों के बारे में उनको एवं पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को दी थी, उनके आधार पर दोषी अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी-

मामले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अपराध अनुसंधान विभाग को जांच सौंप दी गयी है, जो अभी पूर्ण नहीं हुयी है।

68-श्री अर्जुन सिंह यादव-

[6वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मिर्जापुर दुद्धी कस्बे के हरिजन श्री गोविन्द के घर की सुरक्षा

69-श्री विजय सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि यदि किसी हरिजन का घर 30 जून, 1985 के पूर्व से किसी ग्राम समाज की भूमि पर बना हुआ है तो उसे किसी भी दशा में बेदखल नहीं किया जाएगा इस आशय का शासनादेश उ0 प्र0 सरकार द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो जनपद मिर्जापुर के दुद्धी कस्बे में आराजी नं0 636 पर करीब 20-25 वर्षों से घर बना कर रह रहे गोविन्द हरिजन का घर दिनांक 29-6-86 को किस आधार पर गिरवा दिया गया ? क्या मंत्री जी इस मामले की विस्तृत जांच कराकर यह सुनिश्चित करायेंगे कि घर का शेष भाग निकट भविष्य में नहीं गिराया जाएगा ?

श्री माता प्रसाद-

जी हां ।

जनपद मिर्जापुर तहसील दुद्धी के कस्बे में भूखण्ड संख्या-636 अ व 636 ब

स्थित है । भूखण्ड संख्या–636 ब पर गोविन्द हरिजन का मकान 20-25 वर्षों से बना हुआ है और उसी में वह अब भी आबाद है । श्री गोविन्द ने 636 अ जो श्री रूप चन्द्र सिंह पुत्र श्री श्यामा सिंह निवासी ग्राम दुद्धी के नाम भूमिधरी है, पर एक मकान बनवाना चाहते थे, जिसको अतिरिक्त सिविल जज मिर्जापुर के आदेशों के अनुपालन में न्यायालय मुन्सिफ, दुद्धी ने अपने आदेश द्वारा गिरवा दिया तथा विवादित भूमि पर श्री रूप चन्द्र सिंह को कब्जा दिला दिया । मकान गिर चुका है, अतएव मकान के शेष भाग को गिराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील दुद्धी के कतिपय अनुसूचित जातियों के कब्जे वाली भूमि को भौमिक अधिकार दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

70–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दक्षिणांचल के 12 अनुसूचित जातियों के काश्तकारों के कब्जे वाली भूमि पर भौमिक अधिकार देने हेतु कोई शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश के तहत जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के किन-किन गांवों के कितने काश्तकारों को भूमि के भौतिक अधिकार दिये गये ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाक 24-3-86 मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है, परन्तु अधिसूचना दिनांक 15-4-87 जारी की गयी है, जिसके तहत जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 131–ब बढ़ाकर यह प्राविधान कर दिया गया है कि धारा 132 और 133-क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जोत और कब्जे में जिला मिर्जापुर के कैमूर रेंज के दक्षिण भाग में 30-6-78 के पूर्व से, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अधीन अधिसूचित भूमि से भिन्न कोई ऐसी भूमि हो जो धारा 117 के अधीन किसी गांव सभा में निहित हो या राज्य सरकार को हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो गया समझा जायगा ।

जनपद मिर्जापुर तहसील दुद्धी में 31-1-89 तक 6833 व्यक्तियों को ऐसे अधिकार दिये जा चुके हैं । जहां तक गांवों का ब्यौरा दिये जाने का प्रश्न है इस समय सम्भव नहीं है, क्योंकि इस सूचना को एकत्र करने में बहुत समय लगने की सम्भावना है । प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-86 प्राप्त हुआ है । जिस पर उपरोक्त प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

जनपद गोरखपुर में सरैया शुगर मिल सरदार नगर द्वारा पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में मार्गों पर खड़ंजा एवं पुलिया निर्माण करने की मांग

71–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में सरैया शुगर मिल, सरदारनगर द्वारा गन्ना क्षेत्रों में सड़कों पर खड़ंजा एवं पुलिया बनाने के लिए

गन्ना विकास परिषद् सरदारनगर को गन्ने की सप्लाई पर कमीशन एवं सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वर्ष 85-86, 86-87 में कितना धन दिया गया एवं वह धन किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया ? वर्ष 1985-86, 86-87 में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में किन-किन मार्गों पर खड़ंजा एवं पुलिया निर्माण कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सरैया शुगर मिल, सरदार नगर द्वारा वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में गन्ना विकास परिषद् सरदार नगर को गन्ने की सप्लाई पर कमीशन के रूप में क्रमशः 1,31,180·12 तथा रु0 1,52,536·50 पैसे दिया गया तथा सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य के लिए परिषद् को कोई राजकीय अनुदान नहीं प्राप्त हुआ । वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में प्राप्त धन का व्यय स्थापन व्यय, कार्यालय आकस्मिक व्यय, पुस्तक पुस्तिकाएों एवं समाचार पत्र सामूहिक वाद, विज्ञापन सेटेज चार्जेज, स्टेशनरी, जीप गाड़ी पर अंशदान, परिषद् जीप तथा अन्य मदों पर किया गया है । वर्ष 1985-86 में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामपुर–किशनटेउरी मार्ग पर एक पुलिया का निर्माण कराया गया । इसके अतिरिक्त धनाभाव के कारण वर्ष 1985-86 एवं 86-87 में किसी सड़क पर खड़ंजा एवं पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है ।

जनपद गोरखपुर में चीनी आयुक्त कार्यालय के सेवा निवृत्त श्री रामहरी को पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान

72–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामहरी पुत्र त्रिलोक सहाय चीनी आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर में पत्रवाहक के स्थान से 31-5-86 को रिटायर हो गए थे ? यदि हां, तो क्या उनको ग्रेच्युटी एवं पेंशन दिलायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको ग्रेच्युटी एवं पेंशन दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

श्री राम हरी को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तथा ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ।

73–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

हरिजनों को जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था

74–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि हरिजनों को जाति प्रमाण पत्र लेने में अधिक कठिनाई तथा हरिजनों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रमाण-पत्र उनके ग्रामों में तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ लेखपालों द्वारा उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी नहीं । जाति प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा देने की वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों की जांच लेखपाल तथा प्रधान से कराये जानेके उपरान्त संबंधित व्यक्तियों को दिए जाते हैं और उनके हस्ताक्षर रजिस्टर पर प्राप्त किए जाते हैं । प्रार्थना-पत्रों पर कोई न्यायिक शुल्क नहीं लिया जाता है । अतः आर्थिक कठिनाई का कोई प्रश्न नहीं है । वर्तमान प्रक्रिया में शिथिलता दिए जाने से फर्जी प्रमाण-पत्रों के जारी होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

जनपद बांदा की फतेहगंज पुलिस चौकी के तत्कालीन इंचार्ज के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

75–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक–ए/137/गृह/88, दिनांक 20-1-88 के साथ संलग्न श्री दादू भाई पुत्र श्री छोटे लाल ग्राम बघेलावारी थाना बदौसा का पत्र पुलिस चौकी फतेहगंज बांदा के तत्कालीन चौकी इंचार्ज फतेहगंज के विरुद्ध प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री दादू भाई पुत्र छोटेलाल निवासी बघेलावारी थाना बदौसा के शिकायती पत्र दि0 29-12-87 की जांच से पाया गया कि दि0 15-12-87 को श्री निहाल सिंह उप निरीक्षक चौकी इन्चार्ज फतेहगंज ने प्रार्थी के ट्रैक्टर पर लदी नाजायज लकड़ी एवं पेड़ काटने के संबंध में अभियुक्त नवल पुत्र बाबूलाल, कमलेश पुत्र तेराही, देव कुमार पुत्र दीनबन्धु सियाराम पुत्र कल्लू कुमी निवासी बघेलावारी थाना बदौसा के विरुद्ध थाना बदौसा पर मु0अ0सं0 190/87 धारा 379/411 भा0 दं0 वि0 व 4/10 वन संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा । जब श्री निहाल सिंह पुलिस उप निरीक्षक से उसके ट्रेक्टर एवं उसके सहयोगियों को अपराध में सम्मिलित होने के कारण कोई रियायत नहीं मिली, तो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में रंजिश वश झूठा आरोप लगाये । दादू भाई के विरुद्ध लगभग 21 मुकदमे डकैती, लूट, चोरी, बलवे व गिरोहबन्दी के दर्ज हैं और थाना फतेहगंज का बी क्लास का सक्रिय हिस्ट्रीशीटर है । उप निरीक्षक के विरुद्ध गिरोह से मिले होने एवं पनाह देने के संबंध में कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ ।

जनपद फैजाबाद के मालीपुर थाने के शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

76–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 28 जून, 88 को जनपद फैजाबाद मालीपुर थाने की शिकायत के संबंध में था और जिसकी प्राप्ति की सूचना शासन के पत्र संख्या सी0 एम0 वि0 का/एम-2/10-7फै/88, दि0 1 जुलाई, 88 द्वारा की गयी है, की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई है और अब तक आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इटावा के थानाध्यक्ष बेला के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

77–श्री आसान सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 20-7-1988 थानाध्यक्ष बेला, जनपद इटावा तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के जांच विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-7-1988 शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, विधूना, इटावा द्वारा कराई गई । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

श्री गोवर्धन काला प्रतिसार निरीक्षक इटावा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

78–श्री आसान सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 13-4-88 जो श्री गोवर्धन काला प्रतिसार निरीक्षक, इटावा के विरुद्ध दिया गया था, के सम्बन्ध में अद्यावधिक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक की जायेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

यह सच है कि श्री गोवर्धन काला प्रतिसार निरीक्षक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का दिनांक 13-4-1988 का पत्र प्राप्त हुआ । पत्र में आरोपित बिन्दुओं पर जांच करायी गयी और जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जनपद फैजाबाद में प्रश्नकर्ता पर हुए प्राणघातक हमले से सम्बद्ध कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की मांग

79–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता पर दिनांक 10-11-88 को मुकदमें में नामजद अभियुक्त पवन पाण्डेय, राधेश्याम, छोटे पाण्डेय, महेन्द्र सिंह, प्रेम सिंह उर्फ पप्पू का पूर्व अपराधिक इतिहास है ।? यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ? क्या जिला प्रशासन सार्वजनिक रूप से शान्ति और व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कोई निरोधात्मक कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां, दिनांक 10-11-88 को प्रश्नकर्ता के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के संबंध में थाना कोतवाली अकबरपुर में मु0 अ0 सं0 527/88 धारा 147/148/149/307 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ था ।

पंजीकृत मुकदमें में नामजद अभियुक्त पवन पाण्डेय, राधेश्याम, छोटे पाण्डे, महेन्द्र सिंह, प्रेम सिंह उर्फ पप्पू का पूर्व अपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा संलग्न है ।

जिला प्रशासन सार्वजनिक रूप से शान्ति और व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध रा0 सु0 का0 की कार्यवाही कर चुका है ।

मु0 अ0 सं0 527/88 में समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/148/149/307 भा0 द0 वि0/5 इक्स0 एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र दिनांक 18-11-88 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 203-204 पर)

80—श्री विष्णु देव—

[दिनांक 14-3-89 को अता0 प्र0 सं0 172 द्वारा उत्तरित]

जनपद इटावा के तत्कालीन एस0 पी0 श्री जी0 के0 शुक्ल का निलम्बन

81—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि इटावा के तत्कालीन एस0 पी0 (श्री जी0 के0 शुक्ल) को जून, 1984 में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो इनको किस आरोप पर निलम्बित किया गया था ? क्या श्री शुक्ल दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो शिकायत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां । ग्राम अस्ता के लोगों की जानमाल एवं सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में अकर्मण्यता व लापरवाही बरतने के आरोप में श्री जी0 के0 शुक्ल को निलम्बित किया गया था । श्री शुक्ल विभागीय कार्यवाही के उपरान्त दोषी पाए गये और उन्हें आल इण्डिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एन्ड अपील) रूल 1969 के रूल 6/1/(क)(1)/ उल्लिखित दण्ड राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24-7-89 द्वारा प्रदान किया गया था । राज्य सरकार के इस आदेश के विरुद्ध श्री जी0 के0 शुक्ल ने केन्द्रीय प्रशासनाधिकरण इलाहाबाद बेन्च इलाहाबाद ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । केन्द्रीय प्रशासनाधिकरण ने श्री शुक्ल की प्रार्थना स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया । राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रशासनाधिकरण के आदेश के अनुपालन में अपने आदेश दिनांक 24-7-89 को निरस्त कर दिया गया । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के सहायक बिक्रीकर आयुक्त (शा) द्वारा वनस्पति घी के व्यापारियों की फर्मों का अनुमोदन किया जाना

82—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय से जारी परिपत्र संख्या एस0 एस0 विभागीय मीटिंग 1981-82-1096/मुख्यालय दिनांक 9-2-82 द्वारा वनस्पति घी के करदाताओं का नया पंजीयन स्वीकृत करने से पूर्व सहायक आयुक्त (शा) का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश किया गया था ? यदि हां, तो लखनऊ के सहायक आयुक्त (शा) ने ता0 9-2-82 से 16-3-85 तक की अवधि में कितने वनस्पति घी के व्यापारी के पंजीयन का अनुमोदन दिया है ? इनमें से कितने फर्जी निकले ? फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

उपलब्ध सूचनानुसार सहायक आयुक्त (शा0) बिक्रीकर लखनऊ ने दि0 9-2-82 से 16-3-85 तक की अवधि में लखनऊ के निम्नांकित 6 व्यापारियों के पंजीयन का अनुमोदन किया :-

1-सर्वश्री हरी किशन ओम प्रकाश, गड़बड़झाला, लखनऊ ।
2-सर्वश्री हरद्वारीलाल दिलीप कुमार, गड़बगड़झाला, लखनऊ ।
3-सर्वश्री वनस्पति एजेंसी, गड़बड़झाला, लखनऊ ।
4-सर्वश्री गर्ग ट्रेडर्स, सुन्दरबाग, लखनऊ ।
5-सर्वश्री सिंघल ट्रेडर्स, सुन्दरबाग, लखनऊ ।
6-सर्वश्री मोतीलाल एंड संस, गुइनरोड, लखनऊ ।

रायबरेली तथा बाराबंकी के संबंध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।
उपर्युक्त 6 फर्मों में से कोई फर्म फर्जी नहीं पाई गई ।
प्रश्न नहीं उठता ।

83-श्री सूर्य प्रताप शाही-

[दि0 7-3-89 को अता0 प्र0 सं0 45 द्वारा उत्तरित]

जनपद देवरिया के पड़रौना में बस डिपो स्थापित करने की जानकारी की मांग

84-श्री बालेश्वर-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व में पड़रौना जनपद देवरिया में बस डिपो कायम हुआ था और वर्ष 1987 के शुरुआत में कुछ बसें पड़रौना डिपो के नाम से चलायी गयी साथ ही फोरमैन तथा संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पड़रौना डिपो के नाम से बसों का संचालन बन्द कर दिया गया और संबंधित कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार-

जी नहीं ।

पड़रौना जनपद देवरिया में बस डिपो नहीं कायम हुआ था । वर्ष 1987 के शुरुआत में पड़रौना डिपो के नाम से कोई निगम बस संचालित नहीं किया गया था और न ही किसी फोरमैन एवं अन्य कर्मचारी की नियुक्ति ही की गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में देवरिया पड़रौना लाइन पर नयी बसें संचालित करने की मांग

85-श्री बालेश्वर-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया डिपो में कुल कितनी बसें चलती हैं और उनमें कितनी नई और कितनी पुरानी बसें हैं ? क्या यह सत्य है कि ज्यादातर पुरानी बसें देवरिया पड़रौना लाइन पर चलती हैं ? क्या मंत्री जी पुरानी एवं खराब की जगह पर नयी बसें देने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रसाद कुमार–

देवरिया डिपो में कुल 123 बसें हैं। वर्षवार मांडल की स्थिति निम्नलिखित है:–

1974	3
1975	5
1976	5
1977	5
1978	4
1979	6
1980	5
1981	16
1982	3
1983	3
1984	3
1985	17
1986	9
1987	5
1988	24
1989	7

कुल — 123

देवरिया पड़रौना मार्ग पर 8 बसों का संचालन है तथा संचालित बसों की वर्षवार माडल की स्थिति निम्नवत है :—

1974	1
1976	1
1977	1
1981	2
1985	2
1988	1

कुल — 8

जब पुरानी बसें निष्प्रयोज्य हो जाती हैं तो उन्हें निर्धारित नीति के अनुसार नीलाम कर नई बसों से बदल दिया जाता है और यह प्रक्रिया चालू है ।

श्री नवरतन लाल सेवा निवृत्त लेखपाल तहसील महराजगंज जनपद गोरखपुर के अनुग्रन्य देयों का भुगतान

86–श्री जनार्दन प्रसाद अोझा–

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि श्री नव रतन लाल लेखपाल हल्का नं0 103 महाराजगंज गोरखपुर से वर्ष 1974 में सेवा निवृत्त हुये और उन्हें उस समय

तत्कालीन परगनाधिकारी महाराजगंज की टिप्पणी के हिसाब से रुपया 33894.25 पैसा पाना था ? इतनी अवधि के बाद उक्त धनराशि के भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री माता प्रसाद–

श्री नवरतन लाल, सेवानिवृत्त लेखपाल तहसील महराजगंज जनपद गोरखपुर को रु0 33894.25 की कोई धनराशि देय नहीं थी । उन्हें अनुमन्य देयों का भुगतान किया जा चुका है ।

बिक्रीकर विभाग की अदो चेक पोस्ट की जमीन पर अवांछनीय तत्वों द्वारा कब्जा करके अवैध निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

87–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर विभाग की अदो चेक पोस्ट की सरकारी जमीन पर अवांछनीय तत्वों ने कब्जा करके अवैध निर्माण करा लिया है और इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 245 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 22-5-87 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

सूचना प्राप्त होते ही कार्यवाही की गई तथा अवैध कब्जा की गयी भूमि के बदले में भूस्वामी से क्षतिपूर्ति के रूप में विभागीय भूमि से लगी भूमि पर दि0 31-3-87 को रजिस्ट्री कराकर नियमानुसार कब्जा किया जा चुका है । इस प्रकार अवैध कब्जे की जमीन की क्षतिपूर्ति करा ली गई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद कस्बा दादरी के निवासी श्री शिव चरण हरिजन, द्वारा भूमि बेचने के सम्बन्ध में परगनाधिकारी दादरी का आदेश निरस्त करने की मांग

88–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिव चरण हरिजन, निवासी कस्बा दादरी, जनपद गाजियाबाद द्वारा खाता नं0 719 रकबई 1-1-5, 691 रकबई 0-13-0, 873, 3-3-0 कुल रकबा 4-17-3 को बेचने की अनुमति जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा निरस्त किये जाने के बाद तत्कालीन परगनाधिकारी दादरी द्वारा दिनांक 1-10-86 को दादरी के चकबन्दी प्रक्रियाओं के चलते आबादी घोषित किये जाने का क्या कारण है ? क्या चकबन्दी प्रक्रियाओं के चलते राजस्व न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कार्य करता रहता है ?यदि नहीं, तो क्या तत्कालीन परगनाधिकारी दादरी का आदेश शासन द्वारा निरस्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम बहरामपुर आराजी नं0 701 को कब्जा दिलाने की मांग

89–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम बहरामपुर में आराजी नं0 701 रकबा 14 डिसमिल भूमि प्रबन्धक समिति बहरामपुर द्वारा दिनांक 28-5-77 को श्री राम बचन लाल हरिजन पुत्र श्री सन्हू ग्राम बहरामपुर को बाबा साहब अम्बेदकर स्मारक एवं शिव मंदिर हनुमान मंदिर निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या नं0-4 द्वारा दिया गया था ? जिसकी स्वीकृति परगनाधिकारी सदर गोरखपुर द्वारा 23-8-1978 को दे दी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर श्री राम बचन को कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां। परन्तु इस प्रस्ताव की स्वीकृति परगनाधिकारी सदर गोरखपुर द्वारा नहीं की गई थी ।

खतौनी 1385-90 फ0 में तत्कालीन लेखपाल ने आराजी नं0 701 पर शिव मंदिर हनुमान मंदिर एवं डा0 अम्बेदकर पुस्तकालय का नाम दर्ज होने का फर्जी आदेश अंकित किया था, जबकि वास्तव में उक्त आराजी का रकबा 0.14 डि0 श्री राजदेव पुत्र भागीरथी निवासी बहरामपुर के नाम श्रेणी-3 अंकित है । अतः राम बचन को कब्जा दिलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

90–श्री यदुनाथ सिंह–

[8वें मंगल के लिये स्थगित]

जनपद बलिया के थाना क्षेत्र नगरा ग्राम सभा पन्द्रवार दुगौती के ग्राम प्रधान श्री महेश चौहान की हत्या की गुप्तचर विभाग से जांच कराने की मांग

91–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के थाना क्षेत्र नगरा में ग्राम सभा पन्द्रवार दुगौती के ग्राम प्रधान श्री महेश चौहान की हत्या दिनांक 3 दिसम्बर, 1988 को हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हत्या की जांच गुप्तचर विभाग से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी –

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार घटना से संबंधित अभियोग में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/148/149/302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 24-2-89 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । चूंकि अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है, अतः गुप्तचर विभाग से जाच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद हमीरपुर की तहसील राठ के ग्राम पुरैनी में ग्राम समाज व सीलिंग की भूमि का भूमि-हीन हरिजनों में आवंटन करने की मांग

92–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के तहसील राठ के ग्राम पुरैनी

में ग्राम समाज व सीलिंग की कितनी भूमि भूमिहीनों को आवंटन हेतु शेष है और यह भूमिहीन हरिजनों को कब तक आवंटित हो जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत ग्राम में गांव सभा तथा सीलिंग की कोई भी कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु अवशेष नहीं है ।

जनपद हमीरपुर की तहसील राठ के ग्राम पुरैनी में भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन

93–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर की राठ तहसील के ग्राम पुरैनी में वर्ष 1985 से 11 नवम्बर, 87 तक कितने भूमिहीनों को भूमि के पट्टे हुये ? क्या यह सही है पात्रता का ध्यान देकर भूमि के पट्टे किये गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रकरण की जांच जनपद के किसी उच्च अधिकारी द्वारा मौके पर करवाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?यदि हां, तो कब तक ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत ग्राम में उक्त अवधि में कुल 33 (तैंतीस) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि के पट्टे नियमानुसार पात्रता के आधार पर किये गये हैं ।,

उक्त पट्टे पात्रता के अनुसार ही किये गये हैं । दिनांक 16-10-87 को सीलिंग की 2.59 एकड़ अतिरिक्त भूमि के संबंध में आवंटन का प्रस्ताव अनियमित पाये जाने के कारण परगनाधिकारी द्वारा निरस्त करके पुनः पात्र व्यक्तियों को आवंटन कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परगनाधिकारी, राठ द्वारा की गयी जांच से यह पाया गया कि आवंटन पात्र व्यक्तियों को ही किया गया है ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम करतल के कतिपय हरिजनों के पत्र के साथ भूमि के पट्टों की नाप तथा कब्जों के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

94–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ए/58/राजस्व/87 दिनांक 4-10-87 बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम करतल के श्री भवनियां हरिजन तथा श्री बिन्दा हरिजन पुत्र श्री गनेशा हरिजन एवं श्री झुनारे हरिजन तथा ग्राम रानीपुर के श्री श्याम हरिजन के पत्र के साथ भूमि के पट्टों की नाप तथा कब्जों के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्न पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

1–ग्राम करतल के श्री भवनियां पुत्र विश्वनाथ के नाम 3-21 एकड़ भूमि पट्टे की दर्ज है । चकबन्दी में इसका चक नम्बर 247/0-02, 248/0-02, 263/02, 264 "ख" 3-15 का बना है । जो मौके पर नाप कर बता दिया गया है । भूमि पती पड़ी है । पट्टेदार जोतता-बोता नहीं है । अन्य किसी का कब्जा नहीं है ।

2—श्री बिन्दा पुत्र गनेशा हरिजन के नाम 1-08 एकड़ भूमि है जो चक 2633 "ग"/1-08 है । इसे मौके पर नापकर बता दिया गया है । भूमि बोयी जोती जाती है परन्तु खराब होने के कारण वह दूसरी भूमि चाहता है ।

3—श्री झुनारे पुत्र सावले हरिजन के नाम भूमि नहीं है । दि0 18-3-88 को पट्टे देने हेतु एक प्रस्ताव किया गया था । वह अनियमित होने के कारण परगना अधिकारी नरैनी द्वारा निरस्त कर दिया गया है । पुनः प्रस्ताव 12-12-88 को कराया गया है जिसमें प्रार्थी का पट्टा प्रस्तावित है ।

4—ग्राम-बिल्हरका के पुरवा रानीपुर के श्री श्याम पुत्र अधीन के नाम चकबन्दी के पूर्व 13-10-0 बीघा भूमि थी जिसको मौके पर नापकर कब्जा-दखल दे दिया गया था । चकबन्दी के बाद प्रार्थी के नाम 4-62 एकड़ भूमि है जिसपर उसका कब्जा दखल पहले से है । लेखपाल द्वारा पुनः सीमांकन करा दिया गया है । कोई विवाद नहीं है ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम करतल के कतिपय व्यक्तियों के पत्र के साथ भूमि के पट्टों की नाप के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

95—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ए/57/राजस्व/87 दिनांक 14-10-87 का बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम करतल के श्री श्रीकेश हरिजन तथा श्री घिरौली कुम्हारा ग्राम बहेरी व श्री बाबू लाल साहू व श्री घिरावल आदि के पत्र के साथ भूमि के पट्टों के नाप तथा कब्जा आदि के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्न पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां, ग्राम करतल में श्रीकेश (हरिजन) नाम का कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि श्रीकेश पुत्र चुनवाद कहार है । उसे पट्टा दिनांक 18-3-88 की बैठक में प्रस्तावित हुआ था, जो अनियमित होने के कारण निरस्त कर दिया गया । वर्तमान भूमि प्रबन्धक समिति ने इस व्यक्ति के नाम पट्टा प्रस्तावित नहीं किया है क्योंकि यह भूमि हीन खेतिहर मजदूर नहीं है बल्कि पान की दुकान करता है ।

श्री घिरौली कुम्हार सा0 ग्राम बहेरी ने पुनः पैमाइश तथा पट्टा दिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है । जांच से यह पाया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति, बहेरी द्वारा 49 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी तथा आवंटित भूमि पर सभी आवंटियों को पैमाइश करके कब्जा दखल दे दिया गया था । तद्नुसार घिरौली मौके पर काबिज दाखिल है ।

श्री बाबूलाल साहू पुत्र श्री रामनाथ साहू ग्राम बहेरी ने आवास हेतु भूमि दिये जाने की प्रार्थना की है । प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गई । जांच में यह पाया गया कि श्री बाबू लाल के पास पर्याप्त भूमि आवास हेतु उपलब्ध है और वह पात्र व्यक्ति नहीं है ।

जनपद गोंडा के थाना पचपेड़वा के ग्राम भाथर श्री सोमई प्रसाद हरिजन के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

96—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-1-88 जिसके साथ श्री सोमई प्रसाद हरिजन निवासी ग्राम माथर थाना पचपेड़वा जनपद गोंडा का प्रार्थना-

पत्र संलग्न है और जिसकी प्राप्ति की सूचना अर्ध शा0 प0सं0 एम0 एल0 177/88 गो0-7, गोपन अनु0- 7, दिनांक 29 जून, 1988 द्वारा दी गई है, की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? क्या जांच करने वाले अधिकारी ने उत्पीड़ित हरिजन का भी बयान लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

श्री सोमई के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर जांच श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन-क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर द्वारा कराई गई ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र का संबंध थाना पचपेड़वा पर दर्ज मु0 अपराध संख्या-34/88 अन्तर्गत धारा 302 भा0 द0 वि0 से था जिसकी विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । अतः उक्त प्रार्थना-पत्र सी0 आई0 डी0 को जांच हेतु भेज दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद में लेखपाल व राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी करके धन कमाने के संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

97–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में लेखपालों और अन्य राजस्व अधिकारियों की साजिश से बड़े पैमाने पर राजस्व अभिलेखों में वर्ग-4 का इन्द्राज करके हर क्षेत्र में लाखों रुपये की अवैध कमाई की गयी है और इस तथ्य की शिकायत मिलने पर पुरी जानकारी होने पर जिलाधिकारी फैजाबाद ने समूचे जनपद में वर्ग-4 का इन्द्राज खारिज करने का आदेश तो दे दिया है लेकिन संबंधित दोषी लेखपालों और अधिकारियों के विरुद्ध अन्य कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और दोषी लोगों को दण्डित न करने का कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि अभी भी शासनादेश के विपरीत काफी संख्या में लेखपाल अपनी ही गृह तहसीलों में तैनात हैं ? यदि हां, तो शासनादेशों का सख्ती से पालन न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में गोसाईंगंज थाने में विच्छेदित टेलीफोन को चालू किया जाना

98–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में गोसाईंगंज थाने का टेलीफोन लगभग 5 वर्षों से विच्छेदित है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन दोषी है और टेलीफोन को अभी तक दुबारा न लगवाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद फैजाबाद में थाना गोसाईंगंज का टेलीफोन समय से बिल जमा न होने के कारण दिनांक 11-9-1986 को विच्छेदित कर दिया गया था । इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में जांच की जा रही है । जांचोपरान्त अवगत कराया जायेगा । टेलीफोन का बिल दिनांक 4-3-89 को जमा कर दिया गया है और टेलीफोन फिर से चालू हो गया है ।

सचिवालय के निःसंवर्गीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विशेष वेतन देने की मांग

99–श्री राम पाल वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 6089/20-ई-1, दिनांक 6-10-1987 द्वारा सचिवालय में अथवा उसकी परिधि में कार्यरत कर्मचारियों को सचिवालय विशेष वेतन पहले 30.00 रुपया अब 60.00 रुपया स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो सचिवालय परिधि का क्या तात्पर्य है ? क्या प्रश्नगत शासनादेश के अनुसार विभिन्न शाखाओं के अधीन मूलतः सृजित सचिवालय निःसंवर्गीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को भी सचिवालय विशेष वेतन दिया जायेगा जिसके नियुक्ति पत्र संबंधित शाखा के सचिव द्वारा निर्गत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6089/20-ई-1-513/87 दिनांक 6 अक्टूबर, 1987 द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित पदों पर कार्यरत सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को रु0 30 प्रति मास की दर से सचिवालय विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था ।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6834/20-ई-1-88-515(1)/88 टी0 सी0, दिनांक 4 अक्टूबर, 1988 द्वारा उसमें उल्लिखित पदों पर कार्यरत सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उक्त सचिवालय विशेष वेतन दिनांक 1 जनवरी, 1987 से रु0 60/- प्रति माह की दर से पुनरीक्षित किया गया । उक्त दोनों आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है । उक्त आदेशों में "सचिवालय परिधि" का उल्लेख है ही नहीं, अतः उसके तात्पर्य का प्रश्न नहीं उठता । प्रश्नगत सचिवालय बिशेष वेतन संलग्न आदेशों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के उसमें उल्लिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को अनुमन्य नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 205-208 पर)

100–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम स्टीलिंग मशीन टूल्स मुकदमे के संबंध में पत्र पर मांगी गयी जानकारी

101–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 97 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 469, सचिव, संस्थागत को तारीख 14-8-87 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय विधायक का पत्र संख्या–469/1987 लोकदल (अ) दिनांक 14-9-87 प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र में माननीय विधायक ने अपने पूर्व पत्र संख्या–359/लो0द0/85, दिनांक 5-11-85 में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। माननीय विधायक के इस पत्र संख्या–359/लो0 द0/85 पर आयुक्त, बिक्रीकर से आख्या मांगी गई थी। प्राप्त आख्या पर विचारोपरान्त कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना मांगी गई है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

102–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

103–श्री यदुनाथ सिंह–

[दि0 28-2-89 को अता0 प्र0 सं0 61 द्वारा उत्तरित]

फर्म बी0 आर0 हरमेन एण्ड मोडहा प्रा0 लि0, बाराबंकी के गलत रिकवरी के सम्बन्ध में स0 वि0 प0 के पत्र पर कार्यवाही

104–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म वी0 आर0 हरमन एण्ड मोडहा प्रा0 लि0, बाराबंकी के विरुद्ध गलत रिकवरी निकालने के बारे में विधान परिषद् सदस्य खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या–906 सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 18-8-88 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच करायी गई। जांचोपरान्त ज्ञात हुआ कि करदाता पर आदेश की तामीली फर्म के नाम व सही पते पर पंजीकृत डाक द्वारा की गई थी, लेकिन करदाता की ओर से अपनी सहयोगी फर्म मोहडा एण्ड हैकिल्स लि0 की मुहर लगाकर कर प्राप्ति स्वीकार की गयी थी।

जहां तक व्यापारी को फ्री आफ कास्ट कापी दिए जाने का प्रश्न है, उक्त कापी दिल्ली के पते पर आदेश की तामीली होने के कारण अस्वीकार कर दी गयी थी। संबंधित न्यायालय द्वारा वसूली स्थगित करने के बाद वसूली प्रमाण-पत्र दिल्ली से वापस आ गये हैं।

जनपद गोण्डा में मंजापुर रेलवे स्टेशन पर नयी गन्ना मिल लगाने की मांग

105–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में मंजापुर रेलवे स्टेशन पर नयी गन्ना मिल बनाने हेतु 1988 तक सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल की स्थापना से कितने तहसीलों के गन्ना किसान लाभान्वित होंगे? योजनानुसार मिल का कार्य कब तक पूरा कराया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद गोण्डा के मंजापुर रेलवे स्टेशन पर कोई भी चीनी मिल लगाने का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है और न ही कोई धनराशि 1988 तक व्यय की गई है। अतः शेष भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आयुक्त, बिक्रीकर बनाम त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स के वाद में निर्णय के संबंध में पत्र

106–श्री मूल चन्द्र–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0–102 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या 2817 वित्त राज्य मंत्री जी को दिनांक 29-10-86 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में संदर्भित माननीय विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या 2817 लोकदल दिनांक 25-10-86 प्राप्त हुआ । विचारोपरान्त उस पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई और उसे निक्षेपित कर दिया गया ।

107–श्री मूल चन्द्र–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

108–श्री मूल चन्द्र–

[दि0 28-2-89 को अता0 प्र0 सं0 151 द्वारा उत्तरित]

फर्म हरीश कुमार राजेन्द्र कुमार बनाम आयुक्त बिक्रीकर के निर्णय सम्बन्धी पत्र के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

109–श्री मूल चन्द्र–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0–148 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या–522 सचिव, संस्थागत वित्त को दिनांक 18-7-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में संदर्भित माननीय विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या 522 दिनांक 18-7-87 प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र पर आयुक्त, बिक्रीकर से आख्या मांगी गई है।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम खेड़ारठ में पाई गई लाशों की जानकारी

110–श्री विश्राम दास–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम खेड़ारठ में जुलाई, 1988 को तथा ग्राम विक्रमपुर में नवम्बर, 1988 को जो लाशें मिली उन पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की और मुल्जिमों को गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1988 में जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम

खेड़ारठ में माह जुलाई, 88 में तथा ग्राम विक्रमपुर में माह नवम्बर, 88 में कोई लाश नहीं मिली है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, राजस्व परिषद्, अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई को लिखे गये पत्र की जानकारी

111-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, राजस्व परिषद् अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा जिला अधिकारी, हरदोई को लिखे गये पत्र सं0 5187/2-संग्रह-23 बी (1)-186 दिनांक 17-8-88 एवं पत्र सं0 8001/2-संग्रह-69 बी/88 दिनांक 15 नवम्बर, 1988 पर क्रमशः क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद-

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्व0 श्री प्रेम चन्द्र भू0 पू0 परिचालक नगर बस डिपो, लखनऊ के आश्रित को श्री विष्णु कुमार मौर्या को नौकरी में लेने की मांग

112-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि स्व0 श्री प्रेम चन्द्र भू0 पू0 परिचायक, नगर बस डिपो, लखनऊ, जिनकी सेवा अवधि के दौरान दुर्घटना (एक्सडेंट) के फल-स्वरूप हुई मृत्यु के तहत आश्रित कोटे में उनके पुत्र श्री विष्णु कुमार मौर्या को दैनिक वेतन क्रम में लगभग एक माह पन्द्रह दिन की नियुक्ति प्रदान की गई और उसके बाद उसे सेवा से पृथक कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश सं0-6/12-1973-नियुक्ति-4, दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 के तहत (मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत) क्यों इनकी नियुक्ति नहीं की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार-

श्री प्रेम चन्द्र भू0 पू0 परिचालक नगर बस डिपो की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित पुत्र श्री विष्णु कुमार मौर्या को अवकाशकालीन रिक्तियों में मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत समायोजित कर परिचालक पद का कार्य लिया गया था। इन्होंने अपनी सेवा के सम्पूर्ण अवधि में केवल 94 दिन ही कार्य किया।

श्री मौर्या द्वारा परिचालित बस संख्या 9621 का मार्ग 29 पर थाना गाजीपुर के निकट ए0 आर0 एम0 द्वारा दिनांक 23-6-86 को 17.25 बजे निरीक्षण किये जाने पर बस में कुल 32 यात्री पाये गये जिनमें से 10 यात्री ऐसे थे जो कि इंदिरा नगर जा रहे थे तथा 1.50 पैसे प्रति यात्री के हिसाब से किराया दिया था, परन्तु श्री मौर्या ने उन्हें 1.50 पैसे के बजाय 50 पैसे के टिकट दिए थे।

इस अनियमितता के कारण सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (नगर बस) ने अपने आदेश दिनांक 26-6-86 द्वारा मृतक आश्रित श्री मौर्या को सेवा से पृथक कर दिया।

इनकी नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत की गयी थी।

113-श्री गोपी नाथ वर्मा-

[दि0 28-2-89 को अता0 प्र0 सं0 161 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा की सावित्री देवी विधवा लक्ष्मण सिंह निवासी विद्यानगर की किशन उर्फ लाला शिवचरण, हरिओम आदि के विरुद्ध शिकायत तथा कृत कार्यवाही

114–श्री बदन सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि सावित्री देवी विधवा लक्ष्मण सिंह निवासी 8/59ई/25 विद्यानगर थाना न्यू आगरा, जनपद आगरा ने किशन उर्फ लाला, शिवचरण, हरि ओम पुत्रगण बिहारी लाल निवासी विद्यानगर, न्यू आगरा के विरुद्ध अपराध संख्या 614/87 धारा 307 थाना न्यू आगरा, आगरा में दिनांक 12-11-87 को मुकदमा दर्ज कराया था ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती सावित्री देवी को जान से मारने के उद्देश्य से फायर करके घायल करने के संबंध में श्रीमती अनार देवी पत्नी श्री राधेश्याम निवासी विद्यानगर, थाना-न्यू आगरा ने दिनांक 12-11-87 को अभियुक्तगण किशन उर्फ लाला शिवचरन, हरिओम पुत्रगण बिहारी निवासी विद्यानगर तथा बृजकिशोर पुत्र बाबूराम, निवासी विद्यानगर के विरुद्ध सूचना अंकित कराई, जिसके आधार पर थाना न्यू आगरा पर मु0 अ0 सं0 18/87, धारा 307 भा0 द0 वि0 उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना से नामित अभियुक्तों में से अभियुक्त बृज किशोर का घटना में सम्मिलित होना नहीं पाया गया । शेष नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के काफी प्रयास करने पर भी न मिलने पर उनकी चल सम्पत्ति धारा 82/83 जा0 फौ0 के अंतर्गत कुर्क करके उनके विरुद्ध मफरूरी में दिनांक 19-5-88 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस के अधिक दबाव व प्रयासों के फलस्वरूप नामित अभियुक्त शिवचरन व हरिओम ने दिनांक 20-2-89 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जो जेल भेजे जा चुके हैं । शेष अभियुक्त किशन की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

115–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद आगरा व फिरोजाबाद के नवसृजित थानों के भवनों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

116–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा एवं फिरोजाबाद के थानों में नव सृजित थानों के भवन बनाने के लिए जो धन राज्य सरकार ने गत दो वर्षों में आवंटित किया, क्या वह धन नव सृजित थानों के भवन और अधिकारी व कर्मचारियों के आवास भवन बनाने पर व्यय हुआ ? यदि नहीं, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी जिन्होंने भवन बनाने की कार्यवाही नहीं की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

गत दो वर्षों में प्रश्नगत जनपदों में नवसृजित थानों के भवनों के निर्माण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के लेखपालों के स्थानान्तरण की मांग

117–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील नरैनी, जनपद बांदा में कितने ऐसे लेखपाल हैं जो अपनी गृह तहसील नरैनी में कार्यरत हैं ? यह कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा नियमानुसार इनका स्थानान्तरण तहसील से बाहर किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

तहसील नरैनी, जनपद बांदा के तीन लेखपाल अपनी गृह तहसील नरैनी में कार्यरत हैं । एक लेखपाल 5 वर्ष से तथा दो लेखपाल एक वर्ष से कार्यरत हैं । दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लेखपालों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश हैं । उक्त लेखपालों के स्थानान्तरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम करतल के कतिपय हरिजनों की भूमि व पट्टों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

118–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम करतल के श्री परदेशी पुत्र श्री लूसी हरिजन व श्री जौहरी पुत्र श्री सोना हरिजन व ग्राम सभा विल्हरका के मजरा रानीपुर के श्री राम लाल पुत्र श्री अधीन हरिजन व श्री शिव नारायन पुत्र श्री बल्दू हरिजन व श्री नथुवा पुत्र श्री बालगीर हरिजन के पत्र भूमि के पट्टों कब्जा व नाम के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक ग, 02719 दिनांक 15-10-87 के साथ प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री लखरू हरिजन ग्राम मोतिवारी तहसील नरैनी जनपद बांदा का पत्र पट्टे की भूमि नापने तथा कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

119–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ श्री लखरू हरिजन ग्राम मोतिवारी तहसील नरैनी जनपद बांदा का पत्र पट्टे की भूमि को नापने तथा उस पर कब्जा दिलाने के संबंध में 13 नवम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कब तक पट्टा नाम कर कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां । श्री लखरू पुत्र स्वामीदीन "उर्फ सोना" को ग्राम मौतियारी में 2.55 एकड़ भूमि का पट्टा किया गया था, जिस पर उसका कब्जा दखल है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की कर्बी तहसील के ग्राम चांदी के भूरा हरिजन को बेकार पड़ी भूमि का पट्टा देने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

120–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का संलग्न पत्र भूरा हरिजन ग्राम चांदी तहसील कर्बी जनपद बांदा के पत्र के साथ बेकार पड़ी भूमि में पट्टा करने के संबंध में दिनांक 13 नवम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो ग्राम चांदी में ग्राम समाज की कितने एकड़ भूमि शेष है तथा सीलिंग में कितने एकड़ भूमि निकली है और इस भूमि में भूमिहीन हरिजनों को कब तक भूमि के पट्टे देकर कब्जा दिलवा दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

ग्राम चांदी में सीलिंग की कोई भूमि नहीं है । ग्राम चांदी बांगर में ग्राम समाज की कृषि योग्य बंजर भूमि 5.44 एकड़ है जो 42 टुकड़ों में है। इसमें से 1.41 एकड़ भूमि में आबादी, तालाब व प्राइमरी पाठशाला स्थित है । शेष भूमि बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में होने के कारण पट्टे पर उठाने के योग्य नहीं है ।

प्रदेश में गन्ना किसानों के रक्षा हेतु कार्यरत गन्ना सहकारी बैंक

121–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए गन्ना सहकारी बैंक खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

प्रदेश में गन्ना किसानों एवं अन्य के हितों की रक्षा के लिए सहकारी बैंक एवं अनेक राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत हैं ।

जनपद गोरखपुर की सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 के पास अवशेष धन

122–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पिपराइच के शिक्षा मद में कटौती का धन 1984-85 से 9 नवम्बर, 87 तक किस-किस मद में व्यय किया गया है ? समिति के पास कोई धन शेष रह गया है ? तो वह कितना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पिपराइच जनपद गोरखपुर के शिक्षा मद

के 1984-85 से 9 नवम्बर, 87 तक की कटौती का धन किसी मद में व्यय नहीं किया गया है। समिति के पास उक्त मद में रु0 69456.44 शेष है।

जनपद गोरखपुर में पिपराइच शुगर मिल द्वारा गन्ना क्षेत्र में सड़कों पर खड़ंजा एवं पुलिया बनाने हेतु धन उपलब्धता का विवरण

123—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में पिपराइच शुगर मिल द्वारा गन्ना क्षेत्र में सड़कों पर खड़ंजा एवं पुलिया बनाने के लिए गन्ना विकास परिषद् पिपराइच को गन्ने की सप्लाई पर कमीशन एवं सरकार द्वारा अनुदान वर्ष 85-86 व 86-87 में कितना धन दिया गया और यह धन किन-किन कार्यों पर खर्च किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद गोरखपुर में पिपराइच शुगर मिल द्वारा वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 के गन्ना आपूर्ति पर गन्ना क्षेत्र के सड़कों पर खड़ंजा एवं पुलिया बनाने के लिए गन्ना विकास परिषद् को पृथक से कोई धन नहीं दिया गया और न ही सरकार द्वारा इन वर्षों में निर्माण कार्य हेतु कोई राजकीय अनुदान दिया गया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

124—श्री यदुनाथ सिंह—

[दि0 14-3-89 की अता0 प्र0 सं0 137 द्वारा उत्तरित]

श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा के शिकायती पत्र पर जांच की कार्यवाही

125—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 83 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 938 मा0 वित्त राज्य मंत्री को ता0 23-6-86 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

126—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम पंकज कुमार अनूप कुमार के संबंध में श्री यदुनाथ सिंह सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कृत कार्यवाही

127—श्री मूल चन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने निर्णय 9-10-87 सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या—1027/1986 आयुक्त, बिक्रीकर बनाम पंकज कुमार अनूप कुमार में दिया है और इस संबंध में विधायक श्री यदुनाथ सिंह

का पत्र संख्या–2030 मुख्य मंत्री को दिनांक 19-11-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

इस पत्र पर आयुक्त बिक्रीकर से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई । स्थिति यह विदित हुई कि प्रश्नगत व्यापारी पर वर्ष 1979-80 के लिए धारा 21 में रुपया 7750 कर आरोपित किया गया था । प्रथम अपील में कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की गई, किन्तु मा0 बिक्रीकर अधिकरण ने व्यापारी की द्वितीय अपील स्वीकार कर ली और कर निर्धारण आदेश रद्द कर दिया । द्वितीय अपील के आदेश के विरुद्ध न्याय विभाग के परामर्श से पुनरीक्षण दायर किया गया था जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया । इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई, जिसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है ।

उक्त पत्र में उठाया गया यह बिन्दु कि कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध धारा 10-ख में पुनरीक्षण क्यों नहीं दायर किया गया, किसी भ्रम पर आधारित है । कर-निर्धारण आदेश में तो व्यापारी पर कर लगाया गया था, जिसे विभाग द्वारा रद्द कराने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम फर्म टेको कास्ट इण्डस्ट्रीज मुरादनगर के सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह स0वि0स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

128–श्री मूल चन्द्र–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने निर्णय दिनांक 13-10-87 सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या-846/1986 आयुक्त, बिक्रीकर बनाम फर्म टेको कास्ट इण्डस्ट्रीज मुरादनगर में दिया है? इस सम्बन्ध में क्या विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या-2028 मुख्य मंत्री को दिनांक 19-11-88 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत रिवीजन संख्या-846/1986-आयुक्त बिक्रीकर बनाम टेक्नोकास्ट इण्डस्ट्रीज में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 30-10-87 को दिया गया था ।

जी हां ।

इस पत्र पर बिक्रीकर आयुक्त से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई । विदित हुआ कि व्यापारी पर वर्ष 1979-80 के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय बिक्रीकर क्रमशः रु0 23875.48 तथा रु0 2197.72 लगाया गया था । प्रथम अपील में प्रान्तीय कर घटाकर रु0 18275.48 निश्चित किया गया । प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध व्यापारी तथा विभाग दोनों के द्वारा द्वितीय अपील दायर की गई थी । मा0 बिक्री कर अधिकरण द्वारा व्यापारी की अपील 19-6-85 को स्वीकार कर ली गई और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय बिक्रीकर घटाकर क्रमशः रु0 13549.93 तथा रु0 1201.54 निर्धारित किया गया । विभागीय अपील 19-5-86 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दी गई ।

चूंकि द्वितीय अपील स्तर पर विभाग द्वारा दायर क्रास अपील की सुनवाई एक ... हीं हो पायी थी, जिसके लिए दोषी अधिकारी को दण्डित कर दिया गया अतः ... विजय ईंट उद्योग हाथरस के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की दृष्टि से उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया । इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

लखनऊ चिकीकर कार्यालय में कोयला के फर्जी व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की जांच के बारे में श्री अब्दुल वदूद खां सा0वि0प0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

129—श्री मूल चन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के सातवें मंगल के लिये निर्धारित अ0 ता0 प्रश्न संख्या-67 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या-545 पर आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ई0 ओ0 डब्लू0) द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम रहा? क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ई0 ओ0 डब्लू0) द्वारा की जा रही जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ठेकेदार सरजूलाला द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी को घूस देने का असफल प्रयास

130—श्री मूल चन्द—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि पहली नवम्बर, 86 को उन्नाव के तत्कालीन जिलाधिकारी को शराब के ठेकेदार सरजूलाला ने रु0 4,800 की घूस दी थी और जिलाधिकारी ने इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 1-11-86 को सायं 8 बजे के लगभग जिलाधिकारी उन्नाव के बंगले में स्थित कार्यालय में शराब के ठेकेदार सरजू लाला ने तत्कालीन जिलाधिकारी उन्नाव श्रीमती जयति चन्द्र को रिश्वत देने का असफल प्रयास किया । जिस पर जिलाधिकारी उन्नाव ने थाना कोतवाली में दिनांक 1-11-86 को मु0अ0सं0-596/86 धारा 165 (क) भा0दं0वि0 बनाम सरजू लाला पुत्र श्याम लाल जायसवाल के विरुद्ध पंजीकृत कराया ।

उपरोक्त मुकदमें की विवेचना श्री वी0पी0 सिंह तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बीघापुर द्वारा की गई । विवेचनोपरान्त आरोप पत्र दिनांक 30-12-86 को न्यायालय प्रेषित किया ।

उक्त स्पेशल ट्राइल नं0-1/87 राज्य बनाम सरजू प्रसाद अभियुक्त अंतर्गत धारा 161/165 भा0दं0वि0 एवं 5(ड) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय के विचाराधीन है ।

131–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मुरादाबाद में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एस0पी0ओ0) ज्येष्ठ वेतनमान की नियुक्ति की मांग

132–मोहम्मद आकिल (उर्फ मुन्ना मियां)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद के चार अभियोजन अधिकारी तथा 28 सहायक अभियोजन अधिकारी (एस0पी0ओ0) के पद हैं परन्तु यहां पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एस0पी0ओ0) ज्येष्ठ वेतनमान नियुक्त नहीं हैं? क्या यह सही है कि अन्य जनपदों आगरा, अलीगढ़, बरेली आदि में केवल दो अभियोजन अधिकारियों तथा 18 से 20 सहायक अभियोजन अधिकारियों पर एक वरिष्ठ अभियोजना अधिकारी (एस0 पी0 ओ0) ज्येष्ठ वेतनमान नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या मुरादाबाद जनपद में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एस0पी0ओ0) ज्येष्ठ वेतनमान की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । आगरा, अलीगढ़ व बरेली जनपद में क्रमशः 30, 26 एवं 20 सहायक अभियोजन अधिकारी तथा 4, 3 एवं 3 अभियोजन अधिकारी के पद सृजित हैं । उक्त तीनों जनपदों में एक-एक ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) स्वीकृत पदों पर नियुक्त हैं । जनपद मुरादाबाद में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) का पद सृजित नहीं है वरन् वहां ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण वेतनमान) का एक पद सृजित है जो वर्तमान में रिक्त है और उसे भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आगरा में स्थित आगरा बीकानेर मार्ग पर सड़क लूट की घटनाएं तथा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही

133–श्री बदन सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में स्थित आगरा बीकानेर मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 11) पर थाना पुलिस स्टेशन फतेहपुर सीकरी व अछनेरा सीमा के अन्तर्गत वर्ष 1988 में कितनी सड़क लूट की घटनायें हुई हैं? क्या यह सही है कि उक्त सड़क लूटों के अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़े गये हैं? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस थानाध्यक्षों के विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रथम सूचना के अनुसार आगरा बीकानेर मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग सं0-11) पर स्थित थाना पुलिस फतेहपुर सीकरी व अछनेरा सीमा के अन्तर्गत वर्ष 1988 में सड़क लूट की दो घटनायें एक थाना फतेहपुर सीकरी तथा दूसरी थाना अछनेरा की सीमा में क्रमशः दिनांक 23-11-88 तथा दिनांक 18-4-88 को घटित हुई थी ।

2–प्रथम घटना के संबंध में थाना फतेहपुर सीकरी पर दिनांक 23-11-88 को अपराध सं0 151/88, धारा 394/411 भा0द0वि0 4 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । एक अभियुक्त की घटना की तिथि को ही दुर्घटना के फलस्वरूप

मृत्यु हो गई थी । शिनाख्त होने पर मृतक अभियुक्त का नाम राजा उर्फ दुष्यन्त ज्ञात हुआ । विवेचना से दो अभियुक्त पप्पू उर्फ राम दत्त एवं वीरेन्द्र प्रकाश में आये । प्रयास करने पर गिरफ्तार न हो सकने के कारण उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 18-1-89 को धारा 82/83, जा0फौ0 की कार्यवाही की गई । अभियुक्त बीरेन्द्र ने दिनांक 23-1-89 को तथा पप्पू उर्फ राम दत्त ने दिनांक 27-1-89 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और उन्हें जेल भेजा गया । दिनांक 3-2-89 को उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया । शेष एक अज्ञात अभियुक्त की तलाश जारी है ।

3—दूसरी घटना के सम्बन्ध में थाना अछनेरा पर 2 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अ0 सं0 55/88, धारा 392, भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था । विवेचना से माल व मुल्जिम के पता न चल पाने पर मामले की विवेचना दिनांक 9-8-88 को अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई ।

मामले की विवेचना में कोई शिथिलता नहीं पायी गई ।

फर्म शीतला प्रसाद मोती लाल के अपील के निर्णय के विरुद्ध अपील न दायर करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

134—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म शीतल प्रसाद मोती लाल के वर्ष 74-75 के अपील निर्णय के विरुद्ध स्टेट द्वितीय अपील न दायर करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1402 उनको ता0 9-11-84 को व पत्र संख्या 361 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 10-6-87 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय विधायक के प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुए । उक्त पत्रों पर बिक्रीकर आयुक्त से तथ्यों की जानकारी की गई । स्थिति यह विदित हुई कि प्रश्नगत व्यापारी पर वर्ष 73-74 और 74-75 में क्रमशः रु0 4,945 तथा रु0 6,300 कर आरोपित किया गया था, जो प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 15-10-79 द्वारा क्रमशः घटकर रु0 3,775·12 तथा शून्य रह गया । वर्ष 73-74 के वाद में कोई द्वितीय अपील (जिसे पहले रिवीजन कहते थे) दायर नहीं की गई । केवल 74-75 के वाद में द्वितीय अपील दायर की गई थी, किन्तु द्वितीय अपील के मेमो में टंकण की त्रुटिवश वर्ष 73-74 टंकित हो गया । इस त्रुटि की जानकारी होने पर अधिकरण के समक्ष त्रुटि को संशोधित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधिकरण ने अस्वीकार कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर किया गया, जो उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया । यह मात्र टंकण की त्रुटि थी, जिसमें किसी की कोई दादाशयता नहीं थी और फलतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । चूंकि मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने ही व्यापारी को कर मुक्त घोषित कर दिया था, यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई राजस्व हानि हुई ।

जनपद लखनऊ में तैनात पदोन्नत डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर द्वारा आलीशान मकान बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

135–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में तैनात एक पदोन्नत डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर ने अपना आलीशान मकान बनाया है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का का पत्र संख्या 468 सचिव राजस्व विभाग को ता0 14-8-87 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मामले पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा का प्रश्नगत शिकायती पत्र शासन में प्राप्त हुआ है तथा उस पर जिलाधिकारी, लखनऊ से जांच करायी जा रही है।

136–श्री यदुनाथ सिंह–

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]।

सर्वश्री बन्दना ट्रेडर्स को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना तथा राजस्व के लिए उत्तरदायी अधिकारी

137–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर के बिक्रीकर अधिकारी खण्ड 13 ने फर्म बन्दना ट्रेडर्स हालसी रोड को वर्ष 81-82 में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया? यदि हां, तो क्या 1982–83 व 1983-84 के लिए भी पंजीयन नवीनीकरण किया गया था? वर्ष 81–82 व 82-83 के कर निर्धारण में प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितना कर लगा? कितने रुपयों की मांग निकाली गयी, बकाया में कितना वसूल हुआ? राजस्व की कितनी हानि हुई तथा कर निर्धारण कार्यवाही में किस-किस को मालिक भागीदार माना गया है? राजस्व की हानि के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं, वरन कानपुर के बिक्री-कर अधिकारी, खंड--13 ने फर्म सर्व श्री बन्दना ट्रेडर्स, को वर्ष 80 –81 में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया था। पंजीयन का नवीनीकरण वर्ष 81--82, 82–83 व 83–84 के लिये किया गया था।

व्यापारी के विरुद्ध आरोपित कर का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	आरोपित कर	वसूल किया गया कर	बकाया कर
80–81	शून्य	शून्य	शून्य
81–82	14,81,000	शून्य	14,81,000
82–83	15,00,000	शून्य	15,00,000
83–84	शून्य	शून्य	शून्य

वसूली प्रमाण पत्र जारी है।

व्यापारी को कोई फार्म 31 व फार्म (सी) जारी नहीं किया गया है । केवल सूचनाओं के आधार पर व्यापारी के विरुद्ध उक्त कर एक पक्षीय रूप से आरोपित किया गया है। अतः राजस्व हानि के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रुपपत्र 14 के अनुसार फर्म मालिक श्री रमन लाल पुत्र श्री रमेश्वर निवासी 18/24, माल रोड, कानपुर है। व्यापारी को पंजीयन श्री एस0 ए0 जफर, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 खंड-13, कानपुर द्वारा जारी किया गया था और नवीनीकरण श्री आर0के0श्रीवास्तव, बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2, खंड-13 कानपुर द्वारा जुलाई 81 में किया गया था।

जनपद मेरठ में तहसील बागपत के गांव कांठा मऊ सकरौद के कृषकों की भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

138—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मेरठ में तहसील-बागपत के गांव कांठा, मऊ-सकरौद की कितनी कृषि भूमि यमुना के कटाव से हरियाणा में चली गयी है जिसका लगान उपरोक्त गांव के कृषक नियमानुसार भुगतान कर रहे हैं ? क्या सरकार उन्हें कब्जा दिलाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

139—श्री मूल चन्द्र—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बाराबंकी में ग्राम समाज दुल्हीपुर की भूमि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

140—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम समाज दुल्हीपुर जनपद बाराबंकी की भूमि के दुरुपयोग के बारे में प्रधान दुल्हीपुर जनपद बाराबंकी का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ उनको प्राप्त हुआ था जिसकी प्राप्ति पत्र संख्या 347 वी0 आई0 पी0 एम आर0/88 दिनांक 27 सितम्बर, 1988 द्वारा स्वीकार की गई है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही करायी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम सुदिनपुर के श्री कलुआ को भूमि नपवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

141—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कलुआ निवासी ग्राम सुदिनपुर तहसील नरैनी जनपद बांदा का पत्र, प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ भूमि नपवाने के सम्बन्ध में दिनांक 13 नवम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां,

आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच की गयी । आवेदक के नाम अंकित भूमि का क्षेत्रफल बन्दोबस्ती रकबे तथा मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्रफल से भिन्न है । इस त्रुटि के कारण नाप द्वारा रकबे की पूर्ति सम्भव नहीं है बल्कि बन्दोबस्ती रकबे के अनुसार खतौनी में अंकित रकबे को शुद्ध किया जाना आवश्यक है जिसके लिए जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये है ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम फौजदार का पुरवा अतर्रा के श्री जग्गू के पत्र भूमि के पट्टे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

142–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जग्गू ग्राम फौजदार का पुरवा अतर्रा रूरल (तहसील नरैनी) जनपद बांदा के संलग्न पत्र के साथ भूमि के पट्टे के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 1986 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

ग्राम अतर्रा रूरल चकबन्दी क्रियांओं के अंतर्गत चल रहा है, एवं अभी ग्राम में आवंटन हेतु सुरक्षित भूमि निश्चित नहीं की गई है । चकबन्दी क्रियाओं के समाप्त होने एवं भूमि सुरक्षित होने के पश्चात् ही कृषि एवं आवासीय भूमि के आवंटन की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

143–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

144–श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981 की परीक्षा के आधार पर सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त परीक्षाफल को रोकने हेतु विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा इच्च न्यायालय में कोई रिट दायर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या रिटकर्ता, विभागीय अभ्यर्थियों के चयन पात्रता क्षेत्र में चयनित हुए ? यदि नहीं, तो विभागीय अभ्यर्थियों के चयन के बाद भी वर्ष 1981 के अभ्यर्थियों को स्थायी न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

रिट याचिका संख्या–669/82 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है । परीक्षाफल रोकने के लिए रिटकर्ताओं द्वारा एक स्थगन प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था । कीतपय रिटकर्ता पात्रता क्षेत्र में आने पर एवं उपयुक्त पाये जाने पर

आयोग द्वारा विभागीय अभ्यर्थियों के रूप में चयनित हुए । वर्ष 1981 के अभ्यर्थियों का स्थायीकरण माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त अंतरिम आदेशों के कारण नहीं किया जा सका है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टास्क फोर्स की संस्तुतियों के आधार पर विभागीय परीक्षा प्रणाली को लागू करने की मांग

145–श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-1983 व 1984 की रिक्तियों में चयनित विभागीय कर्मचारियों का चयन सचिवालय की दक्षता में सुधार हेतु गठित टास्क फोर्स की संस्तुति के अनुसार विभागीय परीक्षा आयोजित करके किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार टास्क फोर्स की संस्तुतियों में विभागीय कर्मियों के लिए संस्तुत विभागीय परीक्षा प्रणाली को तत्काल लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इसे लागू करने में कितना समय लेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं । प्रश्नाधीन वर्षों की रिक्तियों में चयनित विभागीय अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को टास्क फोर्स की संस्तुतियां प्राप्त होने के पूर्व भेजा जा चुका था । विभागीय कर्मियों के लिए संस्तुत विभागीय परीक्षा प्रणाली का लागू किया जाना सेवा नियमावली में संशोधन पर निर्भर करता है । चूंकि ऐसा कोई संशोधन अभी नहीं हुआ है अतः इसे लागू करने की समय सीमा का अभी कोई प्रश्न नहीं है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय विभागीय कर्मियों के चयन में 50 प्रतिशत कोटा बढ़ाने की मांग

146–श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981 व 1985 की रिक्तियों में सेवा नियमावली के नियम–21 के अनुसार विभागीय कर्मियों का चयन कोटा 33 प्रतिशत की सीमा से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 1981 तथा 1983 की रिक्तियों में "उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1942" के नियम–21 के परन्तुक में निहित व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा किया गया है । वर्ष 1985 की रिक्तियों के लिए चयन नहीं हुआ है ।

जनपद गोण्डा के तुरकौलिया निवासी भगवाने पुत्र मंगल को न्याय दिलाने की मांग

147–श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्ना खां)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तुरकौलिया निवासी भगवाने पुत्र मंगल ने 27 नवम्बर, 1988 को थाना देहात कोतवाली गोण्डा में धारा 392 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा पंजीकृत कराया था ? यदि हां, तो अब तक अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? क्या भगवाने को न्याय प्रदान करने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

विवेचना के वादी की लड़की गायत्री से कथित अभियुक्त लालू का अवैध सम्बन्ध होने के कारण लालू को फंसाने की नियत से फर्जी अभियोग पंजीकृत कराना पाया गया जिस कारण मामले में दिनांक 28-11-1988 को अंतिम रिपोर्ट लगाकर जुर्म खारिज कर दिया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रकारों व सम्पादकों की सुरक्षा हेतु समिति गठित करने की मांग

148–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निष्पक्ष समाचार प्रकाशित करने वाले पत्रकारों व सम्पादकों की सुरक्षा के लिए सरकार कौन सी कारगर कार्यवाही करने जा रही है ? क्या सरकार माननीय सदन के सदस्यों व वरिष्ठ पत्रकारों व सम्पादकों की एक समिति इस हेतु गठित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र–

पत्रकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से जिलों में जिलास्तरीय स्थायी कमेटी पहले ही से गठित है जिसमें जिलों के जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य, तथा जनपद के दो मान्यता प्राप्त पत्रकार सदस्य तथा जिला सूचना अधिकारी, पदेन सदस्य सचिव होते हैं । राज्य स्तर पर एक समिति गठित है जिसमें सम्पादक तथा पत्रकार के अतिरिक्त सचिव सूचना, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, सूचना निदेशक, सदस्य हैं । यह समिति उत्पीड़न के सभी मामलों एवं शिकायतों पर विचार करती है । जनपद तथा राज्य स्तर समितियों का गठन पत्रकारों तथा सम्पादकों की सुरक्षा सम्बंधित मामलों को देखती है ।

आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश के छोटे व मझोले स्तर के साप्ताहिक समाचार पत्रों के विकास हेतु विशेष व्यवस्था की मांग

149–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के छोटे व मझोले स्तर के साप्ताहिक समाचार पत्रों के विकास व सहायता के लिए सरकार कौन सी व्यवस्था करने जा रही है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि साप्ताहिक समाचार पत्रों को सूचना विभाग द्वारा एक विज्ञापन प्रति सप्ताह दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र–

प्रदेश के छोटे व मझोले स्तर के साप्ताहिक समाचार-पत्रों के विकास व सहायता के लिए कोई विशेष व्यवस्था विचाराधीन नहीं है ।

जी नहीं ।

वर्तमान में, मान्यता प्राप्त साप्ताहिक समाचार-पत्रों को, राष्ट्रीय पर्वों पर, एक पृष्ठ विज्ञापन दिया जाता है ।

जनपद मथुरा की श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री केदार नाथ टोपीकुंज रास मण्डल बिहार घाट, बृन्दाबन द्वारा पुत्री कुमारी सविता उर्फ सीता के अपहरण की जांच

150–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री केदार नाथ, टोपीकुंज रास मण्डल, बिहार घाट, बृन्दाबन जिला-मथुरा की 12 वर्षीय बेटी कुमारी सविता उर्फ सीता का अपहरण दिनांक 12-12-87 को प्रातः 7 बजे घर के पास से हो गया जिसकी बरामदगी अब तक नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त कुमारी सविता उर्फ सीता की बरामदगी कराने तथा कार्यवाही में उदासीनता बरतने वालों पर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना बृन्दाबन जिला मथुरा पर श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री केदार नाथ निवासी बिहारी घाट बृन्दाबन, मथुरा द्वारा उनकी पुत्री कुमारी सविता उर्फ सीता के अपहरण की सूचना पर अयोध्यादास निवासी विहारघाट बृन्दाबन के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 418/87 धारा 363 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । अभी तक की विवेचना से अपहरणकर्ता कुमारी सविता का कोई पता नहीं चल सका है । उसकी तलाश की कार्यवाही जारी है ।

गन्ना विकास समिति पिपराइच गोरखपुर द्वारा शिक्षा संस्थाओं से काटी गई धनराशि का विवरण

151–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति पिपराइच गोरखपुर द्वारा शिक्षा मद में 1976 से 1985 तक वर्षवार कितनी कटौती की गई और किन-किन संस्थाओं के किन व्यक्तियों को वर्षवार कितना शिक्षा कटौती का धन दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पिपराइच गोरखपुर में 1976 से 1985 तक शिक्षा मद में वर्षवार कटौती का विवरण जमा निम्न प्रकार है:–

	रु0
1975–76	10214.49
1976–77	7869.67
1977–78	17660.12
1978–79	18674.47
1979–80	14950.28
1980–81	8024.69
1981–82	11336.77
1982–83	4.20
1983–84	296.60
1984–85	2.00

वर्षवार शिक्षा कटौती का धन निम्नलिखित शिक्षा संस्थाओं/व्यक्तियों को दिया गया :--

वर्ष	शिक्षा संस्था का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्ति की गई धनराशि
1	2	3	4
75-76	1-श्री तिलक सिंह लघु मा0 विद्या0 जैनपुर।	श्री बैजनाथ सिंह प्रबन्धक	2000.00
	2-आदर्श संस्कृत पाठशाला रिठिया।	शिव बालक त्रिपाठी	3000.00
	3-इण्टर कालेज पिपराइच	श्री देवेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव	20000.00
	4-जनता इण्टर बरगावा	श्री कल्पनाथ यादव, प्रधानाचार्य	6000.00
	5-प्रा0 पाठशाला मिस्वा	श्री रामनिवास उपा0 ग्राम प्रधान	1000.00
	6-प्रा0 पाठशाला हेमछापर	श्री बाबूलाल सिंह, ग्राम प्रधान	500.00
	7-प्रा0 पाठशाला रामपुर बुजुर्ग	श्री मुद्रिका मिश्र ग्रा. प्रधान	1000.00
	8-प्रा0 पाठशाला रामपुर खुर्द	श्री लेखराज सिंह ग्राम प्रधान	500.00
	9-प्रा0 पाठशाला बरवाबाबू	श्री जगदीश नरायन शाही ग्राम प्रधान	1000.00
	10-प्रा0 पाठशाला परतावल	श्री रामरक्षा सिंह प्रबंधक	1000.00
	11-प्रा0 पाठशाला चरगावा	(हस्ताक्षर अस्पष्ट)	1000.00
	12-इण्टर कालेज मटहट	श्री रामदवन सिंह सदस्य	2500.00
	13-महातमराव इण्टर कालेज एकलानन- 2	श्री गिरजाशंकर सिंह प्रबन्धक	1000.00-
		योग ..	40500.00
	1-पं0 दीनदयाल जू0हा0 पिपराइच	श्री वैद्य चन्द्रशेखर पाण्डेय	1000.00
	2-ज्ञानोदय लघु मा0वि0 मसूरगंज	श्री अब्दुल रहीम अध्यक्ष	2000.00
	3-प्रा0 पाठशाला महरी	श्री बदरी सिंह सदस्य	1000.00
	4-बे0प्रा0 पाठशाला बगरादेउर	श्री श्रीनिवास सिंह, ग्राम प्रधान	500.00
		योग ..	4500.00

1	2	3	4
	1–सार्वभौम संस्कृत पाठशाला मटहट	श्री राम दशरथ सिंह प्रबन्धक	2900.00
	2–श्रवण कुमार माध्यमिक वि0 कतरारी	श्री केदारनाग सिंह प्रबन्धक	30280.00
	3–जनता जू0 हा0 परतावल	श्री राम रक्षा सिंह प्रबन्धक	3000.00
	4- बे0जू0हा0 स्कूल फ्तेहपुर	श्री जैन्लआब्दीन प्रबन्धक	5000.00
	5–राजेन्द्र सिंह मा0वि0 लहनी	श्री सुरेन्द्र सिंह प्रबन्धक	5000.00
	6–फतेह बहादुर मा0वि0 अहिरौली	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह प्रबन्धक	5000.00
	7–बे0प्रा0पा0 महरी	श्री बदरी सिंह ग्राम प्रधान	1000.00
	8–बाबू मा0वि0 बरवा	श्री इन्द्रजीत सिंह सदस्य	2500.00
		योग . .	54680.00
81–82	1–ज्ञानोदय लघु मा0 वि0 मसूर गंज	श्री सूर्यमणि उपा0 प्रबन्धक	2000.00
	2–बाबा सूर्यनरायन लाल मा0 वि0 सिगसिय	श्री राम सूरत सिंह प्रबन्धक	1009.00
	3–राजेन्द्र सिंह ल0मा0 वि0 लेहनी ।	श्री सुरेन्द्र सिंह प्रबन्धक	5000.00
	4–बे0जू0हा0 स्कूल फतेहपुर	श्री जैनुअल आब्दीन प्रबन्धक	5000.00
		योग . .	13000.00
82–83	1–बिन्श्वरी ल0मा0वि0 बैलो	श्री लालमन गुप्ता प्रधानाचार्य	1000.00
	2–श्रवण कुमार ल0मा0 वि0 कतरारी	श्री मुख्तार अहमद प्रबन्धक	19720.00
		योग . .	20720.00

सचिव संस्थागत वित्त को प्रदत्त मा0 सदस्य के पत्र पर कृत कार्यवाही

152–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के तीसरे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0–9 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में पत्र संख्या 322 सचिव संस्थागत वित्त को तारीख 6-6-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ । जांच कराने के उपरान्त ज्ञात हुआ कि व्यापारी द्वारा 6,000 रुपये ब्याज को छोड़कर वर्ष 1976-77 व 1977-78 का समस्त

मूल कर एवं ब्याज जमा कर दिया गया है। व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया था जो द्वितीय अपील में बिक्रीकर अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

लखनऊ, कानपुर और इटावा के बिक्रीकर कार्यालयों में कर सम्बन्धी कथित अनियमितताओं पर जांच एवं कार्यवाही हेतु शिकायती पत्र

153–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 106 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 495 सचिव संस्थागत वित्त को तारीख 15-7-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

154–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ के बिक्री कर अधिकारी द्वारा फर्म ओम प्रकाश भांग डीलर पर कर बकाया सम्बन्धी कार्यवाही

155–श्री मूल चन्द्र–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारी खण्ड–7 ने फर्म ओम प्रकाश भांग डीलर पर वर्ष 1981-82 के लिए 56,000 रुपये कर लगाया और 56,000 रुपये की भांग निकाली ? यदि हां, तो वर्ष के दौरान यानी तारीख 31-3-82 तक राजस्व के हित में खण्ड अधिकारी ने क्या-क्या कार्यवाही की ? कितना वसूल हुआ ? वसूल न होने के क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखनऊ के बिक्रीकर कार्यालय द्वारा फर्म बृजपाल भांग ठेकेदार पर कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही

156–श्री मूलचन्द्र–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड–9 में फर्म बृजपाल भांग ठेकेदार पर वर्ष 1980-81 में 33,800 रुपये कर लगाया गया और 33,296-37 रुपये बकाया था ? यदि हां, तो बकाया में से कितना वसूल हुआ । वसूल न होने के क्या कारण थे ? तारीख 31-3-82 तक राजस्व के हित में खण्ड-अधिकारी ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

157–श्री मूल चन्द्र–

[दिनांक 30-6-87 को अता0 प्र0 सं0–134 द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती के विकास खण्ड उस्का बाजार के गांव पंचायत मुजरौलिया द्वारा जंगल नीलाम करके धन का जमा किया जाना तथा धन का उपयोग

158–श्री धनराज यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड उस्का बाजार के गांव पंचायत मुजरौलिया के भूमि प्रबन्धक समिति ने वर्ष 1986 एवं 87 में गांव समाज में स्थित जंगल नीलाम करके गांव पंचायत में नीलाम से प्राप्त धन जमा किया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मामले में कितना धन जमा हुआ एवं किन-किन कार्यों में कितना-कितना धन व्यय किया गया एवं कितना धन अवशेष है ? क्या अवशेष धन नये (वर्तमान) प्रधान के खाते में जमा किया गया एवं चार्ज में आय-व्यय से सम्बन्धित कागजात चार्ज में दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

प्रश्नगत जंगल की नीलामी साठ हजार सात सौ रुपये (60,700 रु0) में की गयी परन्तु कुल धनराशि गांव पंचायत में जमा नहीं की गई है ।

प्रश्नगत मामले में 19,175 रु0 (उन्नीस हजार एक सौ पचहत्तर रुपये) जमा हुआ । उक्त धनराशि खड़ण्जा निर्माण में व्यय किया गया । नीलामी की शेष धनराशि का जमा होना नहीं पाया जाता, फलस्वरूप सहायक विकास अधिकारी, पंचायत ने प्रधान एवं ठेकेदार के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया है तथा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

आय-व्यय से सम्बन्धित कागजात चार्ज में दे दिया गया है ।

159–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

160–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[6वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के अवर अभियंता सा0 नि0 वि0 के विरुद्ध काले धन की श्री आर0 पी0 तिवारी के पत्र पर सी0 आई0 डी0 जांच

161–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि अवर अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जनपद फैजाबाद के विरुद्ध काले धन की जांच के सम्बन्ध में सर्तकता विभाग से जांच कराये जाने विषयक श्री आर0 पी0 तिवारी सहायक अभियन्ता, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लखनऊ निवासी बी-1263 एल0 आई0 जी0 इन्दिरानगर लखनऊ के पत्र दिनांक 11-5-82 पर सर्तकता विभाग द्वारा की जा रही जांच के समय उपरोक्त अवर अभियन्ता से उनकी तथा उनकी पत्नी श्रीमती मंजू लता शर्मा की सम्पत्ति के विषय में कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उन दस्तावेजों में एक यह भी दस्तावेज है कि श्रीमती मंजू-लता शर्मा व मन्ना घोषी निवासी पुराना महानगर लखनऊ के बीच दुग्ध डेरी की साझेदारी है ? यदि हां, तो क्या उक्त लिखित इकरारनामें की स्याही जनरल स्टाम्प के पीछे लगी मोहर पर लिखे नाम व तिथि की स्याही की जांच किसी विशेषज्ञ द्वारा करायी

गयी ? यदि हां, तो दोनों तरफ लिखित स्याही की कितने वर्षों का अंतर प्रकाश में आया ? यदि जांच नहीं की गयी, तो क्या इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्री आर0 पी0 तिवारी के शिकायती पत्र दिनांक 10 मई, 1982 न कि पत्र दिनांक 11 मई, 1982 के आधार पर सर्तकता अधिष्ठान द्वारा की जा रही जांच के दौरान श्री राम नयन शर्मा, अवर अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग और उनकी पत्नी श्रीमती मंजूलता शर्मा की सम्पत्ति के विषय में कुछ अभिलेख/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं ।

क्या-क्या अभिलेख अथवा दस्तावेज प्राप्त किये गये और उनके सम्बन्ध में किस प्रकार की जांच कराई गई इसको बताना जनहित में उचित नहीं है क्योंकि जांच अभी अपूर्ण है ।

162–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[दिनांक 17-2-89 को अता0 प्र0 सं0 51 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के थाना कोतवाली नरैनी की पुलिस चौकी करतल के श्री भइयादीन ग्राम महारानी मजरा नहरी के पत्र के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

163–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक-ए/136/सी0 एम0/88, दिनांक 1-9-1988 जो बांदा जनपद के थाना कोतवाली नरैनी के पुलिस चौकी करतल के श्री भइयादीन ग्राम महारानी मजरा नहरी के पत्र के साथ आई0 आर0 डी0 के कर्जे में कुछ अराजक तत्वों द्वारा घपला करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई कितने लोग दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां । इस पत्र की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, बांदा, इलाहाबाद बैंक व तुलसी ग्रामीण बैंक को भेजी गयी । इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि श्री भइयादीन को जनता बायोगैस लगाने के लिए 19-9-85 को 5,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था जिसमें 1,800 रुपये ईंटें के मूल्य के रूप में 1,690.50 रु0 सीमेन्ट के मूल्य के रूप में व रु0 1,200 नकद तथा 309.50 रुपये उनके प्रोनोट खाते में जमा करके किया गया था ।

भइयादीन के प्रार्थना-पत्र पर ही अराजक तत्व द्वारा घपला करने की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा पृथक से की जा रही है । जांच के परिणाम की सूचना प्रतीक्षित है ।

जनपद गोरखपुर में रिमोट सैन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा केले की खेती के लिए किये गये अध्ययन का परिणाम

164–श्री हर्ष वर्धन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिमोट सैन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर उत्तर प्रदेश द्वारा गोरखपुर क्षेत्र में केले की खेती से सम्बन्धित वायवीय चित्रों द्वारा अध्ययन कराया गया है ? यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां ।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश द्वारा गोरखपुर जनपद में प्रायोगिक रूप से वायुवीय चित्रों द्वारा केले की खेती का अध्ययन किया गया है । इस जनपद के 26, 45 से 27 अक्षांश के क्षेत्र में अप्रैल 1983 के वायुवीय चित्रों के आधार पर केले की खेती का कुल क्षेत्रफल 342.3 हेक्टेयर था ।

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील के अंतर्गत उपनिवेशन क्षेत्र (शारदापार) में वरासत पर लगी रोक को हटाने की मांग

165–श्री धनराज यादव–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील अंतर्गत उपनिवेशन क्षेत्र (शारदापार) में वर्ष 1986-87 से ही 'वरासत' नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो ''वरासत'' पर लगायी रोक के क्या आधार हैं व उक्त रोक कब तक हटायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पधारी राम ग्राम जंगला आदि पोस्ट असनाव तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी की शिकायत पर ग्राम सभा की जमीनों के दुरुपयोग की जांच तथा भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने की मांग

166–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पधारी राम ग्राम जंगला आदि पोस्ट असनाव तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी ने 19-7-88 को जिलाधिकारी वाराणसी तथा 14-4-86 को परगनाधिकारी ज्ञानपुर व 11-3-87 को अपर जिलाधिकारी ज्ञानपुर को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायतें की थीं कि ग्राम प्रधान श्री राम दुलारे ग्राम सभा की जमीनों पर स्वयं कब्जा किये हैं तथा अपने परिवारजनों से कब्जा कराये हैं और जमीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो ग्राम सभा की जमीनों के दुरुपयोग की जांच कराकर दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा तथा उक्त ग्राम सभा की भूमि-भूमिहीनों में वितरित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पधारीराम जंगला आदि का जिलाधिकारी वाराणसी को सम्बोधित दिनांक 26-10-88 तथा परगनाधिकारी भदोई को सम्बोधित दिनांक 4-1-88 और 7-1-88 के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं । इन प्रार्थना-पत्रों पर जांचोपरांत यह पाया गया कि स्व0 श्री राम दुलार तत्कालीन ग्राम प्रधान जंगला अथवा उनके परिवार के व्यक्तियों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कोई अवैध कब्जा/दुरुपयोग नहीं किया गया बल्कि कतिपय ग्राम वासियों द्वारा अवैध कब्जे किये गये थे जिनकी बेदखली के आदेश हो चुके हैं और हर्जाना भी आरोपित किया गया है । केवल एक मामला निस्तरण हेतु अवशेष है । ग्राम समाज की भूमि को नियमानुसार आवंटित करने के निर्देश उप ग्राम प्रधान को दे दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व तहसील बांदा के ग्राम रामपुर के भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री राम किशोर पाण्डे से नवनिर्वाचित प्रधान श्री केवल सिंह को चार्ज देने की मांग

167–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की बांदा तहसील के ग्राम रामपुर के भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री राम किशोर पाण्डे ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री केवल सिंह को भूमि प्रबन्धक समिति के कार्यवाही रीजस्टर, एजेंडा बुक व अन्य सम्बन्धित कागजात का चार्ज नहीं दिया ? जिलाधिकारी बांदा के चार्ज हस्तांतरित करने के आदेश का अनुपालन न किये जाने का क्या कारण है ? क्या भूतपूर्व ग्राम प्रधान ने पुरानी तारीखों के आधार पर अधिकारियों से सांठ-गांठ करके 91 आवासीय पट्टे की स्वीकृत कराने की कार्यवाही की है ? उसे निरस्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ? डाक्टर केवल सिंह को चार्ज कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री राम किशोर पाण्डेय से कार्यवाही रीजस्टर व अन्य कागजात का चार्ज लेकर श्री केवल सिंह, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को दिनांक 7-3-89 को दिया जा चुका है ।

भूतपूर्व ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 23-3-88 को 91 आवासीय पट्टों का प्रस्ताव किया गया था, जिसे जांच हेतु दिनांक 21-5-88 को वापस कर दिया गया था । कथित प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

चार्ज दिलाया जा चुका है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड संडीला की ग्राम सभा बेगमगंज में ग्राम समाज की भूमि के अवैध पट्टे के सम्बन्ध में की गई शिकायत पर जांच

168–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड संडीला की ग्राम सभा बेगमगंज में ग्राम सभा की भूमि के अवैध रूप से भारी मात्रा में किये गये पट्टे से संबंधित कोई शिकायती पत्र वहां के प्रधान का अक्टूबर, 1988 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्र की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उन पट्टों के निरस्त किये जाने के बारे में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री माता प्रसाद–

प्रधान बेगमगंज का शिकायती पत्र दिनांक 28-10-88 को प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरदोई से करायी गयी । जिसमें शिकायत निराधार पायी गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जानकी प्रसाद तथा अन्य निवासीगण ग्राम बिभूनपुर सारा तहसील जनपद फैजाबाद की शिकायत पर ग्राम समाज की भूमि का दुरुपयोग तथा कब्जा रोकने की मांग

169–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेगें कि श्री जानकी प्रसाद तथा चार अन्य, निवासी-गण ग्राम विशुनपुर सारा तहसील व जिला फैजाबाद का मुख्यमंत्री को सम्बोधित तथा आयुक्त फैजाबाद मण्डल तथा जिलाधिकारी फैजाबाद को पृष्ठांकित दिनांक 27-8-88 तथा 1-10-88 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र मिल गया है जिसमें ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग और अनाधिकृत कब्जे पर रोक लगाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच कराकर अब तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा की तहसील बबेरू के नाम टोलाकलां राम प्रताप व रामसिया की शिकायत पर पट्टे की जमीनों की पैमाइश तथा कब्जे दिलाने की मांग

170–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में तहसील बबेरू के नाम टोलाकलां के गरीब हरिजनों व निर्बल वर्ग के लोगों को 9-12-87 को पट्टे दिये गये थे ? यदि हां, तो कितने पट्टे दिए गये थे ? यदि हां, तो कितने पट्टे स्वीकृत हुए और कितने पट्टों की जमीनों पर कब्जा दिला दिए गये हैं ? क्या राम प्रताप व रामसिया आदि कई पट्टाधारकों ने 19-11-88 को जिलाधिकारी बांदा आदि कई अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायतें की हैं कि उनके पट्टे की जमीनों की पैमाइश नहीं कराई गई और कब्जे नहीं दिलाये गये ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? पैमाइश कराकर कब्जे कब तक दिला दिए जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी परगना कसवार सरकारी ग्राम जोगियापुर की जगरानी बेवा विदेशी की चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच पर कृत कार्यवाही

171–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद वाराणसी परगना कसवार सरकारी ग्राम जोगियापुर की जगरानी बेवा विदेशी की चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी श्री जे0 के0 सिंघल ने 12-4-83 को की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?जमीन व चक कब तक दिला दिये जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के अनुसार काश्तकारों के पट्टों के संबंध में चकबन्दी आरम्भ होने के समय से ही विवाद चल रहा है । उस विवाद का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका ।

पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही के अतिरिक्त पट्टेदारों का आवंटित भूमि के सम्बन्ध में आवंटियों तथा श्री रमाशंकर पाण्डेय के बीच स्वत्व से संबंधित विवाद विचाराधीन है । सम्प्रति यह मामला उप संचालक चकबन्दी के समक्ष विचाराधीन है । न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती । निगरानी के निस्तारण के बाद ही कोई कार्यवाही सम्भव हो सकेगी । जांच के आधार पर कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारी को लिख दिया गया था ।

न्यायालय में मामला लम्बित रहने तक कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

जनपद जालौन के कोंच थाने के क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की मांग

172–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर, 1987 के अंतिम सप्ताह में जालौन जिले के कोंच थाने में वहां के क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक पुलिस आदि के विरुद्ध जिलाधिकारी के आदेश से धारा 307 के अंतर्गत जो मुकदमा कायम हुआ था उसकी विवेचना सी0 आई0 डी0 से कराये जाने की मांग करने वाले विपक्ष एवं इंका विधायकों के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

मामले की मैजिस्टीरियल जांच कराई गई थी, जिसमें कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया । अतएवं इस प्रकरण में सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । सम्बन्धित अपराध संख्या 486 ए/87 में विवेचनोपरान्त न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट भेजी जा चुकी है ।

जनपद नैनीताल से टनकपुर आ रही बस संख्या यू0 एस0 एल0 9310 की जांच के संबंध में संस्थापक एवं महासंयोजक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा के पत्र पर कृत कार्यवाही

173–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टनकपुर जिला नैनीताल से आ रही बस नं0 यू0 एस0 एल0-9310 की सही जांच न करने के सम्बन्ध में राज्य मंत्री परिवहन के पत्रांक-737/9 एस0 एम0/ई0 टी0 सी0 88 दिनांक 1-3-88 जो संस्थापक एवं महासचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा 86, ए दारुलशफा लखनऊ का भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या वांछित कार्यवाही के संदर्भ में संस्थापक एवं महासचेतक आजाद हिन्द क्रांतिकारी मोर्चा का पत्र दिनांक 2-12-88 की शासन को प्राप्त है ? यदि हां, तो कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी नहीं।

तत्कालीन राज्य मंत्री परिवहन विभाग के पत्रांक-737/9 एस0 एम0/ई0 टी0 सी088, दिनांक 1-3-88 के साथ एक परिवाद श्री श्याम सुन्दर सिंह शेरे, संस्थापक एवं महासचेतक का पत्र दिनांक 27-2-88 प्राप्त हुआ, जो यू0 एम0 एल0-9310 बस के सम्बन्ध में था, जिसकी जांच करने पर बिना टिकट यात्री ले जाने का मामला नहीं पाया गया।

संस्थापक एवं महासचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा का पत्र दिनांक 2-12-88 परिवहन विभाग में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

बाखूराम ग्राम तेरवा, थाना माधोगंज जनपद हरदोई की लाइसेंसी बन्दूक वापस करने की मांग

174–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाखूराम ग्राम तेरवा, थाना-माधोगंज, जनपद हरदोई की लाइसेन्सी बन्दूक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री नैपाल सिंह ने दिनांक 29-6-88 को जमा कर ली थी ? क्या बन्दूक किसी मामले में वांछित थी ? यदि नहीं, तो बन्दूक जमा कराने का क्या औचित्य था ? प्रश्नगत जमा बन्दूक कब तक वापस कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम प्रधानी के चुनाव के समय शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से बन्दूक जमा करा ली गई थी ।

श्री बाबू राम के विरुद्ध जघन्य अपराध का मुकदमा पंजीकृत होने, असामाजिक तत्वों से मेल-जोल होने एवं स्वभाव से क्रोधी होने आदि के संबंध में प्राप्त पुलिस अधीक्षक, हरदोई की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा उक्त बन्दूक के लाइसेंस के निलम्बन हेतु कारण बताओ नोटिस जारी की गई । मामला जिला मजिस्ट्रेट हरदोई के न्यायालय में विचाराधीन है । निर्णय होने के पश्चात तद्नुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद जालौन नगर तथा कोंचनगर में अवैध बम निर्माण के सम्बन्ध में हुई घटनाओं का विवरण तथा कोंच कोतवाली में तत्कालीन इन्स्पेक्टर की जानकारी

175–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि 1 मई, 1986 से 30 अप्रैल, 1987 की अवधि के बीच जालौन जिले के जालौन नगर और कोंच नगर में अवैध बम निर्माण संग्रह केन्द्रों में बम विस्फोट और कुछ लोगों के मारे जाने की घटनायें हुई हैं ? यदि हुई हैं, तो उनका विवरण और कृत कार्यवाही के साथ-साथ यह जानकारी देने का भी कष्ट करेंगे कि इस अवधि में जालौन और कोंच कोतवाली में इन्सपेक्टर पद पर कौन सा पुलिस अधिकारी कार्य कर रहा था ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रश्नगत अवधि में जालौन जिले के जालौन नगर और कोंच नगर में अवैध बम निर्माण संग्रह केन्द्रों से संबंधित बम विस्फोट की एक-एक (कुल दो घटनायें) घटना हुई ।

विस्फोट की पहली घटना दिनांक 31-3-87 को कस्बा जालौन में घटित होने की बात प्रकाश में आयी । उक्त तिथि को जालौन कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक श्री अनार सिंह थे । घटनास्थल से खून आलूद व सादा प्लास्टर तथा एक चप्पल बरामद किया गया । घटना की जांच उप निरीक्षक श्री हिम्मत सिंह द्वारा की गई । जांच से किसी व्यक्ति के घायल होने, मारे जाने अथवा किसी अभियुक्त के बारे में कोई पता नहीं चल सका। अत: दीरयाफत हाल समाप्त किया गया ।

दूसरी घटना कस्बा कोंच में दिनांक 20-4-87 को घटित हुई । इस तिथि में भी कोंच कोतवाली में श्री अनार सिंह प्रभारी निरीक्षक तैनात थे । इस घटना से सम्बद्ध 7 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनमें से एक अभियुक्त नवाब की मृत्यु हो गई । मामले की विवेचना उप निरीक्षक श्री मुजबीर सिंह द्वारा की गई, जिसके फलस्वरूप शेष 6 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 14-9-87 को न्यायालय प्रेषित किया गया, जो अभी विचाराधीन है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के एक करदाता द्वारा राजस्व की हानि से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

176–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर के एक करदाता द्वारा वर्ष 1976-77 व 1977-78 में 29·80 लाख रुपया राजस्व की हानि के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1103 मुख्य मंत्री को तारीख 4-10-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में संदर्भित पत्र संख्या–1103 शासन में प्राप्त हुआ है परन्तु उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । उक्त पत्र की प्रतिलिपि मा0 विधायक से मांगी गई है ।

जनपद देवरिया की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से अतिरिक्त बोंडिंग के फलस्वरूप काटी गई धनराशि का उपयोग

177–श्री धनराज यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में देवरिया जनपद के चीनी मिल खड्डा-छितौनी, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज तथा रामकोला में गन्ने की बोंडिंग के फलस्वरूप किसानों से अधिभार के कारण कितने-कितने रुपये की कटौती की गयी एवं उक्त रुपये का किन-किन कार्यों में उपयोग किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 1986-87 में देवरिया जनपद की निम्नलिखित चीनी मिलों में किसानों के गन्ने की अतिरिक्त बान्डिंग के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि की कटौती की गई :–

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	कटौती की धनराशि-(लाख रुपयों में)
1	खड्डा	1.70
2	छितौनी	3.50
3	कप्तानगंज	4.88
4	लक्ष्मीगंज	0.97
5	रामकोला (के)	5.50
6	रामकोला (पी)	3.64
	योग	20.19 लाख रुपये

उक्त धनराशि में से अधिकांश धनराशि कृषकों को वापस की गई है। इसके अतिरिक्त शेष धनराशि प्रबन्ध व्यय, सड़क निर्माण तथा जीप क्रय करने पर उपयोग की गई है।

जनपद देवरिया की कतिपय चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को ब्याज का भुगतान करने की मांग

178—श्री धनराज यादव—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियमानुसार गन्ना प्राप्त करने के बाद 14 दिन के अन्दर गन्ना सहकारी समितियों को मूल्य का भुगतान हो जाना चाहिए और 14 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान न होने पर किसानों को 15 प्रतिशत ब्याज देने का प्राविधान है? यदि हां, तो 30 नवम्बर, 87 तक देवरिया जनपद के खड्डा, छितौली रामकोला, कप्तानगंज एवं लक्ष्मीगंज मिलों पर गन्ना किसानों का कितना-कितना रुपया सूद के रूप में बकाया था और क्या अभी तक उसका भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो सूद का रुपया अब तक किसानों को न देने का क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

उपलब्ध सूचना के अनुसार देवरिया जनपद की चीनी मिलों पर 30 नवम्बर, 1987 तक सूद के रूप में बकाये की स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	नाम चीनी मिल	बकाया सूद (लाख रु0 में)
1	खड्डा	24.16
2	छितौनी	27.64
3	रामकोला (के)	31.85
4	कप्तानगंज	16.49
5	लक्ष्मीगंज	8.50
6	रामकोला (पी)	11.00
	योग ..	लाख रु0 119.64

जी नहीं। चीनी मिलों से गन्ना समितियों को सूद का रुपया प्राप्त न होने के कारण अभी तक किसानों को सूद का रुपया भुगतान नहीं किया गया है।

जनपद लखनऊ के बिक्रीकर कार्यालय द्वारा राम गोपाल ताड़ी ठेकेदार का कर निर्धारण आदेश के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

179—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-3 में राम गोपाल ताड़ी ठेकेदार का कर निर्धारण आदेश वर्ष 81-82 व 82-83 में पारित किया गया है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-2123 मुख्य मंत्री जी को ता0 3-7-85 को मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त पत्र में जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह अभी तक न दिए जाने का क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद में रज्जन पाण्डे पुत्र एस0एन0 पाण्डे निवासी हरिगहा थाना नवाबगंज की हत्या में नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

180–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में रज्जन पाण्डेय पुत्र श्री ए0 एन0 पाण्डेय निवासी हरिगहा थाना नवाबगंज, जनपद इलाहाबाद की हत्या कचहरी में की गई थी जिसकी रिपोर्ट भी थाना कर्नलगंज में दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो रिपोर्ट दर्ज अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1980 में श्री एस0 एन0 पाण्डेय निवासी हिमगहा, थाना नवाबगंज, जनपद इलाहाबाद के पुत्र श्री रज्जन पाण्डेय की नहीं वरन् श्री प्रकाश नरायन पाण्डेय की दीवानी कचहरी, इलाहाबाद के एक होटल में की गई हत्या के सम्बन्ध में चार नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियोग अ0सं0 82/80 धारा 302/307 भा0 द0वि0 के अन्तर्गत थाना कर्नलगंज में पंजीकृत कराया गया था । इस अभियोग में नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

श्री दान बहादुर ग्राम व थाना खण्डासा अमानीगंज फैजाबाद के विरुद्ध दर्ज मुकदमें तथा नैतिक अपराध के आदी और असामाजिक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस व सुरक्षा गार्ड देने का औचित्य

181–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री दान बहादुर पाण्डे ग्राम व थाना खण्डासा अमानीगंज फैजाबाद के विरुद्ध कितने अपराध अंकित हैं? क्या उनमें से कई नैतिक अपराध की सूची में आते हैं? यदि हां, तो इसके बावजूद इनको तथा इनके परिवार में कई अग्नेयास्त्र के लाइसेंस प्रदान किये जाने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि इस प्रकार के तत्वों को भी सुरक्षा गार्ड शासन स्तर से और जिला पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट के असामाजिक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति को लाइसेंस व सुरक्षा गार्ड दिए जाने का क्या कारण है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य नियोजन संस्थान के कर्मचारियों का स्थानान्तरण तथा जी0 पी0 एफ0 के रख रखाव का अधिकार

182–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान के पर्वतीय प्रभाग के निदेशक को प्रशासनिक अधिकार प्रदत्त कर दिए गये हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो निदेशक पर्वतीय प्रभाग द्वारा कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 अग्रिम की स्वीकृति कर्मचारियों का वेतन रोका जाना एवं कर्मचारियों का अन्य विभाग में नियुक्त हो जाने पर उन्हें कार्यमुक्त कर देने संबंधी कार्य किस अधिकार से किया जा रहा है?

श्री रघुवीर सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के लाल कुआं के सरदार महिना सिंह की सम्पत्ति पर पेशेवर अपराधियों द्वारा कब्जा विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

183–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरदार महिमा, सिंह, निवासी 67/13, लाल-कुआं, शहर लखनऊ का मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सम्बोधित दिनांक 3-1-88 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र मिल गया है जिसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी सम्पत्ति पर कुछ लोगों द्वारा पेशेवर अपराधियों की मदद से जबरदस्ती कब्जा कर लेने की शिकायत की गयी है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । संबंधित प्रार्थना पत्र तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 209-210 पर)

सर्वश्री अनन्त राय उद्योग माधोबाड़ी बरेली का पंजीयन निरस्त किया जाना

184–श्री मूल चन्द तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि सर्वश्री अनन्त राय उद्योग माधोबाड़ी बरेली का प्रान्तीय पंजीयन सं0-वी0 वाई0 0216299 तथा केन्द्रीय पंजीयन संख्या-वी0 वाई0-5091755 दिनांक 30-5-88 से निरस्त किये गये? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के क्या कारण थे? पंजीयन कब दिया गया? प्रत्येक साल में कितने-कितने कौन-कौन से फार्म दिये गये? प्रत्येक वर्ष में कितना कर जमा किया? कितना लगाया गया? कितना बकाया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सर्वश्री अनन्त राय उद्योग, मधोवाड़ी, बरेली का प्रान्तीय पंजीयन संख्या बी0वाई0-0216299 (न कि 0219299) तथा केन्द्रीय-पंजीयन संख्या बी0वाई0-5091755 दिनांक 30-5-88 को निरस्त किये गये ।

व्यापारी द्वारा व्यापार बन्द हो जाने की लिखित सूचना दिए जाने पर अधिकारी द्वारा व्यापार स्थल तथा निवास स्थान की जांच की गई तो यह पाया गया कि व्यापार स्थल का अस्तित्व नहीं रहा तथा फर्म के स्वामी श्री कृष्ण कुमार उर्फ अनन्त कुमार की मृत्यु हो चुकी है । अतः विधि के अनुसार व्यापारी को पूर्ण अवसर देने के बाद 30-5-88 को पंजीयन निरस्त कर दिए गए ।

दिनांक 4-11-85 से प्रभावी प्रान्तीय पंजीयन दिनांक 31-7-86 को तथा 8-9-86 से प्रभावी केन्द्रीय पंजीयन दिनांक 29-9-86 को दिया गया ।

किसी भी वर्ष में कोई फार्म नहीं दिए गए ।

व्यापारी द्वारा किसी भी वर्ष में न तो कर दायित्व स्वीकार किया गया और न ही कर जमा किया गया ।

अभी किसी भी वर्ष का कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के जिलाधिकारी को जनता पार्टी द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कार्यवाही

185–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 4-7-88 को जनता पार्टी फैजाबाद ने जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के सामने एक धरने का आयोजन किया था जिसके अंत में प्रश्नकर्ता तथा अन्य कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से एक 9 सूत्री ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें से किन-किन बिन्दुओं पर कार्यवाही का कार्य ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को सौंपा गया है और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती सुशीला सोहलगी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ठक्कर आयोग की रिपोर्ट संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, मैंने 311 में एक प्रस्ताव दिया है, मैं उस प्रस्ताव को पढ़े देता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

311 की जो सूचना मिली है, मैं उसको पेश करने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रस्ताव सुन लें उसके बाद चाहे उसे ग्राह्य करें या अग्राह्य कर दें।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह यहां के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं, यह नहीं लिखा जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इसका इस सदन से कोई मतलब नहीं है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रघुबर दयाल वर्मा आदि सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने प्रस्ताव पढ़ दिया, आप मुझे सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

जनपद बस्ती के डुमरियागंज व रामनगर ब्लाक को बस्ती जनपद में ही बना रहने देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अंतर्गत सात सूचनायें स्वीकार की गयी हैं। शलाका द्वारा पहली सूचना श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की है, दूसरी सूचना श्री राज किशोर सिंह की है, तीसरी सूचना श्री राकेशधर त्रिपाठी की है, चौथी सूचना श्री चन्द्रसेन सिंह की है, पांचवी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है, छठी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह की है, सातवीं सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की है। यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायें?

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[मान्यवर, जनपद बस्ती का विभाजन कर सिद्धार्थनगर नामक एक नये जनपद का सृजन किया। प्रशासनिक एवं जन सुविधा को देखते हुए डुमरियागंज एवं रामनगर ब्लाक को बस्ती में ही रखने का निर्णय लिया गया। अब यह मांग की जा रही है कि डुमरियागंज एवं रामनगर ब्लाक के कुछ हिस्से को पुनः सिद्धार्थनगर में जोड़ा जाय। उपरोक्त मांग मानने पर निम्न समस्यायें खड़ी होंगी।

क्या डुमरियागंज को सिद्धार्थनगर में सम्मिलित करके 15 किलोमीटर के अन्दर इटवा और डुमरियागंज को तहसीलें रहेंगी।

क्या रामनगर ब्लाक के 100 ग्राम जिनकी तहसील डुमरियागंज थी, वे 10 से 20 किमी0 के बजाय 40 किमी0 दूर तहसील मुख्यालय, बस्ती जाना पसन्द करेंगे? क्या यह मांग नहीं उठेगी विभानपुर अथवा राम नगर में एक नयी तहसील का सृजन किया जाय?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त मांग मानने पर डुमरियागंज एवं भवानीगंज थानों का पुनर्गठन करके नया थाना रामनगर और डुमरियागंज के बीच में खोला जायेगा?

क्या वर्तमान समय में ड्योढ़ साइज के ब्लाक डुमरियागंज में एक न्याय पंचायत रामनगर को और मिलाने पर डुमरियागंज 15 न्याय पंचायतों का ब्लाक होगा अथवा दो ब्लाक बनाये जायेंगे?

अतः शासन से मांग है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर उच्चस्तरीय कमेटी तथा बस्ती एवं सिद्धार्थनगर के विधायकों एवं सांसदों की एक बैठक बुलाकर वार्ता उपरान्त ही वर्तमान निर्णय में कोई परिवर्तन किया जाय। यदि शासन उचित समझे तो राजस्व मंत्री डुमरियागंज में जन सभा बुलाकर जन भावनाओं से अवगत हो लें।]

जनपद वाराणसी के ग्राम राजा तालाब में प्रस्तावित ग्राम समूह पेयजल योजना को शीघ्र कार्यान्वित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राज किशोर सिंह–

[वाराणसी जनपद के खण्ड विकास क्षेत्र आराजी लाइन्स अन्तर्गत ग्राम वीरमानपुर राजातालाब, रानी बाजार, कचनार, हरपुर, भैरोपुर, मोंहदीगंज, ओदार, केवलावारी, भिखारीपुर, चिन्तापुर, बंगालीपुर असवारी भीमचंडी परसूपुर रखौना आदि पच्चीसों गांवों में पिछले सालों से लगातार पेयजल का संकट विद्यमान है। इन गांवों में हैण्ड पम्प जल निगम यह कह कर नहीं लगा रहा है कि ये गांव ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ले लिये गये हैं। तीन साल से यह योजना अधर में लटकी हुई है गांव की प्यासी जनता किसी और की नहीं हो रही है। शिकायत यह है कि शासन निर्माण कार्य के लिये धन नहीं उपलब्ध करा रहा है वर्ष 1988-89 के वाराणसी जनपद को धन न दिये जाने से एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा।

ग्राम-समूह पेयजल योजना का कार्य मन्थर गति से चल रहा है न पेयजल नलकूप पूरी तरह बना और न ही पाइप गांव-गांव पहुंचाई गयी। यदि शासन तत्काल धन नहीं अवमुक्त करता है और युद्ध स्तर पर कार्य नहीं होता है तो गांवों में एक-एक बूंद पानी के लिए हा-हाकार मच जायेगा।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से तत्काल पर्याप्त धन उपलब्ध कराने तथा योजना की गर्मी शुरू होने से पूर्व पूरा करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य करने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लाक में कासिमाबाद से मरदह तक के मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जिला गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में कासिमाबाद–मरदह से पक्की सड़क सा0 नि0 वि0 द्वारा निर्मित जलालपुर सदउक होते हुए पक्की सड़क तथा लम्बाई लगभग 4 किमी0 और सिवागर रेंगा पिण्डारी मार्ग

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लम्बाई लगभग 6 किमी0 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस मार्ग पर मिट्टी पुलिया एवं गिट्टी का काम बहुत ही खराब स्तर का हुआ है। इस पर जो गिट्टी डाली गयी है उसकी मात्रा बहुत कम है और साइज भी भिन्न-भिन्न है। इससे सड़क टूट रही है। और सड़क का कार्य पूरा न करके आधा ही छोड़ दिया गया है। यह पूरा कार्य एक ठेकेदार के माध्यम से कराया गया है। इन कार्यों को करने वाले गांव के मजदूरों और क्षेत्र के जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं उनको काम नहीं दिया गया है। है। इसलिए यहां कोई मानव दिवस नहीं बनाया गया है और फर्जी मस्टररोल भर दिया गया है। इससे पूरे क्षेत्र में जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इस सड़क की जांच तकनीकी सेल से करायी जाय तथा लेपन स्तर तक निर्माण कराया जाय।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि अधूरे कार्य को पूरा किया जाय धन दिलाकर लेपन स्तर तक कराया जाय ताकि जनता को सुविधा एवं लाभ मिल सके।]

जनपद गाजीपुर के जमानियां ब्लाक में नई बाजार से दंवेथा मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र सेन सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के अन्तर्गत जनहित में जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जमानियां में सार्व0 नि0 वि0 द्वारा निर्मित दंवेथा माइनर के किनारे नयी बाजार से अमईपुर होते हुए दंवेथा तक की सड़क की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस सड़क पर एक वर्ष पूर्व जो गिट्टी दी गयी है वह निर्धारित मात्रा से बहुत कम दी गयी है जिससे सड़क की अनुमानित मोटाई से कम है जिसके फलस्वरूप सड़क काफी हद तक बुरी तरह टूट गयी है। इस सड़क के निर्माण में काफी धन व्यय किया गया किन्तु जो लाभ इस सड़क से जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है जिससे जनता में काफी रोष एवं क्षोभ है। इसी के परिणाम स्वरूप जनता ने कई बार आक्रोश जाहिर करने के लिए धरना एवं प्रदर्शन भी किया और इस बात की मांग की कि इसकी जांच तकनीकी सेल से करायी जाय तथा सड़क को शीघ्र से शीघ्र मरम्मत करवायी जाय।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सड़क की जांच तकनीकी सेल से करायी जाय तथा लेपन स्तर तक निर्माण कराया जाय ताकि क्षेत्रीय जनता को सुविधा एवं लाभ मिल सके।]

लखनऊ नगर के महानगर क्षेत्र में फातिमा अस्पताल के पश्चिम स्थित इन्दिरा पार्क के पास के क्षेत्र में फैल रही गन्दगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, लखनऊ नगर के महानगर मुहल्ले में फातिमा अस्पताल के पश्चिम में इन्दिरा पार्क को पास के अवांछनीय तलों द्वारा शौचालय के रूप में 24 घंटे इस्तेमाल करने के कारण तथा एक तरफ खुला गन्दा नाला होने से ऐसी दुर्गन्ध एवं गन्दगी फैल

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है कि पार्क के 3 तरफ बसे हुए व्यक्तियों में अतिसार आदि संक्रामक रोग फैल गया है। दुर्गन्ध तथा मक्खियों मच्छरों के कारण वहां के निवासी अत्यन्त परेशान हो गये हैं। आवांछनीय तत्वों के अतिक्रमण को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। आये दिन चोरियां भी हो रही है स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है कि वहां के निवासीगण मरने-मारने पर उतारू हो गये हैं। शान्ति व्यवस्था भी विस्फोटक हो सकती है।

अतः हम शासन से मांग करते हैं कि इस इन्दरा पार्क के रख-रखाव की तत्काल समुचित व्यवस्था की जाय, नाले को ढकवाया जाय अवैध रूप से आने-जाने वालों को तथा पार्क में शौच करने वालों को रोका जाय।

जनपद मुजफ्फरनगर की नगरपालिका कैराना को पूर्व घोषित अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, कस्बा कैराना जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ कस्बा है इस कस्बे की हालत को देखते हुए मा0 मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने 29-9-88 को कैराना भ्रमण के समय एक जनरेटर क्रय करने हेतु एक लाख रुपये तथा कैराना नगर पालिका के कर्मचारियों के बकाया वेतन आदि के भुगतान हेतु 4 लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की थी किन्तु आज तक यह धन पालिका को नहीं मिल पाया, यही नहीं इस धन के अभाव कैराना नगर पालिका विकास से वंछित हो रही है। मेरा अनुरोध है कि मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुकूल कैराना को अनुदान दिलाया जाय। तथा कैराना पालिका को संगठित विकास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाय।]

जनपद इलाहाबाद के मंझनपुर क्षेत्र में ग्राम सौधया में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद में मेरे निर्वाचन क्षेत्र विधान सभा मंझनपुर विकास खण्ड कौशम्भी ग्राम सौधया में प्रलयकारी भीषण अग्निकाण्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं मान्यवर, इस प्रलयकारी अग्निकाण्ड से 38 सम्पूर्ण मकान जलकर खाक हो गये हैं और मकान में रखा सम्पूर्ण गृहस्थी का सामान अनाज, चारा पूर्णतया नष्ट हो गया है लगभग 25 लाख रुपया आर्थिक सहायता सन्तोषजनक नहीं हो पाया है। कुछ लोग सरकारी सहायता से वंचित हैं।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि भुखमरी से बचाने के लिए तुरन्त राहत कार्य हेतु स्थानीय योजना के तहत आदेश दें जैसे जनसम्पर्क मार्ग, तालाबों की खुदाई अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों की सूची संलग्न† है।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं 300 की सूचनाओं को ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज प्राप्त सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

(घोर व्यवधान)

ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

311 की सूचना को अस्वीकार कर दिया है, वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

(घोर व्यवधान)

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री गोपाल दास यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री हर्ष वर्धन, श्री गौरी शंकर भइया, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री मूलचन्द्र आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

311 की सूचना को अस्वीकार कर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग वहां जाकर आसन ग्रहण कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

311 की सूचना को मैं अस्वीकार कर चुका हूं, उसकी अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं। 311 की सूचना को अस्वीकार कर चुका हूं, बाकी को सुन लूंगा। आप लोग आसन ग्रहण कीजिये।

आप लोग वहां जाकर अपनी बात कहिये यहां की बात का नोटिस नहीं लिया जाता। आप लोग जाकर आसन ग्रहण करें। अपनी सीटों पर जाइये, वहां जाकर कहिये।

(घोर व्यवधान)

आप लोग आसन ग्रहण कीजिये।

(घोर व्यवधान)

मैं किसी को अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री गोपाल दास यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री

हर्षवर्धन, श्री गौरी शंकर भइया, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री मूलचन्द्र व श्री अवधेश प्रसाद आदि सदस्यों के सदन के फ्लोर पर खड़े रहने के कारण घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं हाउस को एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बज कर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित कर दी ।

1 बजकर 25 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही ठीक 2 बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी निवेदन है कि नियम–311 के अधीन नियमों का निलम्बन कर निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करने की कृपा करें :–

"ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों को श्रीमती इन्दिरा गांधी की दुखद हत्या के षडयंत्र की सांठ-गांठ में भागीदार बनाया गया है यह सदन उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाये जाने पर न्यायालय द्वारा अपराधी करार देने पर उन्हें दण्डित करने की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है ।" सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, रवीन्द्रनाथ तिवारी, रघुवर दयाल वर्मा....।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं । मैंने पहले भी इसे अस्वीकार कर दिया है और अभी भी अस्वीकार कर रहा हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

सर्वश्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, राम आसरे वर्मा, राम शरण दास, कौशिक रमाशंकर, कुंवर रेवती रमण सिंह, गोपाल दास यादव, हर्ष वर्धन, अनुग्रह नारायण सिंह, राकेशधर त्रिपाठी, चन्द्रसेन सिंह, राय लक्ष्मी नारायण सिंह, मूल चन्द्र, दीप चन्द्र सोनकर, राम गोविन्द चौधरी, शारदानन्द अंचल, विक्रमादित्य पाण्डेय, अवधेश प्रसाद, हरेन्द्र सिंह, जनार्दन प्रसाद अोझा और सत्यपाल सिंह का यह प्रस्ताव है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े रहने के कारण घोर व्यवधान होता रहा)

श्री सत्यपाल सिंह–

आप अनुज्ञा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(नेता विरोधी दल सम्पूर्ण विपक्ष सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 एवं 1982-83†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 एवं वर्ष 1982-83 को ज्ञापन सहित संविधान के अनुच्छेद 323(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 1989 की बैठक में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 मार्च, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 20 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का द्वितीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का द्वितीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का तृतीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का तृतीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का चतुर्थ प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का चतुर्थ प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का पंचम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1988-89) का पंचम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं।

राजकीय इण्टर कालेज, समथर जिला झांसी की इण्टरमीडिएट कक्षाओं में कृषि एवं वाणिज्य विषय प्रारम्भ कराये जाने विषयक याचिका†

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजकीय इण्टर कालेज, समथर जिला झांसी की इण्टरमीडिएट कक्षाओं में कृषि एवं वाणिज्य विषय प्रारम्भ किये जाने विषयक सर्वश्री सियाशरण गुप्त, जगदीश सिंह परिहार तथा उमाचरण अग्रवाल निवासीगण समथर, पो0 समथर, जिला झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

हमीरपुर जिले की राठ तहसील के ग्राम मलेहटा के पास मकरकुंडी नामक स्थान पर घसान नदी पर लिफ्ट नहर बनवाये जाने विषयक याचिका††

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमीरपुर जिले की राठ तहसील के ग्राम मलेहटा के पास मकरकुंडी नामक स्थान पर घसान नदी पर लिफ्ट नहर बनवाये जाने विषयक सर्वश्री छेदा सिंह परिहार, शम्भू दयाल शर्मा तथा लायक सिंह निवासीगण मझगवां, पो0 मझगवां, तहसील राठ, जिला हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

बेतवा नहर प्रखण्ड जिला झांसी की पनारी माइनर को राजबहा बनाये जाने विषयक याचिका††

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बेतवा नहर प्रखण्ड जिला झांसी की पनारी माइनर को राजबहा बनाये जाने विषयक सर्वश्री सुदामा प्रसाद स्वर्णकार, गुलाब चन्द्र बिलैया और अशोक केशवानी निवासीगण मौंठ, पो0 मौंठ जिला झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या–12 पर श्री काशी सिंह ऐरी जी का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न रहने पर।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 27 मार्च, 1989 की अपनी बैठक में विधान सभा के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 31 मार्च, 1989 को सदन का उपवेशन पूर्वाह्न 10 बजे से हो और उस दिन अपराह्न 2 बजे तक अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध

†छापी नहीं गयी।

विभाग (कृषि) की मांगों पर विचार एवं मतदान हो और उक्त तिथि के लिए पूर्व निर्धारित अन्य अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान अपराह्न 3-30 बजे तक हो ।

2–दिनांक 3 अप्रैल, 1989 को पूर्व निर्धारित असरकारी कार्य के पश्चात् न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव लिये जायें (आधा घंटा)

3–दिनांक 4 अप्रैल, 1989 को पूर्व निर्धारित सरकारी संकल्प के पश्चात् उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव लिये जायें (आधा घंटा) ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, बहुत कष्ट हुआ होगा कार्य-मंत्रणा समिति को इस कार्यक्रम को समायोजित करने में, समय की कमी के कारण । मैं निवेदन करूंगा कृपया कार्य-मंत्रणा समिति के माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित कर दें कि सदन के "वैल" में आ जायं । आप सदन पूर्व की भांति स्थगित करके चले जायं, बजट जल्दी पास हो जायगा । कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य फ्लोर पर आ जायं, ताय भी आ जायं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो सदन का सेवक हूं, जो आदेश होता है उसका पालन करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा पुनः कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये मा0 संसदीय कार्य मंत्री को पुकारा गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9 सूचनायें चयनित की गयीं ।

पहली सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा जनपद के बदौसा थानान्तर्गत ग्राम-तुर्रा में शराब के नशे में धुत पुलिस द्वारा हरिजनों पर अंधाधुंध फायर करने से एक हरिजन की

मृत्यु तथा दो घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित की उन्नाव जनपद के थाना–पुरवा में एक हरिजन की हत्या एवं अन्य कई गांवों में हरिजनों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री गोपी नाथ वर्मा एवं श्री मुहम्मद आजम खां की फैजाबाद में एक समुदाय के पांच पूजा स्थलों पर बाहर से ताला बन्द कर देने तथा अज्ञात लोगों द्वारा अनेक नागरिकों के घरों में बाहर से ताला बन्द कर देने के कारण उत्पन्न तनाव के संबंध में है । चौथी सूचना श्री महेन्द्र भाटी की गाजियाबाद में डा0 महेन्द्र सिंह राका की हत्या एवं नगर में लूट पाट, डकैती आदि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पांचवीं सूचना श्री बदन सिंह की ग्राम्य विकास के अल्प सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के अभियंताओं द्वारा गहरी बोरिंग न करके किसानों को धोखा दिए जाने के संबंध में है, छठी सूचना श्री शारदानन्द अंचल, श्री गौरी शंकर भइया, श्री मैनेजर सिंह, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री बालेश्वर, श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा एवं श्री विष्णु देव की मऊ जनपद के ग्राम सभा छिछोर स्थित परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 16-3-89 को छात्र दिनेश गुप्ता की निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों काली, कृष्णा तथा हिन्डल में हुए प्रदूषण से फैली महामारी के संबंध में है । आठवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की शारदा सहायक नहर के अकारण बन्द होने से किसानों के सामने उत्पन्न संकट के संबंध में है । नवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं श्री गोपाल दास यादव की इलाहाबाद नगर में उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में है ।

अब मैं एक-एक को सुनूंगा ।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, भारत और नेपाल का जो समझौता हुआ, उसके परिणामस्वरूप हमारे जनपद के निवासी जो कि बार्डर पर पड़े हुए हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है नेपाल शासन की ओर से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और हमारे यहां से उनके लिये सामान नहीं जा रहा है । मिट्टी का तेल 15 रुपये लीटर दुकान से उनको मिल रहा है । यहां से ट्रक के ट्रक जो जाते हैं वह बार्डर पर रोक लिये जाते हैं । आखिर वे हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशज हैं, वह वहां पर किस स्थिति में होंगे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कुछ सरकार करेगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह केन्द्र सरकार का मामला है ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, बांदा जनपद में थाना बदौंस में ग्राम तुर्रा में 21/22 मार्च, 1939 की रात में जब होली जलाई जा रही थी तो शराब के नशे में धुत्त होकर हरिजनों पर फायर किये । शराब के नशे में धुत्त पुलिस कर्मियों के साथ दो व्यक्ति भी थे जो दोनाली बन्दूक लिये थे, ने फायर करना शुरू किया । गांव का चौकीदार जो कि उनके साथ था, उसने कहा और मना किया कि आप होली जलाने वाले आदमियों पर फायर कर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

रहे हैं, लोग मर जायेंगे । मान्यवर, उस फायरिंग में पुलिस की गोली से एक हरिजन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी और अन्य दो हरिजन गम्भीर रूप से घायल हो गये, उनकी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है । लाला पुत्र सदल, भैयन पुत्र सूरजा तथा एक अन्य हरिजन गम्भीर रूप से घायल है । इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके कारण पूरे जनपद की जनता में असन्तोष व क्षोभ व्याप्त है । स्थिति बहुत गम्भीर है, पुलिस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है । इस संबंध में वहां पर जगह-जगह मीटिंग हो रही है और प्रदर्शन हो रहे हैं मृतक के आश्रितों तथा घायलों को मुआविजे की मांग के संबंध में भी मीटिंग हो रही है । पूरे कस्बे में सी0 ओ0 के द्वारा जांच करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है । पूरे जनपद का जन मानस अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और वहां की स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है । बड़ी गम्भीर स्थिति है । घायल दोनों हरिजन कभी भी मर सकते हैं । उनकी दवायें भी अच्छी प्रकार से नहीं हो रही हैं । मृतक के आश्रितों एवं घायलों को अभी तक मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है । बांदा जनपद के नागरिक बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में पुलिस का आतंक व्याप्त है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को, आज सदन के सभी कार्यों को रोक कर, इस चर्चा करा लें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, घटना बहुत गम्भीर है । इसको तत्परता से लिया जा रहा है । इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है । सूचना आने पर सदन को उससे अवगत करा दिया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास किसी चीज की सूचना उपलब्ध नहीं रहती है जबकि प्रागदर्शन वे स्वयं कह भी रहे हैं कि मामला गम्भीर है । मान्यवर, इसे आप देख लें कि दोनों बातें कैसे एक साथ वह कह रहे हैं ?

श्री सईदुज्जमा–

अगर माननीय सदस्य कोई बात कहेंगे तो उसे हम गम्भीरता से ही लेंगे । हम इसे तत्परता के साथ देखेंगे । इसमें सूचना का सवाल है वह अभी है नहीं । इसमें चर्चा का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, इस घटना को दस दिन हो गये हैं और अभी तक शासन के पास इसकी सूचना नहीं है । जब इनके पास सूचना नहीं है तो ये कैसे कहते हैं कि यह मामला गम्भीर है ?

श्री उपाध्यक्ष–

इसको हम वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लेते हैं । यह सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार हो गयी है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, जो सूचना मैंने दी है, वह उन्नाव जनपद में हो रहे हरिजन उत्पीड़न से संबंधित है . . . (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना शराब से संबंधित हमारी भी थी, उसका क्या हुआ . . .

श्री उपाध्यक्ष–

कल नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना शराब से संबंधित दी गयी थी, वह वक्तव्य के लिए स्वीकार कर ली गयी है और इस संबंध में आज जितनी सूचनाएं आयेंगी वह सब भी इसमें जोड़ दी जायेंगी. . .

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, जनपद उन्नाव में हरिजन उत्पीड़न की घटनाएं इतनी बढ़ी हुयी है, जिससे गांवों के हरिजन मारे दहशत के अपने घरों को छोड़कर बाहर भाग रहे हैं ।

यहां से मान्यवर, करीब 30 कि0 मी0 थाना सोरामऊ के ग्राम उमर्रा में बाबू पासी के घर में होली के दूसरे दिन कुल पुलिस वाले घर में घुस गये और उसकी युवा लड़की को छेड़ा और जब उसकी मां ने इसका विरोध किया तो उनको खूब मारा-पीटा और आज मान्यवर, इसकी शिकायत करने के लिए भी वह बाबू पासी कहीं नहीं जा सकता है क्योंकि उन पुलिस वालों ने उसे नजर बंद कर रखा है। इसी प्रकार से मान्यवर, 15 दिन पूर्व मौरावां थाने के ग्राम पारा में हरिजनों की खूब लूट की गयी और उन्हें बहुत मारा-पीटा गया और जब इस मामले की रिपोर्ट लिखायी गयी तो उन्नाव जिला परिषद् के अध्यक्ष के दबाव वश उस रिपोर्ट को संशोधित कर दिया गया, हालांकि मान्यवर, यह वह गांव है, जहां के हरिजनों की सुरक्षा में बाबू जगजीवन राम विशेष प्रकार से रूचि लेते थे और इनके ही निर्देशों पर उस गांव में पुलिस की एक टुकड़ी सदैव सुरक्षा हेतु तैनात रही थी, परन्तु जब से यह टुकड़ी हटायी गयी है, तभी से वहां के हरिजनों के साथ बड़े उत्पीड़न की कार्यवाही चल रही है ।

इसी प्रकार से इसी गांव के जागेश्वर धानुक को भी खूब मारा पीटा गया, रिपोर्ट के बावजूद आज तक उस मामले में भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी । चिलौली गांव सभा के थाना सोहरामऊ के सत्यनारायण चमार का घर वहां के एस0 डी0 एम0 के आदेशों के तहत गिरा दिया गया । जबकि मान्यवर, नियम है कि किसी भी परगनाधिकारी द्वारा हरिजन के मकान को चाहे वह अनाधिकृत रूप से ही क्यों न बनाया गया हो, गिराया नहीं जा सकता है, मान्यवर, मामले की जांच हुयी और जो जिला उन्नाव के डिप्टी एस0 पी0 हैं उन्होंने भी अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि सत्यनारायण चमार का मकान एस0 डी0 एम0 के आदेशों से ही गिराया गया है ।

थाना मौरावां के ग्राम निरही खेड़ा में राम आसरे पासी का मकान भी इसी प्रकार से गिरवा दिया गया और उसको तथा उसकी पत्नी को बांध कर डाल दिया गया और जब लोग इस घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंचे तो सारे के सारे अभियुक्त थाने पर पहले से मौजूद थे, जिससे इस मामले में भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी । थाना पुरवा में पूर्व दीन पासी के लड़के, निवासी ग्राम शाहपुर थाना असोहा की भी हत्या कर दी गयी । तो मान्यवर इस प्रकार से सैकड़ों घटनाएं जनपद उन्नाव में आए दिन हो रही हैं, जिनका उल्लेख किया जाना मुश्किल है । इस भयावह स्थिति को देखते हुए मैं जानता हूं कि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही रोकर नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिकता को बरतते हुए मैं केवल वक्तव्य की ही मांग करता हूं ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, माननीय विधायक ने जो सूचना दी है, इस संबंध में डी0 आई0 जी0 को आदेश दे दिए गये हैं कि समस्त मामले की जांच कर 3 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दें और फिर जांच के अनुसार इस प्रकरण पर कार्यवाही की जायेगी . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है इसे भी वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया गया . . (शोर)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ, मैंने भी नियम 56 के अंतर्गत बनारस से संबंधित एक सूचना दी थी . . (घोर व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह के सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 यदुनाथ सिंह जी आप तो बनारस से हैं और बनारस के लोग तो ऐसा करते नहीं हैं . .

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह जी फिर अपनी जगह पर वापस चले गये)

(घोर व्यवधान)

*डाक्टर बंगाली सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस पर कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है, जबकि यह मामला हरिजन उत्पीड़न से संबंधित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन माननीय मंत्री जी इस मामले में सदन को गुमराह करना चाहते हैं, जगह-जगह पर इनके घर लूटे और गिराए जा रहे हैं, इनकी इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन माननीय मंत्री जी इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सूचना मंगाई जा रही है । दो हरिजन मरने वाले हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके पास सूचना नहीं है ।

(व्यवधान)

(डाक्टर बंगाली सिंह श्री सुरेन्द्र सिंह के साथ सदन के फ्लोर पर गये व बाद में श्री हरेन्द्र सिंह के प्रयास से अपने स्थानों पर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने दोनों वक्तव्य स्वीकार कर लिये हैं। पहला और दूसरा वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है ।

डाक्टर बंगाली सिंह–

दो हरिजन मरने वाले हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना आसन ग्रहण करें । उत्तेजित न हों । मैंने वक्तव्य स्वीकार कर लिया है । इससे क्या लाभ ? यह /दिन इस काम के लिये नहीं है, चाहे हरिजन का मामला हो चाहे सवर्ण का मामला हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय, हरिजन घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी दवा का तो उचित प्रबन्ध करा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी, जो घायल हैं, उनकी दवा का इन्तजाम करवा दें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

माननीय, कल माननीय सदस्य बुनियाद हुसैन अंसारी का मामला इस सदन में आया था. . .

श्री उपाध्यक्ष–

इसके बाद आप उठा लें । मित्रसेन जी, आप का नाम, जो आलू वाली चर्चा लगी है, उसमें जोड़ दिया गया है ।

श्री मित्रसेन–

मेरा तो अलग मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

पूरे प्रदेश का कर दिया है । उसमें चर्चा लगी है ।

(व्यवधान)

*श्री गोपी नाथ वर्मा–

माननीय, जनपद फैजाबाद के नगर क्षेत्र फैजाबाद में एक ही रात में एक समुदाय के 5 पूजा स्थलों पर बाहर से ताला बन्द कर देने तथा अनेक नागरिकों के घरों में बाहर से ताला बन्द कर देने जैसी अज्ञात लोगों द्वारा की गयी हरकतों से उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव और स्थिति अत्यन्त विस्फोटक एवं भयावह होने के बारे में आपके समक्ष सूचना दे रहा हूं । माननीय, जनपद फैजाबाद के नगर क्षेत्र फैजाबाद में जो मंडल का मुख्यालय है, एक समुदाय के 5 पूजा स्थलों पर 25/26 मार्च की रात्रि में एक साथ बाहर से ताला लगा दिया गया, अनेक नागरिकों के घरों पर भी बाहर से ताला लगा दिया गया और एक-एक उत्तेजक पोस्टर भी लगा दिये गये । पूरे जनपद में तनाव का वातावरण है । माननीय, 3-4 महीने पहले फैजाबाद में रायट हो चुका है और 10 दिन तक लगातार कर्फ्यू लगा रहा और उसके कारण वहां के नागरिक त्राहि-त्राहि करते रहे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस अयोध्या के बारे में लोगों की निगाह है, वहां पर असामाजिक तत्व ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिससे वहां पर नागरिकों का रहना दूभर हो जाये । इसलिये आप कृपा कर सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

*श्री मुहम्मद आजम खां–

माननीय, मैं गोपीनाथ वर्मा की बात पर बल देते हुये कहना चाहता हूं कि यह 26 मार्च का वाक्या है । मैं उत्तेजना में कोई बात इस सदन में नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस को जानने की जरूरत है कि मस्जिदों में किसने ताला लगाया है ? कौन से ऐसे लोग हैं जो मंदिर में राम को बन्द करते हैं, उनमें ताले लगाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं जो गुरुद्वारों में खून बहाते हैं, इंसानी कत्ल करते हैं, इंदिरा गांधी के कत्ल के जिम्मेदार हैं । चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, मुसलमान हों, सिक्ख हों, हिन्दू हों, किसी के लिये भी यह फख्र की बात नहीं है कि वह किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में या मस्जिद में ताला डाले । यह बात हमारे समाज का सिर झुकाने के लिये काफी है । यह जो काम हो रहा है यह बड़े मंसूबाबन्द तरीके से हो रहा है । आज पंजाब में क्या हो रहा है । जैसा कि मैंने पहले भी यहां पर अर्ज किया था कि जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपने को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था उनको गद्दार कहा गया ।

आप ठक्कर कमीशन की बात नहीं करना चाहते, इंदिरा गांधी के हत्यारों की बात नहीं करना चाहते । जानते हैं क्या होगा ? जिस तरह से सिक्खों को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया गया उसी तरह चाहते हैं मुसलमानों के साथ किया जाय और उनको भी वहीं लाकर खड़ा कर दें जहां सिक्खों को कर दिया गया है। इस तरह से आप पोस्टर छपवायेंगे, मस्जिदों पर ताले लगायेंगे तो पंजाब की तरह यह आग पूरे हिन्दुस्तान में फैल जायेगी और पंजाब अपनी सरहद तोड़कर बाहर निकल जायेगा और ऐसे लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जायेंगे। यदि इस तरह से मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ताले डाले जायेंगे और इंदिरा गांधी के कातिलों की तलाश नहीं की जायेगी तो इस मुल्क के टुकड़े हो जायेंगे और सारे मुल्क का समाज खत्म हो जायेगा। यह बात सही नहीं है तो वहां पर ताले किसने डलवाये ? फैजाबाद में दो दिन से बन्द क्यों है? मुजरिम कहां हैं? सन् 1949 में बाबरी मस्जिद में एक काली रात को मूर्तियां रख दी गईं और खुदा का घर इबादत से महरूम कर दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि यह मामला इस मुल्क का संगीन तरीन मामला है। 6-8 महीनें में यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं और आप इलेक्शन को सामने रखकर मंसूबा बंद तौर से [xxx] करना चाहते हैं और इसी नाम पर आप वोट लेना चाहते हैं। यदि इस तरह से रहा तो [xxx] शरीफ हिन्दू बच न सकेगा। यह [xx] साजिश का नतीजा है और यह सब [x] करा रहे हैं। सिर्फ वोट लेने की [xxx] हो रही है । मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि उन लोगों का पता चले कि किसने वहां पर ताले डलवाये हैं, इन्तेजामिया को सख्त सजा मिले। वहां पर दो रोज से बाजार बन्द है, वह खुलने चाहिए और वे कौन लोग है जिन्होंने राम के मंदिर बन्द कराये हैं, भगवान के मंदिर बन्द कराये हैं, खुदा के घर बन्द कराये हैं ताकि फैजाबाद में अमन पैदा हो सके। यह न हुआ तो [xxx] तैयारी है।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

दो मिनट का समय मुझे भी बोलने के लिए दें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मंत्री जी बोलेंगे।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने तथा आजम साहब ने जो मामला उठाया है . .

(व्यवधान)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं चर्चा नहीं करने दूंगा। . . . (व्यवधान) कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

आप समय बर्बाद कर रहे हैं। . . . . (व्यवधान) कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, सभी कौमों की इबादतगाह की इज्जत करना हमारा फर्ज है। हमारे कुछ इंसानी किरदार भी हैं। हम सभी लोग मिल कर इस तरह का माहौल बनायें जिससे कि सभी इंसान जिन्दा रह सकें। मान्यवर, यह जो वाकया हुआ है यह हकीकत में तकलीफ देह है। कुछ लोग ऐसे है जो कि समाज के अच्छे माहौल को खराब करना चाहते है। इसको ठीक करना हमारा फर्ज है। सरकार इसमें तत्परता से ध्यान दे रही है और कार्यवाही कर रही जो भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही होगी और जो मस्जिदों में ताले लगाये गये थे (व्यवधान) मुझे कह लेने दीजिए आप तसरीफ रखिये। जो ताले लगाये गये थे उनको तुरंत खुलवा दिया गया और शांति समिति की मीटिंग वहां के लोगों की बुलाई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई चीज न हो जिससे तनाव पैदा हो या गैर इन्सानी किरदार पैदा हो (व्यवधान) इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो तत्व तनाव पैदा करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं यह जानना चाहता हूं कि दो रोज हो गये वहां हड़ताल है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने जबाब दे दिया और आपने जो कहना था कह लिया। अब आप क्या चाहते हैं। मुझे बता दीजिये किस्सा खतम हो (व्यवधान) इसमें जबाब सवाल तो होने नहीं हैं, आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें हत्या के संबंध में. . .

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह से कैसे काम चलेगा . . . ?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गम्भीर है, संवेदनशील है। माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि सबका सहयोग होना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि फैजाबाद में कई घरों में, कई मस्जिदों में ताले लगा दिये गये तो उस समय पुलिस प्रशासन क्या करता रहा ? सरकार तुरन्त फैजाबाद के एस0 एस0 पी0, डी0 आई0 जी0 और डी0 एम0 को सचिवालय बुलाये और उनकी लाइन हाजिर कराये। यह लोग वहां क्या करते रहे। ये जिले का चार्ज लेने योग्य नहीं है। अगर आप वाकई नियंत्रण चाहते हैं तो वहां के प्रशासन को बिल्कुल बदल दीजिये तब जाकर शासन का डर होगा अधिकारियों में। गुण्डे पोस्टर चिपकाते रहे और प्रशासन उनको पकड़ नहीं सका। इस तरह से जो उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। जो प्रशासन के अधिकारी उन्हें पकड़ नहीं सके उन्हें दंडित कीजिये।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा कि यह विषय अत्यंत गंभीर है। मुझे पहले तो शिकायत यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर कैबिनेट मंत्री को यहां पर होना चाहिए क्योंकि नियम 56 में अत्यंत महत्वपूर्ण नीति विषयक मामले यहां पर आते हैं जिनमें राज्य मंत्री जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर को जवाब देह होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न इस बात का नहीं है कि दो समुदायों में किसी प्रकार झगड़ा हो गया। प्रश्न इस बात का है कि किसने यह षडयंत्र किया है एक समुदाय के पूजा स्थल में ताला लगाकर दूसरे समुदाय को भड़काने का किसने प्रयास किया ? इसमें अगर सरकार फौरन कार्यवाही नहीं करती है और वहां के पुलिस अधीक्षक को, वहां के जिलाधिकारी को दोषी नहीं ठहराती है और दोषी लोगों को पकड़ने में सफल नहीं हो पाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरी बातें सदन में आनी चाहिए इसलिए आप इस पर एक घंटे की चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर लेते हैं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

अभी चर्चा कराइये। इस तरह की घटनायें होती रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आगे काम चलने दीजिये।

(व्यवधान)

जो करना था वह कर दिया है और चर्चा के लिए कह दिया ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जैसा विरोध और असंतोष माननीय सदस्य प्रकट कर रहे हैं उसको देखते हुए आप दो-तीन निर्देश देते हुए कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा देने की व्यवस्था की जाये। दूसरी बात ताले जो बंद हैं उनको खुलवा दिया जाये और वहां शांतिपूर्ण वातावरण पैदा किया जाये इस संबंध में मंत्री जी सदन को आश्वासन दें।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इसके पहले भी सदन को मैं अवगत करा चुका हूं कि वहां परीक्षायें कराई जायेंगी और अधिकारियों को आदेशित किया जायेगा कि वहां कोई अशांतिपूर्ण वातावरण न पैदा हो ।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, इस संबंध में कैबिनेट मंत्री को बुलाकर उनसे सदन को आश्वासन दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई भी मंत्री आश्वासन दे सकता है चूंकि उनकी संयुक्त जिम्मेदारी है। आप लोग बैठ जांय। शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

इस पर चर्चा करायें । (व्यवधान) आज ही चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा तो स्वीकार कर लिया है जिसके संबंध में पहले ही कह दिया है।

श्री मित्रसेन–

चर्चा से समस्या हल नहीं होती है, वहां पूरा बाजार बंद है . . .।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अब किसी का बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, पहली बात तो इसमें कैबिनेट मंत्री को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात माननीय सदस्य इसमें तीन आश्वासन मंत्री जी से चाहते हैं। पहली बात बाजार खुलेंगे। दूसरी बात विद्यार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं वह शांतिपूर्ण दे सकें इसके लिये शासन व्यवस्था करें। इन बातों पर मंत्री जी आश्वासन दे दें?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मा0 नेता विरोधी दल, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री गोपी नाथ वर्मा और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि फैजाबाद का प्रकरण दुर्भाग्य-पूर्ण है यह सदन के सामने रखा । मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री जी ने सारी जो इस समय तक की स्थिति थी, उसे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया। माननीय नेता विरोधी दल ने दो बातें कहीं, कहना तो तीन चाहते थे, लेकिन कही दो ही। एक तो यह कि परीक्षाएं चालू हों, जो रुकी हैं उनको कराया जाय और दूसरी जो बाजार वहां बन्द हैं उनके लिए सामान्य स्थिति पैदा की जाए ताकि बाजार खुल जाएं और वहां का जो सामान्य जीवन है, उसको सामान्य किया जाए। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा और आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि आज ही इस चीज को हम और सुनिश्चित करेंगे कि वहां कोई बच्चा परीक्षा से महरूम न रहने पाए और जो बच्चे इम्तहान देने नहीं पहुंच रहे हैं, वह पहुंच कर अपनी परीक्षाएं सामान्य रूप से दें। जहां तक बाजार बन्दी की बात है, वह पब्लिक की अपनी बात है, वह स्वयं अपनी बाजार बन्द करते हैं। इस सबको देखते हुए वहां पर पीस-कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जो जनप्रतिनिधि हैं मित्रसेन और वर्मा जी आदि हम सब उसमें उनका सहयोग चाहते हैं कि वहां पर एक ऐसा वातावरण बने, जिसके अन्दर वहां के बाजार खुलें और सामान्य जीवन फिर से बहाल हो और जो कलप्रिट्स हैं, आसामाजिक तत्व हैं, जिनका कोई धर्म नहीं होता है, जो हिंसा करते हैं और जो धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं या हिंसा की बात करते हैं, इस सभी के खिलाफ पूरी तरह से कार्यवाही की जाएगी और यही नहीं उन्हें पूरी तरह बेनकाब किया जाएगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

आपने दो रोज में क्या कार्यवाही की, यह आप बताइये ?

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मैंने यह बात कही कि ऐसे तत्व जो साम्प्रदायिकता की आड़ में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं, जिस वातावरण से शान्ति भंग हो, उन तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । मुहम्मद आजम खां साहब ने कहा कि दो दिन में क्या कार्यवाही की गई। इसकी जांच की जा रही है, हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि कार्यवाही इसमें अवश्य की जाएगी और ऐसे तत्वों को बेनकाब किया जाएगा और वे कहीं भी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

यह विस्फोटक स्थिति कुछ असमाजिक तत्व ही पैदा कर रहे हैं, हिन्दू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, इसमें एल0 आई0 यू0, सी0 आई0 डी0 और इंटेलीजेंस आदि किसके खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है ?।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर चर्चा तिवारी जी, स्वीकार कर ली है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है नियम 56 के सम्बन्ध में। नियम 56 की सूचनाएं आप हमसे तीन प्रतियों में लेते हैं, उसके पीछे मंशा यही रहती है कि उसकी एक प्रति संबंधित मंत्री को उसी दिन 10 बजे तक पहुंच जाती है । इसके जरिये मंत्री जी से यह अपेक्षा की जाती है कि मान्यवर, जिस समय आप यहां पर सदन में सम्बन्धित मंत्री को बोलने को इस पर अवसर देते हैं, उस समय सम्बन्धित विभाग के मंत्री को अप-टू-डेट जानकारी सदन में देनी चाहिए। लेकिन आज इसमें मंत्री जी ने जानकारी दी कि उनको यह पता नहीं है कि वहां पर दुकानें बन्द हैं या नहीं, परीक्षाएं लड़कों की हो रही है या नहीं हो रही हैं और मस्जिदों पर ताले लगाए गये या नहीं या कितनों पर लगाए गये। छात्र परीक्षाएं देने जा रहे है या नहीं। इसलिए मेरी बिनती है कि या तो आप नियम 56 को सुनने की बात बन्द कर दें या शासन से इस बात की अपेक्षा करें कि जब मंत्री जवाब देने उठें तो कम से कम 10 बजे तक जो सूचना मिलती है- हाट लाईन से या जिलाधिकारी से सम्पर्क करके उन्हें सदन को पूरी सूचना देनी चाहिए। (व्यवधान) चर्चा तो बाद में करायेंगे। सदन को यह जानने का अधिकार है कि वहां पर क्या घटना घटी वहां शासन की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से क्या कार्यवाही की गई ? नियम-56 को मजाक बना दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

शासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए । जितनी सूचनाएं मिलें उनको देखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह के सदन से निष्कासन का प्रस्ताव

श्री यदुनाथ सिंह–

पत्रकारों को बम मारने की बात कह रहे हैं---

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने महेन्द्र भाटी जी को बुला लिया है, आप बैठें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं भी साथ में बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र भाटी–

हमारे यहां सफदर हासमी की हत्या हुई । कांग्रेस के कार्यकर्ता को मार डाला गया, एडवोकेट को मार डाला गया. . .

श्री यदुनाथ सिंह और श्री महेन्द्र भाटी एक साथ बोलते रहे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

यदुनाथ जी, बैठें ।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये और अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे, परन्तु विधान भवन रक्षकों ने उन्हें रोक लिया।)

श्री उपाध्यक्ष–

यहां क्या आप कुश्ती लड़ने आए हो । मैं यदुनाथ सिंह जी को इंगित करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह को आज के लिए सदन से निष्कासित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है क्या उससे सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आकर लेट गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री यदुनाथ सिंह जी को बल पूर्वक बाहर ले जाया जाए।

(कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर श्री यदुनाथ सिंह को समझाने लगे)

(माननीय नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

पहले यदुनाथ जी सदन छोड़ें तब कार्यवाही चलेगी । उसके बाद आप कोई प्रस्ताव लायें, जो करना हो करें ।

श्री राम शरण दास–

मा0 नेता विरोधी दल आप ऐसे असेम्बली चलवायेंगे ?

(श्री यदुनाथ सिंह स्वयं सदन से बाहर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठिये ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी एक गरिमा है । माननीय यदुनाथ सिंह जी ने नियम 56 के तहत एक गम्भीर समस्या को उठाने का प्रयास किया । मैंने स्वयं उनके यहां देखा कि अत्यंत गम्भीर समस्या है । विषैली शराब पीने से 10 लोगों की मृत्यु हो गयी है । मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य कोई बात कह सकते हैं लेकिन जिस चेयर पर आप बैठे हैं यह आपके लिये शोभनीय नहीं है कि आप गुस्सा हों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करें । आपने जिस तरह से माननीय सदस्य को डांटा मैं वैसा भरोसा नहीं करता था । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य वहां पहुंच गये, आपके सुरक्षा अधिकारियों ने उनको निकालने का प्रयास किया । वह बाहर चले गये । मेरा अनुरोध है कि सदन व्यवस्थित चले इसलिये आप निलम्बन को वापस लेने की कृपा करें । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि निलम्बन के प्रस्ताव को वापस लें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि माननीय नेता विरोधी दल कभी कोई बात कहते हैं तो मैं टालता नहीं हूं । हमेशा उनका आदर करता हूं । लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर हमें बहुत विवश होकर ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं । अभी 5 जो कार्यस्थगन निर्धारित थे वह समाप्त नहीं हुये थे और आप स्वयं कह रहे थे कि इनके समाप्त होने पर देखूंगा । लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय खड़ा होकर अपनी बात कहने लगे, इस तरह की बात सम्मानित सदस्य करेंगे तो कार्यवाही नहीं चल सकती है । मैं इनकी हर बात मानता हूं लेकिन मान्यवर, आप स्वयं देखें कि सदन के अन्दर लोग किस तरह से उत्तेजित हो गये । माननीय नेता विरोधी दल स्वयं कहें कि भविष्य में इस तरह की कोई बात नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी तो इस प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है । कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

उनकी कोई गलती नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपकी पीठ के प्रति जो अनादर का भाव व्यक्त किया गया है, जो बातें आपकी पीठ के लिये कही गयीं हैं, आपके लिये कही गयीं हैं वह उचित नहीं है । मैं समझता हूं कि अगर माननीय यदुनाथ सिंह जी नहीं कह सकते हैं तो माननीय नेता विरोधी दल स्वयं कह दें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप हमसे माफी मंगवाना चाहते हैं, इसके पहले बीसियों बार हमने कहा कि बाहर निकालिये लेकिन आपने नहीं निकाला । आप माफी मंगवाना चाहते हैं । हम सभी वेल में आ रहे हैं, मंगवाइये माफी । यह कोई तरीका नहीं है । इन्हें निकलवाइये ।

(श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री शारदानन्द अंचल, प्रधान प्रभुदयाल, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री मूल चन्द्र आदि बहुत से विरोध पक्ष के सदस्य सदन के पटल पर आ गये जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अंतर्गत जितनी सूचनाएं हैं, उनको सबको मैं अस्वीकार करता हूं ।

अब हम उठते हैं 4 बजे तक के लिए ।

(इस समय 2 बज कर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिये स्थगित कर दी)

(4 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की समाप्तिकाल में पुनः आरम्भ)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया था ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा नियम 56 में था ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो मैंने अस्वीकार कर दिया ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, वक्तव्य के लिए ही स्वीकार कर लीजिए, क्यों झंझट ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो मैं अस्वीकार कर चुका हूं ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि 5 को शलाका से आपने लिया था उनको तो आपको सुनना था अगर हाउस अव्यवस्थित न हुआ होता । मेरा निवेदन है कि जिसे आप वक्तव्य के लिए समझे उसे वक्तव्य के लिए और जिसे चर्चा के लिए समझे उसे चर्चा के लिए आदेश कर दें बाकी 5 में कोई वक्तव्य लायक हो तो उसको भी देख लें । श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि शेष 5 में भी आप देख लें अगर आपको कोई लगे कि वक्तव्य लायक है तो उस पर आदेश कर दें । जो आदेश कर देंगे मुझे शिरोधार्य है इस काम को कल के लिए न बढ़ावें ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री महेन्द्र भाटी, श्री बदन सिंह, श्री शारदानन्द अंचल आदि श्री हरेन्द्र सिंह, श्री अवधेश प्रसाद और श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचनाओं को मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं और श्री गोपी नाथ वर्मा वाले में एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत के अत्यन्त पिछड़े तामली क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण व उच्चीकरण किये जाने विषयक याचिका†

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत के अत्यन्त पिछड़े तामली क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण व उच्चीकरण किये जाने विषयक श्री नवीन मुरारी, निवासी स्टेशन मार्ग, लोहाघाट, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत में स्थित स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय के भवनों का निर्माण कराये जाने विषयक हस्ताक्षरित याचिका†

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत में स्थित स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय के भवनों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नवीन चन्द

---

†छापी नहीं गयी ।

मुरारी, निवासी स्टेशन मार्ग, लोहाघाट, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,23,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,39,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,61,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, यह जो भी धनराशि आपके माध्यम से सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है, जिसकी स्वीकृति सम्मानित सदन से चाहता हूं, इसके पीछे जो मूल भावना है, उसको मैं सूक्ष्म में व्यक्त करना चाहता हूं । एक ओर जहां प्रदेश में पौष्टिक आहार योजना को बल देना है, वहीं दूसरी ओर इस बात को संज्ञान में लेना है कि तमाम ऐसी योजनाएं इन विभागों से जुड़ी है जो निर्बल वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों या अन्य छोटे-छोटे उद्यमियों और व्यवसायों से जुड़ी है । इनको गति प्रदान करने का कार्य हमको करना है । इसके तहत मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि पशुधन के माध्यम से अच्छी ढंग के पशुओं के रखरखाव के लिये अस्पताल, उनके चारे की व्यवस्था तथा उनके रोगों की रोकथाम के साथ-साथ अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था प्रदेश स्तर पर कराने की मंशा शासन की है । इसके तहत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर 1610 पशु चिकित्सालय है, सेवा केन्द्र एवं औषधालय 2871 है, पालीक्लीनिक 3 है, जैविक औषधि उत्पादन संस्थान दो है, एक लखनऊ में है और दूसरा गोरखपुर में संस्थान खोला जा रहा है । अति हिमीकृत वीर्य की व्यवस्था भी की गयी है । अच्छे ढंग के दुधारू और अच्छे जानवरों की व्यवस्था प्रदेश स्तर पर कराई जाय, इसके लिये प्रदेश स्तर पर चार अति हिमीकृत वीर्य केन्द्रों की स्थापना की गयी है । इसी के साथ साथ 12 तरल नत्रजन संयंत्र के अन्तर्गत दूर से वीर्य उपलब्ध कराने के सेन्टर बनाए गये है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीर्य उपलब्ध कराया जा

इसी के साथ-साथ कुक्कुट प्रक्षेत्र कुल 46 हैं जिससे कि अच्छे ढंग के अंडे और चूजों की सप्लाई प्रदेश स्तर पर सुनिश्चित की जा सके । इसी प्रकार बतख प्रक्षेत्र हैं । ऊन की समस्या के लिये भेड़ निगम का स्वरूप भी सुनिश्चित किया जायगा । ऊन की कमी को देखते हुए 9 भेड़ ऊन प्रसारण केन्द्र हैं ।उनके सब सेन्टर्स 292 हैं। इसी प्रकार बकरी प्रक्षेत्र के 6 सेन्टर हैं । वर्ष 1990 में हमने कुछ नयी व्यवस्थायें की हैं जिनके अन्तर्गत औषधालयों की अच्छी सेवा उपलब्ध कराने के लिये धन की बढ़ोत्तरी की गयी है। मान्यवर, अभी तक बड़े पैमाने पर हमारे जानवरों का जो स्वरूप है, इतने बड़े पैमाने पर पशु औषधालय नहीं उपलब्ध करा पाए थे । हमारा प्रयास है कि इसको उपलब्ध कराया जाय । अभी भी बहुत से सम्मानित सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे, बहुत से अस्पताल में डाक्टर नहीं हैं । अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा डाक्टर नहीं उपलब्ध हो पाए थे लेकिन आने वाले दिनों में 230 अभ्यर्थियों की सूची मिल गयी है जिनकी नियुक्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस नये सत्र में 50 पशु औषधालय, 35 पशु सेवा केन्द्र और 3 सचल सेवा केन्द्र पशुओं की सेवा के खोलने का प्रस्ताव रखा गया है । इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि पशुधन की स्थिति में सुधार किया जाय । हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की चिकित्सा दी जाय। बीज विकास कार्यक्रम के तहत यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह जो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं जिसके तहत पूरे प्रदेश में 24 लाख प्रतिवर्ष गाय भैंस को मिलाकर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों से गर्भाशय कराये जाते जाते हैं । यह प्रयास है कि आने वाले दिनों में ट्राइसम योजना के तहत गांव में नौजवान साथियों को तैयार किया जाय उनको प्रशिक्षित किया जाय और न्याय पंचायत स्तर पर कम से कम एक हजार न्याय पंचायतों में ट्रेनिंग देकर अति हिमीकृत वीर्य की सुविधा उपलब्ध करायी जाय जिससे अच्छी नस्ल के जानवरों को उपलब्ध कराया जा सके । कुक्कुट के कार्यक्रम को गतिशील बनाने के लिये अब गाजियाबाद में एक हेचरी बनायी जा रही है । कम से कम 13 लाख चूजे वर्ष के अंदर इस कुक्कुट क्षेत्र के विकास के तहत देते हैं । मान्यवर, अण्डे भी उपलब्ध कराते हैं । भेड़ों की शेरिंग करने के लिये ग्रेडिंग करने के लिये क्रय विषय के स्वरूप को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । जमुनापारी बकरी की नस्ल सुरक्षित रखी जाय उस पर ध्यान है । मुर्रा भैंस की नस्ल का भी ध्यान रखा जा रहा है । उनकी भी नस्लें सुरक्षित कर रहे हैं, नस्ल बढ़ानी है । जो यहां पर क्षेत्रीय तौर से पहले से नस्लें चली आ रही हैं उनकी नस्लें सुरक्षित करा रहे हैं।

श्री सभापति–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री अरूण कुमार सिंह–

चारे की समस्या के संबंध में इस बजट के माध्यम से प्रयास किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ें और सुनिश्चित तौर से उपलब्ध कराया जाय । दूसरे स्वरूप में मत्स्य विहार के तहत मत्स्य विकास की तरफ से क्योंकि आज पौष्टिक आहार की उपलब्धता कम है जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं वह पौष्टिक आहार के तहत नहीं पा पाते हैं मत्स्य विकास को इस प्रदेश में गति देने के लिये पिछले दिनों में प्रदेश शासन ने प्रभावी कदम उठाये हैं ।

मत्स्य पालक विकास अधिकरण की योजना चलायी गयी है 48 जिलों के अंदर । ग्राम सभाओं के तालाबों के पट्टे और पलवाने में सहयोग करते हैं तालाब सुधार में सहयोग

करते हैं बैंकों से उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिये मत्स्य पालकों को और प्रक्षेत्र बीज उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं । प्रदेश के अंदर कुल 1 लाख 62 हजार हे0 तालाब उपलब्ध हैं अभी तक 36,436 हे0 के पट्टे किये जा चुके हैं । 32809 के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है । ऋण एवं अनुदान 2266.6 लाख रु0 दिये जा चुके हैं। जो मत्स्य पालक की संख्या है वह करीब 40 हजार के करीब है। यह पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन सुनिश्चित हो सके। मत्स्य बीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर अनुमानित स्वरूप है 17 करोड़ मत्स्य बीज की जरूरत पड़ती है। इनकी डिमांड 17 करोड़ के करीब है उसको सुनिश्चित करने के लिए हैचरी बीज उत्पादन के लिए बनायी गयी है। मत्स्य बीज उत्पादन के लिए 8 कार्यरत हैं और 4 नयी हेचरी निर्माणाधीन हैं निकट भविष्य में वह भी पूरी हो सकेंगी। हेचरियों के वर्तमान स्तर में पिछले दिनों करीब (इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।) 4 करोड़ 86 लाख बच्चे उत्पादन करके प्रदेश के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराये। यह प्रस्तावित है कि कम से कम साढ़े बारह करोड़ का उत्पादन सुनिश्चित हो । उस क्षमता से कार्य नहीं हो पाया, जिस क्षमता से उनको उपलब्ध कराने की योजना सुनिश्चित की गयी थी। आन वाले भविष्य में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह पूरी क्षमता से उपलब्ध करा दिया जाय। श्रीमन्, मत्स्य अभिकरणों की व्यवस्था से पहले मैं स्थिति का मूल्यांकन करना चाहूंगा। पहले एक हेक्टेयर पर 150 से लेकर 300 किलोग्राम तक उत्पादन होता था, लेकिन आज इस वर्तमान स्तर पर 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ी है, इन मत्स्य अभिकरणों को बनाने के बाद। भविष्य में इसमें और भी गतिशीलता लाने का प्रयास किया जा रहा है और 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज करने की कोशिश की जा रही है।

मान्यवर, मछुआ आवासों के बारे में भी कहना चाहूंगा, क्योंकि इनका जीवन बहुत निम्न तरीके का है और यह बहुत गरीब हैं। इस बार मछुआरों के लिए 300 मछुआ भवनों की व्यवस्था कराई जा रही है और इसमें प्रति भवन 10,800 रुपये व्यय किया जा रहा है । मान्यवर, यह लोग अत्यन्त विपत्तियों में काम करते हैं और कभी भी दुर्घटनाग्रस्त होकर इनका जीवन खत्म हो जाता है इसलिये दुर्घटना होने के बाद प्रतिफल स्वरूप इनके परिवार के लिए मछुआ दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत 26 हजार मछुआरों को आच्छादित किया जायगा। इसके लिए बड़े मुख्यालयों पर भी प्रयास किया जा रहा है और लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद आदि जितने भी कवाल टाउन्स हैं वहां सचल मत्स्य विक्रय केन्द्र चल रहे हैं इसके अतिरिक्त अन्य कवाल टाउन्स जैसे बनारस, आगरा, कानपुर आदि में इन केन्द्रों का खोला जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रकार मैंने अभी आपके माध्यम से मत्स्य विकास योजनाओं को इस सम्मानित सदन के सामने व्यक्त किया।

अब मैं दुग्ध विकास की बात भी बताना चाहूंगा। मान्यवर, इसका जो लक्ष्य है उसके तहत 37 जिलों में दुग्धशालाओं के विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसमें से 28 जिले आपरेशन फ्लड के अन्दर सम्मिलित किये गये है तथा 9 मैदानी जिलों को राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसी प्रकार अतिरिक्त फ्लड योजना

के अन्तर्गत नैनीताल जनपद को लिया गया है और इसमें 30 हजार लीटर की डेरी प्रस्तावित है। मान्यवर, यह जो आपरेशन फ्लड योजना चलाई गयी है, उसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध विकास को गति देना है और इसके अन्तर्गत इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे आने वाले दिनों में दूध की क्षमता को बढ़ाया जाय और कैसे उसका सदुपयोग किया जाय। इसके अन्तर्गत नये तरीके से सीलिंग प्लान्ट लगाये जा रहे हैं और दूध जो उत्पन्न हो, उसकी सुरक्षा करने का प्रयास किया गया है। नये ढंग से डेरियों को चलाने का भी हमने विचार बनाया है। चूंकि हमारे पश्चिमी जिलों में दूध अधिक उत्पन्न होता है इसलिए मेरठ जनपद के अन्तर्गत जो दुग्धशाला थी और जिसकी वर्तमान हैन्डीलिंग 1 लाख लीटर प्रतिदिन की थी, उसको बढ़ाकर 3.5 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है और जो दुग्ध उत्पादन की क्षमता 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी, उसको बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन प्रतिदिन मेरठ दुग्धशाला में कर दिया गया है और यह कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार मुरादाबाद जनपद में दुग्धशाला, जिसकी हैन्डीलिंग 60 हजार लीटर प्रतिदिन थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार लीटर प्रतिदिन किया जा चुका है। एनूकूट में भी अभी तक क्षमता 8 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी, उसको बढ़ाकर 15 मीट्रिक टन आने वाले दिनों में कर दिया जायेगा। इसी प्रकार लखनऊ में भी एक नयी मदर डेरी की स्थापना की जा रही है और जिसके अन्दर 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता प्रस्तावित की गयी है, इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। कानपुर में जो 50 हजार प्रतिदिन क्षमता की डेरी थी, उसे बढ़ाकर 2 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में 100-100 मीट्रिक टन की 3 नई पुष्टाहार निर्माणशालायें प्रस्तावित की जा रही हैं। दुग्ध उपार्जन की स्थिति को देखते हुए पिछले दिनों में काफी प्रगति हुई है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1983-84 में आपरेशन फ्लड क्रियान्वित हुआ था, उस समय प्रदेश में मात्र 86 हजार लीटर प्रति दिन की क्षमता थी, जो बढ़कर 1087-88 में 3.08 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। चालू वर्ष में जनवरी तक यह बढ़कर 6 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता की हो गई है। अधिकतम उत्पादन 6.17 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता के स्वरूप को सुनिश्चित किया गया है। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, जहां दूध का उत्पादन ज्यादा था, जो चिलिंग प्लान्ट थे, उन सबको बढ़ाया गया है ताकि दुग्ध का उपार्जन ज्यादा हो और बिचौलियों से लोगों को बचाया जा सके तथा उन्हें दूध का सही मूल्य मिल सके। जहां पहले दूध का मूल्य मात्र 3.85 रुपये प्रति लीटर था, आज हमने बनारस मण्डल में 5/- रुपये प्रति लीटर, मेरठ में 4.80 रुपए प्रति लीटर तथा प्रदेश के अन्य जगहों पर 4.50 रुपए लीटर के हिसाब से दूध उपलब्ध कराया है। पिछले दिनों दुग्ध उत्पादकों को 6.77 करोड़ रुपए भुगतान करवाये गये हैं। उनके दूध का सही मूल्यांकन किया गया है। दूध एक ऐसी चीज है जिसका कहीं न कहीं उपयोग हो जाता है। दूध का उपार्जन ज्यादा हो, कंज्यूमर्स को सही ढंग से दूध मिल सके, दूध उत्पादकों को सही मूल्य मिल सके, इसीलिए यह सब किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जागरूक किसानों ने भी अपना सक्रिय योगदान हमें दिया है। हमें यह कहने में कोई

हिचक नहीं होनी चाहिए कि प्रदेश के पूर्वांचल में दूध की उपलब्धता नहीं रही है। इसलिए इसे सही करने के लिए पिछले दिनों रायबरेली में हमारे पास एक नई नस्ल की गाय आई है। बलिया में भी हम इसका निस्तारण करने जा रहे हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

जो इस तरह की गाय आई है, उसमें से एक गाय निःशुल्क श्री मैनेजर सिंह जी को उपलब्ध करा दी जाय।

श्री अरुण कुमार सिंह–

अभी हमारे पास केवल ढाई सौ गायें आई हैं, आने वाले दिनों में इसकी 450 की संख्या की सम्भावना है। साल भर के अन्तर्गत इसी ब्रीड से 5 हजार गायें तैयार की जायेंगी । इससे एक हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता दूध में बढ़ जायेगी । इसी प्रकार धीरे-धीरे पूर्वांचल में भी दूध की योजना में गतिशीलता आ जायेगी। मान्यवर, मेरा निवेदन है इस सम्मानित सदन के साथियों से कि आज जो योजनायें चलायी जा रही हैं इनके द्वारा जहां घर-घर को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, हर हाथ को काम देने का प्रयास कर रहे हैं वहीं पौष्टिक आहार देने की योजना भी बना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी संक्षेप में कहें, मुख्य-मुख्य योजनायें बता दें।

श्री अरुण कुमार सिंह–

बस यही कहूंगा मान्यवर कि दूध की गंगा बहाने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का भाषण मैंने बड़े गौर से और चाव से सुना । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि माननीय मंत्री जी की इस विभाग में रुचि नहीं है। इससे पहले सहकारिता में थे रंगीन विभाग था, अब पशुपालन, डेयरी, मत्स्य इसमें तबियत नहीं

लग रही है, यह इनके भाषण से साफ जाहिर हो गया। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और देश की 13 करोड़ जनता इसमें रहती है, जिसका मुख्य पेशा कृषि है। कृषि से संबंधित लोग पशु पालते हैं, उससे मांस, दूध, हड्डी एवं अन्य ऐसी वस्तुयें मिलती हैं जिससे अतिरिक्त आमदनी होती है। आबादी बढ़ती जा रही है, खेत कम होते जा रहे हैं। सीमान्त कृषक, लघु कृषक, भूमिहीन मजदूर ऐसे लोग हैं, जिनको इस विभाग के द्वारा लाभान्वित करके अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार इस विभाग पर ध्यान दे, अच्छा बजट दे और उनको अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध करायें, जो आधुनिक तरीके हैं, जो दूसरे प्रदेशों में और देशों में विकसित किये जा रहे हैं, उनका अगर अनुकरण करें तो आज हमारे देश में हरित क्रान्ति के साथ-साथ श्वेत क्रान्ति भी हो जाय तथा गरीब लोग जिनको सरकार ऊपर उठाना चाहती है और सरकारी मशीनरी के भ्रष्टाचार के कारण ऊपर नहीं उठा पाती है, उनको ऊपर उठा सकते हैं। कटौती तो माननीय मंत्री जी ने ही कर दी है, मेरा तो औपचारिक कटौती का प्रस्ताव है। हमारा जो कृषि विभाग का बजट मिलता है उसमें इस विभाग का योगदान 20 प्रतिशत का है। हमें कृषि के बजट का 20 प्रतिशत मिलना चाहिए था लेकिन 5 प्रतिशत मिला है, यह सबसे बड़ा अन्याय है। अब 5 प्रतिशत मिलने पर माननीय मंत्री जी क्या तरक्की करेंगे इस विभाग की। ज्यादातर बजट का पैसा हमारे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन पर ही निकल जाता है और बहुत कम पैसा बचता है इसकी उन्नति के लिए। मान्यवर, इस विभाग का कार्य पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनको रोग नियंत्रण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है और पशुओं की सेवा करने वालों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी से परिचित कराना है।

जब हम अपने प्रदेश की तुलना अन्य प्रदेशों से करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पशु हरियाणा और पंजाब की तुलना में बहुत कम दूध देते हैं। जहां तक कुक्कुट की हम बात करते हैं तो हमारे ही प्रदेश में हरियाणा और पंजाब का अण्डा बिक रहा है। राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति के हिसाब से वहां अंडा 19 की संख्या में आता है जबकि हमारे प्रदेश का औसत प्रति वर्ष अंडा प्रति व्यक्ति केवल 3 है।

हमारे प्रदेश में गोवंश 280 लाख हैं और महिष वंश पशु 165 लाख हैं। सन् 1980 से हमारे प्रदेश में गोवंश में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और इसी प्रकार से महिष वंश में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जब अनुदान देने की बात सामने आती है तो किसान अपनी भैंस को जाकर दिखा देता है कि मैंने हरियाणा से यह भैंस खरीदी है। इसी प्रकार से हेरा-फेरी करके वह भैंस रखता रहता है और दूध में इसी कारण से हमारे प्रदेश में वृद्धि नहीं हो पाती है। डाक्टरों का कहना है कि प्रति व्यक्ति को 210 ग्राम दूध प्रतिदिन मिलना चाहिए जबकि हमारे प्रदेश में केवल 184 ग्राम ही दूध प्रति व्यक्ति मुहैया हो पाता है।

हमारे प्रदेश में कुछ अच्छी नस्ल की गायें हैं जैसे-हरियाणा, साहीवाल, गंगातीरी, कांसी आदि। साहीवाल नस्ल के सबसे अच्छे पशु हैं जो कि अब अपने प्रदेश में कुछ ही बचे हैं, उन्हें विकसित करना है नहीं तो नस्ल समाप्त हो जायेगी।

आंकड़े बतलाते हैं कि प्रदेश में गोवंशीय पशुओं की संख्या में वर्ष 1961 से कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि महिषवंशीय पशुओं की निरन्तर वृद्धि हो रही है।

देश में 55 प्रतिशत दूध भैंसों से प्राप्त है जबकि उनकी संख्या केवल $\frac{1}{3}$ है, इस प्रकार से हमें भैंसों के उत्थान के लिए भी विशेष ध्यान देना है। अच्छी नस्ल की दूध देने वाली भैंसे केवल भारतवर्ष या उसके पड़ोसी राज्यों में हैं। भैंसे देर से वयस्क होती है, ज्यादा दिनों तक शुष्क रहती है, मृत्यु दर भी अधिक है, शीघ्र गर्भित न होने की भी समस्या है, इन सब बातों का निदान हमें खोजना होगा और उसे व्यवहारिक बनाना होगा। उत्तर प्रदेश की भदावरी एवं तराई भैंसों के विकास का कार्य प्रदेश को ही देखना है। भदावरी भैंस में चर्बी की मात्रा दुनियां में सबसे अधिक पायी जाती है। अन्य नस्लों में चर्बी की मात्रा इतनी अधिक नहीं पायी जाती है। इसके शुद्ध नस्ल के पशु कुछ ही बचे हैं उन्हें बचा कर इनको और अधिक संख्या में विकसित करना होगा। शासन को इस सम्बन्ध में कोई न कोई योजना चलानी चाहिए।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, सत्ता पक्ष की लाबी में बड़ा शोर हो रहा है कांग्रेस वाले पांच-पांच पैकेट दूध के पी रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया लाबी के दरवाजे बन्द कर दिये जायं।

श्री सरदार सिंह–

गुजरात सरकार ने प्रदेश का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के दरवाजे पर किसानों के पशुओं का विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाये हैं। जिसमें उनको दरवाजे पर ही चारा, पौष्टिक आहार, डाक्टर की सेवाएं अन्य सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। उनका दूध लेकर दूसरे दिन ही उसका पेमेन्ट भी कर दिया जाता है इसलिये आज गुजरात प्रदेश के विकास में सबसे आगे है।

हमारे प्रदेश में भेड़ों की संख्या 27 लाख है और वर्ष 1961 से भेड़ों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। प्रति वर्ष ऊन उत्पादन 815 ग्राम ही है, जबकि मान्यवर, हिमांचल प्रदेश व कश्मीर आदि सूबों में आज भी लगभग 2–3 किलोग्राम का है और आस्ट्रेलिया में तो एक-एक भेड़ में लगभग 4–4 किलोग्राम का ऊन का उत्पादन है।

दूसरे मान्यवर, मैं भेड़ों के पालन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं कि इस ओर भी कोई खास प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, जैसा कि पहले 65 भेड़ केन्द्र इनके पालन के खोले गये थे वर्ष 1980 में आज भी इनकी स्थिति वही है, उसमें कोई विकास नहीं हुआ है, आज भी इस ओर उतने ही केन्द्र हैं। इस प्रकार भेड़ प्रजनन कार्य में कोई विकास नहीं हो रहा है।

मान्यवर, इसी के साथ मैं बकरी पालन के संबंध में यह कहना चाहूंगा कि हमारे जमुनापारी बरबरी बकरी बहुत अच्छी नस्ल की होती है, जो दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। वर्ष 1961 में इन बकरियों की संख्या 86 लाख थी जो बढ़कर अब 105 लाख हो गयी है। इस बकरी को गांधी जी गरीब की गाय कहा करते थे और वे स्वयं भी इसके दूध का इस्तेमाल करते थे, परन्तु मान्यवर दुर्भाग्य की बात कि बकरी विकास एवं उसे उन्नतिशील बनाने का कोई ठोस कार्यक्रम प्रदेश में नहीं चलाया जा रहा है। प्रदेश में केवल 7 बकरी फार्म खोल देने मात्र से इनका विकास नहीं हो जायेगा।

शुद्ध नस्ल की बरबरी बकरी की अधिक प्रजनन क्षमता के कारण देश-विदेश में इसकी काफी मांग है, परन्तु आज शासन की गलत नीतियों के कारण इस उद्योग का ह्रास होता जा रहा है और दिन पर दिन इनकी संख्या में कमी आती जा रही है।

इसी प्रकार से मान्यवर, मैं कंक्कुट फार्म के बारे में भी कहना चाहूंगा इस प्रदेश के बहुत ही गरीब लोग पालते हैं, इनकी अच्छी देख-रेख न हो पाने के कारण अंडों के उत्पादन पर भी काफी असर पड़ रहा है। जबकि आज नेशनल स्तर पर प्रति व्यक्ति अंडे की खपत 19 है, परन्तु हमारे प्रदेश की मात्र 3 ही है, इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग बन चुका है, इसलिए इस सरकार को भी इस ओर अब अधिक ध्यान देना चाहिए हमारे प्रदेश में इन फार्मों की क्षमता लगभग 25 हजार की है, परन्तु आज यह फार्म मात्र 500 ही है क्योंकि इस ओर सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, सब्सीडी दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी जा रही है, इसीलिए यह उद्योग भी दिन पर दिन पिछड़ता जा रहा है बल्कि अगर यह कहा जाए कि यह कुक्कुट फार्म धीरे-धीरे ठप होते जा रहे हैं। जबकि मान्यवर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अण्डे उपलब्धि लगभग 30 अण्डों की है और इसे आज हर जगह एक प्रकार से पौष्टिक अहार माना जा रहा है । लेकिन हमारे यहां इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि अन्य सूबों आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान व पंजाब आदि ने हमारे बाजारों को अपने यहां के अण्डों से पाट दिया है ।

साथ ही प्रदेश के मध्य एवं पूर्वी जिलों में सैकड़ों की संख्या में गिनी फाउल्स को खेतों में देखा जा सकता है, अधिकतर यह पक्षी समाज के गरीब वर्ग के पास है, यह पक्षी दाना भी कम खाता है, इसे हम यदि थोड़ा ध्यान के साथ पालें तो एक अच्छा उद्योग बन सकता है, लेकिन हमारी सरकार इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे इनकी संख्या में भी कमी आती जा रही है ।

इसी प्रकार से सूकर पालन भी एक मात्र व्यवसाय है, इनके पालन का कार्य हमारे समाज के उन वर्ग के हाथों में है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, जो बिल्कुल ही दरिद्रतम समझे जाते हैं, सरकार को इनके उत्थान के लिए भी सोचना चाहिए ।

मान्यवर 5.65 करोड़ की पशु संख्या वाले प्रदेश में आज केवल 1824 पशु चिकित्सालय ही हैं । इस प्रकार से 30,000 पशुओं पर एक अस्पताल जिसके जिम्मे उपचार, रोग नियंत्रण, पशु नस्ल को उन्नतिशील बनाना एवं अन्य कार्य हैं प्रदेश की इतनी बड़ी पशु संख्या के लिए इन अस्पतालों की संख्या अपर्याप्त है ।

पशु विकास कार्य के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, उपकेन्द्र एवं वीर्य संग्रह केन्द्रों की स्थापना की गयी है । जो पशु संख्या को देखते हुए बहुत ही कम हैं, अतः इनकी संख्या बढ़ाई जाये जिससे प्रदेश के पशुओं को गर्भाधान तथा रोग उपचार की सुविधा मिल सके। पशुधन विकास कार्य के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, उपकेन्द्र एवं वीर्य संग्रह केन्द्रों की स्थापना की गयी है । इन केन्द्रों के माध्यम से उत्तम नस्ल के सांड़ों के वीर्य से पशु संतति को अच्छा बनाना उद्देश्य है । मान्यवर, आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1980 से आज तक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 798 है और उप केन्द्रों की संख्या 2075 है, वीर्य संग्रह केन्द्रों

की संख्या 35 है, इसमें आज तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । केवल 23 लाख कृत्रिम गर्भाधान की संख्या स्वयं बताती है कि प्रदेश में केवल 10–15 प्रतिशत पशु ही उन्नतिशील नस्ल के सांड़ों के वीर्य से प्रजनित होते है । संकर प्रजनन प्रणाली अधिक दुग्ध उत्पादन के लिये अपनाई जा चुकी है, परन्तु संकर प्रजनन हेतु अच्छे सांड़ों के वीर्य का नितान्त अभाव है । इस कारण अन्य प्रान्तों की तुलना में संकर गायों की संख्या एवं उनके दुग्ध उत्पादन न बढ़कर संकर गायों में अधिक बीमारी एवं रख रखाव की दिक्कत, हरे चारे की कमी के कारण पशु पालकों के लिये वे पशु बोझ बनते जा रहे है । मान्यवर, जो पशु चिकित्सालय है, वह सीमित है । प्रदेश में केवल 1824 पशु चिकित्सालय है, जो इतनी बड़ी संख्या के लिये अपर्याप्त है ।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में 13 पशुधन फार्म है । इन फार्मों का उद्देश्य अच्छी नस्ल के सांड़ पैदा करना तथा चारे का बीज उत्पन्न करना होना चाहिये । लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि न तो इन प्रक्षेत्रों से अच्छी नस्ल के अधिक दुग्ध देने की क्षमता रखने वाले सांड़ ही मिल पा रहे है और न ही चारे का उन्नत बीज ही मिल पा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इन प्रक्षेत्रों की दशा निरन्तर गिर रही है इन सबको शासन कब तक सहन करता रहेगा, जब कि पशुधन उत्थान में इनका बहुत योगदान हो सकता है । आज प्रक्षेत्रों से न तो एक दर्जन संतति परीक्षित सांड़ ही उपलब्ध है और न ही 50 ऐसी भैंसे है जिनका औसत उत्पादन 10 लीटर प्रतिदिन है । इसका कारण फार्मों पर उपलब्ध संसाधनों की कमी तथा धनाभाव है । अतः फार्मों पर संसाधनों को बढ़ाया जाय तथा और अधिक धन दिया जाय ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर ऐसे जिले हैं, जहां पर छोटी छोटी गायों पर बड़े-बड़े सांड़ दिये जाते हैं, तो आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि इस तरह का अन्तर वे न करें। इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री सरदार सिंह–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि ग्रामीण अंचल में पशुधन विकास के लिये सघन पशु विकास खण्ड 9 है, ग्राम समूह खण्ड 81 है, सघन भेड़ विकास खण्ड 3 है, सूकर विकास खण्ड 38 है, जिनकी स्थापना की गयी है । इनकी संख्या वर्ष 1979-80 में जो थी, वही आज भी है । सघन पशु विकास परियोजनायें केवल 1.3 लाख प्रजनन योग्य पशुओं पर ही चल रही है जब कि 280 लाख गोवंशीय एवं 165 लाख महिषवंशीय पशु है । अति हिमिकृत वीर्य-फ्रोजन सीमन-के द्वारा प्रजनन कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है । 1437 अतिहिमीकृत वीर्य इकाइयां स्थापित की जा चुकी है । इस प्रणाली से पशु-धन उत्थान तभी सम्भव है जब कि संतति परीक्षित अच्छे सांड़ हों, जिनका वीर्य डीप फ्रीज किया जाये, अन्यथा यह प्रणाली केवल एक खर्चीला एवं दिखावा मात्र है । इससे पशुओं की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा । प्रदेश में पशुधन उत्थान के लिये भ्रूण प्रत्यावर्तन का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जब कि देश के अन्य प्रान्तों में इस पर कार्य हो रहा है और विदेशों में यह साधारण प्रणाली हो गयी है । मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब वह उत्तर दें, तो इन बातों का जरूर उत्तर दें ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में दो पशु महाविद्यालय हैं एक मथुरा में है और दूसरा पंतनगर में है । अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने लोक सेवा आयोग से कहा है कि वह हमें डाक्टर दें । मान्यवर, इस समय 500 डाक्टर बेरोजगार हैं और इन विद्यालयों का यह हाल है कि न तो वहां पर शोध कार्य हो रहा है, वह पार्टी बन्दी का गढ़ बन गया गया है । मथुरा का वेटिनरी कालेज जो एशिया में अपना एक स्थान रखता था वहां पर स्थिति यह है कि न तो वहां पर अध्यापक हैं, न पढ़ाने वाले हैं और न पढ़ने वाले ही हैं। सारी व्यवस्था वहां पर खराब हो गयी है । इसलिये मैं चाहूंगा कि जो वहां पर वर्तमान डीन के समय में उत्तरोत्तर गिरावट आ रही है, उसके बारे में मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायें कि उसमें आप क्या करने जा रहे हैं ?

मान्यवर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् हमारे इन पशुओं के लिये जो शोध कार्य होता है उसके लिये पैसा देता है । उसमें जो शोध कार्य हो रहा है उसके लिये हम यह पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश प्राप्त कर रहा है । यह प्रदेश ज्यादा पैसा ले सकते हैं, हम क्यों नहीं ले पाते ? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में यह बतायें और इस ओर ध्यान दें ।

मान्यवर, यहां पर सूखे चारे की तथा पौस्टिक आहार की कमी हो गई है क्योंकि यह बहुत महंगा हो गया है। इस हेतु प्रसार कार्य में जो पैसा लगाया गया है और जितना पैसा कृषि विभाग में खर्च किया जाता है उससे कोई प्रगति नहीं हुई है । मेरा अनुरोध है कि पशुओं के बारे में जो नई-नई वैज्ञानिक चीजें निकल रही हैं उन्हें गांवों में प्रसारित किया जाय ।

मान्यवर, बैल का देश की अर्थ व्यवस्था में एक उच्च स्थान है। यह खेती के काम आता है । लोग गांवों में बैलों से खेती करते हैं । इनकी उत्तरोत्तर स्थिति गिरती जा रही है । इस विषय में सरकार क्या कर रही है मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इसके बारे में भी बतायें ?

पशुधन विकास के लिये वांछित शोध एवं शिक्षण के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् योजनायें स्वीकृत करती हैं और वित्तीय सहायता प्रदान करती है । पशुधन विभाग एवं प्रदेश मे दो बेटनरी कालेज के अन्दर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दी जाने वाली योजनायें एवं वित्तीय सहायता अन्य प्रान्तों जैसे हरियाणा, पंजाब की तुलना में बहुत ही कम है ।

मान्यवर, दुग्धशाला विकास के बारे में मंत्री जी ने कहा । अक्टूबर 87 में आप-रेशन-फ्लड-द्वितीय समाप्त हो गया है । उसके बाद आपकी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? जो आपका केन्द्रीय बोर्ड था जिसके चेयरमैन कुरियन साहब हैं उन्होंने एक मीटिंग में कहा था । उसमें उन्होंने आपकी इस व्यवस्था को कंडेम किया था उन्होंने कहा कि सब पैसा खा लिया गया । उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन और वैहिकिल्स की खरीद में सारा पैसा लगा दिया । 10 वर्ष में 12 एम0 डी0 बदल गये । इसी तरह से पी0 सी0 डी0 एफ0 है, वह चौपट हो गया है । जब कोरियन साहब ने उनको डांटा, फटकारा और तिरस्कृत किया । उन्होंने कहा कि 28 जिलों में केवल 11 जिलों को हम सहायता देंगे और वह भी जहां स्कीमें ठीक हैं उन्हीं को देंगे । बाकी जिलों को आप अपने संसाधनों से चलायें । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में यह बतायें कि इन 11 जिलों के अलावा

अन्य जिलों में कैसे आप अपने संसाधनों से चलायेंगे। मान्यवर, उन्होंने जो रिकमेन्डेशन्स की हैं कि आपके जो दो पद हैं एक ए0 सी0 जी0 एफ0 (परसनल) और एम0 डी0 जिनमें आप आई0 ए0 एस0 को बिठा देते हैं इनकी वजह से वह तरक्की नहीं कर रहे हैं तथा श्री कुरियन के वर्तमान सचिव को भी बदलने की बात कही थी ।

मत्स्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, आप इनके आंकड़ों को देखें । उनसे साफ जाहिर होगा कि यह मत्स्य विभाग इस प्रदेश में कोई तरक्की नहीं कर रहा है । मान्यवर, 1979-80 में मत्स्य का जो उत्पादन था वह 17,792.34 क्विंटल था और जनवरी 1988 में यह 3464.71 क्विंटल रह गया है । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने मत्स्य पालन में कितनी तरक्की की है । प्रदेश में मत्स्य उत्पादन वर्ष 1979-80 में 17,792 कुंतल था जो कि निरन्तर घट कर वर्ष 1987-88 में केवल 5,033 कुंतल रह गया जब कि कुल व्यय वर्ष 1979-80 में 130 लाख रुपये था जो बढ़ कर 1987-88 में 612 लाख रुपये हो गया । इस प्रकार उत्पादन घट कर 1/3 रह गया और खर्च लगभग पांच गुना बढ़ गया ।

मछली पालन का काम करने वाले मछुवे लोग बहुत गरीब होते हैं और मछलियां नदियों और तालाबों में मिलती हैं लेकिन आज प्रदूषण की वजह से नदियों का पानी गंदा हो गया है नदियों में गंदे नाले गिरते हैं और दूसरे गंदे नाले गिरते हैं जैसे मथुरा में साड़ियों के व्यवसाय का गंदा पानी गिरता है जिस पानी को मछलियां पीती हैं और उनके खाने से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं । मछलियां जहां हमारा पौष्टिक आहार होती थी अब वह खतरे की घंटी बन गयी हैं । तमाम तरह के केमिकल्स पीकर वह जहरीली हो गयी है इस तरह से विष इंसान के पेट में जा रहा है और तरह तरह की बीमारियां लोगों में हो रही है। मत्स्य समुदाय के बच्चों में एक तरह से हैरिडेटरी बीमारियां हो गयी हैं जो नदियों में गंदा पानी गिरने की आये दिन शिकायतें यहीं होती हैं, गोमती में ही आपने देखा होगा प्रतिदिन समाचारों में मछलियों के मरने की बातें आती हैं और उनको खाने से इंसान के मरने की भी शिकायतें आती हैं । इन शब्दों के साथ में मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बाद में जब मौका मिलेगा उस वक्त कहें । उत्तर भाषण में मौका मिलेगा कहने का ।

श्री सरदार सिंह–

मैं दो मिनट और लूंगा । भ्रष्टाचार के संबंध में कहना चाहूंगा आज इनके विभाग में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है । मंत्री जी कोआपरेटिव विभाग के मंत्री रह चुके हैं इसलिये इनको यहां कुछ महसूस नहीं हो रही होगी क्योंकि यहां तो बजट बहुत कम है । इनके यहां निदेशक मत्स्य हैं उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है कोई जोहरी साहब हैं । इस संबंध में विधान सभा में एक प्रश्न भी आया था जिसमें पूछा गया था कि क्या वर्तमान निदेशक की चरित्र पंजिका में उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गयी जिसका उन्होंने उत्तर दिया है निदेशक मत्स्य के पद पर वर्तमान अधिकारी को प्रोन्नति नहीं दी गयी थी बल्कि अल्पकालीन व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया था। उक्त नियुक्ति के पश्चात् उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गयी । निदेशक के पद को नियमित चयन कराकर भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

तो जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गयी है वह विभाग को कैसे चलायेंगे? इस प्रकार की अनेकों शिकायतें हैं । पशुधन एवं मत्स्य सचिव जो हैं उनके रिश्तेदारों ने राईस मिल की फैक्ट्री किच्छा नैनीताल में लगाई है । उनकी तीन राईस मिलें हैं जिन पर बना राइस ब्रान पशुधन सचिव बढ़े हुए दामों पर पी0 सी0 डी0 एफ0 में देकर अनुचित लाभ कमा रहें हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बाद में कह लें ।

श्री सरदार सिंह–

बहुत भ्रष्टाचार पनप रहा है । मत्स्य एवं पशुधन सचिव मछली फंसाने में माहिर हैं । इस प्रकार इनके जमाने में पी0 सी0 डी0 एफ0 में भ्रष्टाचार, मत्स्य निगम में भ्रष्टाचार और घांटाले बढ़ रहे हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने उत्तर भाषण में इनका जवाब दें । मत्स्य विभाग गरीबों का बजट है यह दरिद्र नारायण के लिये बजट है अगर ईमानदारी से काम किया जाय तो उनकी दशा में सुधार आयेगा और लगन से काम किया जाये तो जो महात्मागांधी का स्वप्न था और चौधरी चरण सिंह का स्वप्न था कि प्रगति का और समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों से जाता है। इन शब्दों के साथ, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अभी 4 वक्तव्य और दो घंटे की चर्चा लगी है और अभी एक और बजट पेश होना है । इसलिये मैं इसको समयबद्ध चलाना चाहता हूं । इसलिये कम से कम समय में माननीय सदस्य अपनी बात कहें ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं पशुधन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जैसे मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इस प्रदेश में ग्रामीण अंचल का रहने वाला हर व्यक्ति पशुधन और कृषि पर उसका जनजीवन आधारित है । इस प्रदेश का भूमिहीन, छोटा किसान का जीवन मुख्यत: पशुधन और दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है । मान्यवर, मंत्री जी ने जो पशुओं के स्वास्थ्य पर, पशुओं की नस्ल सुधारने और पशु आहार के संबंध में उन सारी चीजों पर प्रकाश डाला और अपनी योजनाओं के संबंध में बताया जो प्रशंसनीय है।

मान्यवर, जहां हरित क्रांति की बात करते हैं तो इस प्रदेश की सरकार के अथक प्रयास से हरित क्रांति हुई और उसके साथ ही साथ दुग्धक्रांति आवश्यक है । दुग्ध व्यक्ति के विकास के लिये पूर्ण आहार है दूध हर व्यक्ति और बच्चे के लिये आवश्यक है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में मंत्री जी ने जो कहा कि प्रदेश में दूध की गंगा बहायेंगे, तो मेरा विश्वास है कि उनका प्रयास दूध उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने एवं उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने में निश्चित रूप से मंत्री जी और उनके विभाग का कार्य प्रसंशनीय है । मान्यवर, मेरठ के अन्दर जो डेरी है उसके संबंध में मंत्री जी ने कहा है कि उसकी क्षमता बढ़ाई है तो यह दूध उत्पादकों के लिये बड़ा प्रसंशनीय कदम है । बड़े नगरों में दूध की उपलब्धता को निश्चित करने के लिये पिछले वर्षों में जो प्रयास किया गया वह इस विभाग का एक बड़ा कदम है।

मान्यवर, मंत्री जी ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और दूसरी योजनाओं के जरिये जो प्रदेश में दूध का विकास और पशु सुधार की योजनायें बताई हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। इसके साथ ही मंत्री जी से निवेदन है कि अस्पतालों की संख्या जो भी हो वहां दवाईयां और डाक्टरों का होना नितांत आवश्यक है। अस्पताल दूर दराज के गांवों में बनाने चाहिए और स्टाक मैन सेन्टर प्रत्येक 1500 की आबादी पर बनाये जाने चाहिए। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चिलिंग प्लान्ट केलीगांव में जबसे बना तबसे कोई कार्य वहां नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दुग्ध विभाग का कोई भी काम उसमें शुरू करा देना चाहिए। मान्यवर, भाई श्री सरदार सिंह जी ने डेरी के फार्मों की चर्चा की तो डेरी फार्म जिस उद्देश्य से बनाये गये हैं उनका उसी उद्देश्य से प्रयोग में लाना अति आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री मैनेजर सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने साथी श्री सरदार सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी यह आपका जो बजट अपर्याप्त है उसको दूना करने का यदि आप प्रस्ताव लायें तो मैं कटौती का प्रस्ताव वापस करा सकता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग उपेक्षित विभाग रहा है। यह सही है कि कोई मा0 मंत्री इस विभाग को लेना नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि सिंचाई विभाग, पी0डब्लू0डी0 और कोआपरेटिव विभाग मिल जाय। हमारे मंत्री जी इस विभाग में जब नियुक्त हुए तो मुझे यह सूचना मिली कि इनका मन नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस विभाग में जितना काम करने का अवसर है उतना किसी और विभाग में नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बजट को आप बढ़ाइये और इस विभाग में सुधार लाइये। आपने कहा कि दूध की पूरब में कमी है। पता नहीं आप दूध पीते हैं या नहीं। पूरब में दूध की कमी नहीं है, पूरब में दूध उतना कम नहीं है। हमारे यहां गंगा, घाघरा व गोमती क्षेत्र के सारे गांवों में पशुओं की भरमार है, किसान छोटी-छोटी गायें-भैंसें पालते हैं। आवश्यकता है उस नस्ल को विकसित करने की। पूरब में पशु संवर्धन के लिए कोई फार्म उपलब्ध नहीं है। जब चौधरी चरण सिंह यहां पशुपालन मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि पूरब में कोई पशु फार्म खुल जाय। आपके विभाग में इस संबंध में बड़ी मोटी फाइल होगी, लेकिन वह नहीं खुल पाया। उसके लिए हमने जमीन भी देने का प्रस्ताव किया था। बड़ी मुश्किल से सन् 1966 में गंगा-तीरी नस्ल का एक पशु प्रजनन फार्म, जनपद बलिया के इब्राहीमाबाद के लिए शासन ने स्वीकृत किया था और उसके लिए बजट में प्राविधान भी हो गया था किन्तु संयोग से उस समय आपकी गवर्नमेन्ट पलट गयी और उसके बाद संविद सरकार में वह फार्म भी काट दिया गया। जब 71–72 में फिर से पशु फार्म खोलने का प्रयास किया गया तो दो विदेशी नस्ल के पशु फार्म खोलने विषयक निर्णय लिया गया- एक रायबरेली में और एक बलिया में। लेकिन उसमें भी रायबरेली का तो खुल गया, लेकिन बलिया का खुला नहीं। इस संबंध में जब हम संबंधित सचिव से मिले तो वह कहने लगे कि फार्म-फार्म

सब बेकार हैं अब चारा तो डेढ़ घंटे में पैदा हो जाता है । मशीन में जई और गेहूं डाले चारा दो घन्टे में पैदा हो जायेगा । मैंने यहां कहा था कि उ0 प्र0 जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में ऐसे सचिव की आवश्यकता नहीं है । इनको भेज दीजिए हमारे प्रधान मंत्री [xxx] के पास . . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य सीट से पैर नीचे करें । शशि शर्मा जी के पास एक सदस्य पैर ऊपर किये बैठे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

उनको [xxx] के पास भेज दें, ताकि वह इस विभाग को और हमारे देश को 21वीं शताब्दी में भेज दें । मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस विभाग का बजट देख लें । प्रदेश में 13 आपके फर्म हैं किन्तु हमारे पूर्वी क्षेत्र में एक आराजी लाईन फार्म है,, जो पूरब में है, उसकी भूमि दान विभाग करता जा रहा है । वह विकास नहीं कर रहा है, वह रोज पीछे होता जा रहा है । पूरबी जिलों का वही एक मात्र फार्म था, उसको भी आप सत्यानाश करने पर तुले हैं । यदि आप पूरब में फार्म खोलना चाहें, आप वहां पर फार्म खोलें तो उसके लिए हम आपको जमीन देने को तैयार हैं और उसमें से आधी जमीन मुफ्त में देने को तैयार हैं ।

अभी सरदार सिंह जी ने कहा डायरेक्टर फिसरीज के बारे में कहा । उसके संबंध में मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट जवाब दिया है । जो विभाग के निदेशक हैं, उसकी चरित्र निष्ठा संदिग्ध है । ऐसे व्यक्ति को आप डायरेक्टर रखे हुए हैं । तो दोष डायरेक्टर का है या आप का है ? ऐसे व्यक्ति को आप हेड बनाये हुए हैं । मत्स्य पालन के विकास के लिए कई बार कोशिश की गयी। बलिया में आप हेचरी खोलने वाले थे, लेकिन आप खोले नहीं हैं । एक मछली फार्म निधरौना में है उसको भी चौपट कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मैनेजर सिंह–

पशु चिकित्सकों की नियुक्ति बहुत सारे अस्पतालों में नहीं हुई है । जो लोक सेवा आयोग की चयनित सूची है उसकी नियुक्ति देने के बाद भी बहुत अस्पताल खाली रहेंगे । मथुरा की वेटनरी कालेज है उसको भी सत्यानाश कर दिया है शिक्षा का अच्छा सेंटर था उसको भी चौपट कर दिया है कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध करके । कानपुर विश्वविद्यालय में संधि-विच्छेद कराइये । उसको पूर्व की स्थिति में ही रखिये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें समय कम है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

इनको आप मेरा समय भी दे दीजिये ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय ही कहां है?

श्री मैनेजर सिंह–

इन सब बातों का ध्यान रखा जाए ताकि प्रदेश का विकास हो सके ।

*श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका अभारी हूं । मैं माननीय सरदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं और मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी के कुशल निर्देशन में अच्छी नस्लों को तैयार किया जा रहा है । प्रदेश में पशु आहार और दुग्ध विकास की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है । मछुआरों के लिए मकान बनाये जा रहे हैं यह तो हमारी ही सरकार है जो मछुआरों के लिए मकान बनवा रही है । मछुआरों के लिए कोई नहीं सोचता है मत्स्य पालन को बढ़ावा मिले इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है इसमें पब्लिसिटी की अवश्य आवश्यकता है । इसमें प्रचार-प्रसार की ज्यादा आवश्यकता है ताकि किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके । पशु चिकित्सालयों की गांव-गांव में आवश्यकता है । प्रचार और प्रसार की इसमें भी आवश्यकता है । सरकार आपरेशन फ्लड द्वारा विभिन्न जिलों में दुग्ध विकास की योजना चला रही है यहां भी मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार ने दुग्ध विकास को बढ़ावा दिया है वहीं दूसरी ओर ग्लिन इन्डिया लिमिटेड जो आगरा में है और जो सूखा दूध बनाती है, आगरा मंडल के लोग उसको दूध बेचते हैं उसका लाइसेंस अफसरशाही के कारण खत्म हो गया है वहां हजारों वर्कर्स कार्यरत हैं जिनकी रोजी रोटी की समस्या हो जायेगी तो उसको फिर से लाइसेंस दिलाया जाये । ताकि जो वहां के किसान हैं वहां दूध बेच सकें ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि मथुरा वेटेनरी कालेज जो है यह किसी समय एशिया का माना हुआ कालेज था आज उसकी शक्ल जीते-जागते कब्रिस्तान की तरह हो गयी है वहां अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिलती है प्रयोगशालायें बन्द हैं। डेरी फार्म्स बन्द पड़े हैं वहां के पशु मर रहे हैं चारे की कमी हो गयी है, इस तरह से शोषण हो रहा है उसको पैसा नहीं दिया जाता है बाइस चांसलर पैसा नहीं देते हैं । डीन को पैसे की परेशानी होती है तो उनका घेराव होता है अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिलती है। मान्यवर, हम चाहेंगे कि मथुरा वेटेनरी कालेज जो है इसको मथुरा वेटेनरी यूनिवर्सिटी बना दिया जाये ताकि एशिया में जो उसका नाम है वह वही नाम कमा सके । यह भी कहना चाहूंगा कि माधुरी बुल फार्म जो है उसकी दुर्दशा को आप देखें वहां की सड़कें बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं वहां कृषि मंत्री जी भी गये थे---

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रदीप माथुर–

वह भी देखकर आए थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि सड़कें बनेंगी लेकिन माधुरी बुल फार्म को कोई पैसा नहीं दिया गया । मैं कहना चाहूंगा कि वेटेनरी साइंस का आपको विकास करना है, मथुरा के वेटेनरी फार्म का उद्धार करना है तो इसको अलग से बनाना होगा चाहे मुख्य मंत्री जी इसके लिए प्रदेश सरकार से पैसा दिलायें या केन्द्र सरकार से दिलाये । पशुधन बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है..

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रदीप माथुर–

इसकी राशि को आप कम से कम चार गुना कर दें । तभी हरित क्रान्ति आ सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें ।

***श्री राम शरण दास–**

मान्यवर, यह बहुत ही इम्पारटेंट बजट है पशुधन का। माननीय मुन्ना जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रदेश के मवेशियों की नस्ल सुधारनी है तो उसके लिए आपको अच्छी नस्ल के सांड़, अच्छी नस्ल के भैंसे और अच्छी नस्ल के दूसरे पशु बाहर के प्रदेशों से लाने पड़ेंगे । मान्यवर, हरियाणा नस्ल का सांड़ हमारे देश में सबसे ज्यादा मशहूर है । उत्तर प्रदेश की नस्ल का सांड़ जरा छोटा पड़ता है । उत्तर प्रदेश में हरियाणा नस्ल के सांड़ लाने चाहिए । [xxx] काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा ।

एक सदस्य–

मा0 अधिष्ठाता जी, यह असंसदीय है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई गलत बात नहीं लिखी जायेगी । कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जायगी ।

श्री नेक चन्द्र पांडेय–

[xxx]

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है । मैंने कहा है कि [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

कोई असंसदीय बात नहीं लिखी जायेगी । आदमी की नस्ल से जानवरों की नस्ल को जोड़ा नहीं जा सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर , माननीय राम शरण दास जी अच्छी नस्ल के सांड़ लाने के लिए कह रहे हैं । जो कुछ वह कह रहे हैं उसका पालन किया गया है । उनका स्वास्थ्य स्वयं इस बात का द्योतक है कि वैसे ही लोग लाये गये हैं ।

श्री राम शरण दास–

मैं नहीं समझ पाया कि क्या कहा है?

श्री अधिष्ठाता–

जो उन्होंने कहा है उसको आपने सुन लिया है ।

श्री राम शरण दास–

यूं, यूं में कह गया खुद खुदा,
रंग गोरा हो बदन गुदगुदा ।

श्री लाल चन्द्र निषाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मत्स्य उत्पादन एक बहुत अच्छी चीज है । आज के माहौल में जब कृषि पर भार बढ़ रहा है मत्स्य उत्पादन करना एक बहुत ही विद्वतापूर्ण कार्य है । मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार काफी प्रयास कर रही है । हमारी सरकार ने मत्स्य उत्पादन को 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी शामिल किया है इससे मत्स्य उत्पादन के महत्व का पता चलता है । मैं मान्यवर, दो समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो यह कि जो छोटी छोटी मत्स्य जीवी सहकारी समितियां बनाकर मछुवारों को प्रोत्साहन दिया जाता है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सहकारी समितियों को अपना कार्य करने के लिये अंशपूंजी नहीं दी जाती है जिसके कारण सहकारी समितियां बड़े बड़े ठेकेदारों की बोली के सामने टिक नहीं पाती हैं इससे जो सरकार मछुवारों को फायदा देना चाहती है, उसका लाभ मछुवारे नहीं उठा पा रहे हैं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मत्स्य विकास निगम की जो हैचरीज चलायी जाती हैं उसमें तमाम मजदूर जो कार्य करते हैं, जो जाड़े, गरमी, बरसात में टेक्निकल काम करते हैं, मछलियों के इंजेक्शन लगवाते हैं, पानी में दवा छोड़ते हैं और तरह-तरह के कार्य करते हैं उनको केवल 15 रुपया रोज मिलता है । और उनसे काम 24 घंटे लिया जाता है आज तक उनकी मत्स्य विकास निगम की तरफ से कोई सेवा नियमावली नहीं बनायी गयी है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनकी सेवा नियमावली बनायी जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद आज तक मछुवों के लिए कहीं भी मकान नहीं बनाये गये हैं यह कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू करना चाहिए और एन0 सी0 डी0 सी0 के जरिये समिति को अधिक से अधिक लोन देकर आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए । मान्यवर, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मत्स्य विकास निगम का काम केवल बीज उत्पादन करना है न कि मत्स्य पालन करना लेकिन हमारे तमाम तालाब, तमाम पोखर जलाशय ले लिये गये हैं

और वह ठेके पर दे करके मनमाना काम करवाया जा रहा है और उसमें भी लूट खसोट हो रही है जिससे फायदा नहीं हो रहा है । मैं मांग करता हूं कि जो भी जलाशय निगम ने ले रखे हैं वह समितियों को वापस कर दें ताकि मछुवों को, सरकार की जो भावना है उनको ऊपर उठाने का, वह अवसर मिल सके। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(समय 5 बजकर 14 मिनट)

*प्रधान प्रभुदयाल—

मान्यवर, मैं, सरदार सिंह जी की कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हर मामले में भ्रष्टाचार का जिक्र आता है लेकिन इस सरकार के आगे भ्रष्टाचार का जिक्र करना बेकार है । मान्यवर, संतरी से मंत्री तक, पी0एम0 से सी0एम0 तक और सिपाही जी से आई0 जी0 तक सब जगह यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसका नाम भ्रष्टाचार से शिष्टाचार कर दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि इसका सरकार सुधार नहीं कर सकती यह इनके कूबत के बाहर की बात है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की रीढ़ की हड्डी खेती है और खेती का साइड बिजनेस पशुधन है यह बिल्कुल सही है मैं यह भी मानता हूं कि सरकार ने इसमें बढ़ोत्तरी की है लेकिन जिस रेशियों से बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी उस रेशियों से बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । इनके पास झूठे आंकड़े जायादा है इसकी मिसाल मैं आज दूंगा । मान्यवर, यह पशु को आगे क्या बढ़ायेंगे यह उसकी रक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं इनके अस्पतालों में स्टाक मैन सेन्टरों पर दवाई तो है नहीं यह क्या दे देंगे । इनके पास फिनाइल नहीं है अगर कोई फिनाइल लेने चला जाय तो वहां फिनाइल नहीं मिलता, जख्म को धोने के लिए साधन नहीं है क्योंकि वह फिनाइल लखनऊ से खरीद कर जायेगी कब टेन्डर होगा, कब जायेगी । मान्यवर, इनका फिनाइल भी जो है वह जला हुआ मोबिल आयल 2 हिस्सा और एक हिस्सा फिनाइल और एक हिस्सा पानी को मिला लेते हैं और हिला देते हैं और जब इसे रख दिया जाता है तो तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है । पता नहीं इसके लिए इन्होंने कौन सी कम्पनी खुलवाई है जहां वह फिनाइल तैयार हो रही है । इनके स्टाक मैन परेशान है किसान उससे लड़ते हैं, दवाई नहीं है । मान्यवर, इनके यहां 4 बीमारी है जिसकी रोकथाम हर साल करने की जरूरत है एक है खुरपका दूसरी मुंह पका तीसरी गला घोटू और चौथी सर्रा । यह बीमारी ऐसी है जिसमें पशु 3 घंटे में मर जाता है । यह सरकार को जानकारी है कि इसकी दवाई पहले से उपलब्ध होने की जरूरत है लेकिन दवाई नहीं है । आपका किसी अस्पताल का मुआयना करा लें तो वहां एक इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा । मैं तो भुक्तभोगी हूं मेरे पशु बीमार हुए खुरपका से, मैंने डी0 एल0 ओ0 और डाक्टर को लिखकर दिया उसके बाद भी डेढ़ माह बाद वह दवाई पहुंची जब मैंने घरेलू चीजों से उसका इलाज कर लिया और हमारे बार बार पूंछने के बाद भी वह कहते रहे कि दवाई उपलब्ध करा रहे हैं पता नहीं कि अमरीका से मंगाई जा रही है या कहां से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

प्रधान प्रभु दयाल–

फिर मान्यवर, मुझे बुलवाया क्यों था ? हमारे यहां ब्लाक परीक्षतगढ़, मेरठ में मछली पालन के लिये एक प्लान्ट तैयार किया जा रहा है तीन से, उस प्लान्ट में अभी तक सड़क नहीं बन पायी है । कुछ गढ्ढे खुदे हैं, कुछ झोपड़ियां पड़ी हैं और करोड़ों रुपये का बजट उस पर लग चुका है । मा0 मंत्री जी बतायें कि कितना धन उस पर लग चुका है और कितने मछलियों के अण्डे पाये गये हैं। सैकड़ों में नहीं ढाइयों मे या और नीचे, तो और अण्डे कब तक पाड़ देंगे ।, वह प्लान्ट ऐसी जगह है कि जिस दिन भी वहां फ्लड आ गया न एक मछली बचेगी और न और कुछ बचेगा । इसी प्रकार से हस्तिनापुर फर्म है । आप वहां का साल भर का औसत निकालें, बहुत कम निकलेगा ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मत्स्य विकास विभाग और पशु पालन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभारी हूं । मान्यवर, पशुपालन विभाग पर हमारे बहुत से सहयोगियों ने सुझाव दिये हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मत्स्य विभाग की ओर लाना चाहता हूं । श्रीमन् मत्स्य विकास की परिपाटी अंग्रेजों के जमाने में रोक दी गयी थी । हमारा जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र हुआ तो हमारे नेताओं का ध्यान मत्स्य विकास की ओर गया । खास करके स्व0 प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब मेढक से चुनाव लड़ रही थीं, उस समय 60 हजार मछुवारों ने उनका स्वागत किया और अपनी झोपड़ियों में ले गये और उसके बाद स्व0 प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मत्स्य विकास की ओर ध्यान दिया और वह मत्स्य विकास आज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है । हमारे योग्य मंत्री जी के सहयोग से मत्स्य विकास का दिनोंदिन विकास हो रहा है । मैं थोड़ी सी बातें उसकी कुछ कमियों के बारे में बताना चाहता हूं । मान्यवर, मत्स्य विकास का कार्यक्रम मछुवारों की उन्नति के लिये शुरू किया गया, लेकिन मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि शासन की नीतियों के कारण आज मछुवारे मछली पालन में पिछड़ रहे हैं और दूसरे लोग मछली पालन को करने में अग्रवाई में कार्य कर रहे हैं । अपने-अपने तालाब, पोखर लेकर वे मछली पालन का काम कर रहे हैं और मछली का धंधा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है लेकिन मछुवारे पिछड़ रहे हैं । शासन के शासनादेश हैं कि मछुवारों को तीन वर्ष के औसत पर मछली पालन के लिये उत्तर प्रदेश के तालाबों, झीलों और पोखरों का 10 साल के लिये पट्टा दिया जाय, लेकिन अधिकारियों की मनमाने से पट्टे मछुवरों को न मिल कर दूसरे वर्गों के लोगों को दिये जा रहे हैं । श्रीमन् . . .

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

सचिव का नाम क्यों नहीं लेते ?

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

आप सुनिये । यह आपके ही लोग तालाब ले रहे हैं । श्रीमन्, मत्स्य विकास निगम की बात आयी । इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग मछुवारे बन गये हैं . . .

श्री अधिष्ठाता–

आपका चौथा मिनट चल रहा है ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मुझे बोलने दीजिये । मान्यवर, उस नियम में एम0 डी0 हैं, डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन मत्स्य विभाग के एक उच्च अधिकारी की वजह से मैं तो कहता हूं कि शासन में जो सबसे बड़ा मत्स्य विभाग का जो अधिकारी है, उसकी मनमानी से मत्स्य विकास का काम सही माने में नहीं हो पा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय निषाद जी इसके बाद कुछ नहीं लिखा जायेगा, आप बैठें ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

[xxx]

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, पिछली बार भी और इस बार जो सत्र चल रहा है उसमें इस पर सवाल उठाया गया था, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अभी भी इलाहाबाद में कम से कम 40 डाक्टरों की कमी है । एक डाक्टर एक अस्पताल में रहना चाहिये जबकि वहां एक डाक्टर 6-7 अस्पताल देखते हैं । पिछले दिनों एक रोग से घासपुर और हंडिया में जानवर मर गये, उसकी जांच भी की गयी लेकिन अभी भी वहां पशुपालन केन्द्र की स्थापना नहीं की जा सकी, डाक्टर की नियुक्ति नहीं की जा सकी । जो केन्द्र बनाये गये हैं उनमें अभी तक भवन नहीं बनाये गये हैं । दो साल से यह बात कही जा रही है कि हंडिया में कस्तूरी में दूसरे भसाड़ी में दो सेन्टर ऐसे हैं जिनमें भवन नहीं बन पाये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शांति रखें ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

माननीय मंत्री जी आप में निर्णय लेने की और चुनौती देने की क्षमता देखी है । लेकिन ऐसी कौन सी कमजोरी आपके पीछे है या आपका चरित्र बदल गया है या अपने आपको मानकर चल रहे हैं कि मंत्री मजबूर है निदेशक जौहरी मजबूत हो चुका है । यह शर्म की बात है । थोड़े दिनों का आपके साथ विश्वविद्यालय में साथ रहा है मेरा। मंत्री जी के लिये यह चुनौती की बात है कि आप उसके बारे में अगर घोषणा नहीं करते हैं । वह अनियमित निदेशक सालों आफिशियेट करके डायरेक्टर बना हुआ है, यह दुर्भाग्य की बात है । मान्यवर उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा गोधन विकास केन्द्र चित्रकूट का चलता है । एक इलाहाबाद में ठीक से गया, बारा क्षेत्र में खोला था । चार केन्द्र चले, किसी लायक नहीं है । सीजिंग सिस्टम ब्लाक में रहता है तो अच्छा रहे, उसमें सीजर रखा जा सके। तहसील में सीजर रखाने का कष्ट करें। बजट बढ़ना चाहिए।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

भाई सरदार सिंह के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री सरदार सिंह को बुलाये जाने पर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, दो मिनट मुझे सुन लें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, दो मिनट माननीय वर्मा जी को सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

समय देखें, इसके बाद चर्चायें और 4 वक्तव्य हैं कैसे हो पायेगा?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, दो मिनट वर्मा जी को सुन लें ।

श्री अधिष्ठता–

समय देखें। आगे का एजेन्डा देखें। अच्छा आप बैठें।

चौधरी भगवती प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दुग्ध विकास, पशुपालन और मत्स्य पर प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । रखे गये बजटों का हार्दिक स्वागत व समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिये और उसे सफल करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना इन्होंने दिया है । शासन के प्रयास से अच्छे नस्ल के पशुओं की मात्रात्मक वृद्धि हो रही है । इससे भविष्य के लिये जो चुनौती है, उसका सामना करने के लिये विभाग को बल मिलेगा । श्रीमन्, यहां मछुवारों की बात कही गयी और मत्स्य पालन की बात कही गयी । मिर्जापुर ऐसा इलाका है, जहां मछली पालने के उद्योग में काफी लोग लगे हुये हैं लेकिन विभाग के द्वारा इनको विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें । श्रीमन्, मेरे जनपद में पशु चिकित्सालयों का अभाव है जिसके कारण पशुओं की मृत्युदर में वृद्धि हो रही है । तीसरी बात मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश के अन्य प्रदेशों में पशुपालन उद्योग को महत्व देने के लिये पशु विकास के लिये कारपोरेशन की स्थापना की गयी है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार को कारपोरेशन की स्थापना करनी चाहिए ताकि पशुपालकों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके और वह भी अपने राष्ट्र के विकास धारा में अपने आपको विकसित कर सकें और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपने को आगे बढ़ा सकें । श्रीमन् मिर्जापुर में पशुपालन के सम्बन्ध में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुनः हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मंत्री जी और उनके साथियों ने जो बातें कहीं हैं, उसमें मूल रूप से जो दुग्ध उत्पादन के बारे में भारत सरकार ने जो कमेटी बनायी

थी और डा0 कुरीयन साहब आये थे, जिन्होंने दुग्ध उत्पादन के बारे में सुझाव दिये थे, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा । इसकी रिपोर्ट में उन्होंने यह भी कहा था कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को इसलिये दुग्ध उत्पादन में पैसा नहीं दे रही है क्योंकि यहां का दुग्ध सचिव बहुत भ्रष्ट और अक्षम है और जब तक उसको हटाया नहीं जाता, तब तक इसके लिये पैसा नहीं मिलेगा । इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन्हें हटाने का फैसला लिया स्थानान्तरण हुआ । लेकिन श्रीमन्, जैसा कि चौधरी साहब कह रहे थे कि राजनैतिक दबाव के कारण वह आज भी अपनी जगह पर बना हुआ है और लगातार दुग्ध उत्पादन में उसका भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । मान्यवर, प्रधान जी ने भी कुछ अस्पतालों में दवायें न होने की बात कही । यहां पी0 सी0 डी0 एफ0 से एक करोड़ रुपये की दवायें खरीदी गयीं और उसमें 30 परसेन्ट की रिश्वत इस सचिव ने ली । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसकी जांच करायेंगे ? मान्यवर, अगर यह दवाईयां यहां आयीं तो कहां गयीं? यह भी पता नहीं चल पा रहा है। इसी प्रकार दो गाड़ियां जो इनके विभाग में हैं, वह गाड़ियां इनके दफ्तर पर और इनके घर पर इस सचिव के निजी काम के लिए इस्तेमाल होती है, खड़ी रहती है । इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इस भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले को देखना होगा । मान्यवर, मैं इन गाड़ियों का नम्बर भी आपको बताना चाहूंगा यह गाड़ियों का नम्बर है यू0 ए0 ई0 1543 तथा यू0 जी0 आई0 4659 यह गाड़ियां सचिव के व्यक्तिगत कार्यों के लिये प्रयोग होती हैं और इस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग होता है ।

इस प्रकार मान्यवर, जो पशु आहार खरीदने की बात है, उसके 3–4 कारखाने लगे हुए हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार है और जो उत्पादन केन्द्र हैं, वह बन्द पड़े हुए हैं। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। मान्यवर, आप उनके दफ्तर पर जाकर देखें तो आप पायेंगे कि वह माननीय मंत्री जी को गालियां बकते हैं तथा उनके जो नीचे जो अधिकारी होता है, उसको गालियां बकते हैं तथा जो आदमी मिलने जाता है, उससे दुर्व्यवहार करते हैं। अब मान्यवर, ऐसे सचिव, जिस पर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका हो, उससे आप इस विभाग के लिए क्या उम्मीद करेंगे? क्या इस तरह का आदमी मत्स्य पालन और दुग्ध पालन की इकाइयों को चला सकेगा? मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बड़े जोर से कहती है और मछुवारों के लिए तालाब, पोखर, नदी के ठेके देने की बात करती है। लेकिन इस विभाग के सचिव ने मंत्री जी के आर्डर की खुले आम अवहेलना करते हुए अपने रिश्तेदारों को इसके ठेके दे दिये, तब बाद में लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ठेके निरस्त किये जाते हैं और जो व्यवस्था पहले सरकारी थी, वही व्यवस्था रखी जाय। मान्यवर, इनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आपका सचिव आपके आदेशों की खुली अवहेलना करता है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह नहीं बताया गया कि अगले साल में कितन पशुधन अस्पताल खुलवाने तथा दवाओं का प्रबन्ध कराया जायगा? मान्यवर, आगरा के मिठासुर, फिरोजाबाद के मटसैना, बसई मोहम्मदपुर तथा खतौली विधान सभा क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में भी क्या आप चाहेंगे कि यहां पशुधन के अस्पताल खुलें? श्रीमन्, इस तरह की कोई योजना मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत नहीं की। ऐसी कोई योजना आपने प्रस्तुत नहीं की है। माननीय मंत्री जी से

कहना चाहता हूं कि आपका जो यह सेक्रेटरी भ्रष्ट है और निदेशक भ्रष्ट है, आप एक कमेटी बनायें और वह इनके कारनामों की जांच करे। उस कमेटी की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस सचिव को स्थानान्तरित करने के लिए निश्चय किया है, उसकी स्थिति भी आप स्पष्ट करें। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों पर परदा डालने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। उस पक्ष के लोगों ने भी केवल औपचारिकता का निर्वहन कर केवल एक ही बात कहीं है और मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसे पैसे की भी बहुत जरूरत है। अच्छे सांड़ों के लिए चारा व दाने की बहुत जरूरत होती है। जब तक जानवरों के लिए अच्छे सांड़ नहीं छोड़े जायेंगे, भैंस के लिए अच्छा सांड़, गाय के लिए अच्छा सांड़ बकरी के लिए अच्छा बकरा, मुर्गियों के लिए अच्छी नस्ल का मुर्गा छोड़ा जाना चाहिए। विदेशी सांड़ मंगाये। जैसा कि श्री राम शरण दास जी ने कहा कि हरियाणा से अच्छे सांड़ आप मंगवायें। कम से कम एक ग्राम सभा में एक अच्छा सांड़ छोड़ा जाना चाहिए। जो लाटरी का पैसा मिलता है, मवेशियों के हमारी इन सेवाओं को भी मिलना चाहिए। पशु पालन विभाग को भी मिलना चाहिए। जो अस्पताल हैं जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं से चलाई जाती हैं, इस पैसे का कुछ अंश पशु जब मरता है तो उसकी जो हड्डियां होती हैं, खाल होती है, उसका जो पैसा मिलता है वह जिला परिषद् को मिलता है। इसीलिए आप जिला परिषद् से कहें कि पशुधन के विकास के लिए कुछ सांड जिला परिषद् भी छोड़े अपने फण्ड से।

मान्यवर, जैसा कि श्री राकेशधर त्रिपाठी जी ने कहा कि चित्रकूट में गौशालायें चलाई जा रही हैं, बृन्दावन में भी गौशालायें चलाई जा रही हैं और ये गौशालायें अच्छे सांड़ पैदा करती हैं। आप इनसे अच्छे सांड़ लें और पशु पालकों को दें। बुन्देलखण्ड में बकरियां हैं, गायें हैं, इनके लिए अच्छे किस्म के सांड छोड़े जाने चाहिए। मान्यवर, हमारा जो किसान दूध पैदा करता है, उसके लिए अच्छे मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। गुजरात में किसान के घर पर ही पैसा मिल जाता है, पशु अगर बीमार पड़ता है तो डाक्टर घर आ जाता है और वहां पर चारा तथा दाना भी प्रचुर मात्रा में पशुओं को उपलब्ध हो जाता है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस विभाग में रूचि लें। हमारा जो यह पी0 सी0 डी0 एफ0 है, इसे केन्द्र से बहुत पैसा मिलता है, इसी तरह आप भी करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अधिक से अधिक सुविधा आप किसानों तक पहुंचायें। आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में कुक्कुट पालन में काफी तरक्की की है। जितने भी टैक्स हैं, अण्डे पर माफ कर दिया, मुर्गे पर माफ कर दिया न कोई चुंगी है, न लाइसेंस है, न टैक्स है। इसीलिए माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य को प्रोत्साहित करने के लिए चारे-दाने पर जो टैक्स है, उसको माफ कर दें और किसानों को सबसिडी दें। दुग्ध

विकास के लिए निवेदन करूंगा कि अगर किसान को अधिक पैसा दें और बाजार में उसे कम रेट पर बेचें तो ठीक रहेगा क्योंकि बिचौलिया दूधिया उनको फेल कर देता है। पूंजीपतियों की जो प्राइवेट डेरियां हैं वह उनकी योजनाओं को फेल कर देती हैं। 5 साल तक किसान को अधिक पैसा दें और बाजार में कम पैसे पर बेचें। 5 साल तक अगर यह प्रक्रिया चली तो जो बिचौलिया है वह 5 साल में समाप्त हो जायगा। यही महाराष्ट्र सरकार ने किया 5 साल तक लाभ या हानि नहीं देखी। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात की डेरियां मुनाफे में चल रही हैं। उनकी डेयरी देखिये, डाक्टर देखिये, उनका लिविंग स्टैन्डर्ड देखिये।

मत्स्य विभाग के बारे में कहूंगा कि हमारा जो बड़ा ठेकेदार है वह बीच में आ गया। डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार जो ठेका देते हैं, वे पैसा खा जाते हैं और ठेकेदार को ठेका दे देते हैं। निषाद जाति और समुदाय के लोगों की गरीबी वैसे ही बनी हुई है। माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि प्रभावी कार्यवाही करें जिससे छोटे वर्ग के लोग आगे बढ़ सकें। सूअर पालन है, इस पशु में बहुत कम बीमारी होती है और बहुत सस्ते में पालन पोषण हो जाता है और समाज का सबसे नीचे का वर्ग इसको पालता है। मैं कहूंगा कि जो अच्छे-अच्छे सांड़ हैं, उनको सूअर पालकों को दें जिससे विभाग आगे बढ़े।

इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहूंगा कि सचिव के सम्बन्ध में जो शिकायतें आयी हैं, जौहरी साहब जो मत्स्य निदेशालय के निदेशक हैं, उनके सम्बन्ध में बड़े-बड़े गम्भीर आरोप हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। जिनको मैं आपके माध्यम से उन्हें माननीय मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा। कुरियन साहब हैं, जो डेयरी डेवलपमेंट में अथारिटी हैं, जिन्होंने गुजरात जैसी जगह जाकर वहां की अर्थ व्यवस्था बदल दी, उनकी राय पर काम करें ताकि डेयरी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके तथा उनके कहने के अनुसार पशुधन सचिव तथा अन्य अधिकारियों को बदला जाय जिससे कार्य सुचारु रूप से चल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कहता हूं कि अगर मंत्री जी और सरकार इस विभाग का बजट दुगुना कर दें तो मैं कटौती प्रस्ताव वापस लेने के लिए तैयार हूं।

दुग्ध विकास पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं माननीय सरदार सिंह जी का आभारी हूं कि इनके कटौती के प्रस्ताव में विभागीय आलोचना और समालोचना के अलावा बहुमूल्य सुझावों का भी समावेश है। इसके अलावा अन्य सम्मानित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य होने के नाते माननीय सदस्य मुजफ्फरनगर को जवाब देना उचित समझूंगा। आपने कहा था कि नस्ल सुधार के तहत अच्छी नस्ल के सांड़ लाइये। सांड़ हैं दिखायी नहीं पड़ते हैं क्योंकि हम उनका "सीमैन" सप्लाई कर देते हैं। कहें तो सांड़ भेज दें। चौधरी देवी लाल जी पड़ोस के मुख्य मंत्री हैं, सांड़ की संज्ञा नहीं दूंगा क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं, पड़ोस के हैं, मेरे आदर स्वरूप हैं। लेकिन मान्यवर, उस सांड़ से पहले ये तो शुद्ध हो जाय तब फिर हम दूसरे सांड़ों की कल्पना करें, मेरा अभी केवल इतना ही निवेदन है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अगर इनकी बात लिखी जायेगी तो मेरी पूरी बात भी कार्यवाही में लिखी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने तो उनके प्रति आदर प्रकट किया है।

श्री राम शरण दास–

केवल इनकी ही बात नहीं चलेगी। हम कार्यवाही की पूरी कटिंग उनके पास भेज देंगे।

श्री अरुण कुमार सिंह–

अब उनका सांड़ जो है, उनको ठीक कर दे तो फिर हम और सांड़ देंगे। हमारे सरदार साहब ने और अन्य कई साथियों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह सही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और अपना सीमित संसाधन लेकर कार्य शुरू तो किया गया है लेकिन यह सही है कि अभी हम छोर पर ही हैं और प्रगति हमारे बहुत पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ आर्थिक विषमता भी है। देश में और प्रदेश में गति लाने के लिए हमारे पास जो आर्थिक साधन हैं उनमें ही हमें प्रयास करना है। हम जितनी तेजी से आगे जाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक विषमता के कारण हम अभी तक वहां नहीं पहुंच पाये हैं। यह सही है कि प्रदेशों में सहकारिता आन्दोलन ने मनुष्य को आत्मनिर्भर किया है और उसको भोजन मुहैया किया है और करा रहे हैं। अब श्वेत क्रान्ति का अवसर पौष्टिक आहार को पनपाना है।

इस समय मैनेजर सिंह जी यहां नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको बतलाता कि चौधरी चरण सिंह जी भी पशुधन मंत्री हुआ करते थे। दुग्ध योजनाओं और पशुपालन योजनाओं को समय-समय पर उत्थान करने के लिए उन्होंने जो रास्ते दिखाये थे, उन्हीं के चरणों पर हम उन्हें उन्नत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वर्गीय चरण सिंह जी के समय से ही इस ओर प्रयास जारी है और उसी के अनुसार हम लोग भी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं।

अभी यहां पर डाक्टर कुरियन का नाम लिया गया और उनका जिक्र किया गया। वह यहां पर आये थे और उनकी पूरी टीम भी आयी थी। सर्वेक्षण हुआ था और हम लोगों से उनकी बात-चीत भी हुई थी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि ज्यादा कार्य बढ़े और उसे हम अभी तक नहीं बढ़ा पाये हैं। उन्होंने एक पद्धति के बारे में कहा है और उत्तर प्रदेश में उस पद्धति को पनपाने का प्रयास किया है। हमारे जितने संसाधन हैं, उनकी तमाम मान्यताओं के अन्तर्गत ही हमें चलना पड़ता है। यहां अभी गुजरात और हरियाणा की बात की गयी। हमारे प्रदेश के आंगन में दूसरे प्रदेशों की बात करना और उनसे अपनी तुलना करना तो उचित है किन्तु उनकी मनोभावना से भी हमें अपनी मनोभावना की तुलना करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अन्य प्रदेशों में सहकारी समितियों के प्रति जो उनकी मनोभावनायें हैं, उसकी तरह आप अपने यहां मनोभावना नहीं बना पाये हैं। हमारे प्रदेश में सहकारी समितियां जो कि जीवन दर्शन हैं, उनको आप नहीं मानते हैं। हमें अच्छी सहकारी मनोवृत्ति को फैलाना होगा और उनको अपनाने का संकल्प लेना होगा तभी यह सब कुछ सम्भव हो सकेगा। लेकिन जितने छोटे-छोटे दायरे हैं जैसे कि पी0 सी0 डी0 एफ0 ने बहुत अच्छा अपना कार्य सम्पादित किया है न केवल प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर भी पदार्थ उपलब्ध करा कर किये हैं।

यदि आज आप पराग का मूल्यांकन करें कि दिल्ली और चण्डीगढ़ की बाजार से तो यह किसी माने में अमूल से भी पीछे नहीं रहता है दिल्ली बाजार में, चण्डीगढ़ बाजार में और इसी प्रकार से कलकत्ता बाजार में या जहां-जहां भी हमारा यह प्रयास उपलब्ध है, हर स्थान पर अमूल से व दूसरे अन्य से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, उसकी क्वालिटी को हर जगह पसंद किया जा रहा है, हां इतना जरूर है कि इसकी कमी है, मेरठ में जहां से अधिक मात्रा में हम दूध सप्लाई करते हैं, लखनऊ है, इलाहाबाद है और कानपुर है, इनको बड़ा और अच्छे ढंग से विकसित व इनजाईज किया जा रहा है। और यही नहीं हमने पिछले वर्ष में अपने निश्चित लक्ष्य से ऊपर दुग्ध उत्पादन किया है जब कि प्रोसेसिंग फैसिलिटी हमारे पास कम थी, लेकिन इन सबके बावजूद हमने पिछली जनवरी के कुछ सप्ताह तक दुग्ध उत्पादन अपने निश्चित लक्ष्य से काफी ऊपर तक किया है।

पी0 सी0 डी0 एफ0 पिछले दिनों काफी घाटे में रहा, आपके सामने इस ओर कोई गौरव की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा उसी पर मैं कह रहा हूं कि इसमें काफी घाटे के बाद भी हमने और हमारे साथियों ने अर्थात् पी0 सी0 डी0 एफ0 के लोगों ने अपने खर्चों में काफी कटौती करके और व्यवसायिक केन्द्रों के संचालन को कुछ तेज करके करीब 15 लाख रु0 के फायदे में कंवर्ट किया है।

जैसा कि मत्स्य के बारे में हमारे एक साथी ने उल्लेख किया कि वर्ष 79 से लेकर 1983-84 तक। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उस समय मत्स्य विकास निगम की स्थापना नहीं हुयी थी और आज इस ओर जो आंकड़े कम नजर आ रहे हैं, वह इसी की देन है और इस प्रकार से प्रदेश का मत्स्य उत्पादन भी काफी बढ़ा है, परन्तु इस ओर कभी उतार कभी चढ़ाव भी आता जरूर है, इसकी वजह यह है कि कभी यदि सूखा पड़ गया तो इस पर पहले असर पड़ता है और यदि कभी अतिवृष्टि हो गयी तो भी यह प्रभावित होता है।

दूसरी बात मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी हमारे मेरठ के साथी ने कहा कि जब जानवरों में भयंकर बीमारी व्याप्त थी तो विभाग द्वारा कोई औषधि का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाया। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि एकदम से यह रोग अतिवृष्टि के कारण फैला, यह सही है कि उस समय हम पर्याप्त मात्रा में औषधियों को उपलब्ध नहीं करा पाए परन्तु बाद में कुछ ही समय पश्चात् हर जगह इन दवाओं को उपलब्ध कराया है।

(व्यवधान)

प्रधान प्रभुदयाल–

आपकी यह औषधियां बहुत बाद में पहुंची हैं, जब यह भयंकर रोग पशुओं में काफी हद तक फैल चुका था और काफी तादाद में पशु मर चुके थे . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रभुदयाल जी यह कोई परिपाटी नहीं है, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, जब वह बैठ जाएं तो आप अपनी बात को फिर कहिएगा . . .

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह–

यह सही है कि जब यह रोग एक बड़े पैमाने पर था तो उस समय यह औषधियां उपलब्ध नहीं हो सकीं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ही समय के अन्तराल में हर जगह इतनी दवाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं कि पिछला रिकार्ड है कि इतनी दवाएं कभी भी कहीं पर इतनी मेरठ क्या हर जगह पहुंची नहीं होंगी।

(व्यवधान)

दूसरे मान्यवर पशुओं के नस्ल सुधार के सम्बन्ध में भी इस विभाग द्वारा काफी प्रयास किये जा रहे हैं इसी प्रकार से चारे व अहार जगह-जगह पर आज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जैसा कि अभी माननीय सरदार सिंह जी ने कहा कि दुग्ध की सप्लाई की वे इनके सेन्टर्स की तथा दुग्धशालाओं की कमी है, इस संबंध में मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भविष्य में शीघ्र ही हम इतने अधिक दुग्धशाला केन्द्रों, सप्लाई सेन्टर्स की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे इस प्रकार की कमी की शिकायत दूर हो जायेगी और इससे संबंधित समस्त चीजों में फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आयेगी। उसमें किसी बात की कमी नहीं होगी। हमारे कुछ साथियों ने कहा, श्री राकेशधर त्रिपाठी ने कहा, अब वह ऐसी गोल में भर्ती हो गये हैं कि उनको कुछ सही नजर ही नहीं आता है। जो उन्होंने कहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अस्पताल खोलने की व्यवस्था की जा रही है। वहां पर अस्पताल का भवन बनना प्रस्तावित है। तो जो मंशा आपकी है, वही मंशा हमारी है और हमारे विभाग की है, और सरकार की है और आर्थिक संसाधनों के तहत हमारा विभाग योजनाओं को सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं चाहूंगा कि सारे लोग संकल्प लें और इस बजट को पारित करें।

श्री अधिष्ठाता–

सरदार सिंह जी क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण मैं करना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब समय से ज्यादा हो गया है। अब नहीं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, स्पष्टीकरण का तो हमारा अधिकार है, आप स्पष्टीकरण दिला दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपको जो सुझाव देना हो वह लिखकर दे दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, हमारे यहां पर पशु अस्पताल तो हैं, उनमें डाक्टर नहीं हैं, तो क्या आप डाक्टरों की व्यवस्था करा देंगे, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री अरुण कुमार सिंह–

करा दूंगा।

श्री राज किशोर सिंह–

हमारे यहां बनारस में एक आरजी लाइन फार्म है, जो 200 एकड़ का है, उसमें तीन लाख रुपया प्रतिवर्ष घाटा होता है और वहां पर न तो कोई अच्छी नस्ल की गाय है, न सांड़ है और जो गायें हैं वह दूध नहीं देती हैं। वहां पर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र है, जहां पर 10 रुपये से 25 रुपये तक वीर्य के इन्जेक्शन का राम नवल जो वहां का कर्मचारी है, लेता है, इसको आप दिखवायें और दूसरी यह बात है कि गंगापुर क्षेत्र में दीनदासपुर गांव में मछली पालन की नर्सरी है, लेकिन वहां पर नर्सरी के लिए मछली का जियरा नहीं पाले जाते हैं और न गड्ढों में पानी ही है, इसको भी आप दिखवा लें और ठीक करवा दें।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मैं इनको ठीक करवा दूंगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, वर्मा जी ने अपने भाषण में कहा था कि मिढाकुर में एक पशु चिकित्सालय खोलने की जरूरत है, तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पर उसे खोलने की व्यवस्था करेंगे?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दें। आप वापस ले रहे हैं, या नहीं?

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह–

आप पहले सदन को व्यवस्थित तो करायें। मैंने माननीय मंत्री जी से अपने भाषण में कुछ बातें बताने के लिए कहीं थीं किन्तु उनका जवाब नहीं आया . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब भाषण नहीं होगा। आप अपना संकल्पन वापस ले रहे हैं या नहीं?

श्री सरदार सिंह–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भ्रूण प्रत्यारोपण (इम्ब्रूयो ट्रांसफर) के बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? दूसरे डेरी के बारे में कुरियन साहब ने जो कहा था–सचिव आदि के विषय में, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री अधिष्ठाता–

अब भाषण नहीं हो सकता है। उत्तर भाषण हो चुका है।

श्री सरदार सिंह–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपरेशन फ्लड टू में जो जिले स्वावलम्बी हो गये हैं जिनकी संख्या 11 है उनको आप केन्द्रीय आर्थिक सहायता देंगे लेकिन बाकी को नहीं देंगे। तो उनको आप कौन से संसाधनों से चलायेंगे? एक सुझाव मैंने भ्रष्टाचार के बारे में कहा था–जिसमें पशुधन सचिव लिप्त थे उसमें क्या हुआ?

श्री अधिष्ठाता–

इसका जवाब आ चुका है।

श्री सरदार सिंह–

जो मत्स्य निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके बारे में भी मंत्री जी बता दें। राणा जी ने मिणाकुर में एक अस्पताल खोलने की बात कही है उसके बारे में भी आप सदन को अवगत करा दें।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं। मैंने पहले भ्रूण के बारे में कह दिया था लेकिन माननीय सदस्य ने सुना नहीं। मैंने बताया था कि जो हमारी 250 गायें हैं उनमें हम इस प्रक्रिया से 5000 गायें प्रतिवर्ष पैदा करेंगे और उसी प्रक्रिया से 5000 पैदा करेंगे जिसमें 1 लाख लीटर दूध का रेशियो रहेगा। इस तरह से इस प्रक्रिया से हम प्रगति कर सकेंगे।

इसी प्रकार मेरठ मंडल में जो कि आपके पड़ोस मे बाबूगढ़ है वहां पर भी भ्रूण के लिए इस प्रकार से एक्सपेंशन किया जा रहा है। इसी प्रकार फिशरीज की डायरेक्टर के बारे में कहा गया। उनका विधिवत् प्रक्रिया के तहत चयन कर लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,23,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,39,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,61,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) अनुदान संख्या 25–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

(समय : 6 बजकर 5 मिनट)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,60,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,00,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों के आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहयोग मिलता है। इस प्रदेश में गन्ना किसान गन्ने के उत्पादन में बराबर प्रगति कर रहे हैं। पिछले वर्ष 1987-88 में कुल गन्ना उत्पादन 955 लाख टन हुआ था और चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई 299.65 लाख टन की गयी थी। चीनी का उत्पादन 26.65 लाख टन किया गया जो गन्ना खरीदा गया वह है 797.64 करोड़ रुपये था और गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया 796.03 करोड़ का जो कुल गन्ना मूल्य का 99.80 प्रतिशत है अब मात्र 0.20 प्रतिशत बकाया रह गया है जो निजी चीनी मिलों का है उनमें कुछ विशेष खराबी की वजह से भुगतान नहीं किया जा सका है उसको मैं आगे बताऊंगा कि उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

सन् 1988-89 में गन्ने का कुल उत्पादन 991 लाख से अधिक होने की संभावना है और चीनी उत्पादन का लक्ष्य 29 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। यह 22-2-89 की जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार है। इसमें 102 चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पिराई की गयी उसमें 15,690.13 हजार टन पेराई हुई जो चीनी उत्पादन हुआ वह 1386.35 हजार टन है। गन्ने का कुल क्षेत्रफल 18.71 लाख हेक्टेयर रहा है जो बढ़ कर 89-90 में 19 लाख हेक्टेयर होने की आशा है। इस प्रकार हम गन्ने के उत्पादन में बराबर आगे बढ़ रहे हैं।

15-2-89 की सूचना के अनुसार कुल गन्ना मूल्य 422.63 करोड़ रुपया का हुआ गन्ना मूल्य भुगतान 359.99 करोड़ रुपये का किया गया। जो गन्ना मूल्य भुगतान का प्रतिशत है वह 85.18 है जबकि गत वर्ष 83.18 था। इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा भुगतान बेहतर चल रहा है। इस प्रकार देखें कि हम अधिक क्षेत्रफल में गन्ना पैदा कर रहे हैं। गन्ने की पेराई भी पिछले सालों से इस साल अधिक की गयी है। इससे गन्ना किसानों को अधिकतम लाभ होने की संभावना है। इस वर्ष महत्वपूर्ण कार्य, श्री नारायण दत्त तिवारी, मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो किया गया है वह पूरे प्रदेश में पिछले सालों में पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के गन्ने के मूल्य के मामले में जो थोड़ा अन्तर था उसके बारे में विवाद होता था जिसको अब समाप्त कर दिया गया है और पूरे प्रदेश में गन्ना मूल्य बराबर कर दिया गया है। मान्यवर, सामान्य गन्ना मूल्य की कीमत 30 रुपया है और अली, पहले पकने वाली किस्म की कीमत 34 रुपया कर दी गयी है। यह देश भर में अधिकतम मूल्य है जो गन्ना किसानों को दिया जा रहा है। इसी प्रकार गन्ना किसानों को 3 रुपये और 3.50 रुपये अधिक मूल्य मिल रहा है। अली किस्म के गन्ने का मूल्य पिछले साल निर्धारित नहीं किया गया था लेकिन 3 रुपये सब्सिडी में दिया जाता था किन्तु उसको निकाल देते हैं तो भी 4 रुपये और 4.50 रुपये किसानों को अधिक मिलता है। तो दोनों किस्म के गन्ने का मूल्य किसानों को मिल रहा है जो संतोषजनक और अधिक भी है। इसी प्रकार किसानों को सरकार द्वारा अधिक लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम चलाया गया है।

मान्यवर, गन्ना विकास के काम में शुगर डेवलपमेंट फण्ड जो भारत सरकार की योजना है । "शुगर डेवलपमेन्ट फण्ड" से उत्तर प्रदेश सरकार की 18 निजी चीनी मिलें और 31 राज्य चीनी निगम की मिलें एवं 30 सहकारी चीनी मिलें धन मांगती थी तो 18 निजी चीनी मिलों 3045.797 लाख रुपये, 31 राज्य चीनी निगम की मिलों ने 3121,689 लाख रुपये और 30 सहकारी चीनी मिलों ने 3943.23 लाख रुपयें मांग किया था । इसमें से 18 निजी चीनी मिलों में से 3 को 3.53 करोड़ रुपयें, राज्य चीनी निगम की 31 में से 8 को 6.37 करोड़ रुपये और सहकारी चीनी मिलें जो 30 हैं उसमें 27 के लिये 30.58 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है । यह पैसा मिल के उस क्षेत्र के गन्ने के उत्पादन बढ़ाने के लिए खर्च किया जायेगा । यह खर्च की मदें इस प्रकार हैं--नं0 1-नम गर्म वायु संयंत्र की स्थापना, दूसरे . . . । पौधशालाओं की स्थापना, अधिक चीनी पैदा करने वाली गन्ना बीज को प्रोत्साहन, सिंचाई साधनों की व्यवस्था, पैड़ी गन्ना की व्यवस्था, सर्विस सेन्टरों की स्थापना आदि--यह सब व्यवस्थाएं, शुगर डेवलपमेन्ट फण्ड की ओर से जो पैसा मिलेगा, उसमें से यह की जाएंगी । और मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ना की उन्नत प्रजातियों को पैदा करने का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके पहले इस हेतु कमप्यूटर में एक संस्थान था, किन्तु उत्तर भारत में नहीं था । परन्तु वहां भी इस बात का प्रयास किया गया और उसके फल-स्वरूप यहां पहला शाहजहांपुर में स्थापित हुआ और दूसरे सेवरही में खोला गया । सेवरही में गन्ना शोध संस्थान द्वारा यह स्थापित किया गया है, जिसमें वहां पर बहुत विद्वान लोग, अच्छे साइन्टिस्ट लोग और प्रसिद्ध लोग नियुक्त हैं ।शाहजहांपुर में डाक्टर सुदामा सिंह हैं । वहां काफी दिनों से यह पद रिक्त चल रहा था, और अब वहां पर शोध का और गन्ना शोध प्रजाति का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है । सेवरही में गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान है और वहां पर उसके निदेशक डा0 एच0 एन0 सिंह हैं । इनके अतिरिक्त 16 अन्य सुविज्ञ व्यक्तियों की वहां पर नियुक्ति की गयी है, जो फाउन्डेशन बीज की समस्त आवश्यकताओ को पूरा करते हैं । इसके जो केन्द्र हैं, एक गोरखपुर में है और जिसके लिए 250 एकड़ जमीन मिल गयी है और दूसरे गाजीपुर के लिए भी 100 एकड़ जमीन मिल गयी है । वहां पर भी गन्ना बीज पैदा करने का कार्य किया जा रहा है । इसके अलावा जो शाहजहांपुर से संबंधित केन्द्र हैं, उन्हें भी आप देखें । जो उपकेन्द्र हैं, वह इस प्रकार हैं । जनपद लखीमपुर-खीरी के गोला में दो केन्द्र हैं और नैनीताल के काशीपुर में एक है । जनपद मुजफ्फरनगर के मुजफ्फरनवर में एक केन्द्र है । जिला मेरठ के दौराला नामक स्थान में एक केन्द्र है और जनपद बिजनौर के स्नेह रोड में भी एक केन्द्र है । . . .

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी, बजट आपका आज डेढ़ घंटे में समाप्त होना है । इसलिए आप संक्षेप से संक्षेप में कहें, जितना ज्यादा हो सके कम में कहें ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

इसमें मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । गन्ना हमारे प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण फसल है । आपने अपने श्रीमुख से डेढ़ घंटे की जो बात कही यह तो बिल्कुल ना काफी समय है । तो इतनी भी औपचारिकता से फायदा क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

इसके लिए निर्धारित समय है और इस निर्धारित समय में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सेवरही में जो गन्ने की किस्म पैदा की जा रही है, वह भी मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं । को0 शा0-837, को0 शा0-8315, को0 शा0-8407, को0 शा0-8408, को0 शा0 - 85223 और बी0 उ0 91 जातियां वहां पर विकसित की गयी हैं ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, उधर से बार-बार मंत्री जी को टोका जा रहा है । यदि उनको गन्ने में वाकई कोई रूचि है तो ध्यान से उन्हें इनका भाषण सुनना चाहिए, तो आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

इसके अलावा जो है माट भूमि के लिए इस संस्थान द्वारा को0 शा0 837, 8315 व 8408 जातियां विकसित की गयी हैं, वो बीज ऐसी भूमि के लिए उपर्युक्त होगा । इसके लिए भी सिवरही में यह प्रयास किया जा रहा है उपयुक्त गन्ना बीज तैयार किया जायगा । ऊसर जमीन जल प्लावित भूमि में जहां पानी रुकता है जमीन पथरीली है उसमें गन्ना अच्छा पैदा किया जा सके उसके लिए सिवरही प्रक्रिया जारी है। मान्यवर अधिक गन्ना उपज और अधिक सरकरा देने वाली जो किस्में हैं वह 46 है इसमें यू0 पी0 12, को0सा0 85, 220, को0सा0 87, 222, को0सा0 87 हजार 229, को0सा0 88,237 इनको विकसित किया जा रहा है, तो इस तरह से गन्ना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है । अब गन्ना बीजवितरण के बारे में कहना चाहूंगा । मान्यवर, जब तक किसानों को अच्छा गन्ना बीज उपलब्ध नहीं हो सकेगा तब तक गन्ने का अच्छा बीज उत्पादन नहीं हो सकता है आज तक जो गन्ना बीज उत्पादन किया गया है उसको वितरण किया गया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा । गन्ना बोने हेतु जो बीज दिया गया है वह तीन लाख आठ हजार मीट्रिक टन लक्ष्य था, तीन लाख 26 हजार मीट्रिक टन बांटा गया है। 1988-89 में तीन लाख 14 हजार का लक्ष्य था जबकि तीन लाख पचास हजार मीट्रिक टन बांटा गया.

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह आंकड़े तो आपकी पुस्तिका में भी मिल जाते हैं गन्ने में सरकार की नीति क्या है, उसके मूल्यों के बारे में , चीनी मिलों के बारे में , उसका घाटा पूरा करने के बारे में, कुछ बतायें? आप आंकड़े क्या पढ़ रहे हैं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

गन्ना उत्पादन के बारे में जो उपलब्धियां हैं वह आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

समय की कमी की बिना पर आप नीतियों पर ज्यादा ध्यान दें ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

गन्ना विकास में गन्ने को जो बीमारियां लगती हैं उसकी रोकथाम के प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें पायरिला नाम की महामारी है जो गन्ने को लगती है जिसने पिछले सालों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने को ज्यादा नुकसान पहुंचाया था तो इस बात को देखते हुए, पायरिला की बीमारी को रोकने के लिए परजीवी प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रस्तावित है, तो पायरिला को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सिवरही में 14 अन्य विशेष कार्य किए जा रहे हैं गन्ने के साथ-साथ अन्य फसल भी उगाई जा सकें ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके ऐसा प्रयास किया जा रहा है। रवी के समान गन्ने का उत्पादन होता है तो ऐसी प्रजातियां पैदा की जायें जो पहले बुआई की जाए और गन्ना उपज रवी की फसल के साथ-साथ समाप्त हो जाये । इसके अलावा एक ऐसी प्रजाति पैदा की जाए कि जब गन्ना मिलों में चला जाय और इसकी पेराई हो जाये . . .

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह चला जाए, वह चला जाए यह क्या-क्या कह रहे हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जो काम हम कर रहे हैं वह बता रहे हैं ।

मान्यवर, हम क्षेत्रीय प्रदर्शन करा रहे हैं ताकि जिसमें किसान प्रभावित हों, प्रेरित हों और अधिक से अधिक गन्ना पैदा कर सकें। विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक गन्ना किसान पैदा करें। मान्यवर, इसी तरह से ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत हम सड़कें बना रहे हैं। जिला योजना और प्रदेश की योजना के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है। प्रदेश की योजना के माध्यम से पक्की सड़कें बनायी जाती हैं और जिला योजना के माध्यम से कच्ची सड़कें बनायी जाती हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कितने आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को गन्ने की ट्रेनिंग के लिए भेजने जा रहे हैं । इस पर थोड़ा सा बतायें ताकि हमें जानकारी प्राप्त हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, इसी तरह कुछ नयी चीनी मिलों की स्थापना के बारे में बताना चाहता हूं । इस समय स्नेह रोड़ , बिजनौर , मिल का कार्य चल रहा है । इसी तरह से गोरखपुर में

धूरियापार चीनी मिल का शिलान्यास हो गया है । इसके अलावा बहराइच में चित्तवरिया, सुल्तानपुर में साकुम्भरी, मुरादाबाद में बहेड़ी - बभनान तथा बरेली में नवाबगंज, मीरगंज, मेरठ में मवाना, बुलन्दशहर में जेवर, बदायूं में बिसौली तथा इलाहाबाद में फूलपुर चीनी मिल के बारे में आशय पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । आशय पत्र प्राप्त हो जाने के बाद नयी चीनी मिलें लगा दी जायेंगी । शासन की ओर से यह नीति निर्धारित की गयी है कि अब जो भी चीनी मिल लगायी जायेगी वह 25 सौ मी0 टन की लगायी जायगी । यह भी प्रयास किये जा रहे हैं कि जो चीनी मिलों की क्षमता है उसको बढ़ाया जाय । तो इस तरीके से 12 चीनी मिलें निगम की हैं, 9 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं तथा 19 चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र की हैं इनकी क्षमता को 5000 मी0 टन तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 2500 मी0 टन से चीनी मिलों की क्षमता धीरे-धीरे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है , सभी चीनी मिलों की क्षमता 2500 मी0 टन कर दी जायगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीया मंत्री जी, आप बाद में जब जवाब दीजिएगा तब बोल लीजिएगा।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि मैं बता दूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बाद में कह दीजिएगा ।

*श्री जनार्दन ओझा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य - विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन् गन्ना शुगर इंडस्ट्री इस प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इस प्रदेश का 30 लाख गन्ना किसान इसमें लगा हुआ है। मुझे प्रसन्नता होती, मैंने अपेक्षा किया था कि माननीय मंत्री जी कुछ नई चीज देंगे । यह चुनाव वर्ष के पहले का अंतिम बजट है । इतने निराशा-जनक तथ्यों को देकर, इतने सरस विषय का बजट इस नीरसता के साथ मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह आने वाले दिनों की एक झलक है । श्रीमन्, मंत्री जी आंकड़े के जाल में फंस गये थे। आंकड़े के जाल में फंस कर खुदा जुदा हुए। एक शिफर इधर कर दिया, तो उनको लाभ दिखाई दिया । श्रीमन्, चीनी का उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । पिछले वर्ष जो रिकवरी की, एवरेज रिकवरी, जिसको आप प्रतिशत परता चीनी का कहते हैं, वह 9.33 था, जो घट कर 8.89 हो गया है । इस प्रकार से श्रीमन्, जो देश का औसत चीनी का 60 मीट्रिक टन था, वह 51 मीट्रिक टन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रह गया है । जो 57.7 था, वह घट कर अब चला आया है 49 से भी नीचे । श्रीमन्, परता की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से जो एवेरेज हमारा है, वह नीचे चला आया है । यह विडम्बना है कि प्रदेश की सरकार के समक्ष कभी भी गन्ना किसान के संबंध में, चीनी उद्योग के संबंध में कोई नीति नहीं रही है । यही कारण है कि जितना शोषण इस गन्ना किसान का हो रहा है, उसकी कल्पना वही लोग कर सकते हैं, जो गन्ना की खेती करते हैं । जो गोरखपुर और पूर्वांचल के लोग हैं, गन्ना किसान उनको डण्डा लेकर खदेड़ रहा है । एक तरफ तो पर्ची का इन्तजार कर रहा है और एक तरफ पोलिटिकली मोटीवेटेड फैक्टरियां जो लगी हुई हैं रसड़ा, सठियांव, नन्दगंज में हैं, वे बन्द हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रसड़ा में, सठियांव में आपने अनुमति दिया था ? क्या नन्दगंज में अनुमति दिया था ? ये सारी फैक्टरियां अपने मन से जब चाहते हैं, बन्द कर देते हैं और जब चाहते हैं, तब चलाते हैं, कोई नीति नहीं है । माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया कि एंबरेज बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया, इसमें शासन का क्या योगदान है, इसमें आपका क्या योगदान है ?

आप गन्ना शोध संस्थान की बात करते हैं । बाप, दादा जो गन्ना बोते रहे हैं, वे अपने हिसाब से गन्ना बो रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, वही 10 प्रतिशत लोग नई प्रजातियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी वही पुरानी वैराइटियां चल रही हैं । यह जो मंत्री जी कह रहे हैं कि एबरेज बढ़ रहा है, यह पूर्वांचल के किसान की मजबूरी है कि कम परिश्रम से दूसरी कोई कैश-क्राप नहीं है, इसलिए वह गन्ना बोने के लिए मजबूर है, कोई ठिकाना नहीं है, श्रीमन् कभी वह 10 एकड़ बो देगा और कभी वह 5 एकड़ बो देगा । आपने बढ़ाया गन्ने की कीमत, हिसाब लगाया आपने, मंत्री जी ने मिल मालिकों को छूट दे दिया, टैक्स में कितनी छूट दे दिया, साढ़े 3 रु0 रेट बढ़ा दिया, 35 रु0 तो हरियाणा में कर दिया । जो आपका रंगराजन फार्मूला है, उसके हिसाब से आज 35-36 रु0 में कम दाम नहीं होना चाहिए । जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं जहां आपके फार्म हैं आपके फार्म की रिपोर्ट है कि गन्ने की उत्पादन कीमत 38.25 पैसे है, गन्ने का उत्पादन का दाम 38.25 पैसे और आप दे रहे हैं 30 और 34 रुपये, कैसे दे रहे हैं? एक वैराइटी ऐसी है जिसके ऊपर आप 34 रुपया दे रहे हैं । मैं पूंछना चाहता हूं कि उसमें देने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं प्रदेश में शायद एक प्रतिशत भी न होंगे। सेल्स टैक्स आपने माफ कर दिया चीनी के दाम बढ़ा दिये और मजे की बात मंत्री जी सबसे गन्दा काम इस सरकार ने क्या किया है कि लेवी सुगर और फ्रीसेल सुगर को बराबर कर दिया है। फ्री सेल 45 होती थी और 55 परसेन्ट लेवी का कोटा था । आज मिल मालिकों ने इस सरकार को पैसा दिया है और आज दोनों चीनी को बराबर कर दिया गया है यह लूट हुई है और इसकी लूट का करिश्मा मैं बताऊं मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आकड़े रखना नहीं चाहता हूं । जब काटेस्ट किया जायेगा तो आकड़े दे दूंगा ।

इनकी और बड़े-बड़े सेठ और सरमायेदारों की साजिश है जब कभी मान्यवर, किसानों को चीनी की जरूरत होती है तो यह चीनी कम रिलीज करते हैं और जब किसानों को चीनी की जरूरत नहीं होती है तब यह चीनी ज्यादा रिलीज करते हैं । श्रीमन्, इतना ही नहीं जब किसानों को, कंज्यूमर को, मैं कंज्यूमर ही कहूंगा, उपभोक्ता को अधिक चीनी की

जरूरत पड़ती है तो कम रिलीज करते हैं और रिलीज कब करते हैं महीने के आखिरी दिनों में । शासन का आदेश है और यह आदेश केन्द्र सरकार का भी है कि 20-20 प्रतिशत करके चीनी को रिलीज करना चाहिए पहले हफ्ते में लेकिन कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ । टोटल चीनी महीने के आखिर में रिलीज करते हैं और उसका काफी प्रतिशत मिल मालिक उठाते नहीं है लैप्स कर जाती है और वह लैप्स की गयी चीनी काले बाजार में, बम्बई के बाजार में, बंगलादेश और नैपाल में 18 रुपये क्विन्टल में बिकती है । हमारी गाढ़ी कमाई की चीनी यह निकम्मी सरकार किसान विरोधी सरकार, बंगला देश में 18 रुपये में बिकवाती है । और हमको हमारी जरूरत पर, शादी ब्याह में चीनी नहीं मिलती । यह चीनी की बात करेंगे यह गन्ना किसानों की बात करेंगे ।

आप चले जायं नेपाल में, नेपाल विदेश में है नेपाल में गन्ना किसान कुछ नहीं करता उसका कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, सिंचाई नहीं करनी, फर्टिलाइजर नहीं डालना ट्यूबवेल की जरूरत नहीं चलाने की बस गन्ना खेत में डाल दिया और गन्ना पैदा हो जाता है और वह नैपाल का किसान 35 रुपया पा रहा है और साढ़े 4 रुपये किलो चीनी नैपाल के बाजार में चाहे जितनी खरीद लीजिए । एक समय था जब यहां से चीनी नैपाल को जाया करती थी और आज नैपाल की चीनी यहां आ रही है । आज 35 रुपये का दाम किसान को गेट पर मिल जाता है नैपाल में और इंतजार नहीं करना पड़ता है । यही बगल में हरियाणा में 35 रुपये क्विन्टल दे रहे हैं यह नहीं कहा कि किस वरायटी का दाम दे रहे है । मान्यवर, आज गन्ना किसानों की सबसे दयनीय स्थिति है वह लाचारी की स्थिति में है । वह गन्ना पैदा करता है उसको पता नहीं कि किस रेट पर बेचेगा, किस बाजार में बेचेगा, कब पैसा मिलेगा इससे ज्यादा लाचारी और विवशता देश में और प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगी आज उस लाचारी का शोषण हो रहा है ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सोसाइटी आपने बनाई है । सोसाइटियों के सम्बन्ध में आपने कुछ कहा नहीं है, भ्रष्टाचार का जो अड्डा है, यह सदस्य राम कोला बैठे हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा, यहां शर्म आती है उधर बैठने वाले लोग सही बात कहने में शर्मा करते हैं। जितना भ्रष्टाचार इन सोसाइटियों में पड़ा हुआ है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते । आप सोसाइटियों की बात करते हैं । आप क्षमता की बात करते हैं, मैं एक सबूत देना चाहता हूं, 1985-86 में 35.30 मै0 टन खाद बेची थी और 1987-88 में 35.30 की जगह 19 हो गया, यानी आधे के लगभग हो गया। जहां तक वसूली का मामला है 65.68 प्रतिशत वसूली 1985-86 में थी और 1937-88 में 30 फीसदी हो गयी। यह आपके आंकड़े हैं। मेरे नहीं हैं। इसी के साथ में कहना चाहता हूं कि इन सोसाइटियों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ये सर्वशक्तिमान हैं। इनके चुनाव करा दिये और चुने हुए सभापतियों के सम्बन्ध में कुछ न कहूं तो अच्छा है। समितियों का मामला है, अलग से बात करूंगा। आपने पेस्टीसाइड और फर्टीलाइजर की बात की। आप किसान परिवार से आते हैं, पूछा होगा कि सोसाइटियां किस रेट पर खाद देती हैं ? यूरिया केन यूनियन की सोसाइटियां 113 रुपये में बेचती हैं । वह खाद वो फटे बोरे में पड़ी है, आउट डेटेड है और कम है। इसीलिये किसान खाद बनिये

की दुकान से 103 रुपये में लेता है। यह जो घटा है, उसका एक मात्र कारण यह है कि बाजार में 103 रुपये में एफ0 सी0 आई0, गोरखपुर का सादा यूरिया मिलती है और सड़ी बोरी का, फटी बोरी का, खराब और कम यूरिया 113 रुपये में आपके गोदाम पर मिलता है।

आप किसान के बड़े हिमायती बनते हैं। श्रीमन्, आप पेस्टीसाइड की बात करते हैं। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूं। रैलिस इण्डिया से 130 टन की सप्लाई का कान्ट्रैक्ट हुआ। शाईंग पीरियड बीत गया और अगले महीने दूसरी किश्त शाईंग की बनने वाली है और केवल 10 टन सप्लाई की है। मैं जानना चाहता हूं, आंकड़े दे दिये कि 130 टन खरीद कर बेच दिया तो यह बाकी कब बेचा जायगा और उसकी उपयोगिता क्या होगी ? ठीक इसी तरह से एक दूसरी फर्म है मेसर्स स्वरूप केमिकल्स। इससे 20 लाख की खरीद हुई। एक्सपर्ट्स ने, विभाग में जानकारी रखने वालों ने आदेश दिया कि 5-5 किलो के पैकेट बना दिये जायं, ताकि गरीब किसान तक यह पहुंच जाय, लेकिन नहीं बनी और 20-20 किलो के पैकेट बनाए। सब का सब डम्प पड़ा हुआ है। एक भी नहीं बिकी। कौन खरीदेगा 20 किलो का पैकेट ? किसान 5-5 किलो के पैकेट खरीद लेते। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 20 लाख की खरीद एक्सपर्ट्स की राय के खिलाफ करने वाला कौन अधिकारी है, कौन परचेजिंग अधिकारी है, अथारिटी है, 20 लाख रुपया किसने खर्च किया। क्यों डम्प पड़ा है। आप बेच नहीं पा रहे हैं। छोटा किसान नहीं लेगा। यह वही अधिकारी है जिसके खिलाफ एडवर्स इंट्री है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गम्भीर आरोप हैं। वही पचेंजिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया है। शुद्ध रूप से भारी कमीशन लेकर 20 लाख रुपया विभाग का बर्बाद कर दिया गया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि इसकी जांच करायें। उस अधिकारी को निलम्बित कीजिये। ऐसे लोग जो किसानों के शत्रु हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए।

इसी तरह से काफी लेखा जोखा पेश किया है कि सड़कें बनवाईं और क्या-क्या काम किया। कौन सी एजेंसी है जो सड़क बनवायेंगे ? एक रस्तोगी, एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं, उनकी नियुक्ति कब हुई, पता कर लें ? किसने की, कब की, किस चयन समिति ने चयनित किया। इसका ओवर हेड एक्सपेंडिचर वह मेन्टेन करता है। जो भी केन कमिश्नर आया पटिया लिया चले गये कभी नियुक्ति नहीं की। धरमपुर ग्राम की सड़क पर 46 हजार रु0 का खर्च दिखाया गया जांच हुई सड़क नहीं बनायी गयी, इंस्पेक्टर को हटा दिया गया। मैं कहता हूं कि निर्माण कार्यों की जांच पी0 डब्लू0 डी0 की टी0 ए0 सी0 से करायी जाय अगर 50 फीसदी भी सही काम निकल जाय तो जो आप सजा देंगे स्वीकार कर लूंगा। मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई राजनीतिक बात नहीं है। एक संघ आपका है। समिति को खाद देते हैं। समितियों के बीच में दलाल पैदा होता है। सीधे-सीधे समिति को खाद क्यों नहीं देते हैं ? कमीशन चाहिए अलग। कमीशनखोर अलग से क्यों बैठे हुए हैं ? आप तो मुल्क की राजनीति में विश्वास करते हैं। खाद चाहिए समिति को किसान को सप्लायर, तैयार हैं देने के लिए, बीच में आप यह संघ ले आये। पुराने कोई चहेते एम0 डी0 हैं

उनका बिठाया, डेढ़ लाख रु0 का फर्जी चेक लेकर चले गये। सरकारी धन का दुरुपयोग क्या करा रहे हैं ? आप इस पर बंदिश लगायेंगे यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं ? समितियों के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा न कहकर कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो चुनाव आपने कराये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह दुरुपयोग कर रहे हैं, सोसाइटी समिति के पैसे को अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। सवाल भी इस पर उठा था। इस पर अंकुश लगाने का काम करें, निवेदन किया था।

मिल मालिकों और इस इण्डस्ट्री से संबंधित जो सरमायेदार लोग हैं सरकार और इनके बीज नाजुक रिश्ता है नाजुक रिश्ता शुरू से रहा है यह कोई नयी बात नहीं है। अगर आपकी जानकारी में न हो तो जानने की कोशिश कीजिये। चुनाव वर्ष है। यह सरमायेदार लोग हैं । नियम की बात कह दूं एक मिनट में। एक दिल्ली में अधिकारी बैठे हुए हैं निगम के जो आंकड़े दिये हैं 27 लाख मी0 टन चीनी पैदा हुई है यहां पर हम तो 30 लाख मीट्रिक टन मान बैठे हैं। दिल्ली में वह बैठे हुए हैं, सप्लाई के इंचार्ज हैं । मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर कहता हूं इस धनी उद्योग से गन्ने के, कहना चाहता हूं कि 10 रु0 बोरे का लीगलाइज कमीशन है उसमें कोई विवाद नहीं है 3 करोड़ हो गया । चीनी लेप्स कर दी जायेगी फिर से उसका रिएलाटमेन्ट हो जायेगा जहां चाहेंगे भेजेंगे यह लीगलाइज नहीं है दूसरा कमीशन है। यह लेकर लगभग 10 करोड़ रु0 आता है। इसकी जांच करवा लीजिये कहां पैसा जाता है। श्रीमन्, मेरा निश्चित आरोप है। यह एक आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट एलाट करती है 3 लाख 7 हजार बोरे का और 2 लाख हजार का इसका रिलीज आर्डर बनता है। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट का आर्डर है 20–20 प्रतिशत के हिसाब से इंसटालमेंट वाइस रिलीज होने का हर बार में और महीने के आखिरी दिनों में रिलीज क्यों होता है ? शादी ब्याह के दिनों में जब उपभोक्ता को चीनी की जरूरत है तो रिलीज कोटा में कमी कर दी जाती है और बरसात के दिनों में जब जरूरत नहीं पड़ती है तो रिलीज का कोटा क्यों बढ़ा दिया जाता है प्रदेश की जनता इसका जवाब चाहती है। खांडसारी मिलों के बारे में न कहूं तो हमारे पश्चिम के भाई नाराज हो जायेंगे। यह पश्चिमी क्षेत्र की बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है तमाम लोग इसमें लगे हुए हैं यह दुर्भाग्य है कि जो 33 से 34 फीसदी टोटल गन्ने की क्रोशिंग मिलों में होती है बाकी कुछ बीज में चला जाता है और इधर-उधर में चला जाता है इससे कम खांडसारी नहीं बरती ज्यादा करती है उनके लिए गन्ने की कोई कीमत नहीं है। वर्ष 1976 में जब माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी वहां थे, जब गन्ने की कीमत 13 रुपये क्विंटल थी, उस समय उन्होंने कहा था कि 9.50 पैसे खांडसारी को भी देंगे, लेकिन वह बात इम्प्लीमेंट नहीं हुयी और मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में एक बार पुनः विचार करे। मान्यवर, गन्ने की कीमत निर्धारित कर दी जाती है लेकिन खांडसारी की कोई कीमत निर्धारित नहीं की जाती। इससे जो किसान अपना गन्ना खांडसारी इकाइयों को देता है उसके गन्ने की भी कीमत सरकार को निर्धारित कर देनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में अपनी बात कह कर समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

श्रीमन्, यह जो चीनी मिलें हैं, उसमें से 30–31 तो राज्य चीनी निगम में हैं और कुछ सहकारी समितियों में हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में हैं। सहकारी समितियों के सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि वह क्या कर रहे हैं? मान्यवर, उनके भ्रष्टाचार की एक मिसाल देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। रसड़ा की बात तो पान्डे जी कह ही रहे हैं एक मैनेजर शुक्ला वहां गये हैं और जो सुगर इण्डस्ट्री के सेक्रेट्री साहब हैं, वह बड़े पावरफुल आदमी हैं। मान्यवर, उनकी तैनाती वहां कर दी गयी और पता नहीं, सुबह से लेकर शाम तक वह क्या करते हैं, यह तो आपको बलिया के लोग बतायेंगे। इसके पहले मान्यवर, वहां स्टील टैंक में से 7 लाख रुपये का मुलासेस निकाल लिया गया और जो एक्साइज जांच करती है, तो वहां से पत्रावली गायब हो गयी। इसी तरीके से श्रीमन्, रसड़ा की सुगर फैक्टरी है, सठियांव की है और गोरखपुर में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में गन्ना एलाट किया गया था।

मान्यवर, वहां गन्ना कटकर सेन्टर पर चला गया और फैक्टरी बन्द हो गयी। आज वहां पर गन्ना पड़ा सूख रहा है और आज जब मैं यहां आया हूं, तब तक उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह तो मैं आपको एक भ्रष्टाचार की बात बता रहा था। श्रीमन्, बहराइच में भी कोआपरेटिव सेक्टर में फैक्टरी लगी हुयी है, पिछले साल वहां डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट ने सात लाख रुपये की पर्ची पकड़ी, जो गन्ना सप्लाई नहीं हुआ था और उसका भुगतान कर दिया गया था। यही कारण है कि नई फैक्टरी होने के बाद भी जो रिकवरी 11 परसेन्ट होनी चाहिए, वह 7 परसेन्ट हुई। इस पर वहां के जनरल मैनेजर को वहां से हटा दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसी प्रकार इस वर्ष भी वहां 2 लाख की एक पर्ची पकड़ी गयी। मान्यवर, पूरे बहराइच में सारी कोआपरेटिव फैक्टरियों में इस प्रकार का धन्धा चल रहा है, इस पर नियंत्रण करने की नितान्त आवश्यकता है और मेरा अनुरोध है कि आप इस पर अंकुश लगाइये।

मैं मान्यवर, आपकी इजाजत से यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा निगम, चीनी निगम है, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि चीनी निगम आज एक सफेद हाथी है 'वाइट एलीफेन्ट'। यह निगम आज इस प्रदेश की सारी इकोनामी को खाये जा रहा है और रिटर्न कुछ नहीं दे रहा है। श्रीमन्, मैं केवल एक सूचना देना चाहता हूं, इस निगम के संबंध में। यह वर्ष 1970-71 में शुरू हुआ था और तब 6.50 का इनका लास था। लेकिन आज वर्ष 86-87 में यह बढ़कर 3252.89 लाख इनका लास हो गया। मैं लाईब्रेरी खोजता रहा और अपने स्रोतों से निगम की भी तलाशी की। जब ये टेक ओवर किए गए तो उस समय इन पर कितना था और आज कितना है। मान्यवर, जिस समय ये इकाइयां टेक ओवर की गईं उस समय इनके ऊपर 53 लाख रुपए था जो आज बढ़कर 8 करोड़ हो गया है। यही स्थिति सारे प्रदेश की है। जितनी अव्यवस्था और दुर्दशा इस चीनी निगम की है, उतनी कहीं नहीं है। एक प्रेम इंजीनियरिंग है, मेरठ की फर्म है। पूर्व गन्ना मंत्री जी भी

(श्री मुंशी जी) बैठे हुए हैं, यह सारी जगहों को सप्लाई करता था, उसके पास कुछ नहीं है, बाद में इस फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, पता नहीं फिर उसे 15 करोड़ रुपये का आर्डर्स क्यों दे दिया गया ? आप इसकी जांच कराइये । इसी तरह से मान्यवर, चीनी निगम के कुछ वीर पुरुष हैं। उनकी दास्तान भी हमारे पास मौजूद है। एक श्रीवास्तव जी हैं, डिप्टी मैनेजर हैं। उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वे योग्य नहीं हैं, इन्टरव्यू में वह आये नहीं क्योंकि वह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नहीं थे, किन्तु उनके पद को अपग्रेड कर दिया गया। एक राम बली सिंह जी हैं, उनको निकाल दिया गया, फिर बहाल कर दिया गया, फिर सस्पेंड कर दिया गया फिर बहाल कर दिया गया। एक सुदामा सिंह जी हैं। एक लाख रुपये के फर्जी तार की खरीद हुई है, उनका सस्पेन्सन हुआ पता नहीं आज तक क्या हुआ है। आज यह निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जो आप यह निगम को पैसा दे रहे हैं, आप एक फ्राड कर रहे हैं। 1986 में तय हो गया कि जो भी इन्ट्रस्ट हुआ है, वह कैपिटल में ले लिया जाय। कैपिटल पर इन्ट्रेस्ट नहीं लग सकता है, परन्तु निगम के लोगों ने इन्ट्रेस्ट लगा दिया और पैसा ले लिया और जब यह मामला बोनस कमेटी के सामने में आया तो तब 45 लाख रुपये का मामला पकड़ा गया। फिर इनकी कलई खुली। आज यह पूरे प्रदेश में हो रहा है। जो इनके बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वे अपने चाहने वालों को मैनेजर बनाकर तीन तीकड़म से यह पैसा बटोर रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अगर मैं मजदूरों के संबंध में कोई बात नहीं करूंगा तो अपने धर्म से च्युत हो जाऊंगा। आज कारपोरेशन के मजदूर बेसहारा हैं। न वे सरकारी कर्मचारी हैं और न ही वेज बोर्ड के नौकर हैं। इत्तफाक से प्रसन्नता है कि माननीय श्रम मंत्री श्री सईदुल हसन जी भी बैठे हुए हैं। मैंने एक प्रश्न किया था "क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि चीनी मिल में कार्यरत मजदूरों के वारिशों की भर्ती के संबंध में श्रम अनुभाग–2 से एक राजाज्ञा जो जुलाई, 1982 को निर्गत हुई है, जिसका कार्यान्वियन राज्य चीनी निगम की इकाईयां कर रही हैं यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार राजाज्ञा का परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु चीनी निगम को निर्देश देगी? इसका जवाब दिया गया है चीनी मिल में कार्यरत मजदूरों के वारिसों के संबंध में शासनादेश का परिपालन किया जा रहा है। राज्य चीनी निगम में कार्यरत इकाईयों द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, मैं इस जवाब के आधार पर इस आदरणीय सदन से इस्तीफा दे दूंगा। माननीय मंत्री जी एक शरीफ आदमी हैं। इस प्रकार का उत्तर देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है। आज किसी भी इकाई में इस शासनादेश का परिपालन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं इस आदेश के खिलाफ इस कारपोरेशन में बैठा हुआ सरकारी नौकर हाईकोर्ट में चला जाता है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। अब जो कुछ रह गया है उत्तर भाषण में कह लीजियेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

जो कांट्रेक्ट एक्ट है श्रम कानून है उसका पालन नहीं हो रहा है। श्रम न्यायालय का जो फैसला होता है उसका परिपालन नहीं हो रहा है। ये अदालत में चले जाते हैं। हैं। इसीलिये विनम्रता से कहना चाहता हूं कि चीनी निगम में काम करने वाले मजदूरों का जो वाजिब हक है, अगर नौकर से मजदूर को नहीं दिला सकते, तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। इसी के साथ ही मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मुझे आशा है कि मजदूरों के हक में दूसरे माननीय सदस्य भी मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसी के साथ, आपको भी धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समय 7 बजे)

*श्रीमती शशि शर्मा–

माननीय गन्ना मंत्री जी ने गन्ने के विकास के लिए जो बजट रखा है उसका मैं जोरदार समर्थन करती हूं। मा0 ओझा जी से भी कहूंगी कि वह भी पूर्वांचल के हैं, पूरब और पश्चिम का भेद जो कम किया है पूर्वांचल के किसानों को गन्ने का जो क्रान्तिकारी मूल्य दिलाया है, जो बराबरी की श्रेणी में रखा है, उसके लिए ओझा जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए इनकी तरफ से सारे पूर्वांचल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं जो उन्होंने गन्ना किसानों को क्रान्तिकारी मूल्य दिलाया है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी चाहे केन्द्र के वित्त मंत्री रहे हों तब भी उत्तर प्रदेश की जर्जर और पिछड़ी चीनी मिलों का उनको ख्याल रहा है। चीनी पर लेवी उत्पाद शुल्क पर जो छूट दी, केन्द्र में चाहे फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हों या मुख्यमंत्री रहे हों, जिस तरह से उन्होंने गन्ना किसानों की वकालत की है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है इसका पूर्व इतिहास है और यह सदन बहुत गौरवान्वित हुआ है जो किसानों को लाभकारी मूल्य मिले हैं।

एक-दो वर्ष के ही समय में जो गन्ने के विकास की योजनायें बनी हैं, किस तरह से गन्ने के उत्पादन को प्रकृति के भरोसे न छोड़कर उनको रिसर्च के द्वारा जोड़ रहे हैं वह प्रशंसा के योग्य है। गन्ना शोध संस्थान बनाये गये हैं वहां पर किस तरह से रिसर्च व्यवस्था हो रही है गोरखपुर में रिसर्च फार्म गाजीपुर में रिसर्च फार्म, इस तरह से पूर्वांचल में गन्ने की प्रजातियों को बढ़ाने के लिये, ज्यादा वैरायटीज के उत्पादन के लिए किस तरह से साइन्टिस्ट कार्यरत हैं, इसके लिए विभाग को धन्यवाद देती हूं। साथ ही यह भी प्रार्थना करती हूं कि जो हमारी शुगर मिलें हैं, सहकारी चीनी मिलें हैं, इनमें गन्ना विकास का जो काम हो रहा है खाली गन्ना विभाग पर न डिपेण्ड करें बल्कि सरकार से सुविधा मिल सके कि अपने कर्मचारियों को रख सकें और पूरे वर्ष गन्ना विकास कार्य हो सके। जो समितियां घाटे में चल रही हैं चाहे दोष कर्मचारियों का हो या अधिकारियों का हो, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने घोटाले किये हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। समितियों की आर्थिक स्थिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। खेतिहर गन्ना मजदूरों के लिए लाइफ इन्श्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके आवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको आवास के लिए लोन मिलना चाहिए ताकि गन्ना किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

इसके साथ ही देवरिया जिले में नई शुगर मिल खोलने के लिए अनुरोध करती हूं। ज्यादा कैपेसिटी की नई शुगर मिल लगाने के लिए भारत सरकार को लिखें। जो 40 कि0 मी0 का बैन है इसको हटाया जाय। साथ में गन्ना किसानों को पूरे वर्ष लोन देना पड़ता है चाहे खाद के लिए हो या चाहे बीज के लिए हो। इसमें ऐसा करना चाहिए कि अगर पेमेन्ट वह समय से कर देता है तो उतने समय के लिए ही उसको लोन दिया जाय। हमारे माननीय मंत्री जी ने किसानों के लिए कल्याणकारी योजना प्रस्तुत की है और माननीय ओझा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनसे निवेदन है कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें क्योंकि पहली बार पूर्वान्चल के किसानों गन्ना किसानों के हित में कोई ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और इसके लिए वे माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दें।

(विपक्ष के कई सदस्यों का एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान।)

(व्यवधान के मध्य)

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मौका दिया। मैं माननीय सदस्य, जनार्दन प्रसाद ओझा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े लम्बे-चौड़े आंकड़े प्रस्तुत करके यह बतलाने की कोशिश की है . . .

(श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता–

जो सदस्य रोज बोलते हैं उनको कम मौका मिलता है। हर बजट पर प्रत्येक सदस्य नहीं बोल सकता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि जो लोग नहीं बोले हैं, वह जब खड़े हों तो उनको अवश्य मौका मिले।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं केवल अपने जनपद के संबंध में ही कहना चाहता हूं। एक कहावत है कि धन मध्य कठवत्, तो एक चीनी मिल हमारे क्षेत्र में है। सुल्तानपुर और बांलेया को एक कैटेगरी में रखा गया है। एक चीनी मिल जो कि पूरे घाटे में चल रही है, वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस चीनी मिल की तरह से कोई बात गन्ना किसानों के हित की नहीं होती है । मैंने माननीय मंत्री जी से मिल कर इसके विषय में बात भी की थी कि बलिया के किसानों को पता ही नहीं है कि गन्ना की नयी-नयी वेराइटी भी गन्ना किसानों को उपलब्ध करायी जाती है। यह उनको पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग देकर अच्छे किस्म के बीज को पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । चीनी मिल की तरफ से न कोई प्रोत्साहन खाद के संबंध में और न कोई प्रोत्साहन बीज के संबंध में गन्ना किसानों को मिलता है ।

बलिया में घाघरा के किनारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है लेकिन रास्ते के अभाव में गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिल तक नहीं ले जा पाता है । चीनी मिल के पास इतना पैसा नहीं है और न इतने संसाधन है कि वह सड़क का निर्माण करा सके जिससे कि यातायात की सुविधा हो और किसान को भी लाभ मिल सके ।

बलिया के किसान का गन्ना मिल में नहीं लिया जाता है बल्कि गोरखपुर से गन्ना लाकर रसड़ा में दे दिया जाता है और जब किसान वहां का हल्ला करता है तो बहुत पीछे उसका गन्ना थोड़ा-बहुत ले लिया जाता है । श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप पूर्वान्चल के हैं तो बलिया में सेवरही की ही तरह गन्ना शोध संस्थान की स्थापना करायें । क्योंकि रसड़ा एक ऐसी जगह है, जहां गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ तीनों जनपद इसके बहुत ही नजदीक है । अगर आप चाहते हैं कि पूर्व का किसान गन्ने के क्षेत्र में विकास करे तो गन्ना शोध संस्थान की स्थापना आपको वहां पर अवश्य करनी चाहिए ताकि वहां का किसान लाभान्वित हो सके और दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर आज कल जो भ्रष्टाचार की लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है, ट्रेड यूनियन और अधिकारियों के बीच, जिसके विषय में आज चीनी मिल सोचने के लिए तैयार नहीं है । इसलिए मैं, आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस विषय पर जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता सोचा जाए ताकि वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार व लड़ाई-झगड़े का माहौल समाप्त हो सके । दूसरे यदि बलिया जनपद के गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां पर अधिक से अधिक सड़कें व पुल इत्यादि के निर्माण के पैसे दिए जायं, जो बलिया जनपद को अन्य जिलों के मुकाबले में पहले से कम दिए गए हैं। इसलिए मैं इस ओर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के समस्त प्रकरणों पर जांच कराकर, बलिया के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, इनके हर प्रकार से विकास की ओर अग्रसर करने के लिए अलग से अधिक से अधिक पैसा दें और इसी प्रकार से सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए अलग से पैसा दें और जैसा कि पहले भी कई बार कहा कि गन्ना शोध संस्थान की स्थापना करा दें, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि बलिया का किसान इस ओर तरक्की करे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री सुग्रीव सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं गन्ना के बारे में और इसकी पूर्णरूपेण प्रगति के बारे में, देखकर ऐसा लगा कि इस साल क्षेत्र बहुत अधिक ध्यान दिया गया है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में एक घोषणा और की थी कि जब तक गन्ने की रिकवरी अच्छे किस्म

की नहीं होंगी तब तक हमारा और हमारे गन्ना किसानों का भला नहीं होगा । इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ओर पहले से काफी अधिक ध्यान दिया गया जिसके नतीजे में एक ऐसे बीज की खोज की गयी जो पूरे एशिया में कहीं भी नहीं है और ऐसा गन्ना कहीं भी पैदा नहीं किया गया, लेकिन इस ओर एक बात अवश्य माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बीज के उत्थान के लिए जो पैसा निर्धारित किया गया है वह बहुत ही कम है, इसलिए इस ओर यह अनुरोध भी अवश्य करना चाहूंगा कि कम से कम इतना पैसा अवश्य दें ताकि हमारे प्रदेश का गन्ना किसान इससे पूरा पूरा लाभावित हो सके ।

साथ ही मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र राम कोला की ओर भी कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा कि यहां पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यहां पर स्थित राज्य चीनी मिल को विस्तृत किया जायेगा, यह बात उन्होंने सन् 84 के लिए ही करी थी, लेकिन यह अभी तक विस्तृत नहीं हुई, उसकी कैपेसिटी भी मात्र 900 कुन्तल की है माननीय मंत्री जी से 2500 कुन्तल तक कैपेसिटी बढ़ाने की मांग की गयी थी, लेकिन इस लाभ से यह फैक्ट्री आज भी वंचित है । मान्यवर, यहां का गन्ना सठियांव जिला आजमगढ़ तक को भेजा जाता है, अगर इसकी कैपेसिटी 2500 कुन्तल कर दी जाए तो यहां का सारा का सारा गन्ना यहीं पर पेर लिया जाए और इससे यहां के गन्ना किसानों को पूरा-पूरा लाभ भी मिल जायेगा ।

साथ ही साथ मान्यवर, मैं अपने यहां की केन यूनियन्स के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा कि जो भी हमारी गन्ना समितियां हैं, वह आज घाटे में क्यों जा रही है इसकी वजह क्या है ? इसकी एक ही वजह है भ्रष्टाचार और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इनकी मोटरों की पेट्रोल में पानी की तरह बह रहा है उसका आप ध्यान रखें । दूसरी बात यह है कि जैसा कि ओझा जी ने कहा, यूरिया 113 रुपये में यूनियन देती है और मार्केट में उसका रेट 100 रुपया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री सुग्रीव सिंह–

मान्यवर, केवल एक सुझाव है । चीनी मिल कप्तानगंज में है, जहां पर 3 क्रय केन्द्र हैं-परतावल, बोदरवल, और अजीजनगर । इस मिल की कैपेसिटी कम होने के कारण पूरे गन्ने की पेराई नहीं हो पाती है । इस कारण जनता की मांग को देखते हुये केन कमिश्नर ने गन्ना सरदार नगर मिल को आवंटित कर दिया और इस का प्रस्ताव बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने भी किया और सरदार नगर की मिल गन्ने को ले रही है, परन्तु फिर कप्तानगंज मिल को कहा गया है कि वह ही गन्ने की पेराई करे । यह निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है । इस कारण किसान परेशान हैं और उनका गन्ना समय से नहीं उठ पा रहा है । इसलिये मेरा सुझाव है कि फिर गन्ना सरदार नगर मिल को दे दिया जाये, जिससे किसानों को लाभ मिल सके । इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री हरेन्द्र सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ओझा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को आंकड़ों के जाल में डाल दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितनी जर्जर दशा गन्ना किसानों की इनके जमाने में हुई है, उतनी और कभी पहले नहीं हुई है । गन्ना किसानों के साथ अच्छा मजाक किया जाता है । किसी भी गन्ना किसान को यह जानकारी नहीं है कि उसका गन्ना किस मिल को जायेगा ? दूसरी बात यह है कि गन्ना किसान को यह अधिकार नहीं है कि वह कांटे को चेक कर सके । उसको यह पता नहीं है कि उसका गन्ना कितना अधिक जा रहा है । मान्यवर, अभी गन्ने के भाव की बात कही गयी है । मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि पश्चिम में प्राइवेट मिलें गन्ने की कीमत अब भी 30 रुपया ही दे रही हैं, वह 34 रुपया नहीं दे रही हैं । मान्यवर, सरकार ने 50 प्रतिशत चीनी फ्री मार्केट में दिया है, जिससे गन्ना किसानों को नुकसान हो रहा है और मिल मालिकों को फायदा हो रहा है । सचिव आपके आदेश को नहीं मानते हैं, आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं । मान्यवर, मंसूरपुर चीनी मिल का 87 लाख रुपया बकाया था और जब मैंने उसके विषय में प्रश्न यहां पर उठाया तो उत्तर दिया गया कि जो समझौता हुआ है, उसका पालन किया जायेगा, लेकिन 2 लाख रुपया चीनी मिल मालिकों से आपके अधिकारियों ने ले लिया और कह दिया कि भुगतान न करें, इस चीज को भारत सरकार तय करेगी । मैं चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर अवश्य दें, तो इन सारी बातों का उत्तर अवश्य दें और मंसूरपुर समझौते के बारे में मैं अवश्य बताऊं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नयी गन्ना प्रजातियों की बात कही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर 1148 कोयेम्बटूर प्रजाति बोयी जाती है, इसमें रोग अधिक लगता है और लाइन के लाइन सैकड़ों एकड़ खेत सूख गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर में गन्ना शोध संस्थान है, इसके पास काफी जमीन है, इसको गन्ना विश्वविद्यालय में बदल दिया जाये जिससे यहां पर शोध कार्य हो सके और गन्ने की नयी प्रजातियां निकल सकें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शक्कर निधि से गन्ना किसानों को विकास के लिये ऋण दिया जाये । इस बारे में मैं एक पत्र चीनी आयुक्त को लिखा था । पूर्व में वर्ष 1983-84 में इलाहाबाद में उपाध्याय जी के प्रयास से तथा बुलन्दशहर की 25.50 लाख रुपये का ऋण दिया गया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे यहां की समितियों को नहीं ऋण दिया जा रहा है । उनको ऋण न दिये जाने का क्या कारण है ? आपके गन्ना विभाग के जो कर्मचारी हैं, वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पूर्व में गन्ना आयुक्त टोलिया साहब थे, उन्होंने गन्ना सचिव के अण्डर में कार्य करने से मना कर दिया । उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इतना बड़ा बेईमान होगा, उसके अण्डर में मैं काम नहीं करूंगा और

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अब टोलिया के स्थान पर भाष्कर आये हैं और वह बक-बक करते रहते हैं, उनको गन्ना कमिश्नर बनाया गया है, यह गन्ना विभाग को क्या चला पायेंगे माननवर, गन्ना सचिव ने वहां पर बिना कमिश्नर की राय के अपने एक ऐसे अधिकारी को जो डिप्टी केन कमिश्नर के रूप में कार्य करते थे और भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको फेडरेशन का एम0 डी0 बनाया गया है। यह मेरा आरोप है, आप इसकी जांच करावें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, नई चीनी मिलों की स्थापना की गई है। मुजफ्फरनगर में केवल 25 फीसदी ही ये चीनी मिलें किसानों का गन्ना खरीद पाती हैं। इस सम्बन्ध में मैंने अनुरोध किया था और यहां पर इस बारे में सवाल उठाया था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में एक नई चीनी मिल की स्थापना की गई है।...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घाटमपुर में भी एक चीनी मिल की स्थापना की जाय ताकि वहां के किसानों के गन्ने की खपत हो सके। साथ ही मैं यह भी मांग करता हूं कि जहां पर गन्ना ज्यादा पैदा होता है वहां पर चीनी मिलें लगाई जायं। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरदेव–

मान्यवर, गन्ना और चीनी मिलों के विकास के बजट पर माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है और उस पर आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि 14 वर्ष के बाद रसड़ा की किसान सहकारी मिल में 12 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई हुई, गन्ने की पैदावार में वृद्धि हुई, भ्रष्टाचार मिटया, उत्पादन बढ़े। इसलिए मान्यवर, मैं इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं। मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। कोआपरेटिव एक्ट में अगर सुधार कर दिया जाय और लोकल अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दूसरी मिलों में इधर से उधर रखा जाय तो इसके उत्पादन में अवश्य ही और वृद्धि होगी। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कोआपरेटिव एक्ट में मिलों में संशोधन लाकर जो एक हजार रुपये से ज्यादा वेतन भोगी लोग हैं उनको एक दूसरी मिलों में रख दिया जाय जिससे पैदावार बढ़ सकेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में मिल हैं जैसे रसड़ा चीनी मिल है उस एरिये में ऊसर सुधार के लिए अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय। भारत सरकार से उसके पुनर्स्थापना के लिए कम से कम 7 करोड़ रुपया तत्काल दिया जाय ताकि उसकी क्षमता बढ़ाई जा सके। इस मिल में 1975 में दैनिक वेतन पर मजदूर काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाय और आरक्षण कोटा पूरा करने का समुचित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पालन किया जाय । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शोध कार्य के लिए हमारे यहां रसड़ा तहसील में एक शोध केन्द्र बनाने के लिए 45 एकड़ जमीन दी गई थी वहां पर यह शोध केन्द्र अवश्य खोला जाय ।

साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि जो 77 में आपने कहानी सुनी थी कि गरीबों का गन्ना किसानों का गन्ना जल गया था वह न हो । हमारी सरकार ने हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिन्होंने 103 मिलों के उत्थान के लिए कदम उठाये हैं उनका पुनरुत्थान भारत सरकार ने किया है, उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं । उन्होंने इतना अधिक धन देकर गन्ने को जलने से बचाया है और किसानों का बकाया दिलाया है । भारत सरकार द्वारा किसानों को मिनी-किट दिये जा रहे हैं, किसानों को अपना गन्ना मिलों तक पहुंचाने के लिए रोड बनाने के लिए कम से कम 30 लाख रुपये की वहां पर व्यवस्था की जाय । सम्पर्क मार्ग बनाये जायं और ऐसे केन्द्र खोलकर उनको सुविधायें उपलब्ध की जायं । इसके अतिरिक्त किसानों को बैंक से इस हेतु ऋण दिया जाय । इन शब्दों के साथ, मैं पुन: बधाई देता हूं और बाकी सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दूंगा । साथ ही मैं इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको इनाम दिया जाय उनको प्रोन्नति दी जाय ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सदन में जो माननीय मंत्री जी ने गन्ना विकास और चीनी उद्योग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है मुझे थोड़ी उनसे सहानुभूति हो रही है क्योंकि गन्ना विकास के मंत्री तो वह जरूर हैं लेकिन चीनी उद्योग के मामले में उनका कुछ भी दखल नहीं है । श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने बनारस के नाम पर उनको स्वतंत्र प्रभारी मंत्री जरूर बना दिया लेकिन चीनी उद्योग उनसे अलग कर दिया और बनारस के बारे में मशहूर है कि वहा पर जो गन्ना किसान हैं उनकी बात समझने वाला सत्तारूढ़ पार्टी में कोई नहीं है। खुदानाखास्ता जो मंत्री बनाये गये हैं वह इस लायक नहीं है और जो इस लायक हैं उनको फुर्सत नहीं है बनारस के बारे में सोचने की, वह मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के बारे में सोचते हैं । यही कारण है कि वहां के किसानों की हालत खराब है ।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त–

गरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य से गन्ने के विषय में उनका क्या दखल है जो गन्ना मंत्री पर चार्ज लगा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं यहां इसलिये नहीं बैठा हूं कि उनके और आपके दखल के बारे में निर्णय करूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप कोतवाली के इंस्पेक्टर से पूछिये कि आपका क्या दखल है ?

बनारस में जो चीनी मिल है जब से वह लगाई गयी है औराई में तब से लेकर आज तक इस चीनी मिल से किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है । बनारस गाजीपुर के बीच में जो नन्दगंज घाट में चीनी मिल है वह घाटे में चल रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो पुरानी चीनी मिलें हैं जिनकी मशीनरी पुरानी हो गयी हैं उनको किसी तरह से पैसा देकर जिलाया जा रहा है पूर्वांचल के हित में या गन्ना किसानों के हित में लेकिन जो फेडरेशन की हैं, सहकारी चीनी मिलें उनमें तो ऐसा लग रहा है जैसे भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है । उनमें माननीय मंत्री जी का कोई आदेश नहीं माना जाता है । भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उनके आदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है । चीनी उद्योग के जो प्रबन्ध निदेशक हैं वह उनकी किसी बात को मानने के लिये तैयार नहीं है । जितनी भी यहां पर सहकारी चीनी मिलें हैं चाहे वह पूर्वांचल की हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उनके आदेश नहीं माने जाते हैं । मैं आपका ध्यान मझौला की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वहां डेढ़ करोड़ रुपये का सामान बगैर टेंडर के खरीदा गया 104 फीट लम्बी चैन जालंधर से खरीदी गयी । एफ्लुवेंट प्लांट प्रदूषण की रोकथाम के लिये जो शर्तें रखी गयी थीं उनको लेकर कफी लेन-देन हुआ । वहां पर भ्रष्टाचार के बारे में 15, 20 विधायकों ने लिख कर भी दिया मैंने भी लिखकर दिया कि भ्रष्टाचार की जांच कराई जाय और उसके लिये जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाय । माननीय मंत्री जी ने प्रबंध निदेशक को लिख कर दिया 2 मार्च, 89 को प्रबध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल को कि इस संबंध में मैं पहले भी आदेश कर चुका हूं और बताया गया है कि श्री गुप्ता के खिलाफ काफी शिकायतें हैं कृपा कर उनका तत्काल स्थानान्तरण कर दें और मुझे भी अवगत करा दें । आज तक उनको न अवगत कराया गया है और न इस आदेश का पालन ही कराया गया है और जांच के बाद गुप्ता जो दोषी पाये गये हैं जनरल मैनेजर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हुए श्री ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और पुनः कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह मात्र दिखावा है और भ्रष्टाचार के बारे में मंत्री जी की कोई सुनवाई नहीं है ।

श्री महमूदुल हसन अंसारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गन्ना बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं मा0 मंत्री जी ने जो गन्ना बजट पेश किया है उसके लिये मैं उनको और मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं । प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं मंत्री जी को कि किसान जो लोन लेते हैं तो उसने ब्याज लिया जाता है तो उसी तरह से किसानों का पैसा जो सोसाइटीज और मिलों पर बकाया हो जाता है तो उसका ब्याज किसानों को दिया जाये ।

मान्यवर, बिजनौर जिले में गन्ना बहुत पैदा होता है जिससे नजीबाबाद में एक मिल बनाई जा रही है । मैं चाहता हूं कि इस मिल को पैसा देकर जल्दी से जल्दी बनवायें । इसी के साथ मैं मांग करता हूं कि बिजनौर जिले में एक चीनी मिल क्षेत्र अफजलगढ़ में कादराबाद में और दूसरी मिल क्षेत्र बिजनौर के किरतपुर में बनायी जाये जिससे किसानों को राहत मिल सके ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह भी मांग करता हूं कि अफजलगढ़-जसपुर रोड पर मानयावाला ब्लाक से एक सड़क कासमपुर गढ़ी होते हुए सिद्धवलीबाबा का मंदिर होते हुए कल्लूवाला जाता है उसको पक्का बनवा दिया जाये जिससे किसानों को फायदा होगा ।

मान्यवर, मंत्री जी से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नादही सहकारी चीनी मिल की क्षमता दुगुनी कर दी जाये जिससे किसानों को फायदा पहुंच सके ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, गन्ना और चीनी उद्योग जैसा महत्वपूर्ण विभाग राज्य मंत्री को सुपुर्द कर यह साबित करता है कि सरकार गन्ना और चीनी उद्योग के बारे में कितनी चिंतित है । इस सरकार के पहले गन्ना और चीनी उद्योग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक कैबिनेट मंत्री के हाथों में रहता था जिसे पूर्ण अधिकार रहता था और वह सक्षम होते थे कि गन्ना विभाग की नीतियों को तय करें और गन्ना मिलों की स्थिति में सुधार लायें । मुझे खेद है कि सरकार इस तरफ अपनी चिंता को कम कर रही है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई की अत्यन्त दयनीय स्थिति है, खासतौर से, देवरिया जिले में कई मिलें मार्च में बन्द हो चुकी हैं लेकिन कुछ क्षेत्र का, मेरे स्वयं क्षेत्र का, ऐसा गन्ना है जिसकी पेराई जून के अन्त तक संभव हो सकेगी यह कहना कठिन है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन प्रकार के सुधार निश्चित रूप से गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये होने चाहिए । इसमें जो 4 वर्षों का बेसिक कोटा बनाते हैं उसमें परिवर्तन करके कोटे का आधार हर साल बोये गन्ने के क्षेत्र के मुताबिक गन्ना यूनियन और मिलों द्वारा उनके प्रतिनिधियों को जानकारी फिजिकल वेरीफिकेशन के आधार पर किया जाये । यह नीति गन्ना विभाग द्वारा तय किया जाना चाहिए । करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष बकाये के रूप में रह जाता है और केन एक्ट में प्राविधान होने के बावजूद कि 15 दिनों में भुगतान किया जाये और न होने की दशा में ब्याज सहित भुगतान किसानों को किया जाये । मैं कहना चाहता हूं कि तीन वर्ष पहले इसी असेम्बली में मैंने पहले सवाल किया था तो सरकार ने कहा था कि इसके लिए मिल मालिक और उनके प्रतिनिधियों की वार्ता हो रही है और इसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा । परन्तु मुझे खेद है कि आज तक इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है । मेरा निवेदन है

*सदन ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि इस व्यवस्था को वह लागू करने का काम करें । अभी मंत्री जी ने गन्ने का दाम बढ़ाने की बात कही और उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा दाम गन्ना किसानों को दिया जा रहा है । मैं समझता हूं कि इनका वश चलता यह इसमें कटौती कर डालें । इस साल आकस्मिक ढंग से ढुलाई में एक रुपये से डेढ़ रुपये करके उसमें वृद्धि कर कर दी गयी है । यह करना किसानों के साथ उनका साफ शोषण है । ऐसा कहके एक हाथ से आपने उनको दिया और दूसरे हाथ से छीन लिया है । गेंदासिंह गन्ना बीज प्रजनन संस्थान का यहां पर बड़ा गुणगान अभी मंत्री जी द्वारा किया गया है । मंत्री जी वहां गये थे, उनके साथ पुलिस कर्मचारियों ने भारी दुर्व्यवहार किया था । वहां पर कामशियल और बोने वाला जो गन्ना है, उनका उत्पादन निरन्तर गिरता चला जा रहा है । आप पांच साल के आंकड़े देखें, हर साल हजारों हजार क्विंटल गन्ने का उत्पादन घटता रहा है । उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, जिस संस्था पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है । इस चीज को आप देखें और उन्हें इसके लिए दंडित करें । वहां पर उत्पादन घट रहा है, सप्लाई कम हो रही है और बीज का वितरण ठप हो गया है ।

एक अन्तिम बात और कि देवरिया जिले के भीतर चीनी मिल दो और लगनी चाहिए । जहां पर गन्ने का उत्पादन नहीं है, गन्ने का क्षेत्र नहीं है, राजनीतिक आधार पर चीनी मिलें लगाई जा रही हैं । जैसा कि रसड़ा में लगा दी गयी है जहां गन्ने का उत्पादन नहीं होता है । हमारे यहां देवरिया का गन्ना जनपद आजमगढ़ के घोसी मिल में डेढ़ सौ किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है, लेकिन वहां कोई मिल नहीं है । इनकी सरकार में कसिया में कोई चीनी मिल नहीं लगेगी, सेवरही में कोई मिल नहीं लगेगी । जहां काफी गन्ना पैदा होता है, वहां यह मिल नहीं लगाएंगे और जहां गन्ने का उत्पादन नहीं है, वहां पर मिल लगाएंगे । सेवरही में नहीं लगेगी और उसके लिए सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है 40 किलोमीटर की दूरी का । इसलिए आप देवरिया जिले के भार में भारत सरकार से इस बात की जोरदार संस्तुति करें कि इस प्रतिबन्ध को हटाया जाए । इसके लिए मैंने लिख कर दिया है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर अमल करे और मंत्री जी अपने जवाब के समय इस बात का जवाब दें और हमारे जिले देवरिया में हैतिमपुर और बरवांचघाट में चीनी मिलें अवश्य लगाई जाएं, इस पर भी वह अपने जवाब में प्रकाश डालने का कष्ट करें ।

*श्री रामकृष्ण–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने गन्ना और चीनी जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया । मैं माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मैं जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं . . .

(श्री हरदेव जी के खड़े होकर बोलने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

हरदेव जी, यह गलत है ऐसी बात नहीं चाहिए । यह बिलकुल नहीं माना जाएगा ।

श्री रामकृष्ण–

हमारे यहां गन्ने की पैदावार इतनी ज्यादा होती है कि हमारा गन्ना वहां से हरगाव, हरदोई, महोली और महमूदाबाद मिलों को जाता है । यहां पर हरिजन और गरीब तबके के लोग ही ज्यादा रहते हैं । सरकार की ओर से वहां पर कोई ऐसा उद्योग नहीं है, जिससे उनकी गरीबी दूर हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके । मान्यवर, हमारा जनपद सीतापुर के हमारे मछरहेटा क्षेत्र में एक चीनी मिल प्रस्तावित है, जिसका सर्वे सरकार द्वारा कराया जा चुका है । पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने सर्वे कराने का आदेश दिया था और कहा था कि यह संस्तुति भारत सरकार को भेज दी जाय हमारे क्षेत्र से अन्य मिलों की दूरी बहुत ज्यादा है । हरगांव मिल 70, महोली मिल 50, महमूदाबाद मिल 65 और हरदोई मिल 75 किलोमीटर दूर है । वहां पर मिल के लिए इसके साथ सभी मानक पूरे हैं इस क्षेत्र के लिए, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में इसी वर्ष एक चीनी मिल की स्थापना की जाए । इसके अलावा हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों का पैसा सन् 78 से हरदोई मिल पर बकाया है, जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है, सरकार उसे तुरन्त दिलाने का कष्ट करे । अन्त में, गन्ना विभाग में हरिजनों का कोटा भी पूरा नहीं है, उस पर मंत्री जी द्वारा ध्यान दिया जाए । इस क्षेत्र में इसी वर्ष चीनी मिल की स्थापना की जाए जिससे इस क्षेत्र में किसानों के विकास के लिए हरिजनों के विकास के लिए कुछ कार्य हो सके ।

*श्री रामशरण दास–

मान्यवर, पहले तो मैं एक सुझाव आपके सामने दे दूं, आपको बहुत भ्रम है इस बात का कि हम बहुत बोल रहे हैं पूरे हफ्ते, पिछले वाले मैंने कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं रखा । कल कटौती पेश की थी, आज पशुधन पर बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं एक मजाक कर रहा था आपने मेरा समय काट दिया , मेरी सही बात थी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समय दे देंगे आपकी सही बात को मान लिया गया है ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, गन्ने से मेरा बहुत सम्बन्ध है । मेरे चुनाव क्षेत्र से गन्ना बाहर शुगर फैक्टरियों को जा रहा है तीन फैक्ट्री सहारनपुर की, नौ फैक्ट्री मुजफ्फरनगर , मेरठ, गाजियाबाद । इसलिए मेरी पीड़ा है मैं बोलना चाहता था मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूं । मैं सुझाव दूंगा, गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहूंगा आपने भाव के मामले में किसानों को पिटवा दिया है । शास्त्री को कोई ज्ञान नहीं है, न कोई नालेज है, मेरे गन्ना ग्राम सेवक को इससे ज्यादा होगी, इतनी नालेज इनको नहीं है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पांच गड्डी लिख सकें, दो गड्डी लिख सकें । हमारे यहां खांडसारी वाले 40 भाव दे रहे हैं, अधिकारी भी बैठे सुन रहे हैं और आप डींग मार रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं । खांडसारी की रिकवरी आपसे बहुत पीछे है गन्ने की लागत दक कुंटल पैदा करने पर, 38 रुपया 25 पैसे आई है यह हमारे आंकड़े हैं। एक रिटायर्ड डी0 सी0 ओ0 ने इसको बनाया है अगर आपको सरकार को, या किसी को भ्रम है तो उनकी पेंशन बन्द करा दें । आप 40 रुपया कम से कम किसानों को गन्ने का भाव दिलायें । हरेन्द्र मलिक ने इशारा किया था कि चीनी मिल कहां लगी हैं । वहीं का पावरफुल मिनिस्टर हो जाए, तो वह मिनिस्टर अपने क्षेत्र में चीनी मिल लगवा लेता है चाहे वहां गन्ना पैदा न होता हो ऐसी जगह चीनी मिल लगवा लेते हैं इसी वजह से आपके प्रदेश में गन्ने का सत्यानाश हो रहा है गन्ना किसान मिट रहा है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में जितना गन्ना पैदा होता है इतना कहीं नहीं होता है । इस वक्त 35 लाख कुन्टल गन्ना डेली सहारनपुर से दूसरे जिलों को जा रहा है । मैंने परसों डी0 सी0 ओ0 तथा और अधिकारियों से बातचीत की थी नौ मिल लगेंगी पांच मिल मेरठ, तीन मुजफ्फरनगर और एक गाजियाबाद में तो यह मिलें वहां लगाई जाती हैं जहां गन्ना पैदा नहीं होता है । तो जहां पर गन्ना पैदा होता हो वहां पर मिल लगायी जानी चाहिए । आप तो वहां पर मिल लगा देते हैं जहां मौरंग होता है जैसे रायबरेली, नन्दगंज और घाटमपुर है तो यह सब मिल बैठ जायेंगी । मान्यवर, सरकार ने जो नीति बनाई है उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि 40 कि0मी0 के फासले के अन्दर मिल नहीं लगेगी । मैं दावा करता हूं कि मेरे यहां पर सहारनपुर में जितनी फैक्टरियां हैं उतनी और लगा दीजिए कोई मिल बन्द नहीं होगी । सबको गन्ना मिलता रहेगा । हमारे यहां 6 फैक्टरियां थीं जिसमें से 2 फैक्टरियां हरिद्वार चली गई हैं । हमारे यहां तीन फैक्ट्रियों को और लगा दें । गंगो नकुड़-बागड़ के एरिया में 3 फैक्ट्रियां और लगा दें अगर आपकी एक भी फैक्ट्री बंद हो जायेगी तो मेरा आप वही हाल करें जो किसी बहुत बड़े मुजरिम का होता है । मेरी मांग है कि फैक्ट्रियां वहीं लगनी चाहिए जहां पर गन्ना पैदा होता है ।

मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं। विस्तारीकरण के नाम पर मेरे यहां सहारनपुर में दो सहकारी मिलें ननौता, सरसावा में 5-6 करोड़ रुपया लगा दिया गया लेकिन जितनी क्षमता इन मिलों की पहले थी उससे भी अब क्षमता घट गयी है ।! क्या कारण है कि इतना रुपया लगाने के बाद भी इनकी क्षमता नहीं बढ़ी, यह अधिकारियों के लिए सोचने का विषय है और सरकार के लिए डूब कर मर जाने का विषय है । मैं निवेदन करूंगा कि विस्तारीकरण के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए । एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपने गन्ना यूनियनों के चुनाव कराये हैं लेकिन ननौता शुगर मिल में अभी तक चुनाव नहीं कराये गये हैं और रुपया अनाप-शनाप बांट रहे हैं । इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी सहकारी चीनी फैक्ट्री में किसी जगह भी ए0 जी0 एम0 नहीं हुई है । पैसों को लूटा जा रहा है, पैसे खाये जा रहे हैं यह मेरा इल्जाम है । मेरी मांग है कि जितनी सहकारी चीनी मिलें हैं उनकी ए0 जी0 एम0 बुलाकर किसानों के बकाया के पैसे का वितरण कराया जाए।

गन्ने का भाव 40 रुपया कुन्टल कराया जाय तथा ननौता मिल में यूनियन का चुनाव कराया जाय तथा गन्ने की फैक्टियां वहां पर लगायी जायं जहां पर गन्ने की पैदावार होती है। मेरी माननीय तिवारी जी से बात हुई थी यह जो 40 कि0 मी0 की बंदिश लगायी गयी है इसको तुड़वायें और जहां-जहां मिल लगाने की जरूरत है वहां लगायें । जो तराई के इलाके हैं, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर जहां पर गन्ना पैदा होता है वहां पर चीनी मिलें लगायी जायं । वह सारे हिन्दुस्तान को चीनी खिला सकते हैं अगर आप हमारे यहां चीनी मिलें लगायें और गन्ने का विकास करें । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय ओझा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे गन्ना बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है । मैं कहना चाहता हूं कि 1977 में हमारे माननीय राम शरण दास जी का घेराव हुआ था । जनता ने और किसानों ने उनका घेराव किया था और उन्होंने कहा था कि मैं क्या करूं ? यही नहीं चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि आपने इतना गन्ना क्यों बो दिया । चौधरी साहब ने दिल्ली में कहा था कि मेरे सिर पर गन्ना बो दो, आपने इतना गन्ना क्यों बो दिया है ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारे नेता ने कहा था कि गन्ना मेरे सिर पर बो दो । मान्यवर, इनके नेता ने तो कहा था कि गुड़ बोवायेंगे ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

मान्यवर, जब इनके नेता ने यह कहा था, तो उस समय मैं दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित था और दिल्ली में इस बात की चर्चा थी । उन्होंने 1977 में गन्ना मजदूरों की मजबूरी को मारा और आन्दोलन को दबाया और गन्ना मजदूर नेताओं की 1977 में साजिश करके हत्यायें भी कीं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने मजदूरों को परमानेंट करने के लिए अपने बजट में आश्वासन दिया है और हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने गन्ना मिलों के मजदूरों एवं किसानों के हित में गन्ने का मूल्य 30 रु0, 34 रु0 किया और प्राइवेट क्रेशरों पर 35-36 रु0 भी दाम मिल रहा है । मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में गन्ना मिलों का जाल बिछा रखा है । यह सौभाग्य की बात है । मान्यवर, हमारे जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर प्रापर एवं अवागढ़ प्रापर शहरों में गन्ना मिल जनहित में लगाई जाय । हमारा प्रदेश नार्थ इंडिया में गन्ना उपज एवं मिलों में प्रथम है और इनकी बड़ी-बड़ी मिलें साउथ इंडिया में लगी हुई हैं, जिससे विदेशों को चीनी का निर्यात भारी मात्रा में करके करोड़ों का रेवेन्यू विदेशी मुद्रा में भारत सरकार को प्राप्त होता है । यह युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के गौरव की बात है । अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, यह गन्ना किस मिल में जायेगा, यह भी बता दें ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय बारी साहब का गन्ना जो है, वह तो कट-कटा कर थोड़ा-बहुत रह गया है, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कोल्हू मजबूत हो, तो इनके यहां पर ये भिजवा दें ।

*श्री फजलुल बारी–

मुझे अर्ज यह करना है कि गन्ना का दाम किसानों को सही मिल नहीं पा रहा है, उसकी वजह असल में यह है कि खासतौर से हमारे प्रदेश में जब कभी इस सिलसिले में बात होती है, तो यह बात सामने आती है कि गन्ने की जो पैदावार है और चीनी मिल में जो गन्ना से शुगर बनती है, उस सिलसिले में अगर बहस कर ली जाय, तो मैं समझता हूं कि इस मामले में फायदा हो सकता है। मान्यवर, जितनी सहकारी चीनी मिलें हैं, उनके बारे में मैं मिसाल देना चाहता हूं। गानपारा श्रावस्ती सहकारी चीनी मिल है, उसमें पिछले साल 7 परसेंट की रिकवरी हुई, जबकि 11 परसेंट से कम की रिकवरी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वहां पर लगभग 7 लाख रुपये का पेमेंट बगैर गन्ना सप्लाई किये हुए हो गया, फर्जी पर्ची पकड़ी गयी, गन्ना सप्लाई नहीं हुआ और पेमेंट हो गया, तो मिल पर वजन पड़ गया और रिकवरी डाउन हो गयी। ये पर्चियां पकड़ी गयीं और सील हो गयीं, लेकिन सिर्फ इतना काम किया कि इस सरकार ने वहां के एक अफसर का ट्रांसफर कर दिया और उसके पास जो पूरा भ्रष्टाचार का मामला था, वह दबकर रह गया। मेरी गुजारिश है कि इस मामले की जांच करायें, वह कौन सा अधिकारी है कि जिसकी वजह से 7 लाख रुपये से ज्यादा का फर्जी भुगतान हो गया था?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप कितना भी गन्ने को बढ़ाने चाहें, फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाना चाहें लेकिन अगर मशीन सही नहीं लगावेंगे तो कभी प्रोडक्शन सही नहीं हो सकता है। मान्यवर, एक प्रेम इंजीनियरिंग वर्क्स मेरठ का है, यह जो मौजूदा मंत्री जी हैं इससे पहले के मंत्री जी ने उसके गलत माल की सप्लाई करने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया था क्योंकि उसने बिजनौर और अमरोहा में जो माल सप्लाई किया था वह सब स्टैण्डर्ड का था इसलिए वह ब्लैक लिस्ट हो गयी। मान्यवर, उस ब्लैक लिस्टेड कम्पनी ने पता नहीं कौन सा तरीका अपनाया, मेरे ख्याल से दिल्ली से सबक आया कि कमीशन खाकर उस कम्पनी को जरवल शुगर फैक्ट्री में रिमाडलिंग का ठेका दे दिया है। मैं गुजारिश करता हूं कि गोण्डा और बहराइच के किसान आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में आने वाले हैं क्योंकि जरवल शुगर फैक्ट्री जिसका रिन्नावेशन हो रहा है इस प्रेम इंजीनियरिंग वर्क्स को 15 करोड़ की लागत से उसका ठेका दिया जा चुका है उसकी स्थापना करने जा रहा है। जो उसकी रिमाडलिंग हो रही है उसके नतीजे में यह होगा कि बिजनौर और अमरोहा की तरफ फैक्ट्री फेल हो जायेगी और किसान की फसल खड़ी रह जायेगी। मान्यवर, इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह अपना जगा फैलाए हुए हैं लखनऊ में इस जगे के तहत भ्रष्टाचार चीनी उद्योग में हो रहा है उस पर तवज्जह दें।

आखिरी बात कहना चाहता हूं कि गोण्डा में वहां के नवाबगंज शुगर फैक्ट्री को किसानों के हित में लगाये। एक बात और कह दूं कि उतरौला में किसान बहुत परेशान है गन्ने के सिलसिले में, माननीय मंत्री जी उसका सर्वे करा लें और वहां के किसानों की दुश्वारी को देखते हुए एक फैक्ट्री वहां लगावें लेकिन वहां पर प्रेम इंजीनियरिंग वर्क्स से फैक्ट्री न बैठवाई जाय ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, जब अभा जी बोल रहे थे तो मुझे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी का वह वाक्य याद आ रहा था कि इल्जाम और सफाई के दो पाटों के बीच सच्चाई पिस जाती है। यही कार्य अभा जी कर रहे थे। सच्चाई तो यह है जो मंत्री जी ने अभी कही। एक जमाना इस प्रदेश में गन्ना किसानों का ऐसा भी आया था कि इस प्रदेश में पंडित कमला पति त्रिपाठी जी को इस विधान सभा के सामने गन्ने के सवाल को लेकर प्रदर्शन करना पड़ा। मान्यवर, किसानों की लूट उस समय शायद माननीय सदस्य को दिखाई नहीं दे रही थी आज श्रद्धेय तिवारी जी ने किसानों की मांग के ऊपर उत्तर प्रदेश में गन्ने का उचित मूल्य दिया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही मेरठ के गन्ना किसान 20 साल से बराबर एक मांग कर रहे थे पिछले वर्ष लाखों किसानों ने कांग्रेस के मंडलीय सम्मेलन में यह मांग की थी कि मेरठ में गन्ना की नई चीनी मिल लगाई जाय। मुख्य मंत्री जी गन्ने के बड़े अच्छे ज्ञाता है उन्होंने मऊ खास जनपद मेरठ में गन्ने मिल की घोषणा करके एक सराहनीय कार्य किया है। इसके साथ ही गन्ने के बारे में बहुत बात कही गयी शोध संस्थान, बीज का उत्पादन, नयी उपजातियां। मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि वह बजट का अधिकांश हिस्सा नयी खोज व शोध संस्थानों पर लगाया जाना चाहिए। नई बीजों का उत्पादन होगा और हमारे गन्ने का उत्पादन भी तेजी से होगा यह सारी चीजें बहुत जरूरी हैं । इसके साथ ही निवेदन करता हूं कि मेरठ में शीरा, खोई पत्ती यह जो गन्ने का उत्पाद है इसके लिए भी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करें जिससे गन्ना किसान को फायदा हो सके। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं।

[समय 8 बजे]

श्री कंशल पाल सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी को इसी बात के लिए बधाई देना चाहता हूं जिसको गन्ना और पैडी का अन्तर पता नहीं है । मान्यवर, मथुरा जनपद में गन्ना किसानों का सर्वे इतना गलत होता है कि जिस किसान का गन्ना ज्यादा होता है, उसको पर्ची कम दी जाती है और जिसका गन्ना कम होता है उसको पर्ची ज्यादा दी जाती है। सर्वे में भारी भ्रष्टाचार है। इसकी जांच कराई जाय। मान्यवर, किसानों को खाद, बीज और बीमारी की दवाओं के लिये जो धन दिया जाता है, वह कागजों पर कर दिया जाता है दवाओं का स्प्रे कागज पर कर दिया जाता है और न खाद दी जाती है, न बीज दिया जाता है और किसानों पर कर्जा चढ़ाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जिन किसानों पर फर्जी खाद बीज का कर्जा चढ़ा दिया गया है उसको राइट आफ किया जाय ताकि उनको राहत मिल सके। इसी तरह हमारे यहां तीन केन्द्र वाजना, गरारा दरबे कनौल हाता शुगर मिल अलीगढ़ द्वारा चलाए जाते हैं। ये न समय से शुरू होते हैं, न समय से बन्द होते हैं। इससे किसानों को भारी परेशानी होती है। इसकी व्यवस्था कराई जाय। मान्यवर, गन्ना परिषद् द्वारा मथुरा में जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनके प्रस्ताव मनमाने तैयार कर और मनमाने ढंग से टेण्डर ले लिये गये और उनमें भारी भ्रष्टाचार किया गया। गन्ना परिषद् के सचिव का बार-बार ट्रान्सफर हो जाता है और रुकवा लिया जाता है। सारा पैसा वह लूट कर खा गया है परिषद् का, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाय। मांट में गन्ना मिल नहीं है, जबकि वहां पर सबसे अच्छा गन्ना होता है और ज्यादा शुगर परसेंटेज है। मेरी मांग है कि मांट तहसील में एक गन्ना मिल लगाई जाय जिससे खैर, गोकुल, मांट आदि क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिल सके। वहां पर डी0 सी0 ओ0 ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि एक एक कर्मचारी को एक ही सर्किल में 5-5 साल हो गया, भ्रष्टाचार की शिकायत हुई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। उनका ट्रांसफर करके जांच कराई जाय। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप दो मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं सिर्फ कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं अपने जनपद गाजीपुर बलिया की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां पर किसानों की होल्डिंग 1/2 हैक्टेयर से भी कम है। जबकि हमारे यहां गाजीपुर में नन्दगंज शुगर मिल कार्पोरेशन के माध्यम से और रसड़ा, औराई, सठियांव और घोसी में कोआपरेटिव सेक्टर की मिलें हैं। इसमें से नन्दगंज की मिल पूरी तरह से घाटे में है। वहां पर गन्ना डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जिसके कारण उस क्षेत्र में गन्ने का विकास नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में इसकी व्यवस्था करावें। गन्ना उस क्षेत्र की कैश क्राप है इसलिए किसान उसका बीमा चाहता है, लेकिन अच्छी जाति का गन्ना न होने के कारण कास्ट अधिक आती है। आप इसके लिये व्यवस्था करावें।

गाजीपुर में एक शोध संस्थान की व्यवस्था की गयी है। वह पूरा क्षेत्र ऊसर इलाके में है। इसका विस्तारण करें कि कौन सी प्रजाति उस इलाके में लगाने से उस एरिया के किसानों के गन्ने का उत्पादन बढ़ सकेगा। वहां पर अच्छी जाति का गन्ना लगाना होगा।

दूसरे गन्ना परिषद् के माध्यम से सड़कों की बात की गयी कि सड़कें बनाई जाती हैं, जितनी भी जिला योजना के माध्यम से सड़कें बनी हैं, मंत्री जी वाराणसी के रहने वाले हैं, पता लगा लें, वहां एक भी सड़क देख लें, जितनी भी वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में सड़कें बनी हैं, देख लें, कोई सड़क नहीं बनी और पेमेंट हो गया। इस बारे में आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए चाहता हूं कि उस क्षेत्र में गन्ना किसानों को उचित लाभ पहुंचाने के लिये, मिलों को प्राफिट में लाने के लिये, रिकवरी बढ़ाने के लिये व्यवस्था करें। नन्दगंज चीनी मिल में रिकवरी कम है। पिछले साल सितम्बर, 87 में नन्दगंज चीनी मिल ब्रेक डाउन के कारण 20 दिन बन्द रही। इसके लिये मैंने एक प्रश्न भी लगाया था। उस मिल के बन्द होने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय। वहां के अधिशासी निदेशक या जो भी अधिकारी अक्षम हों उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। गाजीपुर जनपद में जो शोध संस्थान खोला गया है, वहां पर फार्म बनाने के लिये बहुत सी जमीन मिल सकती है। जैसे गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद, महुवारी और नगवा में जमीन मिल सकती है, करीब 200 एकड़ जमीन मिल सकती है, इसी प्रकार विकास खण्ड बाराचौर में दहेंदू में जमीन मिल सकती है। इसके लिये वहां पर प्रयास करके व्यवस्था की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

सुखपाल पाण्डे जी, आप दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय ओझा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ लघु गन्ना मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ने का और पश्चिमी उ0 प्र0 के गन्ने का मूल्य बराबर किया है। एक और निवेदन करना चाहता हूं उसी तरीके से एक तरफ तो पूर्वी जिले के किसानों के दाम बढ़ाये, आपने गन्ने की ढुवाई जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में 50 पैसे थी उसको बढ़ाकर 1 रु0 करके यह पूंजीपतियों को डकैती डालने के लिये एक रास्ता आपने बना दिया है। यह जो 3 साल का सट्टे का सर्वे करते हैं इसको आप समाप्त कराइये। इसलिये समाप्त कराइये कि कुछ लोग पैसा देकर सट्टा बढ़ाकर पर्चिया बेचते हैं। जो एक्चुयल है मौका है उसे तत्काल सर्वे कराकर वही कोटा बनाया जाय। गन्ना विभागों में आज जो स्थिति है वह बड़ी भयानक होती जा रही है। आपका चीनी निगम है चीनी निगम में कुछ ऐसे अधिकारी हैं अच्छे अधिकारी भी हैं, जो अच्छे अधिकारी

हों उनको पुरस्कृत कराइये और जो बदनाम अधिकारी हैं उनको दंडित कराइयें तब ही इस प्रदेश का चीनी निगम चल सकता है । गन्ने का दाम सोसाइटियों को जो दिया जाता है वह गन्ने का दाम कर्मचारियों की तनख्वाह में दे दिया जाता है । बस्ती जिले में इससे भयानक स्थिति हुई है । शक्कर निधि का पैसा जो है . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। बैठें। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

जो गन्ने का देना चाहिए, चीनी निगम को सहकारी मिलों को, उस पैसे को प्राइवेट मिलों को दिया गया है। मैं आपका ध्यान नवाबगंज चीनी मिल की ओर ले जाना चाहता हूं। नवाबगंज चीनी मिल की जैसी दुर्दशा आपकी सरकार ने किया है आपके अधिकारियों ने किया है उसका वह एक नमूना है मुझे मालूम हुआ है आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री और यहां के अधिकारियों का उस मिल में हिस्सा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाण्डे जी, आप बैठें। दूसरे माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

16 करोड़ रु0 आपने उसके विस्तार के लिये भेजा है। यह भ्रष्टाचार का गढ़ आपने बनाया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाण्डे जी अब आप बैठें। दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

आपके गन्ना विभाग में ग्राम सेवकों और सुपरवाइजरों की नियुक्तियों में आज क्या स्थिति है, उसको भी देखें ।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

गन्ना आयुक्त जो थे क्या कारण है कि दो महीने में हटा दिया गया इसके बारे में आपको स्थिति बतानी चाहिए ? आपका प्रभाव विभाग में कम पड़ रहा है सरकारी अधिकारी आपकी बातों को मानने के लिये तैयार नहीं हैं । आप व्यवस्था को संभालिये । अधिकारियों पर अंकुश लगाइये तब ही प्रदेश का कल्याण हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं शासन को बधाई देना चाहता हूं कि शासन की दूरगामी नीति के कारण जो हमारे साथियों ने बताया कि क्रेशर और सल्फर पर 40 रु0 का रेट मिल रहा है यह शासन की दूरगामी नीति का परिणाम है कि इतना पैसा मिल रहा है। गिलें एक तिहाई गन्ना पेर सकती

है बाकी दो तिहाई सल्फर क्रेशर और दूसरी इकाइयों में चला जाता है । इससे अधिक पैसा मिलता है काश्तकारों को । जो गन्ने के बारे में अच्छी नीतियां अपनायी गयी हैं उसके लिये शासन के लोग बधाई के पात्र हैं । मेरे क्षेत्र में एक मिल का विस्तारीकरण हुआ है इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं। एक सुझाव है मान्यवर, रिकवरी के लिये मिलों में तीन लोगों की भागीदारी है श्रमिक कृषक और फैक्ट्री ओनर इन तीनों का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है अब शासन ने एक निर्णय लिया कि दैनिक मजदूरी 18 रु0 तय कर दी गयी है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की चीनी मिल की ओर यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां 18 रुपये के बजाय 15 रुपये की मजदूरी दी जा रही है, यह काम वहां शासन के निर्णय के विपरीत हो रहा है । मेरा अनुरोध है कि वहां सही मजदूरी दिलायी जाय । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी दवारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय ओझा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं । केवल एक मिनट में कुछ सुझाव देना चाहूंगा और मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें । मान्यवर, इस प्रदेश में बहुत सी चीनी मिल लगी हुई हैं और बहुत सी चीनी मिल स्थापित की जा रही हैं, लेकिन यह सारी चीनी मिलें राजनैतिक प्रभाव को देखकर स्थापित की जा रही हैं । चीनी मिलों को स्थापित करने में इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि कहां गन्ना पैदा होता है, कहां नहीं होता है । मान्यवर, मेरे पूरे आगरा क्षेत्र में गन्ना खूब पैदा होता है और आज तक वहां कोई भी चीनी मिल स्थापित नहीं हो सकी। इसलिये वहां जो गन्ना पैदा होता है, उसका सही फायदा वहां के किसानों को नहीं मिल सका । इस कारण से पूरे का पूरा गन्ना उत्पादन वहां खत्म हो चुका है और मैं बराबर अनुरोध कर रहा हूं कि आगरा में चीनी मिल स्थापित कर दी जाय । आज आगरे की सबसे बड़ी समस्या यही है । दूसरी बात आगरा के किसानों के पास कोई व्यावसायिक फसल नहीं है । आज 20वीं शताब्दी में कोई भी काश्तकार केवल खाद्यान्न पैदा करके आधुनिक युग में खड़ा नहीं रह सकता, इसलिये किसान को कोई व्यवसायिक फसल मिलनी चाहिए और इसके लिए आगरा में चीनी मिल की स्थापना की बहुत बड़ी आवश्यता है। मैं कहना चाहूंगा कि गन्ना विकास के अधिकारियों को वहां भेजकर मंत्री जी परीक्षण करा लें और जांच करा लें कि वहां गन्ना उत्पादन होता है या नहीं? अगर होता है तो वहां परीक्षण के आधार पर गन्ना मिल खुलवाने की कृपा करें। इसके साथ ही, मैं श्री ओझा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सभी माननीय सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर यहां अपनी राय दी, और सहमति जताई । अब यह दूसरी बात है कि यह वोट देंगे या नहीं देंगे। श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । अभी सत्ता पक्ष के एक नातजुर्बेकार, नावाकिफ मित्र ने मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाया । श्रीमन्, आप जानते हैं कि मेरा सार्वजनिक जीवन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक खुली किताब है और इस आदरणीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे शहर गोरखपुर में मेरा कोई निजी मकान नहीं है और जब कभी मुझे वहां रहना पड़ता है तो मैं किसी मित्र के यहां रहता हूं । श्रीमन्, यह भी सही है कि मेरे अतिरिक्त गोरखपुर का कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं है, चाहे वह रिटायर्ड हो या वर्तमान हो,। जिसके पास मकान न हो, केवल मैं ही इसका अपवाद हूं। हुगली क्षेत्र जहां मैं रहता हूं, मेरे 40 साल के जीवन में कभी मैं पार्टी कार्यालय में रहता था और कभी किसी मित्र के यहां । मैं पेशे से प्राध्यापक हूं और इस पढ़ने लिखने के शौक से मुझे पैसा मिल जाता है । मेरे पास एक भी बीघा जमीन नहीं है और जिसने भी आपको सूचना दी है, उसे मैं बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भूमिचोर का लड़का नहीं हूं, न किसी तस्कर से मेरा रिश्ता रहा है, न किसी बड़े आदमी से मेरा कोई रिश्ता है । मैंने हमेशा संघर्ष की जिन्दगी बितायी है और अब भी संघर्ष ही करता रहा हूं और उसी का परिणाम यह रहा है कि इस आदरणीय सदन में मुझे लगातार बिना दल बदले 4 बार आप लोगों के बीच बैठने का सौभाग्य मिला है । मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता था, लेकिन एक माननीय सदस्य ने ऐसी बातें कह दीं, जिससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची, जो मेरे सम्मान के खिलाफ था इसलिये यह आवश्यक हो गया था कि मैं इन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं ।

श्रीमन्, जनता शासन की यहां बात आयी, मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह माननीय सदस्य यहां से चले गये, मैं उनकी जानकारी के लिये बताऊं कि जनता शासन में चीनी का दाम 156 रुपये था और जब वर्ष 77 में जनता पार्टी सत्ता में आई, उस समय खुले बाजार में चीनी का दाम 5.25 पैसा था और गन्ने का दाम साढ़े 14 रुपये हो गया था । जबकि यह पहले 9 रुपये था और तब मिलों ने दाम देना बन्द कर दिया । तो स्मरण होगा कि जनता पार्टी की सरकार ने डेढ़ रुपए सब्सिडाईज करके, जिसे डेफर्ड पेमेण्ट कहा जाता है, गन्ने का दाम गिरवाया था और उसी समय यह आदेश भी हुआ था कि केन परचेज एक्ट के हिसाब से 15 दिन के अन्दर अगर भुगतान नहीं हुआ तो 18 फीसदी के हिसाब से सूद मिल मालिकों को किसान को देना होगा । अगर किसान पर कर्ज है, उसके पास वाजिब पर्ची है तो उस पर्ची को कर्जे में एडजेस्ट किया जायेगा । मैं एक बात कह कर आगे बढ़ूंगा । मान्यवर, जब सामने के लोग सत्ता से हटे थे तो उस समय 20.92 करोड़ रुपए का कर्ज था किसानों का और उसका प्रतिशत बैठता है 19.86 । जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद पहले वर्ष में यह 1.58 परसेन्ट रहा और बाद में यह केवल 95 लाख रह गया । अगर कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसे नकारा नहीं जाना चाहिए । जो आप कर रहे हैं उसे आप भोगेंगे 8-9 महीने के बाद ।

मान्यवर, मैं चीनी निगम के संबंध में कह रहा था कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह एक कमेटी बना दें। इसकी जांच हो जाय। मैंने जो यह कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह इसलिए रखा है कि मुझे विश्वास है कि जो यह पैसा आप दे रहे हैं वह गरीब व परेशान किसान की पाकेट तक नहीं पहुंच पायेगा । इसका बहुतायत अंश दूसरे लोगों की जेब में चला जायेगा, जिसका न आपकी नियति है और न नीति । मान्यवर, गोरखपुर में एक खड्डा मिल थी, वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं, 17 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं । एक आदमी को तो

आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं, परन्तु उसने 78 लोगों को नियुक्त किया । आपने उस व्यक्ति को फिर अच्छी फैक्ट्री में भेज दिया । इसी प्रकार आपके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वे जो कारपोरेशन चाहते हैं, वहां चले जाते हैं और डाका डालते हैं और पैसा लूटते हैं और फिर प्रमोशन पर चले जाते हैं । एक खड़ियावाला है । अमरोहा के हमारे सदस्य हैं । सदस्यों ने कहा कि बायलर वहां नहीं लगेगा, परन्तु खड़ियावाला ने कहा कि जरूर लगेगा, 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया । प्रेम इन्जीनियरिंग को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, फिर उसे 15 करोड़ रुपए का आर्डर दे दिया गया । यह सब क्यों हो रहा है । गोरखपुर में एक नटोरियस अधिकारी है । पर्सनल करप्सन के कारण उसकी फाईल इतनी मोटी हो गई है कि गधा भी उसके बोझ को नहीं ले जा सकता है । आपने उसे कस्टोडियन बना दिया । उस भ्रष्ट अधिकारी ने एक मासूम लड़की की हत्या कर दी । यह मेरा आरोप है । आज भी वह आपका अधिकारी है । कोई तो नैतिकता की सीमा होनी चाहिए । हमारे यहां की फैक्ट्री में 80 हजार रुपए का कैपीसिटर खरीदा गया, परन्तु कहा जा रहा है कि 18 हजार रुपए का खरीदा गया और वह एक दिन भी नहीं चला । टैक्नीकल एडवाईजर ने कहा कि यह भ्रष्ट अधिकारी है । उसकी फाईल निगम में चली गई और यह कह दिया गया कि जी0 एम0 इस पर कार्यवाही करेंगे । यह तो आपके भ्रष्ट अधिकारियों की जमात है । यही कारण है कि चीनी निगम में आपकी जो इकाईयां हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है । आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं । जी0 एम0 आपको निर्णय लेने नहीं दे रहा है । यह कैसी सरकार है । आपके आदेशों के खिलाफ वह हाई-कोर्ट में चला जाता है । जो एवार्ड है, उसका परिपालन नहीं होता है । श्रम न्यायालय के फैसलों को फाड़ दिया जाता है, कहीं पर भी कोई इम्पलीमेन्टेशन नहीं होता है । एक बात और हो गई कि कोई निगम का कर्मचारी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है । क्या यही डेमोक्रेसी है । मैं राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं । केवल सरकारी कर्मचारी ही चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है । आपकी दस्ती चिट्ठी गयी है, अगर कहिए तो पढ़ दूं कि जिला परिषद् का पंचायत का कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता । यह सर्कुलर किस प्रकार से इशू किया गया मैं जानना चाहता हूं ।

एक व्यक्तिगत मामले के बारे में सवाल उठाया था मुझे मजबूर किया मेरे एक पुराने मित्र के लड़के ने । हमारे यहां गन्ना समिति के अध्यक्ष हैं उपाध्याय जी उनके ऊपर 1 लाख 75 हजार रु0 सोसायटी का बाकी है । उनके बाप और चाचा को मरे 10 साल हो गये 50 हजार रु0 बाकी था, सारी जायदाद आ गयी, वह रुपया नहीं आया । मैंने सवाल किया था कि श्री रघुवंश उपाध्याय, अध्यक्ष, गन्ना समिति घुघली, गोरखपुर ने इस पद पर चुने जाने के बाद टी0ए0/डी0ए0 कितना लिया है? इसके उत्तर मे बताया गया था कि सिसवा में शून्य था यात्रा भत्ता, लक्ष्मीगंज में 1987.50 रु0 लिया गया था पिपराइच में 410.50 रुपया लिया गया था छितौनी में 1475 रुपया लिया गया था जब कि श्री उपाध्याय ने 9 हजार रु0 यात्रा भत्ता लिया था । जिस दिन यह चुनाव लड़े ड्यूज होल्डर थे, गन्ना समिति अधिनियम के अनुसार इनको "डिबार" हो जाना चाहिये था । नैतिकता की बात करने वाले मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ड्यूज होल्डर है, बकायेदार है, उसने चुनाव कैसे लड़ा? आज भी वह अपने पद पर विद्यमान है । हरिया घुघली के किसानों की पर्ची रोक दी, पेमेन्ट नही होने

दिया । रामधारी यादव की पर्ची रोकी गयी, गाड़ी वालों ने हड़ताल कर दी, 3 लाख रु0 का नुकसान हुआ । जो अपने पद का दुरुपयोग करे, 1 लाख 15 हजार रुपये का बकायेदार हो, जो गरीबों को सताये, उसको तत्काल न हटाये जाने का क्या कारण है? इसका जवाब आपको देना होगा । वसूली की बड़ाई देने वाले माननीय मंत्री जी, आपका आदेश जाना चाहिये कि वह उस पद से हटा दिया गया ।

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि इन पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय ओझा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

जैसे मजदूरों को बोनस मिलता है, किसानों ने क्या पाप किया है? उनके लिए भी बोनस होना चाहिए। इस समय मा0 नारायण दत्त तिवारी जी नहीं हैं। मैंने उनका बजट भाषण पढ़ा है। जब वह यहां बैठते थे उन्होंने यह मांग उठायी थी। वर्तमान मुख्यमंत्री ने, गन्ना किसानों को बोनस मिले, यह मांग उठायी थी ।इनको वाजिब बोनस मिलना चाहिए। जांच पड़ताल के सिलसिले में कहूंगा कि यह जो एवरेज जांच पड़ताल है, छोटा किसान इससे मारा जाता है, एक्चुअल जांच पड़ताल क्यों नहीं कराते हैं? चार साल की एवरेज जांच पड़ताल में बड़ा किसान तो खुश होता है, छोटा किसान मारा जाता है। अब 2/3 सीजन खत्म हो गया है लेकिन आज भी देवरिया और गोरखपुर तथा पूर्वी जिलों में छोटे किसानों को 60 प्रतिशत से ज्यादा पर्ची नहीं मिली है, उनकी दुर्दशा की कल्पना आप कर सकते हैं।

जनता पार्टी जब सत्ता में आयी थी तब उससे पहले का चीनी मिलों पर करोड़ों रु0 बकाया था . . .

(माइक खराब होने के कारण व्यवधान)

आप चीनी मिल लगाने जा रहे हैं लेकिन सत्य कहता हूं कि उर्वा के लोगों ने गन्ना नहीं देखा है। यह सही बात है कि उर्वा के लोगों ने गन्ना नहीं देखा है। अगर महराजगंज का गन्ना न हो तो सीठयांव की मिल नहीं चलेगी। आप महराजगंज का सर्वेक्षण करा लीजिये और उसके बाद आप सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को लिखिये इसके लिए कि महराजगंज में एक चीनी की फैक्ट्री लगावें । आप यह फैक्ट्री लगवा दीजिये तो बड़ी कृपा होगी ।

मान्यवर, गन्ना से 7 प्रतिशत मुलीसस निकलता है। घुघली में फालतू जमीन पड़ी हुई है वहां आप एक डिस्टलरी लगा दें तो उससे बड़ा फायदा होगा । इसके साथ ही एक शब्द मैं मजदूरों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि मिल को तो आपने टेक ओवर कर लिया, असेट तो सब आपके होंगे तो आप लाईबीलटी को क्यों नहीं लेते हैं? कारपोरेशन पर चार करोड़ रु0 शेष है। आपने प्रैसक्राइब्ड अथारिटी बना दिया है, उसने एक्र भी केस का फैसला नहीं किया है इसीलिये लोग हाईकोर्ट में चले जाते

है। मैं कहता हूं कि इसके लिए पंच निर्णय क्यों नहीं होता है? मजदूर अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं और अगर वे आन्दोलन करते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपके आई० ए० एस० अधिकारी मजदूरों को नहीं जानते हैं। जिस दिन मजदूर लखनऊ में आ जायेगा तो आपको अपनी कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए किसान मजदूर आन्दोलन न करने पाये, आप इसकी कोशिश नीतिकता के साथ कीजिये, नहीं तो यह आदरणीय सदन इसका निर्णय करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने तथा अन्य हमारे सम्मानित विधायक साथियों ने जो सुझाव दिये हैं वह कार्यवाही में अंकित हैं, उसको देख कर जो भी उचित कार्यवाही होगी, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ जरूर विचार किया जायेगा, कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक माननीय ओझा जी ने कहा कि उनके क्षेत्र में चीनी मिल लगायी जाय तो महराजगंज में चीनी मिल लगाने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है और जब वह सर्वेक्षण हो जायेगा तो उसे भारत सरकार के पास भेजा जायेगा और जब भारत सरकार अनुमति देगी तो जरूर वहां चीनी मिल लगायी जायेगी।

गन्ने के मूल्य के बारे में माननीय राम शरण दास जी ने और मा० ओझा जी ने भी कहा है कि हरियाणा में उसका 35 रु० मिलता है और हम केवल 34 रु० देते हैं। मैं आपको बतला दूं कि हरियाणा में दो रुपया से ढाई रु० तक कटौती की जाती है। हमारे यहां एक रुपया ही लिया जाता है। जो स्वयं गेट तक अपना गन्ना ले जाते हैं उनसे मिल के गेट पर एक रु० नहीं लिया जाता है और जो क्रय केन्द्र पर ले जाते हैं उसमें एक रु० की कटौती करते हैं। इस तरह से हम गन्ना किसान को मूल्य गन्ने का हरियाणा से ज्यादा देते हैं।

जहां तक खांडसारी इकाई की बात कही गयी। खांडसारी इकाई का कुछ सुनिश्चित नहीं है कि कब वह चलेगी और कब बन्द हो जायेगी। जब गन्ना कम होता है तो किसानों को आकर्षित करने के लिए ऐसा कहते हैं। इस साल जरूर अधिक मूल्य दे रहे होंगे किन्तु पिछले सालों तक तो यही कहा जाता रहा है कि खांडसारी इकाइयां किसानों का शोषण करती हैं। इस बार यह बात कही जा रही है कि क्षेत्र के द्वारा किसानों को अधिक लाभ हो रहा है, चीनी मिलों के द्वारा कम दाम दिये जा रहे हैं। लेकिन जब तक किसानों के खेत में गन्ना खड़ा रहता है, खर्च किया जाता है और कीमत एक ही दी जाती है। तो इसमें खाण्डसारी और चीनी मिलों का कोई मुकाबला करने का औचित्य नहीं बनता है। अभी हमारे माननीय ओझा जी ने बताया कि एक अधिकारी श्री सुदामा प्रसाद जो हुगली में जनरल मैनेजर थे, उन्होंने अपने कार्य के दौरान कुछ गड़बड़ी की थी, जिस पर उनको नीचे के पद पर पद-अवनत कर दी गयी फिर वह कोर्ट में चले गये और जब तक मुकदमा का फैसला होता, उससे पहले ही वह 60 वर्ष की आयु पूरी होने की वजह से रिटायर हो गये तो ऐसी बात नहीं है कि किसी मामले में कोई व्यक्तिगत शिकायत हो, और उस पर जांच कर कोई

कार्यवाही न की जाए, ऐसी बात नहीं है, कार्यवाही अवश्य होती है, यह जरूर है कि अगर शिकायत आम है तो ऐसी स्थिति में जांच ही नहीं हो सकती है और जब कोई जांच पड़ताल नहीं होगी तो कार्यवाही किस प्रकार से होगी।

और मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आगरा में चीनी मिल लगायी जाए तो इस पर तो शासन की स्पष्ट नीति है कि जहां पर गन्ना उपलब्ध होगा तो गन्ना मिल की वहां की आवश्यकता को देखते हुए सर्वे करवाया जायेगा और यदि सर्वे में इसकी आवश्यकता की पुष्टि हो गयी तो हम अवश्य ऐसे स्थान को देखेंगे इसीलिए राणा साहब यदि वहां पर मिल चाहते हैं तो वह इसको लिखकर दें, सर्वे करवा कर देख लिया जायेगा और फिर जो उचित कार्यवाही होगी, की जायेगी साथ ही में सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, मैं उनका स्वागत करता हूं और इन सुझावों पर जो आगे की कार्यवाही होगी, वह अवश्य की जायेगी। इसलिए अब माननीय ओझा जी से यही अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,00,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ₹7,60,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1998

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया है उसके लिए अपेक्षा करता था कि शायद पाण्डेय जी आज यहां पर साधुवाद का प्रस्ताव अवश्य लाएंगे, लेकिन आज यह देख कर कि संशोधन विधेयक पर भी संशोधन लाए हैं, बड़े अचम्भे में पड़ गया। इतने दिनों से जो पहले कभी भी इस पर विचार हुआ हो, मैंने तो यही देखा है विगत विधान सभाओं में और वर्तमान विधान सभा में भी कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जो लोग हैं उनका रिजर्वेशन के अनुरूप कोटा नहीं पूरा किया जा रहा है तो इस पर मा0 सदस्यगण द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी है। इस पर सभी दलों के सदस्यों ने बड़ी सम्वेदनशीलता के साथ इस विषय को उठाया है, लेकिन आज वह स्थिति आ गयी है, कलई खुलने वाली है कि वह घड़ियाली आंसू थे या असली आंसू थे और उनमें अन्तर क्या है ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सहानुभूति तो सभी व्यक्त करते हैं, लेकिन असली में मदद कौन करता है। आप स्वयं जानते हैं कि–

साहिल पर खड़े राही, हर डूबने वालों का,
अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी को भ्रम है कि उनसे अच्छा कोई नहीं बोलना जानता है। आप इसको संक्षेप में करावें।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं बिन्दुवार ही बोल रहा हूं। जो विधेयक है उसमें अभी तक इस बात का प्राविधान नहीं था कि कोटा के सम्बन्ध में लोक आयुक्त विचार कर सके। यदि आपके असली आंसू हैं, तो इस विषय को आप गम्भीरता से लें। हड़बड़ी में हां और न का मामला नहीं है, विषय कितना गम्भीर है, इसको देखना है। अभी तक जो व्यवस्था है, मूल अधिनियम की धारा 2–घ में यह व्यवस्था थी कि शिकायत केवल कुशासन के परिणाम स्वरूप अन्याय या अनुचित कष्ट के बारे में ही की जा सकती है, लेकिन संशोधन के उपरान्त प्राविधान किया गया है और संशोधित उप धारा से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए नियत कोटा का उल्लंघन करके किसी लोक सेवक या किसी प्राधिकारी द्वारा की गयी नियुक्ति के बारे में शिकायत की जा सकती है । दूसरे मान्यवर, मूल अधिनियम की धारा 9–(1) में यह व्यवस्था थी कि शिकायत या अभिकथन किसी व्यक्ति द्वारा लोक आयुक्त के समक्ष दायर किया जा सकता था और अब संशोधन यह किया जा रहा है कि आरक्षण नियमों के उल्लंघन की शिकायत ऐसे संगठन द्वारा भी की जा सकती है जो राज्य सरकार अनुमोदित हो।

और मान्यवर, अधिनियम की मूल धारा 22 में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायिक सेवा के सदस्य, किसी न्यायालय के अधिकारी या सेवक, ए0 जी0 यू0 पी0, अध्यक्ष व सदस्य, यू0 पी0 पी0 एस0 सी0 व उसके कर्मचारी वर्ग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, विधान मंडल के किसी सदन के सचिवालय के कर्मचारीवर्ग के विरुद्ध अभिकथन का अन्वेषण लोक आयुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन संशोधन के उपरान्त यह प्राविधान किया गया है कि (1) इन व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन में राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारीवर्ग को भी शामिल किया गया है और (2) संशोधन द्वारा उक्त सभी के विरुद्ध ग्रिवान्स अथवा एलीगेशन के परिवाद की जांच लोकायुक्त द्वारा नहीं की जा सकेगी । . . . (व्यवधान) । मान्यवर, मुझे अपनी बात समाप्त करने दी जाय।

मान्यवर, द्वितीय अनुसूची में यह व्यवस्था थी कि लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त के वेतन से पूर्व सेवा के लिए अनुमन्य ग्रेच्युटी की धनराशि के पेंशन समतुल्य धन-राशि काट दी जाती थी। लेकिन प्रस्तावित संशोधन से ग्रेच्युटी के पेंशन समतुल्य धनराशि वेतन से नहीं काटी जायेगी वित्त विभाग ने सभी लोक सेवकों के लिए अलग से आदेश जारी किये हैं।

तृतीय अनुसूची में लोक आयुक्त नियुक्ति की सेवा शर्तों के परिवाद का अन्वेषण नहीं करते हैं लेकिन प्रस्तावित संशोधन से माननीय लोक आयुक्त आरक्षण कोटा विषयक नियमों का उल्लंघन करके की गई नियुक्तियों के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए सक्षम हो जायेंगे। . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं पूरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । इस संशोधन को लाकर इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। यह बहुत ही मासूम संशोधन है। इस विधेयक को आप संवेदनशीलता से लीजिये और उदार होने का परिचय प्रस्तुत कीजिये। विगत वर्षों में आप कहते रहे हैं। यह शब्द दिल से निकलते रहे हैं या शाब्दिक जाल से निकलते रहे हैं। मैं इसमें यह कहता हूं कि–

अब हवायें ही करेंगी रोशनी का फैसला,
जिस दिये में जान होगी वह दिया रह जायेगा ।

अन्त में मैं भर्तृहरी की दो लाइनें आपके सामने रखना चाहता हूं । उसका हिन्दी रूपान्तर भी बाद में कर दूंगा . . .

(व्यवधान)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–
मान्यवर, आधा घन्टा समय बढ़ा दिया जाय?

श्री अधिष्ठाता–
आधा घन्टा समय तो इसके लिये है ही। आधा घन्टा तो हो ही जायेगा।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, भर्तृहरी जी ने कहा है–

निन्दन्तु नीतिनिपुण: यदु वास्तुवन्तु
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्यायत्पथ: न प्रविचलन्ति पदं न धीरा: ।

मान्यवर, अर्थात् नीति निपुण लोग चाहे निन्दा करें, संतुति करें या बड़ाई करें, चाहे लक्ष्मी आये या अपनी इच्छा से चली जाय, चाहे आज ही मरना क्यों न हो जाय, या युगों तक जिये रहें उसकी वह परवाह नहीं करते हैं। धीर लोग न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की सदाशयता सर्वोपरि रही है। उसी सदाशयता का परिचय देते हुए यदि आप इस विधेयक पर अपनी मोहर लगा देंगे तो जो लोग गली कूचों में लल्लू, गुल्लू मटरू रहते हैं वे यह अहसास कर सकेंगे कि उनको भी लोग सहानुभूति के साथ सहयोग करना चाहते हैं।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस बीमारी का इलाज अभी सुझाया है मैं कहना चाहता हूं कि यह इलाज जो है वह बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो निर्धारित कोटा था वह भी पूरा नहीं किया है। अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए इस मामले को लोकायुक्त को सुपुर्द करना चाहते हैं जिससे कि यह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न कर सकें । मैं आपके सम्मुख आंकड़े रखना चाहता हूं जो इन्होंने सदन के पटल पर रखे हैं। समूह "क" के कुल स्वीकृत पद 10159, कार्यरत कर्मचारी 8818 अनुसूचित जाति के 602 और प्रतिशत है 6.82 तो यह इनकी संख्या है जिनका यह ढिढोंरा पीट रहे हैं। जो राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हुआ है उसकी स्थिति 1987 की इस प्रकार है समूह "क' 6.82% समूह ख–9.07 समूह "ग" 14.62% जब कि निर्धारित कोटा 18 प्रतिशत का है और अनुसूचित जनजाति का 2 प्रतिशत है उसकी स्थिति इस प्रकार है समूह "क" 0.39 प्रतिशत समूह "ख" 0.21 % समूह "ग" 0.43 प्रतिशत तो यह स्थिति है इनके आरक्षण की। किस तरह से यह पीछे की तरफ जा रहे हैं वह बताना चाहता हूं वर्ष 1985 में यह प्रतिशत 7.40 था जो घट कर वर्ष 1987 में समूह "क" में 6.82 रह गया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ आरक्षण का नारा लगा रही है इनका दायित्व था कि उस कोटा को पूरा करें लेकिन यह उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं 25 प्रतिशत आरक्षण बढ़ा रहे हैं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश भी हुए हैं लेकिन फिर भी इतने वर्षों में वह आरक्षण का कोटा पूरा नहीं कर पाये हैं। क्योंकि

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नौकरशाही इनके सिर पर सवार है वह बेलगाम हो गयी है जिसके कारण कोटा पूरा नहीं हो रहा है । मेरा सीधा आरोप है यदि यह कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी सीधी जिम्मेदारी मुख्य सचिव की है उनके खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ?

यह आपकी ही दी हुई पुस्तक है जिसमें नियुक्ति तथा कार्मिक विभाग में जो स्थिति है उसमें आरक्षण का कोटा अनुसूचित जाति का 13.8 और अनुसूचित जनजाति का 1.94 है । तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है यह जिम्मेदारी सीधे मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव की है। अब उस जिम्मेदारी से भागने के लिए यह संशोधन लाये हैं और अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालना चाहते हैं। इस पुस्तिका में कृषि विभाग के आंकड़े नहीं दिये हैं इसी तरह श्याम सूरत उपाध्याय जी के विभाग की स्थिति है। अगर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते हैं तो उस कुर्सी से हट जाइये दूसरे लोगों को आने दीजिये जो इसे पूरा करेंगे । आपने अपनी जिम्मेदारी से हट कर लोकायुक्त को इसे भेज दिया है। उसकी पेंशन की सुविधायें बढ़ाने की व्यवस्था इसमें रखी है जो संचित निधि को प्रभावित करेगी ताकि लोकायुक्त अपना निर्णय समय से न दे। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो विस्तार से इसका अध्ययन करे और सभी पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट दे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जो श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह विधेयक अपने आप में इस बात का द्योतक है कि इस सरकार को एकदम आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जिन विभागों में कोटा पूरा नहीं हुआ है, अगर ऐसा आदमी किसी के खिलाफ, नियुक्तिकर्ता के खिलाफ लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त के यहां मुकदमा दायर करेगा तो नियुक्तिकर्ता के खिलाफ कार्यवाही होगी। श्रीमन्, एक कलेक्टर या कृषि निदेशक के विभाग में यदि आरक्षण कोटा वह पूरा नहीं कर पाता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ कार्यवाही करे। चूंकि चुनाव का वर्ष है, इनमें हिम्मत नहीं है कि किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें इसलिए यह अपनी जिम्मेदारी को टालने के लिए एक छोटा सा संशोधन लाकर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त पर डालने की कोशिश की गई है। मान्यवर, आप बतायें कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति विभाग में नौकरी के लिए आवेदन पत्र देता है, गांव से भाड़ा देकर आया और उसकी नियुक्ति नहीं हुई तो वह असहाय और निर्बल व्यक्ति एक हजार रुपये जमा करें लोकायुक्त के कार्यालय में तो उसका मुकदमा दायर होगा। आप विभागाध्यक्षों पर जोर नहीं दे सकते हैं बल्कि वह निर्बल व्यक्ति मुकदमा दायर करेगा, क्या इस पर आपको विश्वास है जिसको नौकरी नहीं मिलती है वह एक हजार रुपया जमा कर मुकदमा विभागाध्यक्ष के खिलाफ दायर क्या करेगा?

मान्यवर, दूसरी बात अभी तक जो काम लोकायुक्त को सौंपे गये हैं उनमें एक भी मामले में लोकायुक्त ने निर्णय नहीं लिया है तो क्या वह इस नई जिम्मेदारी को

संभाल पायेंगे? नहीं संभाल पायेंगे। इसलिए सरकार में यदि थोड़ी सी शर्म है तो ऐसा न करे अन्यथा मैं तो समझता हूं कि यह अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए यह विधेयक लाये हैं। इसलिये जनता की राय जानने के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

अन्य माननीय सदस्य बोल लें तो अन्त में मैं बोल लूंगा चूंकि समय कम है।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी इस विधेयक के बारे में बहुत तर्कपूर्ण और क्रान्तिकारी भाषण दिया, यह उनकी वाकपटुता है, लेकिन इस पर उन्होंने विवेक से विचार नहीं किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोकायुक्त को हरिजनों का कोटा पूरा करने का मामला देना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि बता दें कि आज तक लोकायुक्त के विचाराधीन कितने मामले हैं और कितने में निर्णय हो चुका है और जिनका निर्णय हुआ उसमें कितना समय लगा। हरिजनों का कोटा यह 18 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक तो पूरा नहीं हुआ और अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिशत कोटा पूरा नहीं हुआ है। तो सत्ता में यह रहते हुए अपने प्रशासनिक अधिकारी से कोटा पूरा नहीं करा पाये हैं, तो अब लोकायुक्त से पूरा करेंगे। यह सिर्फ अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिससे सरकार पर जिम्मेदारी नहीं आयेगी, इसलिये इस कार्य को लोकायुक्त के सुपुर्द किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने संबंधी प्रस्ताव पर बल देता हूं और मंत्री जी ने जिस आधार पर उसके पक्ष में यहां भाषण दिया उसी तरह जनता में चलकर आप और हम भाषण दें तो पता चल जायेगा । इसको आप कोल्ड स्टोरेज में क्यों डाल रहे हैं ?! यह विधेयक केवल इसलिए लाया गया है कि इनकी नाकामी के लिए सरकार की छवि पर कोई आंच न आए। मैं इस प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, अभी जब गौरीशंकर जी बोल रहे थे, मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना। उनको सुनने के बाद मेरे अन्तः मन में पीड़ा हुई। जिन उद्देश्यों का उन्होंने उल्लेख किया है, समाजवादी आन्दोलन में हम उनके लिए शुरू से आज तक बराबर लड़ते रहे हैं, लड़ते आए हैं। क्या उनकी बातों से यह आभास नहीं लगता है कि कोई भी आदमी जो इसे पढ़ेगा वह दो-तीन निष्कर्षों पर पहुंचेगा ? एक तो यही कि नौकरशाही पर इनकी कोई पकड़ नहीं है, वह बेलगाम हो गयी है, दूसरे यह जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसे ठगना चाहते हैं। इससे इतिहास इस बात का निर्णय करेगा कि मारीच और कालनेमि का पार्ट कौन लोग कर रहे हैं। यदि आप चाहते थे तो कौन सी शक्ति आपकी सरकार में नहीं थी, जिस शक्ति से आप इस आरक्षण नीति का इम्पलीमेंट कराते। इस आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू करने में यदि हम असफल आज तक रहे हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है और ऐसे दोषी लोगों को आज तक जो पनिश नहीं किया गया है, तो उसके लिए कौन दोषी है ? लोक आयुक्त का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए आप कहते तो हमारे जैसा

आदमी उसका अवश्य स्वागत करता। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए आप लोक आयुक्त की आगे भी वह हालत न करें, जो अरबन सीलिंग एक्ट के बारे में उसकी की थी, उसे भ्रष्टाचार में डुबो दिया था। उससे हम इस प्रकार से कार्य कराकर आप उसे भ्रष्ट बनाने का काम न करें। लोक आयुक्त को घूस देकर उसे भ्रष्ट बनाने का काम आप न करें। आज लोकायुक्त, विधायक और जन प्रतिनिधियों को लेकर जनता में जिस तरह की भावना घर करती जा रही है, हम दोनों पक्षों को गम्भीरता से उस ओर सोचना होगा। आज तक हम यह आरक्षण की नीति लागू नहीं कर पाए हैं, तो हम दोनों पक्षों के लोग उसके लिए मुजरिम हैं। आइये, हम सब मिलकर ईमानदारी से इसके लिए प्रयास करें और जनता को यह आश्वस्त करें कि आगे आने वाले जमाने में आरक्षण नीति का सही रूप में कार्यान्वयन होगा, अनुपालन होगा। आज आप इसको तो अपने बहुमत के बल पर पास करा लेंगे, लेकिन आश्वासन दीजिए कि उसका दुरुपयोग वैसे ही नहीं करेंगे, जैसे अरबन सीलिंग एक्ट के सम्बन्ध में हुआ है। गौरीशंकर जी से कहूंगा कि धर्म सिंह रावत जी का जो अनशन था, जिन मुद्दों को लेकर था, क्या वह गलत थे ? क्या अरबन सीलिंग एक्ट में घोर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और क्या उसमें बड़े-बड़े आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी और राजनीतिज्ञ आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबे नहीं थे? यदि लोक आयुक्त भी इसको न कर पाया तो उसके लिए आप क्या करेंगे ? आज सदन में आश्वासन दें कि जिस भावना से आप इसे लाए हैं उसे उसी रूप में कार्यान्वित करेंगे।

श्री मैनेजर सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, समय अधिक हो गया है और आपकी अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही नीरस ढंग से चल रही थी, लेकिन गौरीशंकर जी जैसे नवजवान साथी इसमें रसिकता ले आए हैं, उन्होंने वातावरण को बदला। जिन उद्देश्यों से आप यह विधेयक लाए, उसमें गम्भीरता से विचार हो सकता है। इसलिए हमारे साथी प्रवर समिति में उसे भेजना चाहते हैं। जो कारण आपने बताए वह हास्यास्पद हैं। हमारे साथियों ने सही कहा है कि हरिजन कोटा न पूरा करने वाले अधिकारियों का मामला लोक आयुक्त के पास ले जाना इस बात का प्रमाण है कि आपकी सरकार नपुंसक हो गयी है, उसकी अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं है। इनके अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और आज वह इन्हीं के आदेशों, निर्देशों और नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रस्तुत विधेयक के द्वारा यह स्वयं में सरकार की स्वीकारोक्ति है। इसलिए आपने अधिकारियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और लोक आयुक्त के पास जा रहे हैं। इसमें गम्भीरता से विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। इसमें ड्रामेटिक ढंग से भाषण करने से इसकी गम्भीरता नष्ट होती है। इसके साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करता हूं।

(समय 9 बजे)

*श्री फजलुल बारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी जब माननीय गौरीशंकर जी भाषण दे रहे थे तो भाषण तो सुनाई नहीं दे रहा था उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी राज-दरबार

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

में भाट लोग कविता पढ़ रहे हों, इस तरह का सीन था। उनको खुद नहीं पता था कि इस विधेयक में क्या है। राहत का सामान पहले से सरकार के पास था। यह खुद तो विधेयक बनाते नहीं हैं और न ही तैयार करते हैं इनके सचिव बनाकर ले आते हैं और जैसे तबलची लोगों ने हां-हां कर दिया, उसी तरह से यह कर देते हैं । आप देखें सरकार के पास धन था, शक्ति थी, उन तमाम अधिकारियों ने, जो पूरा नहीं किया था तो उनको यह दंडित कर देते, लेकिन जहां अधिकारियों पर कुछ आया . . .

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट हो गया।

श्री फजलुल बारी–

कुछ इल्जाम लगाया, तो यह सोचते हैं कि अधिकारियों के जरिए जो कमीशन-खोरी की है, उसका वह भंडाफोड़ न कर दें। इसलिए उन्होंने सोचा कि अधिकारियों को बचाया जाए. . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री फजलुल बारी–

तो इन्होंने सोचा कि इसको भेज दिया जाए तो कार्यवाही का मौका ही नहीं रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाए रखें। गौरीशंकर जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं एक शब्द भी इधर-उधर नहीं कहूंगा। बारी साहब ने भाट की बात कही. . . .

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री गौरी शंकर–

बारी साहब अब मुझे बोलने दें अब मेरी बारी है कितना हास्यास्पद लगता है जब भाट का प्रश्न आता है, बारी साहब पर हमें तरस आता है कि जब वह भर्तृहरि जी के सन्दर्भ को भी भाट की संज्ञा देते हैं :

हमारा यह कदम है एक मील के पत्थर की तरह,
हमको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओगे।।

तो हमने यह पहला मील का पत्थर ठोका है, और अब हम मील के पत्थर ठोंकते चले जायेंगे चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसलिए इसके लिए प्रवर समिति की बात कहना और विलम्ब की बात कहना ठीक नहीं है. . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जो व्यवस्था इस विधेयक के जरिये की गयी है वह व्यवस्था स्वयं में स्वत: स्पष्ट है, सरल है, सुबोध है, सम्यक् है और प्रासंगिक है तथा आम लोग की समझ से परे है । मैं इसमें ज्यादा समय लेना नहीं चाहता केवल यही कहना चाहता हूं कि वक्त को पहचानिये वक्त करवट बदल रहा है। गरीब के बारे में आप सोचिए। सरकार यदि किसी क्रांतिकारी चीज को धरती पर उतारना चाहती है तो उसमें हमको सहयोग, दीजिये ताकि आपका नाम इतिहास में अमर हो जाय। इस संशोधन को वापस लीजिये और विलम्बकारी व्यवस्था पर बल मत दीजिये। इन शब्दों के साथ कि–

वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है,
चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कड़ी हो,
हर नदी के राह से चट्टान को हटना पड़ा है।

तो इस प्रवाह में अपने आपको मत डालिये वरना जनता जनार्दन आपकी आकांक्षाओं को चकनाचूर कर देगी। इसका परिणाम आगामी दिनों में आपको मिलने वाला है। इस व्यवस्था को स्वीकार करिये और इस संशोधन पर एक स्वर से मुहर लगाइये। यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, एक मिनट दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

अब एक मिनट का समय न लीजिये।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975 की धारा–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्–

"(घ) "शिकायत" का तात्पर्य–

(1) किसी व्यक्ति के इस दावे से है कि वह कुप्रशासन के परिणामस्वरूप, अन्याय या अनुचित कष्ट का भागी बना है; या

(2) इस आशय के परिवाद से हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या पद नियुक्त करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ होने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए निर्धारित आरक्षित कोटा का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति की है;''।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 के खण्ड 2 में प्रस्तावित धारा 2 के खण्ड (घ) (2) के परंतुक के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''अथवा इनका स्थान नियुक्त होने से एक वर्ष तक रिक्त रखा गया हो''

मान्यवर, मैं माननीय गौरी शंकर जी का बड़ा आदर करता था, बड़े विद्वान व्यक्ति वह हैं। मैं उनको सुनता तथा पढ़ता था लेकिन कल से पता नहीं क्या गुण आ गया कि जहां यह कम बोलते थे बढ़िया बोलते थे उससे परे जाकर भाषण करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि पहले असेम्बली में ज्यादा बोलते थे फोटो कम छपता था, अब फोटो ज्यादा छपने लगा है और बोलने का मौका नहीं मिलता है मुख्य मंत्री की सेवा करते-करते इसीलिए मन की भड़ास निकालने का कहीं न कहीं अवसर मिलना चाहिए। आज भड़ास निकाल ली, मैं इसका बुरा नहीं मानता।

श्री अधिष्ठाता–

यह खण्डशः विचार हो रहा है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने कहा था कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने इनके लिए लड़ाई लड़ी और किसी तरह से यहां पहुंच गये। जब आपने इनके लिए लड़ाई लड़ना शुरू की उसके पहले डा0 लोहिया के नेतृत्व में 1958 में जब मैं फर्स्ट इयर का छात्र था, हमने उनको साथ लेकर लड़ाई लड़ी और जेल गये। हम घड़ियाली आंसू बहाने वाले नहीं हैं। आप सीने पर हाथ रखकर कहें कि मेरा संशोधन आपके संशोधन से कम क्रान्तिकारी है? अगर आप कह दें तो मैं यहां से बाहर चला जाऊंगा। इन्होंने कहा कि अगर उसकी जगह पर कोई नियुक्ति कर दी जाय तो एग्रीव्ड परसन लोकायुक्त के पास जायगा . मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वह स्थान एक वर्ष तक खाली रखा गया हो, वह मेरे इस संशोधन के स्वीकार होने से, वह सीधे लोकायुक्त के पास जा सकता है। अब मैं घड़ियाली आंसू बहा रहा हूं, कि ये बहा रहे हैं। देखने से तो ये गरीब लगते नहीं हैं, मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी, आप मेरे संशोधन को स्वीकार करिए। इसमें मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें इन्होंने यह कर दिया था कि अनुसूचित जातियों या जनजातियों के सदस्यों के लिए निर्धारित आरक्षित कोटा का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति की है, तभी वह लोक आयुक्त में जायेगा, परन्तु मैंने जो संशोधन दिया है, उसमें यदि एक वर्ष तक वह

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

स्थान रिक्त रखा जाता है, कोई नियुक्ति नहीं की जाती है, तो भी कोई एग्रीव्ड व्यक्ति लोक आयुक्त के पास अपनी फरियाद ले जा सकता है ।

श्री गौरी शंकर–

चूंकि हमारे माननीय पाण्डेय जी पुराने मित्र हैं, उसकी कोई प्रासंगिकता तो है नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना था, केवल इसके अलावा कि राम चरित्र मानस की वह चौपाई।

श्री अधिष्ठाता–

आपको यह संशोधन मान्य है कि नहीं ?

श्री गौरी शंकर–

"जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी तिन तैसी ।" इसमें कहीं कोई कठिनाई हमारे गन्तव्य तक पहुंचने के लिए होगी । यह संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में प्रस्तावित धारा 2 के खण्ड (घ) (2) के पैरा के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"अथवा इनका स्थान नियुक्ति होने से एक वर्ष तक रिक्त रखा गया हो"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3

धारा 9 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबंधात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी शिकायत की स्थिति में, जिसमें धारा 2 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (2) में निर्दिष्ट परिवाद अन्तर्ग्रस्त हो, परिवाद किसी ऐसे संगठन द्वारा भी किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त मान्यता दी गयी हो।"

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 3 में प्रस्तावित नये प्रतिबंधात्मक खण्ड में शब्द "संगठन" और शब्द "द्वारा" के मध्य निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"अथवा समाज के किसी वयस्क व्यक्ति"

मान्यवर, इसके पहले इन्होंने एक चौपाई सुनाई, "जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी तिन तैसी।"

मान्यवर, इनके लिए मैं एक चौपाई सुनाता हूं ।

"फूलहिं, फलहिं न बेंत, यद्यपि सुधा वर्षहिं जलधि,
मूरख हृदय न चेत, जौं गुरु मिलहिं रिरिंचि सम ।"

मान्यवर, चाहे नारायण दत्त तिवारी के साथ रहें, चाहे श्रीपति मिश्र के साथ रहें, चाहे वीर बहादुर सिंह के साथ रहें, अब ये नहीं समझते तो मैं क्या करूं। मान्यवर, आपने जो इस विधेयक में प्राविधानित किया है कि केवल एक संगठन या एग्रीव्ड

व्यक्ति ही लोक आयुक्त के पास जा सकता है, जिसे सरकार अनुमति दे, लोक आयुक्त के पास फरियाद लेकर जा सकता है। यदि वह आदमी एग्रीव्ड है, उसके पास कोई साधन नहीं है उसको सुविधा नहीं मिल सकती । मैंने संशोधन इस आशय का दिया है कोई भी व्यक्ति समाज का जो वयस्क है और जो अनुमति चाहे उसको शासन अनुमति दे और कोई चाहे तो लोकायुक्त के पास चला जाय। यही दो बातें मैंने अपने संशोधन के माध्यम से कही । मान्यवर, एक श्लोक संस्कृत का है उसको पढ़ना चाहता हूं । एक चीज सुन लीजिए विधेयकों से कानून बनाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता ।

उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि नहि मनोरथैं,
नहिं प्रविशन्ति सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा ।

कोई मनोरथ करने से कार्य पूरा नहीं होता उसको उद्यम करने की जरूरत होती है जिस प्रकार से सोये हुए सिंह के मुख में मृग का प्रवेश नहीं हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, आपने कृपया अन्त्याक्षरी करा दिया है तो पाण्डे जी पर केवल दो लाइन कहूंगा:–

ऊसर बरसहि तृण नहि जामा, जिमि हरिजन हिय उपज न कामा,
हरित भूमि तृण संकुलय समुझ परे नहि पन्थ,
जिमि पाखंड विवाद से लुप्त होय सद्ग्रन्थ ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, एक बात कह दूं:–

बूंद अघात सहैं गिरि कैसे, खल के बचन सन्त सहैं जैसे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में प्रस्तावित नये प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "संगठन" और शब्द "द्वारा" के मध्य निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"अथवा समाज के किसी वयस्क व्यक्ति"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 4, 5, 6, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त, अधिनियम, 1975 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1989 कहा जायगा ।

4—मूल अधिनियम की धारा 22 में,— धारा 22 का संशोधन

(क) शब्द "किसी परिवाद का" के स्थान पर शब्द "किसी अभिकथन या शिकायत का" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(छ) राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारीवर्ग के किसी सदस्य"

5—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,— द्वितीय अनुसूची का संशोधन

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "पेंशन के उस भाग की राशि, और" के स्थान पर शब्द "पेंशन के उस भाग की राशि" रख दिये जायेंगे ।

(दो) खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा ।

6—मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, पैरा (घ) में, शब्द "नियुक्ति" के पश्चात् निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द और अंक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्— तृतीय अनुसूची का संशोधन

"(जो धारा 2 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (2) में निर्दिष्ट नियुक्ति न हो)"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4, 5, 6, खण्ड—1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक रह गया—

बूंद अघात सहै गिर कैसे, खल के बचन सन्त सहैं जैसे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने हेतु केन्द्रीय सरकार से कानून बनाये जाने का अनुरोध किये जाने के संबंध में नियम 103 के अंतर्गत प्रस्ताव जारी करने के उपरान्त अगले दिवस के लिये स्थगन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह आज का एजेन्डा काफी बड़ा है । मेरा अनुरोध है कि मद संख्या 20 माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी इसको इनीशियेट कर दें और उसके बाद आगे किसी दिन फिक्स कर लिया जायेगा । उनसे भी अनुरोध है कि 2 मिनट में इनीशियेट कर दें, उसके बाद आगे चलेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मेरा जो प्रस्ताव है इस सदन का निश्चित मत है . . .

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

इस एजेन्डे के बारे में क्या होगा ? इस शेष एजेन्डे के बारे में मंत्री जी ने, आपने अपनी पीठ से क्या निर्देश दिये ?

श्री अम्मार रिजवी–

यह आगे लिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं पूर्व में यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि चीनी उद्योग के संबंध में एक रूप नीति अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अविलम्ब आवश्यक कानून बनाकर चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की जाये।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत हो गया है, केवल दो मिनट में कह दीजिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मेरा जो प्रस्ताव है, पता नहीं क्यों यह सरकार इस पर बहस से भाग रही है । सन् 86 से इसीलिए यह लम्बित है । राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है, स्वयं आपकी कांग्रेस की सरकार ने पहली बार 8 जून, 1971 को एक अध्यादेश बनाया और इसी आशय का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया । इसी प्रकार 9 अप्रैल, 1972 और 15 जून, 1972 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा गया । श्रीमन्, 28-7-76 को भारत सरकार ने यह कह कर प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया कि उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लेने के पूर्व . . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी आपने रिफरेंस दे दिया है। अब आगे ले लिया जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं रिफरेंस इसलिये दे रहा हूं ताकि अगली बार जवाब दें तो इसके बारे में कहें । अभी स्वयं मंत्री जी को इसकी जानकारी न होगी । तो 28-7-76

को भारत सरकार ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लेने के पूर्व शुगर इन्डस्ट्रीज इन्क्वायरी कमीशन (भार्गव कमीशन) की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लेने तक प्रतीक्षा करना उचित होगा । लेकिन अप्रैल, 77 में 1972 के प्रस्ताव के आधार पर दोबारा प्रस्ताव भेजने का निर्णय स्वयं मुख्य मंत्री श्री एन0 डी0 तिवारी की सरकार ने लिया था और 23 अप्रैल, 1977 को आपकी सरकार ने भारत सरकार को फिर पत्र लिखा । तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गयी है कि आपकी सरकार को, उसका स्वयं का जो प्रस्ताव था, आज उससे आप भाग रहे हैं । मेरा आरोप है कि यहां की प्राइवेट चीनी मिलों के मालिकों ने आपकी पार्टी को 25 करोड़ रुपया पार्टी फण्ड में चन्दा दिया है, इसलिए आज आप इस प्रस्ताव से भाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगली बार इस पर चर्चा हो तो गा0 मंत्री जी इसका उत्तर दें ।

नियम 51 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अंतर्गत आज कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की सूचना वक्तव्य के लिए और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री गौरी शंकर भइया, श्री रघुवर दयाल वर्मा और श्री विष्णुदेव की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया और शेष को अस्वीकार किया गया ।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
28 मार्च, 1989

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

भूमि का विवरण

क्रम-संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या
1	2	3	4	5
1	गाजियाबाद	दादरी	भूडा	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 136, 139, 159, 160, 157, 158, 161, 163, 164, 22 से 25 के 1/4 भाग, 12 व 13 के 1/16 भाग।
2	,,	,,	सालारपुरखादर	196, 41, 42, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 208 तथा 245 के 1/2 भाग, 14, 15, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501 502, 16, 17, 18 का 1/3 भाग, 141, 1, 2, 3 के 1/2 भाग, 7, 12, 8, 517, 518, 519 के 1/3 भाग, 166, 167, 168 के 1/12 भाग, 30, 31, 32, 160, 209, 218, 219, 220 के 1/5 भाग,
3	,,	,,	सोहरखाजाहिदाबाद	149, 330, 375, 45, 51, तथा 44, 228, 840, का 1/3 भाग, 623, 322, 135, 132, 322 के 1/6 भाग, 730, 721, 816, 929, 292, 389, 283 मि0, 389, 377, 369, 273, 370, 371, 363, 859 का 1/4 भाग, 363, 859 का 1/8 भाग, 382, 316, 230, 338, 611 का 1/4 भाग, 940, 230 मि0, 383, 611, 781, 805, 644, 375, 618।
4	,,	,,	ककरालाखवासपुर	389, 254 का 2/5 भाग, 130, 132, 133, 215, 248, 249, 212, 213, 276 मि0, 837, 277, 278, 276 मि0, 358, 385, 387, 313, 314, 47, 48, 49, 871, 876 मि0, 877 मि0, 339, 211 मि0, 276, 290, 291, 292, 378, 379, 380, तथा 20 मि0 से 25 मि0, 86, 87 का 1/2 भाग 338, 3, 520, 219, 220 मि0, 221 मि0, 222, 218, 188, 189, 359, 363, 364, 750, 451, 8, 9, 10, 100, 501, 325, 326, 327, 254 का 3/20 भाग, 360, 360, 361, 262 का 1 2 भाग, 478, 211 मि0, 176।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्र० सं० 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

उन्नाव-पुरवा-मौरावां एवं सम्पर्क मार्गों पर माह जुलाई 1988 में किये गये संचालन व स्थगन का तिथिवार विवरण

(उन्नाव डिपो--कानपुर क्षेत्र)

दिनांक	बसें			ट्रिप्स			कि० मी०			निरस्त ट्रिपों का विवरण					
	निर्धारित	संचालित	स्थगित	निर्धारित	संचालित	स्थगित	निर्धारित	संचालित	स्थगित	कार्यशाला मार्ग में फेल होने के कारण	परिचालकों के कारण	चालकों के कारण	डलटैफिक कारण	अन्य विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17
1-7-88	16	13	3	71	61	10	4603	3951	652	3	1	4	2	--	--
2-7-88	16	13	3	71	57	14	4603	3570	1033	4	2	4	2	--	2
3-7-88	16	12	4	71	53	18	4603	3183	1420	2	--	6	6	2	2
4-7-88	16	14	2	71	53	18	4603	3426	1177	2	--	10	4	1	1
5-7-88	16	14	2	71	54	17	4603	2920	1683	3	--	8	6	--	--
6-7-88	16	13	3	71	53	18	4603	3170	1433	2	2	8	4	1	1
7-7-88	16	14	2	71	51	20	4603	3291	1312	4	2	10	3	--	1
8-7-88	16	14	2	71	49	22	4603	3131	1472	5	--	11	5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9-7-88	16	12	4	71	50	21	4603	3232	1371	4	2	9	4	–	2	
10-7-88	16	15	1	71	48	23	4603	3163	1440	6	–	12	2	--	3	
11-7-88	16	14	2	71	51	20	4603	3165	1438	3	--	13	4	--	–	
12-7-88	16	14	2	71	48	23	4603	2955	1648	4	2	10	4	--	3	
13-7-88	16	14	2	71	58	13	4603	3475	1128	2	1	5	3	--	2	
14-7-88	16	14	2	71	56	15	4603	3188	1415	4	–	--	6	2	1	
15-7-88	16	16	–	71	59	12	4603	3554	1049	6	1	2	2	--	2	
16-7-88	16	16	--	71	50	21	4603	3324	1279	8	2	4	4	--	3	
17-7-88	16	16	--	71	60	11	4603	3409	1194	2	–	6	2	1	–	
18-7-88	16	15	1	71	59	12	4603	3398	1205	3	–	1	5	2	–	
19-7-88	16	15	1	71	62	9	4603	3428	1175	1	1	4	2	–	1	
20-7-88	16	14	2	71	60	11	4603	3402	1201	4	--	4	1	--	2	
21-7-88	16	14	2	71	58	13	4603	3372	1231	3	--	6	3	–	1	

22-7-88	16	13	3	71	57	14	4603	3668	935	4	-	8	2	-	-
23-7-88	16	14	2	71	59	12	4603	3466	1137	2	-	6	4	-	-
24-7-88	16	15	1	71	63	8	4603	3578	1025	-	-	4	4	-	-
25-7-88	16	15	1	71	62	9	4603	3605	998	3	-	5	1	-	-
26-7-88	16	14	2	71	61	10	4603	3577	1026	2	1	4	2	-	1
27-7-88	16	15	1	71	64	7	4603	3639	964	1	1	2	3	-	-
28-7-88	16	14	2	71	60	11	4603	3592	1011	2	-	6	2	-	1
29-7-88	16	15	1	71	62	9	4603	3493	1110	2	-	4	2	-	1
30-7-88	16	14	2	71	59	12	4603	3564	1039	3	1	5	2	-	1
31-7-88	16	15	1	71	63	8	4603	3644	959	2	-	4	2	-	-
योग:	16	---	-	2201	1760	441	142693	105533	37160	96	20	195	91	6	33

बलवीर सिंह,
वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी,
उन्नाव।

उन्नाव-पुरवा-मौरावां एवं सम्पर्क मार्गों पर माह जून, 1988 में किये गये संचालन व स्थगन का तिथिवार विवरण
(उन्नाव डिपो कानपुर क्षेत्र)

दिनांक	बसें			ट्रिप्स			कि0 मी0			निरस्त ट्रिपों का विवरण						
	निर्धारित	संचालित	स्थगित	निर्धारित	संचालित	स्थगित	निर्धारित	संचालित	स्थगित	कार्यशाला मार्ग में फेल होने के कारण	परिचालकों के कारण	चालकों के कारण	डलट्रैफिक	अन्य विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1-6-88	16	15	1	71	61	10	4603	3670	933	4	2	2	–	–	2	
2-6-88	16	15	1	71	60	11	4603	3729	874	3	1	4	2	–	1	
3-6-88	16	15	1	71	53	18	4603	3184	1419	2	2	6	5	1	2	
4-6-88	16	15	1	71	55	16	4603	3490	1113	2	1	6	4	1	2	
5-6-88	16	14	2	71	54	17	4603	3287	1316	4	2	7	2	–	2	
6-6-88	16	16	–	71	66	5	4603	4032	571	1	–	2	1	–	1	
7-6-88	16	16	–	71	59	12	4603	3628	975	2	–	4	4	2	–	
8-6-88	16	15	1	71	55	16	4603	3320	1283	4	2	3	3	–	4	
9-6-88	16	13	3	71	43	28	4603	2843	1760	3	4	12	6	1	2	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10-6-88	16	15	1	71	60	11	4603	3457	1146	-	1	8	2	-	-	
11-6-88	16	15	1	71	62	9	4603	3804	799	3	-	3	3	-	-	
12-6-88	16	15	1	71	54	17	4603	3311	1292	3	3	6	3	1	1	
13-6-88	16	16	-	71	64	7	4603	3999	604	1	1	2	2	-	1	
14-6-88	16	16	-	71	62	9	4603	3674	929	2	-	4	2	-	1	
15-6-88	16	16	-	71	68	3	4603	4106	497	-	-	-	-	-	3	
16-6-88	16	16	-	71	68	3	4603	4147	456	1	1	-	-	-	1	
17-6-88	16	16	-	71	66	5	4603	3978	625	-	-	2	1	1	1	
18-6-88	16	16	-	71	65	6	4603	3957	646	1	1	2	1	-	1	
19-6-88	16	16	-	71	68	3	4603	3997	606	1	-	1	-	1	-	
20-6-88	16	16	-	71	66	5	4603	4070	533	1	1	3	-	-	-	
21-6-88	16	14	2	71	52	19	4603	3282	1321	2	-	10	4	1	2	
22-6-88	16	14	2	71	51	20	4603	3051	1552	1	1	10	6	-	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23-6-88	16	14	2	71	58	13	4603	3288	1315	1	1	5	5	--	1	
24-6-88	16	11	5	71	50	21	4603	2892	1711	3	2	8	6	1	1	
25-6-88	16	10	6	71	40	31	4603	2173	2430	4	2	14	8	..	3	
26-6-88	16	11	5	71	40	31	4603	2570	2033	3	2	13	8	2	3	
27-6-88	16	12	4	71	48	23	4603	2639	1964	2	-	12	6	1	2	
28-6-88	16	10	6	71	44	27	4603	2112	2491	3	2	13	7	1	1	
29-6-88	16	13	3	71	47	24	4603	2893	1710	2	1	10	8	2	1	
30-6-88	16	11	5	71	46	25	4603	2549	2054	2	2	10	6	1	4	
योग ..	16			2130	1685	445	138090	101132	36958	61	35	182	105	18	44	

बलवीर सिंह,
वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

अतारांकित प्रश्न सं 0 59 से संबंधित सूची

थाना मांठ के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

1--बिन्दपुर
2--म द्रवन, भुपसिंह, बलवन्ता, जसवीर, नत्था लोहरे
3--बिजौली, घूरे, प्रेमनगर, कलौदा, गड़रिया
4--मांट, छहरी, बंशीवट, अड्डा मलियान, जाड़ीरावन, नगला सरवान
5--जावरा, घौकला, मलूका, बरी, सुरना, खुर्द, गढ़ी बुलाकी, अस्तल, रामदास, कपरेला हरदयाल, कला अस्तल, गढ़ी हुकुमा, अस्तल, काशी, अस्तल बढ़ी, अध्यार कहरिया, गढ़ीबाल-किशन, पटपरगढ़ी, चन्द्रवन, खुल्लम, उमरायां हृद, बसैलर, बिन्दापुरी
6--जैसवा
7--अरुआ, दरवै, एन, बैरछा, चौकड़ा, अस्तल बदौली, अस्तरगंगा, तिलोकी, नदनगरिया, हरीराम हरीकिशन, जसौली, अलीबाबाद, घूमोपुरा, केसरा, असागढ़ी, जनकपुर ।
8--निरताना, चन्द्रवन, मढा
9--नसीटी, गढ़ी, बिहारी
10--कुनवाड़ा, जौहरी, खेमा, साल
11--लालगढ़ी
12--सिरैला
13--डागौली, अड्डा पिलखाना
14--जहांगीरपुर
15--भीम
16--बेगमपुर
17--पिपरोला
18--दुवैटिया, देह, दानी, न0 हुमायू
19--बहादीन, उघर, पतीला, मिलक
20--बकला, श्याम, अस्तल, बंशीदास
21--गुवावली
22--ककराई, अलिया, केशोपुर, लोग, सिरिया, मगादा
23--बुन्द, बुलाकी, दीपा, धाकू, अन्दुआ, पीतमवार ।

थाना यमुनापार के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

1--ईशापुर
2--डेगरा
3--गोपालपुर
4--जयसिंहपुरा, लक्ष्मीनगर
5--गोकुल, काकाजी की गली, खिड़की, लोधीपाड़ा, सादाबाद, खंडूवाली गली, दाऊजी की गली, सिहेपुर, कनवद, हवेली, पटरा मंदिर बीच चौक, बवरिया माली वाली गली, बनियापाड़ा, अठखम्भा घाट, किर्तन वाली गली, नगलाखेपा, नगरिया देवकरन, नगला गोपी, नगला पापड़ी
6--मीर बुलाकी, गोपी नगरिया, नगला आम, नगला पापड़ी, तेजसिंह मुबारकपुर।
7--इस्लामपुर
8--रावल, पोला, काजी का नगरिया
9--मोहनपुर उर्फ हयातपुर, खुटिया नगरिया, देवकरन, रती

10--अलीपुर
11--नगला काजी
12--सिहोरा तारापुर, तेजा, बादाम बाना, पुरना, पतिया
13--दिवना कला, सिरिया की नगरिया, गदरपुर दुधाधारी, दिवना खुर्द
14--दहरुआ
15--अलईपुरा; केहरीगढ़ी, अस्तल केशवदास, गोबिन्दगढ़, गदाइयो
16--कल्याणपुर
17--किनारई
18--भावली
19--तैयईपुर
20--लोहवन छैटा
21--गौसना
22--अजयनगर
23--सुखदेवपुर
24--नगला, कोल्हू
25--नगला गोली
26--हंसगंज
27--बिशनगंज
28--शांति आश्रम
29--रामनगर
30--पैढ बाजार
31--दिवानाखुर्द
32--पानी गांव
33--रामपुर मई ।

सत्यमेव जयते

सत्थी 'घ'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

अपराधिक इतिहास

1--पवन कुमार पाण्डेय पुत्र जगमोहन पाण्डेय नि0 कोटवा मोहम्मदपुर थाना अकबरपुर जिला फैजाबाद का अपराधिक इतिहास :--

1--मु0अ0स0	500/84	धारा	307 भा0द0वि0	थाना अकबरपुर, फैजाबाद
2-- ,,	522/84	,,	336/323/506 भा0द0वि0	,, ,,
3-- ,,	11/87	,,	363/366/376	,, ,,
4-- ,,	539/87	,,	353/भ 0द0वि0/ 3यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट	,,
5-- ,,	104/87	,,	147/148/149/462/302/34	अकबरपुर फैजाबाद
6-- ,,	645/87	,,	147/148/149/307 भा0द0वि0	,,
7-- ,,	242/88	,,	364/342/भा0द0वि0	थाना टाण्डा फैजाबाद
8-- ,,	527/88	,,	147/148/149/307	थाना अकबरपुर फैजाबाद
9-- ,,	44/87	,,	392 भा0द0वि0	कोतवाली नगर फैजाबाद
10-- ,,	126/87	,,	353/504/506 भा0द0वि0/ 3यू0पी	गैंगेस्टर ऐक्ट
11-- एन.सी.आर.	नं0293/87	,,	427 भा0द0वि0	अकबरपुर फैजाबाद

2--अभियुक्त छोटे पाण्डेय पुत्र लक्ष्मीनारायन पाण्डेय नि0 कोटवा मोहम्मदपुर थाना अकबरपुर फैजाबाद का अपराधिक इतिहास:--

1-मु0अ0स0	169/88	धारा	307/120बी भा0द0वि0	
2- ,,	104/88	,,	147/148/149/452/302/34	भा0द0वि0
3- ,,	527/88	,,	147/148/149/307	भा0द0वि0 अकबरपुर फैजाबाद
4- ,,	500/84	,,	307 भा0द0वि0	थाना अकबरपुर फैजाबाद
- ,,	645ए/87	,,	307भा0द0वि0	थाना अकबरपुर फैजाबाद

3--अपराधिक इतिहास राधेश्याम पाण्डेय पुत्र पारस नाथ नि0 सरैया थाना कादीपुर सुल्तानपुर।

1-मु0अ0स0	887/84	धारा	302 भा0द0वि0	कोतवाली फैजाबाद
2- ,,	111/86	,,	399/402 भा0द0वि0	कोतवाली फैजाबाद
3- ,,	122/86	,,	399/409 भा0द0वि0	,, ,,
4- ,,	322/86	,,	147/332/323 भा0द0वि0	कोतवाली फैजाबाद
5- ,,	37/87	,,	25 आर्म्स ऐंक्ट	थाना कोतवाली फैजाबाद
6- ,,	47/87	,,	399/402 भा0द0वि0	,, ,,
7- ,,	321/86	,,	25 आर्म्स ऐक्ट	,, ,,
8- ,,	149/86	,,	147/323/504	,, ,,
9- ,,	72/83	,,	23 आर्म्स ऐक्ट	,, ,,
10- ,,	39/86	,,	395 भा0द0वि0	नवाब गंज गोण्डा
11- ,,	105/86	,,	395/397 भा0द0वि0	कोतवाली नगर फैजाबाद
12- ,,	73/83	,,	147/148/149/307 भा0द0वि0	कोतवाली फैजाबाद
13- ,,	369/87	,,	147/452/323/504/506 भा0द0वि0	कोतवाली फैजाबाद
14-मु0अ0सं0	362ए/87	धारा	353/504/106भा.द.वि. क्रिमीनल	अमेन्डमेन्ट ऐक्ट
15- ,,	22/88	,,	147/307/504/506	थाना कोतवाली फैजाबाद
16- ,,	196/87	,,	353/504/506/ 3यू0पी0	कोतवाली फैजाबाद
17- ,,	527/88	,,	147/148/149/305 भा0द0वि0	अकबरपुर फैजाबाद

4–अपराधिक इतिहास प्रेम सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र दिनेश सिंह नि0 सिलोनी थाना महराजगंज फैजाबाद।

1–मु0अ0सं0	387/84	धारा	302 भा0द0वि0	कोतवाली नगर फैजाबाद
2– ,,	111/86	,,	399/408 भा0द0वि0	,, ,,
3– ,,	122/86	,,	399/402	,, ,, ,,
4– ,,	321/86	,,	147/332/323 पीसी 7 क्रिमिनल ऐक्ट	थाना कोतवाली फैजाबाद
5– ,,	91/86	,,	395/397 भा0द0वि0	थाना अकबरपुर ,,
6– ,,	66/86	,,	395/397	,, ,, ,,
7– ,,	183/86	,,	395 भा0द0वि0	,, ,,
8– ,,	1972/85	,,	379/411	,, थाना कोतवाली ,,
9– ,,	81/84	,,	399/402	,, ,,
10– ,,	598/85	,,	302	,, ,, ,,
11– ,,	48/87	,,	307	,, ,, ,,
12– ,,	149/86	,,	147/323/504	थाना अयोध्या ,,
13– ,,	39/86	,,	395 भा0द0वि0	थाना नवाबगंज गोण्डा
14– ,,	105/86	,,	395/397 भा0द0वि0	कोतवाली नगर फैजाबाद
15– ,,	22/88	,,	147/307/504/506/भा0द0वि0 3/4 ऐक्ट सब ऐक्ट 3 यू0पी0 गैंगैस्टर ऐक्ट	
16– ,,	196/87	,,	353/504/506 भा0द0वि0 3यू0पी0गैंगेस्टर ऐक्ट	कोतवाली फैजाबाद

5––महेन्द्र सिंह पुत्र जयराम सिंह नि0 पटेल नगर कोतवाली अकबरपुर, फैजाबाद का अपराधिक इतिहास:––

1–मु0अ0सं0	104/88	धारा	147/148/149/452/302/34	भा0द0वि0
2– ,,	169/88	,,	307/120बी भा0द0वि0	
3– ,,	527/88	,,	147/148/149/307/भा0द0वि0।	

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

उत्तर प्रदेश सरकार
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1

संख्या–6089/20–ई–1–513/87
लखनऊ: दिनांक: 6 अक्टूबर, 1987

कार्यालय-ज्ञाप

1––राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के संलग्न परिशिष्ट "क" में उल्लिखित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1 दिसम्बर, 1985 से 30 रु0 (तीस रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से सचिवालय विशेष वेतन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2––उक्त सचिवालय विशेष वेतन संबंधित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्प्रति अन्य सभी प्रकार के देयों के अतिरिक्त देय होगा तथा दिनांक 1 दिसम्बर, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक की अवधि के लिये इस विशेष वेतन की बकाया धनराशि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त बकाया देय धनराशि नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी परन्तु जिस धनराशि का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दे दी जायेगी।

3––ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–1983/दस–1987 दिनांक 6 अक्टूबर, 1987 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

एस0 के0 मुखर्जी
सचिव।

संख्या–6089(1)20–ई1–513/87, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:––

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग/1/2 (3–3 प्रतियां)
(3) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
(4) वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2
(5) सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–2/3/4/5/6
(6) सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–1/2/3
(7) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

प्रमाणित प्रतिलिपि
दुर्गेश जोशी,
संयुक्त सचिव,

आज्ञा से,
दुर्गेश जोशी,
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-6089/20-ई-1-513/87, दिनांक 6 अक्टूबर, 1987 का परिशिष्ट "क"

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान रु0
1	प्रतिसार निरीक्षक/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/ मुख्य लेखाकार/सम्पर्क अधिकारी एवं प्रभारी (लेखा एवं भविष्य निधि) विशेष कार्याधिकारी।	690-1420
2	व्यवस्थाधिकारी/अधीक्षक स्टोर्स/पुनरीक्षक/माइक्रो फोटोग्राफिस्ट शोध सहायक/प्राविधिक सहायक।	625-1240
3	उपनिरीक्षक/द्वितीय अग्नि शमन अधिकारी	515-860
4	टाइपराइटर मैकनिक/टेलीफोन मानीटर	400-615
5	टंकक/जूनियर ग्रेड क्लर्क/टेलीफोन आपरेटर/टेलीप्रिन्टर आपरेटर/ टेलेक्स आपरेटर/माइक्रो फिल्म आपरेटर/ब्राडमा आपरेटर/ नेत्रहीन डिथ्पैचर/नेत्रहीन पूछताछ लिपिक/सहायक स्टोर कीपर/ फैसिट कैलकुलेटर/मुख्य विधान भवन रक्षक/लीडिंग फायरमैन/ ड्राइवर-कम-पम्प अटेंडेंट।	354-550
6	विधान भवन रक्षक/सहायक टाइप राइटर मैकेनिक/ मोटर चालक/फायरमैन।	330-495
7	दफ्तरी/जमादार/सहायक हेडमाली/स्वीपर/(जमादार)/जैनीटर/ शिक्षित दफ्तरी/बुक बाइन्डर/साइक्लोस्टाइल आपरेटर/पेन्टर/ मोटर साइकिल चालक/हेडमाली/फोटोस्टेट आपरेटर / कारपेन्टर/लैमीनेटर।	315-440
8	फर्राश (बेलदार)/चपरासी/फर्राश/चौकीदार/पानीवाले/ठेलामैन/ टिण्डैल/भिश्ती/माली/स्वीपर/स्नपर/नाइट चौकीदार/साइकिल चौकीदार/डाक रनर/कुर्सी बुनकर/क्लीनर/वैकुअम क्लीनर।	305-390

प्रमाणित प्रतिलिपि
दुर्गेश जोशी,
संयुक्त सचिव।

दुर्गेश जोशी,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग

संख्या 6834/20-ई-1-88-515(1)/88टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 4 अक्टूबर, 1988

कार्यालय-ज्ञाप

राज्यपाल महोदय वेतन समिति उ0प्र0 (1987) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के संलग्न परिशिष्ट "क" में उल्लिखित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को 30 रु0 (तीस रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से अनुमन्य सचिवालय विशेष वेतन को दिनांक 1 जनवरी, 1987 से रु0 60 (साठ रुपये मात्र) प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2--दिनांक 1 जनवरी, 1987 से 31 मई, 1987 तक की अवधि के लिये उक्त विशेष वेतन की बकाया धनराशि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। दिनांक 1 जून, 1987 से 30 जून, 1988 तक अवशेष धनराशि के 50 प्रतिशत का भुगतान नकद और शेष 50 प्रतिशत की धनराशि को संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में किया जायेगा। किन्तु जिस धनराशि का बचत पत्र नहीं मिल सकता है वह उसे नकद दे दी जायेगी। उक्त शेष वेतन का भुगतान 1 जुलाई, 1988 से नकद किया जायेगा।

3--ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या वे0आ0-1-885(1)/दस-1988, दिनांक 4 अक्टूबर, 1988 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

के0 आर0 भाटी,
सचिव।

संख्या 6834(1)/20-ई-1-88-515(1)/88, टी0 सी0, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2(3-3 प्रतियां)
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(4) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
(5) सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-2/3/4/5/6
(6) सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग-1/2/3
(7) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

प्रमाणित प्रतिलिपि
दुर्गेश जोशी,
संयुक्त सचिव।

आज्ञा से,
दुर्गेश जोशी,
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 6834/20-ई-1-88-515(1)/88 टी0सी0,
दिनांक 4-10-88 का परिशिष्ट- क"

क्रम संख्या	पदनाम
1	प्रतिसार निरीक्षक/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/मुख्य लेखाकार/सम्पर्क अधिकारी एवं प्रभारी (लेखा एवं भविष्य निधि)/विशेष कार्याधिकारी।
2	अधीक्षक स्टोर्स/पुनरीक्षक/माइक्रो फोटोग्राफिस्ट/शोध सहायक/प्राविधिक सहायक।
3	उप निरीक्षक/द्वितीय अग्निशमन अधिकारी
4	टाइपराइटर मैकेनिक/टेलीफोन मानीटर।
5	टंकक/जूनियर ग्रेड क्लर्क/टेलीफोन आपरेटर/टेलीप्रिन्टर आपरेटर/टेलेक्स आपरेटर/माइक्रोफिल्म आपरेटर/ब्राडमा आपरेटर/नेत्रहीन डिस्पैचर/नेत्रहीन पूछताछ लिपिक/सहायक स्टोर कीपर फैसिट कैलकुलेटर/मुख्य विधान भवन रक्षक/लीडिंग फायरमैन/ड्राइवर-कम-पम्प अटेन्डेंट।
6	विधान भवन रक्षक/सहायक टाइपराइटर मैकेनिक/मोटरचालक/फायरमैन।
7	दफ्तरी/जमादार/सहायक हेडमाली/स्वीपर (जमादार)/जैनीटर/शिक्षित दफ्तरी/बुक बाइन्डर/ साइक्लोस्टाइल आपरेटर/पेन्टर/मोटर साइकिल चालक/हेडमाली/फोटोस्टेट आपरेटर/कारपेन्टर लैमीनेटर।
8	फर्राश (बेलदार)/चपरासी/फर्राश/चौकीदार/पानी वाले/ठेलामैन/टिण्डैल/भिश्ती/माली/स्वीपर। नाइट चौकीदार/साइकिल/चौकीदार/डाकरनर/कुर्सी बुनकर/क्लीनर/वैकुअम क्लीनर।

प्रमाणित प्रतिलिपि
दुर्गेश जोशी,
संयुक्त सचिव।

दुर्गेश जोशी,
संयुक्त सचिव।

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 183 का उत्तर पीछे पृष्ठ 90 पर)

सरदार महिमा सिंह के शिकायती पत्र दिनांक 30-1-88 में उल्लिखित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही का विवरण।

प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित सरदार महिमा सिंह निवासी 67/13 लालकुआं, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 30-1-88 में उल्लिखित बिन्दुओं पर स्थानीय पुलिस द्वारा जांच किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:-

1--फैजाबाद रोड से लगा प्रताप नगर मारुतिपुरम मोहल्ला है। इसमें एक भवन बी-1 बना है, जिस पर आर0पी0 सिन्हा का बोर्ड लगा है। इस भवन में जीत बहादुर तथा एस0एन0 वर्मा ठेकेदार किराये पर रहते हैं। सड़क की तरफ 6 दुकान बनी हुई हैं। सरदार महिमा सिंह के लड़के ने बताया कि उनमें से 2 दुकानों पर अभी हाल तक उसका कब्जा था और शेष 4 दुकानों को श्री राम करन सिंह ने किराये पर उठा रखा है।

2--जांच से श्री राम करन सिंह द्वारा श्री महिमा सिंह की उक्त विवादित जमीन पर कब्जा करने तथा उसमें मकान एवं दुकान बना लेने की बात प्रकाश में आई है। उक्त के संबंध में दोनो का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

3--श्री राम करन सिंह उत्तर प्रदेश सचिवालय में मुख्य व्यवस्था अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इनकी जन्म तिथि 11-6-1930 है तथा उन्हें 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी कर लेने के बाद 1 वर्ष की सेवा वृद्धि प्रदान की गई है।

4--श्री राम करन सिंह ने लिखित में अवगत कराया है कि लखनऊ शहर में उनका शासन से ऋण लेकर व अन्य स्रोतों तथा बचत से बनवाया हुआ मात्र एक ही मकान है। उन्होंने अन्य आरोपों से इन्कार किया है।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

महोदय,

मैं आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:—

(1) मैं महिमा सिंह पुत्र स्व0 श्री हीरा सिंह (भूतपूर्व सैनिक) 67/13 लालकुआं का हूं। मेरा एक प्लाट जो शेखपुर कसैला (फैजाबाद रोड) में था जिसमें एक पक्का कमरा, एक हैण्ड पम्प, एक आम का पेड़ लगा था और चहारदीवारी घिरी हुयी थी तथा प्रार्थी उसमें काबिज था।

(2) यह कि जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुयी थी उन दिनों में जब पूरे भारत वर्ष सिक्खों की लूट और नारा जलाया जा रहा था प्रार्थी भी उसी अल्पसंख्यकों के प्रति लगी आग का शिकार हो गया। मेरे मकान जिसमें लगभग 10-12 हजार का सामान पड़ा था सभी आम के पेड़ को काटकर प्लाट में ठा0 रामकरन सिंह, व्यवस्थाधिकारी रायल होटल (विधायक निवास—4) उसमें काबिज हो गये और वहां दो कमरे बनाकर मकान किराये पर दे दिये। जब माहौल शांत हुआ तो प्रार्थी उनसे कईबार मिला और वह आश्वासन देते रहे कि आपका मकान खाली कर दिया जायेगा अन्यथा आपको दूसरा प्लाट हम दे देंगे। मजबूर होकर प्रार्थी श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री, भारत सरकार को भेजा था जिसकी फोटो-स्टेट कापी आपकी जानकारी के लिए इस पत्र के साथ संलग्न है जो संलग्नक (1) है इसी प्रकार का दूसरा पत्र मैंने माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार को 25-9-1985 को भेजा था जिसकी फोटो स्टेट कापी भी संलग्न है जो संलग्नक (2) है।

(3) मैं कईबार थाने भी गया लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर सका और मैं हताश होकर बैठ गया। मुझे दुख है कि मेरे उक्त तमाम प्रयासों का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। अखबारों में और रेडियो पर अल्पसंख्यकों के बारे में तरह-तरह की घोषणाओं से मैं समझता था कि मुझे जरूर न्याय मिलेगा लेकिन अब निराश होकर यह पत्र आपको लिख रहा हूं।

(4) असल बात है कि श्री रामकरन सिंह काफी समय से व्यवस्थाधिकारी के पद पर कार्यरत होने के कारण विधायकों, मंत्रियों तथा आला अफसरों से बहुत नजदीक संबंध हो गये हैं उसका लाभ उठाकर वह मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं इनके प्रभाव का सहज अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विभाग से इनकी सेवा पुस्तिका ही गायब है और उसी का लाभ उठाकर 75 वर्ष की आयु में सेवारत हैं। उन्होंने अपनी नौकरी के समय में लखनऊ में 4-5 मकान बनवाये हैं और दो बसें भी चल रही हैं और अपने परिवार के नाम फर्जी मकान एलाट करवाकर किराये पर दिये हुए हैं विधायक निवास-4 की इमारत टूटी थी उसका अधिक सामान राम करन सिंह ने अपने निजी प्रयोग में लेकर मकान बनाया है।

(5) इस प्रकार श्री रामकरन सिंह घोर धोखाधड़ी सत्ता का दुरुपयोग, घपला, बेईमानी और जोर जबरदस्ती करके करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित कर लिया है।

अतः श्रीमन् जी से प्रार्थना है उक्त सारे मामलों की उच्च स्तरीय खुफिया जांच कराकर प्रार्थी की जान व सम्पत्ति की रक्षा करने की कृपा करें।

प्रार्थी,
सरदार महिमा सिंह,
67/13, लाल कुंआ, लखनऊ।

30-1-1988

पी0 एस0 यू0 पी0—एल 92 विधान सभा (142) 1989—813।